खण्ड-316, अंक-7
मंगलवार, 2 वैशाख, शक संवत् 1897
(22 अप्रैल, 1975 ई0)

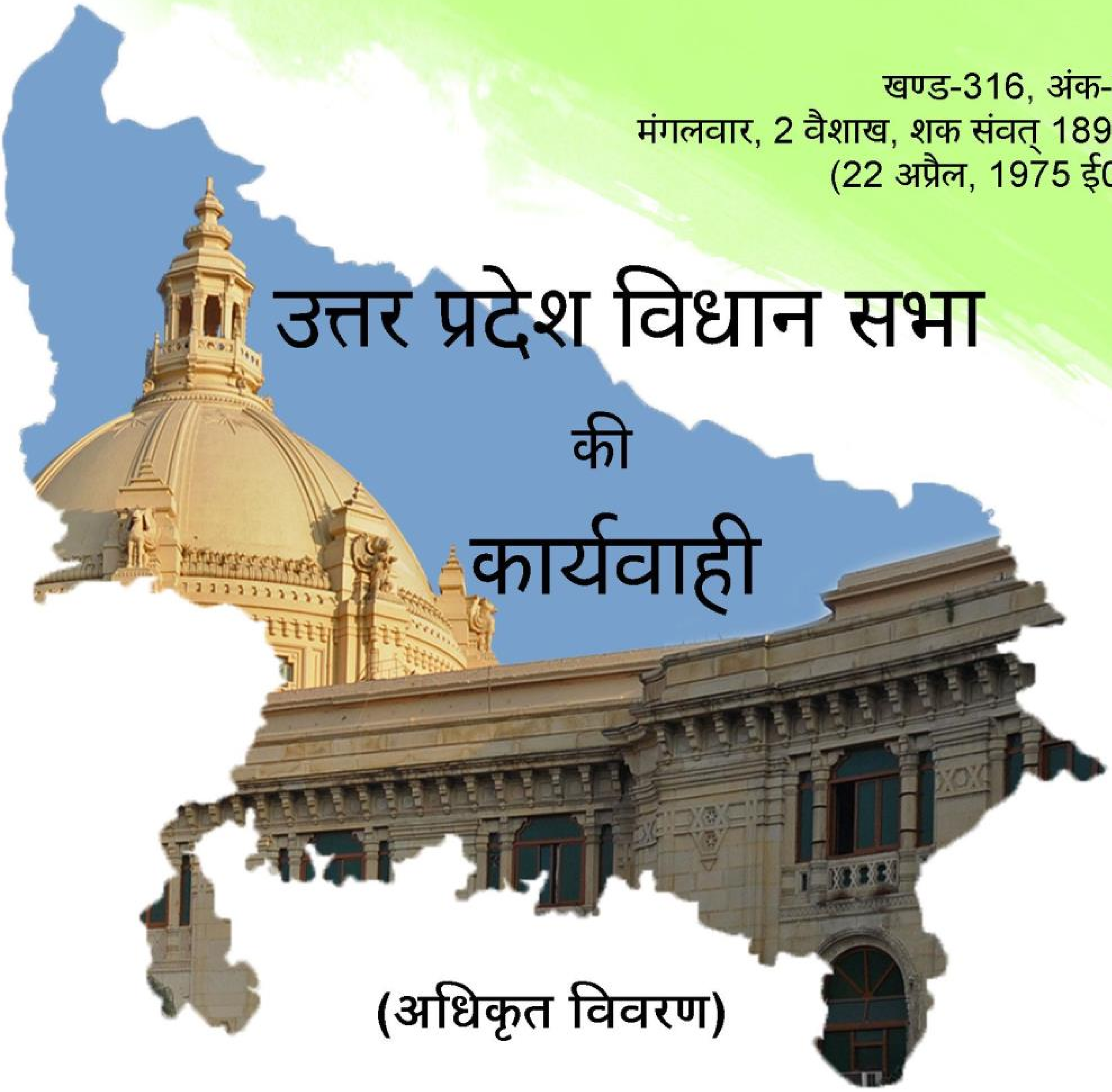

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 316 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	६३९
बहराइच जिले के भिनगा अस्पताल की लेडी डाक्टर, सुधा खरे की रहस्यमय मृत्यु के संबंध में वक्तव्य	६४०
लखनऊ नगर की गुलिस्तां कालोनी में किसी बड़े अधिकारी के बंगले पर सी० आई० डी० द्वारा छापा मारे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	६४१
श्री मदन मोहन खन्ना, भूतपूर्व हेड क्लर्क, सेल्स टैक्स कार्यालय, सहारनपुर के रिट पिटीशन में सरकार के विरुद्ध फैसला हो जाने के बाद भी उसका पालन न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	६४१–६४४
शेष कार्य–क्रम का स्थगन	६४५
नत्थियां	६४६–६५१

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ अप्रैल, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५०

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री एडवोकेट (उर्फ जिमी मियां)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां, 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चंद, श्री
गुलाब सिंह, श्री

गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी ,श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री ऐडवोकेट
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन , श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन ख , श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)

प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री

रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "बूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमाकान्त त्रिवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, श्री
रावबेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दोनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह ठाकुर
राम अवार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्स सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामहर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री

वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
बेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ अप्रैल, १९७५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अनाविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों की बिजली में कटौती

**१—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश विद्युत् परिषद् ने ७ अप्रैल, १९७५ को ऐसा कोई आदेश प्रसारित किया है जिसके अनुसार एक सप्ताह तक प्रदेश के तमाम औद्योगिक संस्थाओं को बिजली नहीं मिलेगी? यदि हां, तो क्यों और किन परिस्थितियों में?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी हां, ७ अप्रैल को अनाविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों को बिजली बन्द करने के आदेश दिये गये थे। उसके निम्नलिखित कारण थे :—

१—ओबरा के १०० मेगावाट की मशीन नम्बर ७ को सुपर हीटर ट्यूब्स में लीकेज के कारण बन्द करना पड़ा था।

२—विद्युत आयात में कमी।

३—परीक्षाओं के कारण शहरों में २ और ४ घंटे की बिजली की कटौती को बन्द करने के कारण मांग में वृद्धि। साथ ही साथ तापमान में वृद्धि के कारण पंखे व कूलर आदि से मांग में वृद्धि।

४—फसलों की थ्रेशिंग के कारण कृषि भार में वृद्धि।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो कारण बताये हैं एक सप्ताह तक बिजली बन्द रहने के सम्बन्ध में, उसके संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो कारण बताया है कि विद्यार्थियों की परीक्षाओं के होने के कारण बिजली नहीं दी जा सकी तो परीक्षायें अभी भी चल रही हैं उसी तरह से? दूसरा कारण, लीकेज का बताया है तो इसकी जानकारी पहले भी रही होगी। कहने का मतलब यह है कि उत्तर संतोषजनक नहीं है तो मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या पूरे मामले की फिर से जांच करेंगे किन-किन परिस्थितियों में ऐसा जनविरोधी आदेश विद्युत परिषद् को पारित करने की आवश्यकता पड़ी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, पहला कारण तो यही है कि १०० मेगावाट की मशीन बन्द करनी पड़ी और जब १०० मेगावाट की मशीन बन्द हो जायेगी तो असर तो जरूर पड़ेगा। दूसरा कारण यह था कि जो डेढ़ मिलियन यूनिट बिजली आयात होती थी उसके स्थान पर केवल .६ मिलियन यूनिट आयात होती है, बिहार और बदरपुर से कम बिजली आई। यह तो मुख्य कारण है और बाकी तो सप्लीमेंट्री हैं। इसके अलावा कुछ मांग इधर बढ़ भी गई है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने फिर गोल-मटोल उत्तर दिया। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि इन ७ दिन तक बिजली सप्लाई न होने की वजह से प्रदेश को कितनी अनुमानित हानि हुई?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लगभग ४ मिलियन यूनिट की ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

'इन टर्म्स आफ मनी' बतायें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है ।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १०० मेगावाट वाली मशीन क्यों बन्द करनी पड़ी और क्या कारण था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मशीन नम्बर ७ लीकेज के कारण बन्द करनी पड़ी ।

श्री शिव शरन कुर्मी, ग्राम बसन्तपुर, हुजूरपुर, जनपद बहराइच के घर में चोरी एवं पत्नी के साथ कथित बलात्कार

**२—श्री पूरन लाल (जिला हरदोई) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—
(अनुपस्थित)

क्या सरकार को जानकारी है कि मार्च, १९७५ में ग्राम बसन्तपुर, थाना हुजूरपुर, जिला बहराइच की एक कुर्मी जाति की महिला के साथ ४, ५ व्यक्तियों ने बलात्कार करके उसके चेहरे एवं शरीर पर तेजाब छिड़क कर जान से खत्म कर देने की गम्भीर घटना हुई जिसकी रिपोर्ट थाना हुजूरपुर में मार्च, १९७५ में एवं डाइंग डिक्लेरेशन एस० डी० एम० ने जिला अस्पताल, बहराइच में भर्ती उक्त महिला से अप्रैल, १९७५ में ली है ? यदि हां, तो उसके बयान एवं रिपोर्ट के अनुसार अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

थाना हुजूरपुर, जिला बहराइच पर दिनांक ९-३-७५ को प्राप्त श्री शिव सरन कुर्मी, निवासी ग्राम बसंतपुर की लिखित रिपोर्ट के अनुसार ८/९-३-७५ की आधी रात में ३-४ अज्ञात चोर वादी की दीवाल में नकब लगाकर घुसे और वादी को लाठी से मारा एवं वादी की औरत के शरीर पर तथा मुह में तेजाब डाल दिया। उक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा ४५७/३२३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी विवेचना जारी है । वादी की स्त्री सदर अस्पताल, बहराइच में दाखिल है और उसका इलाज चल रहा है ।

उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अथवा वादी की स्त्री, श्रीमती रूपरानी द्वारा ३-४-७५ को जिला अस्पताल, बहराइच में एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए डाइंग डिक्लेरेशन में अभियुक्तों द्वारा बलात्कार किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

श्रीमती रूपरानी के डाइंग डिक्लेरेशन में उन्हीं के गांव के कुछ व्यक्ति नामजद किए गए हैं । सही अपराधियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है ।

'(माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न सं० २ के बुलाये जाने पर)

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, इस प्रश्न में मेरी दिलचस्पी है । इसको ले लिया जाय। वह जेल में हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर के वरिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण

*१—श्री शिव पाल सिंह (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर में तत्कालीन निदेशक के आदेश संख्या एच० ए०-१०७७६-८१० स्था० (लिपिक), दिनांक २४-१-७५ के द्वारा वरिष्ठ लिपिकों का जो स्थायीकरण किया गया है, उसमें सीनियारिटी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार स्थायी किये गये लिपिकों की सूची सदन के पटल पर रखेगी?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

इस आदेश में कुछ विवादग्रस्त मामले जिनके लिये पद आरक्षित हैं, छोड़ते हुये स्थायीकरण की ज्येष्ठता को ध्यान में रख कर किये गये हैं।

स्थायी किये गये लिपिकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६४६ पर।)

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के लिपिकों का स्थायीकरण

*२—चौधरी वीरेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में लिपिकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है जब कि हाल ही में शासकीय आदेश हुये थे कि तीन साल से कार्यरत कर्मचारी को स्थायी किया जाय? इस विलम्ब का क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभुनारायण)—

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के लिपिकों को स्थायी किये जाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है और बहुत से लिपिक स्थायी किए भी जा चुके हैं। विलम्ब का कारण यह है कि अस्थायी लिपिकों को स्थायी करने से पूर्व यह आवश्यक होता है कि जिन पदों पर वे कार्यरत हैं, उन्हें पहले स्थायी किया जाय। अतः तीन वर्ष से अधिक से चल रहे अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है और उसके पश्चात् ही अस्थायी लिपिकों को स्थायी किया जायगा।

नगरपालिका, पिहानी, हरदोई के लिपिकों का बकाया वेतन

*३—श्री कबूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका, पिहानी के कुछ लिपिकों को जून, १९७३ से सितम्बर, १९७३ तक का वेतन अब तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा अवशेष वेतन की अदायगी कब तक कर दी जावेगी?

स्वायत्त शासन एवं आवास मंत्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)---

केवल श्री कन्हैया लाल को जिन्हें सेवा-निवृत्त के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा शासन की स्वीकृति के बिना पुनः नियुक्त कर लिया गया था, उन्हें उक्त अवधि का वेतन नहीं दिया गया। इसका कारण आडिट में आपत्ति उठाया जाना है और जब तक इस आपत्ति का निराकरण नहीं कराया जाता तब तक उक्त वेतन की आदयगी का प्रश्न नहीं पैदा होता।

पिहानी नगरपालिका, हरदोई के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि का भुगतान

*४---श्री भामी (जिला आजमगढ़)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका पिहानी के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सेवा निवृत्त हुए दो वर्ष से अधिक हो चुके हैं किन्तु उनका प्राविडेन्ट फन्ड एवं ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है? भुगतान न किये जाने का क्या कारण है तथा सरकार उनका भुगतान अविलम्ब कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

ऐसे ७० कर्मचारी २ वर्ष से अधिक समय हुए सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। उनके अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनका अन्तिम भुगतान नहीं हो सका। अब सन् १९७४ तक के अभिलेख पूर्ण करा लिये गये हैं और उनका अन्तिम भुगतान शीघ्र किया जा रहा है।

श्री भामी---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धि एक नगरपालिका में ७० कर्मचारियों का मामला है और दो वर्ष से अधिक सेवा निवृत्त हुए हो गये। मैं मंत्री जी से निश्चित उत्तर चाहता हूं कि किस तारीख तक उनका भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

मैं निश्चित उत्तर ही दे रहा हूं। जैसा कि अभी मैंने कहा ७४ तक के रिकार्डस् तैयार हो गये हैं और अब देरी होने का कोई कारण नहीं है। महीने दो महीने में यह हो जायगा।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि कुछ कर्मचारियों का भुगतान कर दिया गया है और कुछ का करना बाकी है। मैं जानना चाहता हूं कि कितनों का भुगतान कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो ब्योरे का सवाल है।

[२२ अप्रैल, १९७५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बदायूं जिले के राजकीय अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अनुदान एवं औषधियों की खरीद

*१---श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के किस-किस अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं अन्य शफाखानों के लिये चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिये चालू वर्ष में अनुदान स्वीकृत हुये? और उसमें से कितने प्रान्तीय स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा, कितने जिला स्तर द्वारा और उनमें से कितनी-कितनी औषधियां प्रान्त से एवं जिला स्तर से खरीद करके अस्पतालों के प्रयोग में आ रही हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

जनपद बदायूं के समस्त राजकीय चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष १९७४–७५ के बजट से औषधियों तथा अन्य चिकित्सा सम्बन्धी सामानों के लिये जिला स्तर पर पये २,८५,८०० का अनुदान स्वीकृत किया गया था। उक्त के आलावा रु० ३,४९,७२९.६१ की औषधियां प्रदेश के केन्द्रीय औषधि भंडार से पूर्ति की गयीं। रु० २,२१,६६५.९१ की औषधियां जिला स्तर से क्रय की गईं और अन्य चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुओं के क्रय पर रुपये ५३,८०० का भी व्यय जिला स्तर द्वारा किया गया। इस प्रकार क्रय की गई औषधियां आदि जनपद बदायूं के विभिन्न अस्पतालों में प्रयोग की गई। स्वीकृत अनुदान एवं उक्त से किये गये क्रय का जिला चिकित्सालय प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्रामीण औषधालय वार विवरण तालिका में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४७–६४९ पर।)

लीडर रोड, इलाहाबाद के सुधार हेतु नगरमहापालिका द्वारा किये गये खर्च में अनियमितताएं

*२—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इलाहाबाद में लीडर रोड पर वर्ष १९७३–७४ में नगरमहापालिका द्वारा सुधार तथा सजावट के नाम पर पचासों हजार रुपयों का व्यय किया गया? क्या यह सही है कि उक्त योजना के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में घोटाला किया गया तथा घोर अनियमितताएं बर्ती गई? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय जांच करा कर समस्त दोषी लोगों को कठोर दण्ड देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

वर्ष १९७३–७४ में केवल रु० १२,७६१.२५ पैसे लीडर रोड के सुधार हेतु महापालिका द्वारा खर्च किया गया। सजावट पर कोई व्यय नहीं किया गया। व्यय में कोई अनियमितता शासन की जानकारी में अब तक नहीं आई है। अतएव उच्च स्तरीय जांच तथा दण्ड का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि इसमें क्या-क्या सुधार किया गया है और किसके आदेश से किया गया है?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

बोर्ड के आदेश और प्रस्ताव से सुधार किया गया। सड़क को चौड़ा किया गया है।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला लाहाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने १२,७६१.२५ के आंकड़े दिये हैं। मेरा कहना है कि इसमें लाखों रुपया खर्च हुआ। जो काम ७३-७४ में पूरा हो गया तो उसका पेमेंट ७४-७५ में किया होगा। वह कितना है?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

माननीय सदस्य का कहना ठीक है। कुछ काम ७४-७५ में भी हुआ और उसका पेमेंट ८१,६२३.६० पैसे का हुआ।

श्री तीरथ राम कोहली--

सिवाय इसके कि सड़क के बीच में कुछ पत्थर डाल दिये हैं जिनसे कोई लाभ नहीं है और कुछ काम नहीं हुआ। इसके अलावा इन्होंने बगैर एडवरटाइज किये घर बैठे टेंडर्स लिये। मैं जानना चाहता हूं कि वह जो पत्थर का काम हुआ उसमें कितने टेन्डर्स आये और किसका लोएस्ट टेंडर था ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो नगरपालिका से सम्बन्धित है। यह ब्योरे का सवाल हो गया।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

यह जो मैंने ८१ हजार का जोड़ बताया यह १६ आइटम्स का है। अगर आप कहें तो उनको पढ़ दूं। मेरी जानकारी में सबके विधिवत् टेंडर्स मांगे गये।

श्री तीरथराम कोहली--

मैं पत्थर के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय-

मैं भी इलाहाबाद नगर महापालिका का सभासद रहा हूं। कोहली साहब भी वहां एल्डरमैन थे। वह भी मेरा समर्थन करेंगे कि सिवाय इसके कि वहां पत्थर लगा दिये गये और कोई काम नहीं हुआ। वह मुश्किल से कुछ हजार रुपये का काम हुआ। तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कोई जांच करायेंगे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, उसके लिये तो मैं तत्पर रहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य अपनी जानकारी के आधार पर सूचना दें तो मैं अवश्य जांच कराऊं।

श्री तीरथ राम कोहली--

मान्यवर पत्थर वाला सवाल तो रह ही गया ?

श्री अध्यक्ष--

अब उन्होंने कह दिया है कि जवाब दे देंगे।

खंड विकास अधिकारी, फूलपुर, इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायतें एवं प्रदर्शन

*३--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद इलाहाबाद में वर्तमान विकास खंड अधिकारी, फूलपुर के विरुद्ध फरवरी, १९७३, अप्रैल, १९७३ तथा अगस्त, १९७४ में जन प्रदर्शन किया गया तथा उनके विरुद्ध खाद, बीज आदि के वितरण के सम्बन्ध में धांधली-भ्रष्टाचार व गबन के गम्भीर आरोप लगाये गये ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

कथित महीनों में कोई प्रदर्शन होने की जानकारी नहीं है। अतः इन प्रदर्शनों से संबंधित किसी ज्ञापन के प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९७२; अप्रैल, १९७३ और अगस्त, १९७४ की तिथियों में उक्त बी० डी० ओ० के विरुद्ध कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र वहां की क्षेत्रीय जनता से विभाग को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, अध्यक्ष, जिला किसान सभा, इलाहाबाद से एक शिकायती प्रार्थना-पत्र १६-७-७४ को खंड विकास अधिकारी फूलपुर के विरुद्ध है और उसमें आरोप लगाये हैं कि खंड विकास अधिकारी, फूलपुर ने प्रधान, ग्राम सभा, बई खुर्द से मिलकर तथा ब्लाक के अन्य प्रधानों से सांठगांठ करके १९७३ में २५,००० रुपये मुर्गीपालन आदि के नाम से फर्जी वाउचर के द्वारा अनुदान का रुपया गबन कर दिया है। इसकी जांच अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है। अभी जांच पूरी नहीं हो पायी है।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ब्लाक में करीब ५,००० बोरे पुरानी खाद के थे और निर्णय यह लिया गया था कि पुरानी खाद पुराने रेट पर ही बेंची जाय लेकिन उसको नयी खाद के १०५ रुपये प्रति बोरी के रेट पर बेंचा गया ? क्या इस संबंध में इनक्वायरी करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है इसीलिये तो यह जांच करायी जा रही है और जो अपराधी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, १६ जुलाई, १९७४ के शिकायती पत्र के अब लगभग १० महीने पूरे हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी कोई स्पष्ट आश्वासन इस सदन में देंगे कि जो विभागीय जांच चल रही है, वह एक महीने में पूरी हो जायेगी और उसके बाद उचित कार्यवाही होगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, सरकार की ओर से यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जांच समाप्त हो जाय।

श्री अठई राम—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त इन्क्वायरी होगी वहां के विकास अधिकारी को वहां से हटाकर होगी या वह वहीं रहेंगे और उनके वहां रहते हुये ही इन्क्वायरी होगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अगर सही बात है तो उनके रहने पर भी जांच में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर बात सत्य है तो शिकायत करने वाले खुलकर कह सकते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, यह २५,००० रु० के गबन का मामला है जो १९७३–७४ में हुआ, वहां के अतिरिक्त नियोजन अधिकारी की सांठ-गांठ उस बी० डी० ओ० के साथ बतायी जा रही है। तो क्या जब जांच करायेंगे तो किसी दूसरे अधिकारी से करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, अतिरिक्त जिलाधिकारी नियोजन को यह जांच दी गयी है। जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक दूसरे को देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री तीरथ राम कोहली—

मान्यवर, उसमें सीमेंट का भी स्कैन्डल है।

*४—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[भारत सरकार से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

*५–६—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[१५ वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६–७ पर स्थानान्तरित।]

उप निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) के कार्यालय में अंग्रेजी का प्रयोग

*७—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) के कार्यालय में अब भी कार्य अंग्रेजी में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पशुपालन मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

उप निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) के कार्यालय में लगभग सभी कार्य हिन्दी में ही किया जा रहा है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मंत्री जी का उत्तर है "लगभग हिन्दी में काम हो रहा है"। इसका मतलब है कि अंग्रेजी में काम जरूर हो रहा है। मेरी निजी जानकारी है कि आपके कार्यालय में अंग्रेजी में काम हो रहा है, जिस अधिकारी ने सूचना दी है, उसने सदन को गुमराह किया है तो मंत्री जी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

लगभग से तात्पर्य है कि जो बाहर से पत्र आते हैं या दिल्ली से अंग्रेजी में पत्र आया तो उसका जवाब अंग्रेजी में जरूर दिया जाता है। जहां तक कार्यालय में काम का सवाल है, वह हिन्दी में ही किया जाता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उर्दू में भी काम करने के आदेश क्या मंत्री महोदय अपने कार्यालय को देंगे ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया।)

श्री बाबू लाल वर्मा—

एक उपनिदेशक हैं, श्री सी० पी० सिंह उनके लेटर्स हैं नं० १५६/ए० टी०, दिनांक ३–५–७४ तथा दूसरा है १५९/ए० टी०, दिनांक ५–५–७४ ये अंग्रेजी में लिखे गये हैं और एक तीसरा हमारे पास है जिस पर टिप्पणी करके वापस कर दिया गया है "मूल रूप में इस आशय से वापस कर दिया जाय कि हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि में कार्य करने के शासनादेश होने के कारण अंग्रेजी में कार्य करना शासनादेश के प्रतिकूल है।" तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी जांच करके क्या उस अधिकारी के विरुद्ध आप कार्यवाही करेंगे जो अंग्रेजी में अब भी लिखा पढ़ी कर रहे हैं ?

श्री नारायण सिंह—

अवश्य जांच कराऊंगा और देखूंगा कि किसने अंग्रेजी में पत्र लिखा है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मेरा खुला चार्ज है कि यह सरकार हिन्दी की अवहेलना कर रही है। मंत्री लोग अंग्रेजी में आदेश देते हैं और दस्तखत तक अंग्रेजी में करते हैं जब कि इस सदन में कई बार यह तय हो चुका है कि जो अंग्रेजी में काम करेगा उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही होगी। तो जिस अधिकारी ने अंग्रेजी में काम किया है अथवा जो मंत्री अंग्रेजी में काम करता है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और हिन्दी को प्राथमिकता देने के लिये क्या माननीय मंत्री फिर से अपने विभाग तथा अन्य विभागों को आदेश देंगे कि वे सारा कार्य हिन्दी में करने की कृपा करें ?

श्री नारायण सिंह—

माननीय सदस्य ने जो बात कही वह सही है। किसी हद तक दस्तखत अंग्रेजी में हो जाते हैं। मैं भी कर देता हूं। लेकिन अवहेलना हिन्दी की नहीं की जाती। गलती से कलम चल जाता है और फिर काट कर हिन्दी में कर दिया जाता है। अवहेलना होती है तो पूर्णतया प्रयत्न किया जायगा कि वह न की जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न १०–११ पुकारने पर)

श्री बाबू लाल वर्मा—

मेरे पास यह आशुलिपिक के लेटर मौजूद हैं जो हिन्दी नहीं जानते। इनके कार्यालय में हिन्दी जानकार आशुलिपिकों को नहीं रखा जाता। इनकी राइटिंग आप देख सकते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आपको जब मौका मिला तो आप बैठे रहे और आप उपयुक्त प्रश्न नहीं पूछ सके और आपने यह नहीं कहा कि मैं इसे भेज रहा हूं। अब जब मैं आगे चला गया तो आप दिखा रहे हैं।

*८—श्री मधुकर दिघे—

[माननीय सदस्य ने कार्य सम्पन्न हो जाने के कारण वापस लिया।]

*९—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[१४–४–७५ को अल्पसूचित प्रश्न संख्या २ पर उत्तरित।]

कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि०, लखनऊ के हिसाब में गड़बड़ी

*१०—बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी), श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव) तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि०, लखनऊ के १९७१–७२ के हिसाब–किताब की जांच के बाद ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि आलोच्य वर्ष में ४,५६,५००.०० रु० की धनराशि क्षतिग्रस्त ट्रान्सफारमरों की मरम्मत संबंधी व्यय को निर्माणागत पूंजी के रूप में दर्शित किया गया है, जो कि संस्था के हित में नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह अवश्य कहा गया था कि वर्ष १९७१–७२ में रु० ४,५६,५०० की धनराशि क्षतिग्रस्त ट्रान्सफारमरों की मरम्मत पर व्यय की गयी और उसे निर्माणागत पूंजी के रूप में दर्शित किया गया परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। यह धनराशि उन नये ट्रान्सफारमरों तथा मीटरों की कीमत है जो बेकार या चोरी गये पुराने ट्रान्सफारमरों तथा मीटरों के स्थान पर लगाए गये थे।

बाबा रामनाथ—

मंत्री जी ने यह माना है कि जो पुराने ट्रांसफारमर्स थे, वे बेकार हो गये थे। तो वे कृपया यह बतायें कि ये ट्रांसफारमर्स कब खरीदे गये थे, किन फर्मों से खरीदे गये और साइट पर कब लगाये गये थे, उनके खरीदने पर कम्पनी वालों से कोई अनुबन्ध किया गया था ?

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, आपका प्रश्न तो दूसरा ही था और सीधा सादा था तथा ४ लाख ५६ हजार रुपये की धनराशि को गलत अंकित करने के बारे में था। लेकिन मैं सूचना देना चाहूंगा कि १९७१–७२ में हमने ७० नये ट्रांसफारमर्स ३,२३,१६०.४९ रुपये के खरीदे और १६५ मोटर्स २ लाख २४ हजार ८४ पैसे के खरीदे।

बाबा रामनाथ—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि ऊपर से देहातों के लिये विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जो बोर्ड बना है, उसने इनका निरीक्षण किया और यह पाया कि ये ट्रांसफारमर्स और मीटर्स ऐसे लोगों से खरीदे गये हैं जिनके ऊपर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता है ? इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी है, उसका ज्ञान मंत्री जी को है ? और इनके खरीदने का उत्तरदायित्व किन लोगों पर है ?

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है।

(व्यवधान)

बाबा रामनाथ—

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। यह ४,५६,०००, का सवाल है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैंने इस विषय में नियम ५२ में चर्चा मांगी है।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम ५१ में आपका स्वीकार किया गया था. . . . . .

श्री मधुकर दिघे--

५२ में चर्चा मांगी है ।

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल पूछ लें ।

श्री मधुकर दिघे--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो रूरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन है, उसने यह रिपोर्ट दी है कि ये जितने भी ट्रांसफारमर्स चोरी हुये बताये गये हैं उनकी दुरुस्ती और सुधार की दृष्टि से या रिप्लेसमेंट की दृष्टि से जो भी खर्च किया गया है और जिन कंपनियों से खरीदा गया है, वह साधारण तरीके के थीं और कोई अनुभव उनके सम्बन्ध में उन्हें नहीं था। ऐसे लोगों से यह खरीदा गया था, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री नारायण सिंह--

यह सवाल नहीं पूछा गया था। सिर्फ ट्रांसफारमर्स की चोरी के बारे में सवाल पूछा गया था। अब ७० नये ट्रांसफारमर्स खरीदे गये हैं. . . . . .

श्री मधुकर दिघे--

आडिट रिपोर्ट में यह लिखा है कि इन ट्रांसफारमरों की मरम्मत सम्बन्धी व्यय निर्माणगत पूंजी के रूप में दर्शित किया गया है और आपने कहा है कि ये ट्रांसफारमर्स रिप्लेस कर दिये गये उसका खर्चा है, मरम्मत का खर्चा नहीं है । तो आपको यह जवाब भी देना चाहिये कि ये ट्रांसफारमर्स कहां से खरीदे गये, कब खरीदे गये, उनसे क्या अनुबन्ध किया गया तथा रूरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने जो रिपोर्ट दी है, जिसके मातहत यह कहा गया है कि ये ट्रांसफारमर्स जहां से खरीदे गये हैं, वह ऐसी फर्म थी जिनका कोई पता नहीं था और उस फर्म से खरीदे गये जिनको उनका कोई अनुभव नहीं था ?

श्री नारायण सिंह--

मुझे मान्यवर, अभी कोई सूचना नहीं है लेकिन मालूम करूंगा कि किन फर्मों से खरीदे और क्या गड़बड़ियां उसमें हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो जवाब आपने दिया है उसी से सम्बन्धित १३ वां सवाल भी है और इसमें भी करीब ३५ लाख रुपये की गड़बड़ी का मामला इसी कंपनी से संबंधित है तो जो मंत्री जी ने जवाब दिया है उसके संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो ४ लाख ५६ हजार रुपया रिप्लेसमेंट और मरम्मत में खर्च हुआ या कुछ सामान खरीदा गया तो वह किस फर्म से खरीदा और उसके लिये टेंडर इनवाईट किये थे या नहीं ?

श्री नारायण सिंह--

माननीय सदस्य को मैं पहले कह चुका हूं कि वह सूची मेरे पास नहीं है कि कौन ट्रांसफारमर या कौन चीज किस फर्म से खरीदी गई । . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न आप देख लें उसमें लिखा है ' क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित कोआपरेटिव इलैक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी, लि० लखनऊ के १९७१-७२ के हिसाब किताब की जांच के बाद ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि आलोच्य वर्ष में ४,५६,५०० रु० की धनराशि क्षतिग्रस्त ट्रांसफारमरों की मरम्मत संबंधी व्यय को निर्माणागत पूंजी के रूप में दर्शित किया गया है ?' यह है प्रश्न आपका ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, यह किन फर्म से खरीदे गये इससे यह बात निकलती है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह जो इन्क्वायरी हुई उसमें कहा है कि यह रिपेयर में खर्च हुआ। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो नया सामान लगाया गया, पुराना समान चोरी चला गया, ट्रांसफारमर चोरी चले गये तो क्या उसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई ? और जो खरीदे गये, वह किस फर्म से खरीदे और क्या उसके लिए टेंडर इनवाइट किये गये ? इन सारे तथ्यों पर वह प्रकाश डालने की कृपा करें ।

श्री नारायण सिंह--

अध्यक्ष जी प्रश्न केवल यह था कि ४,५६,५०० रुपये को गलत तरीके से लिखा गया उससे इनका प्रश्न था। लेकिन माननीय सदस्य समझ नहीं पा रहे हैं मैंने पहले भी अर्ज किया कि ७० ट्रांसफारमर नये खरीदे गये। १६५ मोटर खरीदी गई और कुल दो टांसफारमरों की चोरी मई, ७१ में हुई जो गुसाईगंज ब्लाक से गये ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

अध्यक्ष जी, पूरा जबाब आना चाहिये था किससे खरीदे गये, क्या टेंडर मांगे गये. . . .

श्री अध्यक्ष--

आप आदत से मजबूर हैं मैंने श्री नेगी का नाम लिया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि नये ट्रांसफारमर खरीदे गये, इसमें हमें संदेह है कि नये भी खरीदे गये जो एक रेलीवेंट सवाल आता है कि यह किस फर्म से खरीदे गये और क्या टेंडर लिये गये ? अगर उनके पास इस वक्त सूचना नहीं है तो वह कृपा करके सूचना एकत्र कर लें और बाद में बता दें ।

श्री नारायण सिंह--

जो उनको संदेह है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन अगर आप सूचना चाहते हैं तो मैं जरूर मंगाऊंगा ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैंने नियम ५२ में चर्चा मांगी थी, इसमें एक सवाल और पूछना चाहूंगा ? ट्रांसफारमर का ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जबाब दे दिया है ।

कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि०, लखनऊ के मोटरगाड़ियों के पट्रोल के खर्च में वृद्धि

*११—बाबा राम नाथ, श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि०, लखनऊ के वर्तमान अध्यक्ष, श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी के जनवरी, १९७४ में पदासीन होने के बाद समिति की मोटरगाड़ियों आदि के पेट्रोल पर होने वाला व्यय अचानक १ जनवरी, १९७४ से ३१ दिसम्बर, ७४ तक ८२,०३२.८० रु० हो गया जबकि १ जनवरी, ७३ से ३१ दिसम्बर, १९७३ तक कुल व्यय ५७,१५० रु० ७१ पैसे था? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री नारायण सिंह—

जी हां, समिति के वाहनों पर कलैन्डर वर्ष १९७३ के मुकाबले में वर्ष १९७४ में अधिक व्यय हुआ। इसका कारण, वाहनों के उपयोग में आने वाले ईंधन के मूल्य में वर्ष १९७४ में हुई वृद्धि है।

बाबा रामनाथ—

मान्यवर, यह सन् १९७३ में जो पैट्रोल का खर्च है वह ५७,१५० रु० करीब है, और यह सन् १९७४ में बढ़ कर ८२,३२० हो गया है। तो मेरा सीधा आक्षेप है। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने जीप की लागबुक देखी है? इस जीप का इस्तेमाल चुनाव में किया गया जो वहां के अध्यक्ष हैं, उनके रिश्तेदार जो चुनाव लड़े हैं, उसमें प्रयोग किया गया। इसलिये यह कहना कि पैट्रोल के दाम बढ़ गये हैं, सही नहीं है। उसे भी माना जाय और वृद्धि का अनुपात देखा जाय तब भी इतना नहीं बढ़ना चाहिये, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस लाग-बुक को मंत्री जी ने देखा है?

श्री नारायण सिंह—

लाग-बुक देखने का सौभाग्य तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु यह जानकारी अवश्य है कि जनवरी, ७३ से दिसम्बर, ७४ तक ८०,५७९ किलोमीटर जीप चली है और ट्रक ७३,६५९ किलोमीटर चली है तथा जून, ७४ से दिसम्बर, ७४ तक ९९ हजार किलोमीटर जीप चली है और ट्रक करीब ४६,००० किलोमीटर चली है। अब मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि मोटर आयल १९७३ में ५ रुपया फी लीटर था और सी० आयल सन् ७३ में २६ रुपया फी लीटर था जो कि सन् ७५ में बढ़कर क्रमशः १०.५० रुपये फी लीटर तथा ८० रुपये फी लीटर हो गया है। इसी तरह से फ्लसिंग आयल सन् ७३ में १०.२० रुपये से बढ़कर सन् ७५ में ३० रुपये फी लीटर हो गया था।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि प्रश्न संख्या १०, ११ व १३ का आप अवलोकन करें, तो अपने आप में लगता है कि वहां पर बहुत बड़ा स्कैन्डल हुआ है। उसमें एक सप्ताह पहले भी एक उत्तर आया है, उसमें भी मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय को नियम ४९ में स्वीकार करें श्रीमन्, और आधा घंटे इस पर चर्चा चले।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मंत्री जी ने हिसाब-किताब तो खोलकर बता दिया, लेकिन जैसी माननीय सदस्य ने सूचना दी है क्या वह इस बात की भी जांच करेंगे कि कहीं इस जीप या गाड़ी का मिस्यूज तो नहीं हुआ है?

श्री नारायण सिंह—

यह माननीय सदस्य के कहने से मुझे जानकारी हुई है। मैं इसकी जांच करूंगा और उनको जानकारी कराऊंगा।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी, इनके सगे भाई चुनाव में सत्ता पक्ष के उम्मीदवार थे और उन्हीं के चुनाव में इस विभाग का इतना पेट्रोल खर्च हुआ है और उस विभाग की सारी गाड़ियां मुत्वातिर उस चुनाव में दौड़ी हैं, जिससे इतना अधिक व्यय हुआ है, जो सरकार के लिये बहुत ही कलंक की चीज है। क्या मंत्री जी इस बात की पूरी जांच करा कर सम्बन्धित अध्यक्ष और कर्मचारियों को दंडित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

ऐसी बात है तो अवश्य जांच करूंगा।

श्री तीरथ राम कोहली—

मंत्री जी ने बताया कि ८० पये फी लीटर ७५ में सी० आयल का रेट था, मैं समझता हूं कि उसका रेट १०/१२ रुपये लीटर था और इनको गुमराह किया गया है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि उस अवधि में पेट्रोल के दाम बढ़े, मैं इस सम्बन्ध में उन्हें बताना चाहता हूं कि ये मूल्य ७३-७४ में नहीं बढ़े हैं, बल्कि मई-जून, १९७४ में बढ़े हैं। तो मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह पेट्रोल वगैरह के मूल्य माहवार बता दें जब वह बढ़े हैं ?

श्री नारायण सिंह—

१९७३ में पेट्रोल १.७७ रुपये फी लीटर था जो १९७४ में बढ़कर ३.२० हो गया और डीजल आयल जो १९७३ में १.०८ रु० लीटर था वह सन् १९७४ में १.७७ हो गया है।

अधीक्षण अभियन्ता, अल्प सिंचाई, द्वारा सुरक्षित धनराशि का दुबारा आवन्टन

*१९—श्री मधुकर दिघे तथा श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि अधीक्षण अभियन्ता, अल्प सिंचाई, उत्तर प्रदेश ने अपने कार्यालय आदेश संख्या २३३६/बजट-९२/७४/७५ (ग्रा० ज० श०) दिनांक २०-१२-७४ द्वारा जिला विकास निधियों से सुरक्षित धनराशि को वापस लेकर पया १,४६,९१३ जनपद बस्ती को आवंटित किया था ? यदि हां, तो क्यों और उक्त आदेश में दो लाख रुपये का तारकोल या गिट्टी जो साइट पर पड़ी बतायी गयी है वह कहां से आयी तथा उक्त दो लाख पये का व्यय किस मद से तथा किस वर्ष में किया गया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने आदेश संख्या २३३६/अ० सिं०/बजट-९२/७४-७५ (ग्रा० ज० श०) दिनांक २० दिसम्बर, १९७४ द्वारा गोण्डा, इलाहाबाद, बलिया, प्रतापगढ़ तथा बहराइच जनपदों से फालतू धनराशि को वापस लेकर रुपया १,४६,९१३ का आवंटन बस्ती जनपद को ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत किया था।

(२) आवंटित धनराशि जनहित में बस्ती जनपद को ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने तथा उन पर अवशेष भुगतान के लिये उपरोक्त अंकित ५ जनपदों की बचत तथा पी० एल० ४८० गेहूं के अवशेष भुगतान के लिये फालतू धनराशि को वापस लेकर किया गया था। क्योंकि उक्त ५ जनपदों (गोण्डा, इलाहाबाद, बलिया, प्रतापगढ़ व बहराइच) में ग्रामीण जनशक्ति योजना के मद में यह धन प्रयोग नहीं हो सकता था। और जनपद बस्ती की दो सड़कें (कप्तानगंज–दुबौलिया मार्ग व कप्तानगंज टिनिच मार्ग) पूर्ण कराना जनहित में अधिक उपयोगी व आवश्यक था।

(३) उक्त आदेश में २ लाख पये का तारकोल तथा गिट्टी आदि जो साइट (Site) पर पड़ी दर्शायी गई थी, यह सामग्री वर्ष १९७२–७३ ईसवी तथा १९७३–७४ ईसवी में ग्रामीण जनशक्ति योजना मद से जिला नियोजन अधिकारी, बस्ती ने स्थानीय प्रबन्ध से क्रय किया था।

श्री मधुकर दिघे––

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब दो लाख रुपये की गिट्टी और तारकोल वहां पड़ा हुआ था १९७२ से, तो उसको इस्तेमाल न करके यह रुपया क्यों लिया गया और वहां जो माल पड़ा रहा उसमें से बहुत सा माल लोगों ने ले लिया और सरकारी अधिकारियों ने बेच लिया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

मान्यवर, जो दो लाख रुपये की गिट्टी और तारकोल पड़ा हुआ था उसकी देखरेख जिला परिषद् की ओर से हो रही थी और उसके उपयोग के लिये धन की आवश्यकता थी। इसलिये जिला परिषद् के नियोजन अधिकारी ने १,८०,००० रुपये की मांग की थी। उनको १,४६,९१३ रुपये इन पांच जिलों से इकट्ठा करके दे दिये गये ताकि दो सड़कें जो अधूरी थीं और गिट्टी तथा तारकोल वहां पड़ा हुआ था, उनका उपयोग करके वह बन जायं।

श्री मधुकर दिघे––

मान्यवर, जिन सड़कों का जिक्र मंत्री जी ने किया है क्या वे बन कर तैयार हो गई हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

मान्यवर, जिन सड़कों का मैंने जिक्र किया है, उनमें से एक सड़क तो पूरी हो गई है और दूसरी में काम जारी है और यह भी पूर्ण होने वाली है।

श्री मधुकर दिघे––

वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

जल्दी ही पूरी हो जायेगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बकाया धनराशि पूर्व किये हुये कार्यों पर कितनी पड़ी हुई थी और एक सड़क कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

जिन जिलों से यह धनराशि एकत्रित की गई है, वहां प्रोजेक्ट जन शक्ति योजना में जो तैयार की गई थीं वह पूरी हो चुकी थी। उसे इन सड़कों पर व्यय किया गया है।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रतापगढ़ में जन शक्ति योजना के सारे कार्य पूरे हो चुके थे ? यदि नहीं, तो यह धन वहां क्यों गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं समझा नहीं ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मान्यवर, प्रतापगढ़ जिले का जो धन बस्ती जिले में भेजा गया क्या प्रतापगढ़ जिले की जनशक्ति योजना के सारे कार्य की समाप्ति हो गयी थी ? यदि वहां भेजा गया, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, वहां प्रतापगढ़ जिले से केवल ४७,०३० रु० लिया गया था । यह फालतू रुपया वहां पर पड़ा था इसलिये वहां से लिया गया था ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, ५ जिलों से जो रुपया काटा गया था वह हर जिलेवार कितना-कितना रुपया था । जनशक्ति योजना के अन्तर्गत जो कार्य था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ । तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस बात की जानकारी मान कर कि गोंडा जिले में जनशक्ति योजना अभी पूरी नहीं हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हर जिले में कितना-कितना रुपया था, उसका आंकड़ा बता दिया जाय ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह माननीय सदस्य का कहना है । जिला परिषद् के पास भी अपने इंजीनियर हैं, स्टाफ है और सबसे बड़ी बात यह है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी, नियोजन और जिला नियोजन अधिकारी की देखरेख में यह काम जिला परिषद् करती है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, यह बता दें कि गोंडा जिले से कितना रुपया लिया गया था और हर जिले से कितना-कितना पया लिया गया था, जिलेवार बता दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

आप चिट्ठी लिख देंगे तो मंत्री जी उनको लिख देंगे, गोंडा जिले की सूचना आ जायगी ।

*१३—बाबा रामनाथ—

[९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६७ पर स्थानांतरित ।]

टी० बी० विवेकाधीन कोष से मरीजों को स्वीकृत अनुदान का भुगतान

*१४—श्री अठई राम तथा श्री जंगबहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष १९७४ में भू०पू० स्वास्थ्य मंत्री, श्री सालिगराम जायसवाल द्वारा जो टी० बी० के गरीब मरीजों को अनुदान देने की स्वीकृति की गई थी वह उन गरीबों को दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

गत वित्तीय वर्ष १९७४–७५ में स्वास्थ्य मंत्री के टी० बी० विवेकाधीन कोष में जितना धन था उस सीमा तक भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, श्री सालिगराम जायसवाल द्वारा स्वीकृत अनुदानों का भुगतान कर दिया गया था। शेष स्वीकृतियों का भुगतान धन की समाप्ति के कारण नहीं किया जा सका।

श्री अठई राम—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे की टी० बी० एक ऐसी बीमारी होती है जो अक्सर गरीबों को होती है और यह खतरनाक बीमारी है। कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र हैं जो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकृत कर दिये थे और उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, विवेकाधीन कोष में केवल ७५,००० रुपये टी० बी० के मरीजों की सहायता के लिए आबंटित था और ७५,००० रुपये बंटने के बाद २३,५०० रू० की धनराशि स्वीकृत होते हुए भी धन के न रहने से नहीं दी जा सकी।

श्री अठई राम—

मान्यवर, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी गरीबों के बहुत रहनुमा रहे हैं और गरीबों के लिए उन्होंने अनुदान पास किया और जिन्होंने कि इस्तीफा दे दिये, इस वजह से यह कहा जा रहा है कि उनके द्वारा स्वीकृत अनुदान का भुगतान न किया जाय, क्या यह सही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, भतपूर्व मंत्री जी ने आदेश दिया था कि स्वीकृत धन का भुगतान कर दिया जाय, परन्तु फिर भी उस स्वीकृत धन का भुगतान नहीं किया गया। भूतपूर्व मंत्री जी हट भी गये और दूसरे मंत्री जी आ गये। तो मंत्री जी का कहना है कि धनाभाव के कारण स्वीकृत धन का भुगतान नहीं किया जा सका। जिस मरीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, मान्यवर; उस मरीज को उसका स्वीकृत धन भी नहीं मिला और वह मरीज भी मर गया। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि किन-किन लोगों को धन स्वीकृत किया गया था और वे बेचारे रेंगते-रेंगते मर गये ?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, जहां तक प्रश्न सहायता का है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि चूंकि ७५ हजार रुपये बंट चुके थे और २३,५०० ० की स्वीकृति पहले से थी, जिसको कि मंत्री जी ने अपने आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया था। चूंकि पैसा नहीं था और इसको ग्रांट कर दिया गया था और पैसे के अन्दर ही ग्रांट मंजूर करना चाहिये था इसलिये इसको निरस्त कर दिया था। साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि जिन-जिन मरीजों के सिल-सिले में उन्होंने कहा होगा, उनको मुफ्त दवा के सिलसिले में आदेश दे दिये गये थे। माननीय सदस्य को भी इस बात की जानकारी होगी।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जिन लोगों के लिये स्वीकृति दी गयी थी उन्हीं को दिया गया या अपनी मर्जी से दिया गया ? मेरी जानकारी है, जो आपके आदेश हैं, उनके अनुसार अनुदान नहीं दिया गया ।

श्री प्रभु नारायण—

इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है जिस तरह के आदेश रहे हैं उन्हीं के मुताबिक कार्य हुआ है । भूतपूर्व मंत्री जी ने जिन आवेदन-पत्रों को स्वीकार किया था, उनको रद्द कर दिया गया है ।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में जब कभी अनुदान का मसला होता है तो उसमें घपला होता है । गरीबों को उससे कोई लाभ नहीं मिल पाता है । आप इस अनुदान को कतई खतम कर के जो टी० बी० के अस्पताल हैं, उनमें गरीबों के लिये भोजन और मुफ्त दवा की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, आज भी जो गरीब अपने खर्च को वहन नहीं कर सकते हैं, उनको सुविधा दी जाती है । जहां कहीं पर भी इस तरह की बात माननीय सदस्य को मालूम हो उसकी सूचना मुझे दे दें, तो उसकी व्यवस्था करा ी जायेगी ।

कस्बा गुरु सहायगंज, फर्रुखाबाद के बफर गोदाम से खाद वितरण में अनियमितताएं

*१५—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद के कस्बा गुरु सहायगंज की बफर गोदाम से १९७२ के माह अक्तूबर-नवम्बर में कोई खाद कुछ मरे हुये व्यक्तियों के नाम से उठाई गई जिसे प्रधान द्वारा तसदीक भी किया गया था ? क्या इस अनियमितता में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उल्लिखित बफर गोदाम से अक्तूबर-नवम्बर, १९७२ में कुछ मरे हुये व्यक्तियों के नाम से खाद उठाये जाने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । अतः किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करने तथा दंड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनवार जमील—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक हबीबली, पुत्र वहीद ने ५४४ की खाद जो मौजा झामपुरवा का रहने वाला है और वह लापता है और दूसरा हकीम, पुत्र बकरूद्दीन ने ७२६.६० की खाद उठाई जो मर चुका है, यह भी वहीं का रहने वाला है । तीसरा जकरुउद्दीन, पुत्र किफायत ने ३१७.२० की खाद उठायी, यह गतनी पुर का रहने वाला है । इसने खाद नहीं ली । वहां के प्रधान ने इसको तसदीक किया । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जैसा मैंने उत्तर दिया कि इस प्रकार की कोई भी शिकायत मेरे पास नहीं आयी है। माननीय सदस्य ने जिन लोगों की चर्चा की है कि उनके नाम से फर्जी खाद ली गयी है और मरे हुये हैं तो अगर माननीय सदस्य लिखकर मुझे दे देंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा और उसकी अवश्य जांच करायी जायेगी।

"जय जवान जय किसान कृषि एवं उद्योग सेवा समिति, कानपुर" द्वारा ऊसर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाओ योजना

*१६--चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग की राजाज्ञा के अनुसार कानपुर जिले की "जय जवान जय किसान कृषि एवं उद्योग सेवा समिति", कानपुर ने ऊसर-बंजर भूमि को कृषि योग्य उपजाऊ बनाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, १९७१ में जिलाधिकारी, कानपुर को दिया था? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जिलाधिकारी, कानपुर के प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ऊसर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का कोई प्रार्थना-पत्र उनको दिसम्बर, १९७१ में जय जवान जय किसान कृषि एवं उद्योग सेवा समिति, कानपुर से प्राप्त नहीं हुआ था।

*१७--चौधरी राम पाल सिंह यादव--

क्या यह भी सही है कि कानपुर जिले की ऊसर-बन्जर भूमि का रकबा ९५८६६ एकड़ है? यदि हां, तो उसके सुधार तथा उपजाऊ बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

कानपुर जिले मे कृषि अयोग्य तथा ऊसर भूमि का रकबा ६२१०८ हेक्टर है। उसके सुधार के सम्बन्ध में कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर द्वारा शोध कार्य तथा प्रदर्शन किये जा रहे हैं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि विभाग की ओर से कोई राजाज्ञा जारी की गई जिसमें ऊसर भूमि के सुधार एवं आवंटन के लिये कहा गया? यदि हां, तो वह क्या राजाज्ञा है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, अप्रैल, १९७२ से जुलाई, १९७४ तक २ बार इस प्रकार के आदेश दिए गये कि अगर २५ से २०० एकड़ तक ऐसी भूमि है तो वह भूमिहीन लोगों को एलाट की जाय। उसमें यह भी है कि प्रथम ३ वर्ष तक कोई लगान नहीं देय होगा। अगले वर्षों में आधा लगान और फिर ७ वर्ष तक पूरा लगान होगा। उसमें यह भी था कि अगर सुधार कर लिया जाता है तो ३० वर्ष तक पट्टे किए जा सकते हैं लेकिन जब से माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में ३० जनवरी, १९७५ से एक समिति बनी है, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी, तब से उनको निरस्त कर दिया गया है।

चौधरी राम पाल सिंह यादव--

जिस नई भूमि व्यवस्था सम्बन्धी समिति जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में गठित हुई बताई जाती है, उसके कौन-कौन सदस्य हैं और किस प्रकार से भूमि के बांटने का कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

माननीय मुख्य मंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, पटेल साहब उसके कार्यवाहक उपध्यक्ष हैं, प्रकाश भाई जो गांधी आश्रम से सम्बन्धित हैं, और विनोबा भावे से सम्बन्धित २-३ व्यक्ति उस समिति के सदस्य हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या माननीय मंगल देव विशारद इस समिति के सदस्य हैं और कुछ समय से उन्होंने इस समिति से अपना त्याग-पत्र दे दिया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह बात सही नहीं है। श्री मंगल देव विशारद इस समिति के सदस्य नहीं हैं ।

चौधरी राम पाल सिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय संस्था द्वारा जो शोध कार्य और प्रदर्शन किया जा रहा है, वह कहां-कहां और किस प्रकार से किया जा रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

शोध कार्य तो लेबोरेटरीज में हो रहा है और प्रदर्शन का कार्य कुछ इधर उधर रायबरेली में कुछ भूमि के ऊपर किया जा रहा है। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, श्री कौल, स्वयं इस कार्य में दिलचस्पी ले रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें ऊसर भूमि दी जाय ताकि वे उसका सुधार करा सकें ।

श्री ऊदल--

वर्ष १९७२ से लेकर जब से राजाज्ञा प्रसारित हुई है और जुलाई, १९७४ तक कितने जिलों में अर्थात् प्रतापगढ़, आजमगढ़, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव तथा कानपुर में जहां पर वृहद् रूप से ऊसर से प्रभावित भूमि है, उनमें कहां-कहां राजाज्ञाओं के मुताबिक, कार्य किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

वैसे तो यह प्रश्न इतना विस्तृत है और इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध भी नहीं है तो भी अपनी जानकारी के अनुसार शायद जिन जिलों की चर्चा उन्होंने की है, जो एक वृहद क्षेत्र है, उसमें कुछ भी कार्य नहीं किया गया है ।

*१८--श्री हरिकेवल तथा श्री जमुना प्रसाद बोस--

[२५-३-७५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८ पर उत्तरित ।]

ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार के समस्त कर्मचारियों को स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के समान वेतन एवं सुविधाएं

*१९—श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऋषि कुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार का प्रान्तीयकरण किस दिन से किया गया और क्या इस संस्था के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के समान ही वेतनमान, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

प्रश्नगत कालेज का प्रान्तीयकरण दिनांक १० अक्तूबर, १९६४ से किया गया। इस संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को सम्प्रति राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के समान वेतनमान नहीं दिये जा रहे हैं, किन्तु शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ते तथा अन्य सुविधायें, जो भी नियमानुसार उन्हें देय हैं, मिल रही हैं। उक्त कालेज के शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के समान वेतनमान दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर के कार्यालय के हेड क्लर्क, श्री बी० सी० सिन्हा का स्थानान्तरण

*२०—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर के कार्यालय में हेड क्लर्क (श्री बी०सी० सिन्हा) लगभग ८ वर्ष से अनवरत उसी स्थान पर नियुक्त रहने के कारण अनुचित मानकर विगत वर्ष स्थानान्तरित किये गये? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण निरस्त करने के क्या कारण थे?

श्री प्रभु नारायण—

प्रश्नगत कार्यालय में श्री बी० सी०सिन्हा दिनांक ७ दिसम्बर, १९६५ से हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। गत वर्ष उनका स्थानान्तरण किया गया था किन्तु उनकी घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए उनके स्थानान्तरण के आदेश निरस्त कर दिये गये थे।

*२१—श्री गिरिजा शंकर पाठक तथा श्री राम रति बिन्द—

[११वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३४ पर स्थानान्तरित।]

*२२—श्री अनवार जमील—

[१२वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १९ पर स्थानान्तरित।]

*२३–२४—श्री ऊदल—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

ग्राम रामपुर घोघर, तहसील ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद में चिकित्सालय के भवन का निर्माण

*२५—श्री ओम प्रकाश (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७४ में मुरादाबाद जिले की ठाकुर-द्वारा के ग्राम "रामपुर घोघर" में आबादी से दूर निर्जन स्थान में एक चिकित्सालय के निर्माण कराने का निश्चय शासन द्वारा किया गया था? यदि हां, तो यह निर्णय किस आधार पर लिया गया है?

श्री प्रभु नारायण—

मुरादाबाद जिले की तहसील, ठाकुरद्वारा के ग्राम रामपुर घोघर आबादी से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर एक संयुक्त चिकित्सालय के भवन का निर्माण १९७४ में शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। निरीक्षण के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि प्रस्तावित कार्यस्थल चिकित्सालय भवन हेतु उपयुक्त है।

*२६—श्री देवी सिंह—

[१०वें गुरुवार पर तारांकित प्रश्न संख्या ४३ पर स्थानान्तरित।]

प्राइवेट वार्ड, दून चिकित्सालय के आपरेशन केसेज से प्राप्त आय का विभाजन

*२७—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दून चिकित्सालय, देहरादून में जुलाई, सन् १९७१ से नवम्बर, १९७३ तक प्राइवेट वार्ड में किये गये सब प्रकार के आपरेशन, प्लास्टर, ग्लूकोज तथा खून चढ़ाने आदि का दस प्रतिशत असिस्टेन्ट का हिस्सा उक्त अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक, डा० आर० एन० सिंघल ने प्राप्त किया है जब कि किसी भी आपरेशन में उन्होंने असिस्टेन्ट का कार्य नहीं किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कोई भी इन्दराज तत्सम्बन्धी पंजिका में नहीं किये गये ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां, तत्कालीन अधीक्षक, डा० आर० एन० सिंघल ने दून चिकित्सालय, देहरादून में जुलाई, १९७१ से नम्बवर, १९७३ तक प्राइवेट वार्ड में किये गये आपरेशान, प्लास्टर, ग्लूकोज तथा खून चढ़ाने आदि की फीस का १० प्रतिशत स्वयं लिया था। जैसा कि आपरेशन रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों से स्पष्ट है। डा० सिंघल का नाम आपरेशन आदि में असिस्टेन्ट के कार्य पर दर्ज है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जैसा कि आपरेशन रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि से स्पष्ट है कि डाक्टर सिंघल ने आपरेशन आदि का कार्य किया, तो क्या आपने केवल इस रजिस्टर की ही बुनियाद पर कहा या इस बात की भी इन्क्वायरी की गयी कि रजिस्टर के अन्दर गलत इन्दराज किये गये और वास्तविकता यह थी कि इन डाक्टर साहब ने आपरेशन में कोई हिस्सा नहीं लिया ?

श्री प्रभु नारायण—

जहां तक किसी सबूत का प्रश्न होता है, वह तो रजिस्टर ही हो सकता है। इसलिये रजिस्टर को ही अभी तक आधार माना गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को सूचना मानते हुये कि चूंकि यह डाक्टर साहब सुपरिटेंडेंट हैं इसलिये इन्होंने फीस ले ली लेकिन आपरेशन में कोई काम नहीं किया और गलत तरीके से तमाम फीस और १० परसेन्ट ले लिया इसकी जांच करायेंगे ?

श्री प्रभु नारायण—

अवश्य कराऊंगा।

*२८—श्री एदल सिंह—

[९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६५ पर स्थानान्तरित।]

जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालयों से क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारियों के कार्यालय को स्थानान्तरित आयुर्वेद व यूनानी लिपिकों का वेतन मान

*२९—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के भू० पू० जिला स्वास्थ्य अधिकारी (वर्तमान उप मुख्य चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य) के कार्यालयों के आयुर्वेद व यूनानी लिपिकों को १९७३ में क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारियों के कार्यालयों को स्थानान्तरित कर दिया गया और इस कारण वे वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत परिवर्द्धित वेतनमान की सुविधा से वन्चित हो गये जब कि उप मुख्य चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य के कार्यालयों में कार्यरत उनके पिछले साथी लिपिक नवीन परिवर्द्धित वेतनमान पा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इस असंगति को कब तक दूर करदेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

इन कर्मचारियों पर भी वेतन आयोग द्वारा संस्तुत नए वेतनमान लागू करने के आदेश २७-२-१९७५ को जारी हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

१५ अगस्त व २६ जनवरी के अवसरों पर सजायाफ्ता कैदियों की सजा में छूट

*३०—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, स्वतन्त्रता दिवस तथा २६ जनवरी, गणतन्त्र दिवस को सजायाफ्ता कैदियों को मिली सजा में कुछ छूट दी जाती है? यदि हां, तो बस्ती के जिला कारागार में गत तीन वर्षों में यानी १९७२, १९७३, १९७४ में कितने लोगों को कितनी-कितनी छूट दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

कारागार मंत्री (श्री लोकपति)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३१—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

[१० वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३१ पर स्थानातरित।]

सीयर कृषि बीज भण्डार, बलिया में गबन एवं दुर्विनियोग

*३२—श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद के सीयर कृषि बीज भंडार का आडिट लखनऊ विभागीय आडिट सेल द्वारा १६ जनवरी से २१ जनवरी, १९७५ तक किया गया है जिससे लगभग डेढ़ लाख रुपये के खाद के गबन का मामला प्रकाश में आया है और जिसके सम्बन्ध में बलिया जनपद के भू० पू० विधायक श्री शम्भूनाथ चौधरी ने एक शिकायती-पत्र ३-३-७५ को लिखकर भेजा? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

बलिया जनपद के सीयर बीज भंडार का विभागीय आडिट सेल द्वारा १६ जनवरी, १९७५ से २ फरवरी, १९७५ तक आडिट कराया गया जिसमें रु० १,२४,८१६.२५ पैसे के राजकीय धन व स्टाक के सम्भावित गबन/दुर्विनियोग का मामला प्रकाश में आया है। मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गयी है।

जी हां। अधिक जानकारी देना जनहित में नहीं है।

श्री काली चरण यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो गबन आडिट ने पाया है इसके गबनकर्ता कौन हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

अनिरुद्ध प्रताप नारायण, भूतपूर्व प्रभारी सीयर सहित दो आदमी गिरफ्तार हुये हैं। एक यह और एक जो कामदार थे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि इस गबन से सम्बन्धित जो एक अधिकारी थे वह वहां पर जा कर ठहरे थे और रात में उनका कत्ल भी कर दिया गया तथा इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैंने बताया कि पुलिस में रिपोर्ट कर दी गयी है, दोनों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं और पुलिस की जांच हो रही है।

*३३--श्री इन्द्रलाल--

[१०वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४४ पर स्थानान्तरित।]

*३४--श्री एदल सिंह--

[९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६६ पर स्थानान्तरित।]

जनपद मुरादाबाद में अगवानपुर रेलवे स्टेशन से बस्ती तक बनी सड़क में धन का दुरुपयोग

*३५--श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को नवम्बर, १९७४ में मुरादाबाद जिले के ग्राम अगवानपुर के श्री जगदीश शरण आदि लगभग २५ निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित कोई इस आशय का शिकायतीपत्र मिला कि अगवानपुर रेलवे स्टेशन से बस्ती तक कैश प्रोग्राम के अधीन बनी एक किलोमीटर सड़क के निर्माण में सार्वजनिक धन का भीषण दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार किया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कोई जांच कराई गई ? क्या तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, उक्त शिकायती-पत्र अक्तूबर, १९७४ में प्राप्त हुआ था। शिकायतों की जांच कराई जा रही है जिसके पूर्ण होने पर ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

फर्रुखाबाद के खंड विकास कर्मचारियों के वेतन भुगतान में विलम्ब

*३६—श्री बिमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद के विभिन्न खंड विकास अधिकारियों द्वारा कृषि कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह की द्वितीय सप्ताह में आहरण किया जाता है ? यदि हां, तो खंड विकास अधिकारियों द्वारा कृषि कर्मचारियों के साथ यह व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सामान्यतः प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ही वेतन आहरित कर भुगतान कर दिया जाता है। परिस्थितिवश ही कभी किसी-किसी विकास खंड में विलम्ब हुआ है।

कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में कृषि सेवा संघ, फर्रुखाबाद का ज्ञापन

*३७—श्री विमल प्रसाद तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के अधीनस्थ कृषि सेवा संघ द्वारा कोई ज्ञापन स्थानीय अधिकारियों को १५ जुलाई, १९७४ को दिया गया था जिसमें अनेक समस्याओं की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया था? यदि हां, तो यह बताने का कष्ट करें कि इस ज्ञापन में किन-किन समस्याओं का उल्लेख था और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

१५-७-७४ का कोई ज्ञापन स्थानीय कृषि अधिकारी को नहीं प्राप्त हुआ।

जिला हेल्थ आफिस, बहराइच के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से मकान किराये की वसूली

*३८—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हेल्थ आफिस, बहराइच में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सरकारी बने क्वार्टर्स का किराया ५ रुपये मासिक लिया जाता है जबकि शासन का यह निर्देश है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से किराया क्वार्टर्स न लिया जाय? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां, चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों से आवास का किराया निर्धारित दर पर लिया जाता है, जो निःशुल्क आवास के अधिकारी नहीं हैं।

कारागार विभाग के राजपत्रित अधिकारियों का स्थायीकरण

*३९—श्री रूप राम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी आदेशानुसार कारागार विभाग के वे अधिकारी जिनकी अस्थाई सेवायें ३ वर्ष से अधिक हो चुकी हैं उन्हें स्थाई कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और ऐसे अधिकारियों में कितने जेलर तथा सुपरिन्टेंडेन्ट जेलर हैं ?

श्री लोकपति--

कारागार विभाग के ५७ राजपत्रित अधिकारियों को छोड़कर शेष सभी अधिकारियों को, जिनकी सेवायें ३ वर्ष से अधिक हो चुकी हैं, स्थायी किया जा चुका है । जिन अधिकारियों को अभी स्थायी नहीं किया जा सका है उनके बारे में सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५० पर)

*४०--श्री चन्द्र भान आजाद--

[१० वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या २९ पर स्थानान्तरित]

जिला परिषद्, गाजीपुर द्वारा रोड रोलर के क्रय में अनियमितता

*४१--श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)--

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिला परिषद् द्वारा लगभग ३ वर्ष पहले बिना रोड रोलर प्राप्त किये ही ८८ हजार रुपये का भुगतान किये जाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो वह जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जिला परिषद्, गाजीपुर ने दिल्ली की एक फर्म को रोड रोलर की आपूर्ति के लिये मार्च, १९७३ में ८८,४८० रु० का अग्रिम भुगतान किया था परन्तु उस फर्म द्वारा आपूर्ति न किये जाने पर उसके विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी के मुकदमे चलाये गये हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। उपरोक्त भुगतान में की गई अनियमितताओं के विषय में अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त जिला परिषद् के कार्य अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है ।

श्री रामजनम राय--

क्या आपके सचिव ने इस सन्दर्भ में एक आदेश प्रसारित किया था कि उत्तर प्रदेश की तमाम जिला परिषदें एक अमुक फर्म से ही २-२ रोड रोलर खरीदें जब कि उस फर्म का कहीं अस्तित्व तक नहीं था। दिल्ली में एक फर्म का खाली साइन बोर्ड एक पेड़ पर लटका हुआ था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, १९७२ में लिंक मार्ग के निर्माण हेतु जिला परिषदों को यह कहा गया था कि वे रोड रोलर्स खरीदें । कलकत्ता की एक फर्म गार्डेन रिच वर्कशाप को कहा गया कि वह जिला परिषदों को रोड रोलर्स सप्लाई करे, जितने की जरूरत थी उतने रोड रोलर्स को वह फर्म सप्लाई नहीं कर पायी । इसलिये नई दिल्ली की एक एग्रीड इन्डिया फर्म को लिखा कि वह इनकी सप्लाई करे । उसने यह नहीं दिये और जो धन उस फर्म को दिया गया वह भी उसने वापस नहीं किया । अतः उनके खिलाफ फौजदारी और दीवानी की अदालत में मुकदमा दायर किया गया है ।

*४२--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६२ पर स्थानान्तरित ।]

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सादाबाद टाउन एरिया, मथुरा में भ्रष्टाचार एवं अध्यक्ष के विरूद्ध शिकायतें

*४३—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सादाबाद टाउन एरिया, जिला मथुरा के निवासियों ने दिनांक ८ मार्च, १९७५ को जिलाधिकारी, मथुरा को एक ज्ञापन टाउन एरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग आदि के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां। ज्ञापन में वर्णित आरोपों की जांच परगनाधिकारी, सादाबाद द्वारा की जा रही है। इस ज्ञापन के पहले भी टाउन एरिया, सादाबाद की अनियमितताओं के सम्बन्ध में कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें वर्णित आरोपों की जांच उक्त परगनाधिकारी २५-२-७५ को कर चुके थे। ८-३-७५ को दिये गये ज्ञापन में अधिकतर आरोपों की जांच २५-२-७५ को की जा चुकी थी और उनके सम्बन्ध में जांच अधिकारी की संस्तुति के अनुसार टाउन एरिया सादाबादके वर्ष १९७२-७३, १९७३-७४ एवं १९७४-७५ की विशेष लेखा सम्परीक्षा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष आरोपों की जांच परगनाधिकारी द्वारा की जा रही है।

बाराबंकी में कृषि अमीनों की छटनी के विरुद्ध जिला कृषि अमीन एवं चपरासी संघ का क्रमिक अनशन

*४४—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या शासन को ज्ञात है कि बाराबंकी जनपद में २२ कृषि अमीन, अधिकारियों द्वारा सेवाओं से निकाल दिये गये और उसके कारण दिनांक १६ फरवरी, १९७५ से जिला कृषि अमीन एवं चपरासी संघ द्वारा आयोजित आमरण अनशन पर ५ व्यक्ति बैठे हैं जिनकी हालत काफी चिन्ताजनक है ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

१९ अमीन सेवा मुक्त तथा ३ अमीन मूल पदों पर प्रत्यावर्तित किये गये। १६-२-७५ से प्रारम्भ किया गया क्रमिक अनशन दिनांक २३-२-७५ को प्रातः समाप्त हो गया।

लाला लाजपत राय चिकित्सालय के प्रयोगशाला सहायकों का वेतन निर्धारण

*४५—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकित्सालय ने दिनांक २१ नवम्बर, १९६९ को अपनी संस्तुति के साथ प्रयोगशाला सहायक (लैब०असिस०) के वेतन निर्धारण सम्बन्धी आवेदन-पत्र को स्वास्थ्य सेवा निदेशक को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां।

उस प्रत्यावेदन में उठाया गया प्रश्न सामान्य रूप का है जिसका संबंध इस श्रेणी के अन्य कर्मचारियों से भी है। अतः शासन द्वारा इस विषय पर सामान्य निर्णय के लिये अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, मथुरा को कोयले का आवंटन

*४६—श्री मती गायत्री देवी (जिला मथुरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दुग्ध उत्पादक संघ, मथुरा को कितने कोयले का कोटा वर्ष १९७३–७४ तथा १९७४–७५ में आवन्टित किया गया ? क्या सरकार को ज्ञात है कि यह आवन्टित कोयला ईंट के भट्टे में प्रयुक्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण सिंह—

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, मथुरा को वर्ष १९७३–७४ में २४ टन कोयला आवंटन द्वारा प्राप्त हुआ तथा १९७४–७५ में आवंटित कोयले की मात्रा शून्य थी। यह आवंटित कोयला ईंट के भट्टे में प्रयुक्त नहीं हुआ अतः इस संबंध में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा दुग्ध उत्पादक संघ में घाटा

*४७—श्रीमती गायत्री देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि इस उत्पादक संघ का स्पेशल आडिट होने पर जो अनियमिततायें मालूम हुई वे क्या हैं तथा सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ३१ जनवरी, १९७५ तक इस दुग्ध उत्पादक संघ को कितना घाटा हो चुका है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह—

मथुरा दुग्ध उत्पादक संघ का अभी तक कोई स्पेशल आडिट नहीं हुआ है। सरकार द्वारा अध्यक्ष के प्रथम नामांकन के वर्ष से ३१ जनवरी, १९७५ तक मथुरा दुग्ध संघ में कुल १५.४३ लाख रुपये की संचित हानि हो चुकी है। इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गई :—

(१) दोषी कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध सालसी कार्यवाही की गई।

(२) अनावश्यक कर्मचारियों की छंटनी की गई।

अतारांकित प्रश्न

बांसगांव, गोरखपुर में महिला चिकित्सालय खोलने की योजना

१—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि आवश्यकता को देखते हुये गोरखपुर जनपद के बांसगांव में महिला चिकित्सालय खोलने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कब तक खुल रहा है ?

श्री प्रभु नारायण—

वर्तमान वित्तीय वर्ष में केवल दो महिला एलोपैथिक अस्पताल खोलने की योजना है। यह अस्पताल दो ऐसे स्थानों पर खोले जायेंगे जहां अपेक्षाकृत उनकी आवश्यकता अधिक होगी और जहां जनता द्वारा दान स्वरूप उपयुक्त भवन उपलब्ध कराया जायगा। चूंकि प्रश्नगत स्थान में कोई उपयुक्त भवन दान में नहीं मिल रहा है, अतः वहां अस्पताल खोलने के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता।

मेरठ नगर पालिका के भंग होने के उपरान्त प्रशासक द्वारा लगाये गये कर

२—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगरपालिका कब भंग हुई तथा तब से १ फरवरी, १९७५ तक नगरपालिका, मेरठ के प्रशासक ने कौन-कौन से नये कर लगाये तथा किन पूर्व करों में कब-कब और कितनी वृद्धि की गई ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

नगरपालिका, मेरठ १५ जून, १९७० से भंग हुई थी। तब से फरवरी, १९७५ तक नगरपालिका, मेरठ में निम्नलिखित नये कर आरोपित हुए हैं :—

१—प्रेक्षागृह कर

२—जलकर

३—सीवर लाइनों के क्षेत्र में स्थित भू-गृहों पर सीवरेज टैक्स।

इसके अतिरिक्त नगरपालिका, मेरठ में पहले से लागू चुंगी की दरों में दिनांक ६ जनवरी, १९७५ से संशोधन किया गया है। इन दरों में साधारणतया १० प्रतिशत से ६० प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

३—श्री इन्द्र लाल—

[१४वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ८ पर स्थानान्तरित।]

विशुनपुरा विकास खंड, पडरौना, देवरिया के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

४—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पडरौना, तहसील (देवरिया जनपद) के विशुनपुरा विकास खंड के कर्मचारियों को अप्रैल, १९७४ का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

कर्मचारियों के माह अप्रैल, १९७४ के वेतन विपत्र की धनराशि कैशियर (खजांची) भुनाकर पलायित हो गये। उनके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही हो रही है। पुनः विपत्र आहरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

५-६—श्री दशरथ सिंह, श्री कमला प्रसाद वर्मा तथा श्री श्रीनारायण—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

७—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[१३वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १२ पर स्थानान्तरित।]

पडरौना, देवरिया में हैजा की महामारी की रोक-थाम तथा उच्चाधिकारियों के दौरे पर व्यय

८—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक २१ अक्तूबर, १९७४ से ३ दिसम्बर, १९७४ तक पडरौना क्षेत्र में कालरे की महामारी की रोक-थाम के लिये शासन ने कुल कितना

व्यय किया ? प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कितने उच्च अधिकारी इस सम्बन्ध में पडरौना क्षेत्र के दौरे पर आये और उन पर कितना व्यय हुआ?

श्री प्रभु नारायण—

१७,५१४.०० रुपये इस सम्बन्ध में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के ३ उच्चाधिकारियों ने पडरौना क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिनके दौरा पर ३७९.६२ रु० का व्यय हुआ।

९–१०—श्री राम पति—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

११—श्री राम रेखा यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

१२—श्री जंग बहादुर—

[८वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३ पर स्थानान्तरित।]

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, पडरौना, देवरिया द्वारा किसानों के भूमि की नीलामी

१३—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा, पडरौना ने १५ दिसम्बर, १९७४ से १५ फरवरी, १९७५ तक किन-किन किसानों की भूमि नीलामी की घोषणा समाचार-पत्रों के माध्यम से की है ? तथा उक्त नीलामी मूल्य प्रति एकड़ न्यूनतम तथा अधिकतम कितना निर्धारित किया गया था ?

श्री नारायण सिंह—

दिनांक १५–१२–७४ से १५–२–७५ तक उ०प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, शाखा पडरौना से निम्नलिखित ८ किसानों की भूमि नीलामी की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की गई :—

सर्वश्री

१—इमामुद्दीन
२—देव नन्दन
३—सूर्य नरायन
४—परम हंस
५—तेज प्रताप
६—बेचई
७—हसनू
८—जुनाव अली ।

बस्ती जनपद के नौगढ़ एवं उस्का (रेहरा) बाजारों के ग्राम सभाओं को बदल कर टाउन एरिया बनाना

१४—श्री राम रेखा यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के नौगढ बाजार और उस्का बाजार (रेहरा) सम्बन्धित ग्राम सभाओं को जब्त कर टाउन एरिया बनाने का विचार सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ग्राम सभाओं को जब्त किया जायगा तथा टाउन एरिया का निर्माण होगा ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

बस्ती जिले के नौगढ़ बाजार तथा उसका बाजार (रेहरा) की ग्राम सभाओं को मिलाकर टाउन एरिया बनाने का विचार था, किन्तु सम्बन्धित ग्राम सभायें टाउन एरिया बनाने के पक्ष में नहीं हैं। अतः टाउन एरिया नहीं बनाया गया।

जिला नियोजन कार्यालय, शाहजहांपुर में कार्यरत लिपिकों का स्थानान्तरण

१५--श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जला नियोजन कार्यालय, शाहजहांपुर में ऐसे कितने लिपिक हैं जो १० वर्ष से लगातार जिला कार्यालय तथा नगर स्थित विकास खंडों में कार्यरत हैं? किन कारणवश उनका स्थानान्तरण नगर से बाहर के विकास खंडों में नहीं किया गया?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ऐसे ८ लिपिक हैं। इनका स्थानान्तरण कार्य के हित में तथा उनकी उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुये नहीं किया गया है।

राजकीय पशुधन फार्मों के लाभ-हानि का विवरण

१६--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या पशु पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पशुधन फार्मों पर वर्ष १९७१-७२, १९७२-७३ और १९७३-७४ में कुल कितना-कितना हरा चारा पैदा किया गया और इन्हीं वर्षों में किस भाव से चारा डेरी अनुभाग को दिया गया? वर्ष १९७२-७३ और १९७३-७४ में फार्मों पर अनुभागानुसार कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई?

श्री नारायण सिंह--

उप निदेशक, पशुपालन (प्रक्षेत्र) के अधीन वर्ष १९७१-७२, १९७२-७३ में १५ तथा वर्ष १९७३-७४ में १४ प्रक्षेत्र चलाये जा रहे थे। प्रक्षेत्रों पर चारे का वर्षवार उत्पादन निम्न प्रकार रहा :--

वर्ष	मात्रा कुन्टल में
१९७१-७२	२,६१,४६१
१९७२-७३	३,०२,१५६
१९७३-७४	२,४०,७९०

इन्हीं वर्षों में डेरी अनुभाग को चारा देने का भाव निम्न प्रकार रहा--

चारे का नाम	१९७१-७२	१९७२-७३	१९७३-७४
	रु० प्रति कुन्टल	रु० प्रति कुन्टल	रु० प्रति कुन्टल
१--बरसीम	४.३०	४.३०	५.४०
२--खरीफ चारा	४.६०	४.६०	६.४०
३--जई ..	५.४०	५.४०	७.६०

वर्ष १९७२–७३ और १९७३–७४ में वाणिज्यिक अनुभागों के लाभ और हानि की स्थिति निम्न प्रकार रही :—

अनुभाग का नाम		लाभ/हानि (रुपयों में)			
		१९७२–७३		१९७३–७४	
		लाभ	हानि	लाभ	हानि
कृषि अनुभाग	..	१,२५,९३३	..	८,८७,८८८	..
कुक्कुट अनुभाग	..	..	१,७३,५७४	..	१,२५,९१२
भेड़ अनुभाग	..	..	९४,०३४	..	२५,०८०

पशुधन फार्मों द्वारा पशु प्रजनन के कार्य पर व्यय एवं आमदनी

१७—श्री चन्दन सिंह (जिला झांसी)—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पशुधन फार्मों पर वर्ष १९७३–७४ में डेरी (पशु अनुभाग) पर कुल कितना व्यय हुआ तथा उससे क्या आय हुई और कुल कितने सांड़ प्रजनन के लिये ईशू किये गये ?

श्री नारायण सिंह—

पशु पालन विभाग द्वारा डेरी का कार्य नहीं किया जा रहा है केवल पशु प्रजनन का कार्य किया जाता है । शासन द्वारा वर्ष १९६५–६६ में इस अनुभाग को आवाणिज्यिक घोषित कर दिया गया था । वर्ष १९७३–७४ का खर्च तथा आमदनी निम्नलिखित है :—

					रु०
खर्च	..	..	..	..	६०,०२,७८९
आमदनी	..	..	..	..	३२,४९,४५४

१९७३–७४ में इन प्रक्षेत्रों से ३१८ सांड़ प्रजनन हेतु दिये गये।

१८—श्री दशरथ सिंह—

[९वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ११ पर स्थानान्तरित ।]

भूमि संरक्षण कार्यालय, दुद्धी, मिर्जापुर से सेवानिवृत्त भूमि संरक्षण अधिकारियों के वेतन का भुगतान

१९—श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी दुद्धी, जिला मिर्जापुर के कार्यालय के कुछ ऐसे भूतपूर्व भूमि संरक्षण अधिकारी हैं जिन्हें कई माह का वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों तथा वेतन कब तक दिया जायेगा ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

होल-सेल कन्ज्यूमर स्टोर, देवरिया में गबन

२०—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया), श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि होल-सेल कन्ज्यूमर स्टोर, देवरिया में एक लाख से अधिक रुपये का गबन है और इसकी जांच विजिलेन्स कोआपरेटिव, उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिनांक १ जनवरी, १९७५ से की जा रही है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री नारायण सिंह—

विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता, उत्तर प्रदेश, प्रश्नगत स्टोर से संबंधित दो मामलों की जांच कर रही है जिनमें गबन की धनराशियां क्रमशः ६०,५७५.४९ रु० तथा १५२४.५८ रु० बतायी गई हैं। इन मामलों की जांच क्रमशः दिनांक ११-१०-७४ तथा २-३-७५ से हो रही है। दोनों मामलों में अभी कागजात प्राप्त किये जा रहे हैं।

कोआपरेटिव फेडरेशन आडिट रिपोर्ट १९७४-७५ के अधार पर गबन के मामले

२१—श्री हरिकेवल, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री जमुना प्रसाद बोस—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि प्राविन्सियल कोआपरेटिव फेडरेशन कोआपरेटिव आडिट रिपोर्ट में १९७४-७५ में एक करोड़ से अधिक का गबन है ? यदि हां, तो जिलेवार गबन की धनराशि क्या है ?

श्री नारायण सिंह—

वर्ष १९७४-७५ के फडरेशन के अभिलेखों का कोई संप्रेक्षण नहीं हुआ है। अतः उसके आधार पर गबन की धनराशि के बारे में कोई सूचना देना संभव नहीं है।

जनपद लखनऊ में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

२२—श्री उदय नाथ (जिला वाराणसी)—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७५ के प्रथम मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं० १ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त मुहल्ले में सुधार की स्वीकृत योजना क्या है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

सफदर बाग मुहल्ल के सुधार हेतु अलग से कोई योजना स्वीकृत नहीं है। मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत गनेशगंज वार्ड के मकबूलगंज सेक्टर में सफदर बाग, गीता भवन, रिसालदार पार्क, सत्यपाल की गली, कटरा मकबूलगंज एवं केशव बहादुरी रोड के नाम से एक योजना १,०९,१२५ रु० की स्वीकृत की गई थी, जिसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ६५१ पर।)

भूतपूर्व सदस्य, श्री नवलकिशोर के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, आज एक दुखद प्रसंग को लेकर मुझे पुनः अपना कर्त्तव्य पालन करना पड़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, समाज सेवा के एक अग्रणी व्यक्ति, बरेली निवासी श्री नवलकिशोर जी जो राज्य सभा के सदस्य थे, उनका हाल ही में देहान्त हो गया। आंवला, बरेली, में उनका जन्म हुआ था और लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री लेकर उन्होंने जीवन में प्रवेश किया था। सन् १९४१–४२ के स्वतंत्रता के आन्दोलनों में हिस्सा लेकर, स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने काफी हिस्सा लिया था और उसका एक बड़ा बोझ भी सम्भालते हुए, गांधी जी की कतार में खड़े होकर, अपने कर्त्तव्यों का पालन किया। इस विधान सभा में वे कई बार सदस्य चुन कर आये, उप मंत्री तथा मंत्री भी रहे, प्राक्कलन समिति के सभापति भी रहे तथा अन्य कई समितियों में भी वे रहे और सभी जगह उनकी सेवायें चिरस्मरणीय रहेंगी। उनका संसदीय ज्ञान बड़ा अच्छा था, उनके विचार बड़े सुन्दर होते थे और विरोधियों के साथ भी उनका बड़ा मृदुल व्यवहार था और उनका चेहरा सदा हंसता हुआ ही रहता था। कांग्रेस के बंटवारे के समय में भी, उनके दिमाग में उलझन के वक्त भी, उन्होंने अपने विवेक से ही एक निर्णय लिया। मान्यवर, यह खेद की बात है कि हमारे राजनैतिक जीवन से स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही एक-एक करके उठते चले जा रहे हैं। नयी पीढ़ी के लिये उनके उदाहरण और कर्त्तव्यपरायणता सदा प्रेरणा देती रहेगी।

माननीय स्वर्गीय नवलकिशोर जी की धर्मपत्नी तथा दो पुत्रियां हैं। उनकी एक पुत्री इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी आ गई हैं। उत्तर प्रदेश की समस्त जनता एवं इस माननीय सदन का समवेदना पूर्ण सन्देश हम आपके द्वारा उनके पास भेजने के लिये आग्रह करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह मृतात्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार को इस अकथनीय दुख को उठाने की क्षमता प्रदान करे।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने श्री नवलकिशोर जी के निधन के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, मैं उनसे अपने आपको और भारतीय लोक दल को पूर्णतया सम्बद्ध करना चाहता हूं। उनके जाने का दुख तो है, होना ही चाहिये, चाहे जो भी जाय, लेकिन उनकी उम्र कुछ नहीं थी, केवल ५७ वर्ष उनकी आयु थी। वे हमसे विदा हो गये इस लिये यह विदाई और भी कष्टदायक हो जाती है। वे लगभग १० वर्ष तक इस सदन के सदस्य रहे और मैंने उनको १५ महीने डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से, चूंकि मेरे साथ ही अटैच थे, उनके काम करने के तरीके को भी देखता है। वे एक अच्छे जनसेवक कहे जा सकते हैं। उनके जाने से इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रदेश के सार्वजनिक जीवन को बहुत क्षति पहुंची है। इन शब्दों के साथ में अपनी ओर से और भारतीय लोक दल की ओर से यह चाहता हूं कि आप हमारी सम्वेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और साथ ही ईश्वर से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार वालों को धीरज प्रदान करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी श्री नवलकिशोर जी के निधन पर जो भावनायें माननीय नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने व्यक्त की है उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, यह बात सही है कि मृत्यु तो एक बार आती ही है लेकिन उनके इस असामयिक मृत्यु से अत्यन्त क्लेश है। मान्यवर, वे इस सदन के सरकारी पक्ष के सदस्य रहे। मेरा उनसे निकट का सम्बन्ध था। हम दोनों मिलते थे और राजनीतिक दृष्टि से बड़ा कटाक्ष इधर उधर से होता था लेकिन बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ बात का जवाब देते थे और फिर बैठ जाने पर छोड़ते नहीं थे, यह उनकी प्रकृति थी। जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा उनका सबके साथ बड़ा ही स्नेहपूर्ण व्यवहार था और वे बड़े स्पष्टवादी थे। उनका विचार भी बड़ा स्पष्ट था और जो कार्य भी वे करते थे बड़ी कुशलता से करते थे। मैं देखता था कि यहां सदन में जब भी वे प्रश्नों का उत्तर देते थे या कोई विषय उनके विभाग के सम्बन्ध में आता था तो कैसी योग्यता और कैसी कुशलता के साथ वे उसका सामाधान करते थे। मान्यवर, ऐसा व्यक्ति अपने में से चला जाता है तो यों तो सार्वजनिक दृष्टि से तो दुख होता ही है व्यक्तिगत रूप से भी दुख होता है जिनसे कि निकट का सम्बन्ध होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं उनके निकट था, उससे बड़ा क्लेश है कि वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार को भी वह ऐसी शक्ति दे कि इस असहय दुख को सहने की उनमें सामर्थ्य हो। आपसे मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब की समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, श्री नवल किशोर जी के संबंध में माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। अध्यक्ष जी, मुझे भी माननीय नवल किशोर जी के साथ इस सदन में, इस सदन की कार्यवाहियों में और कमेटियों में १० साल तक लगातार काम करने का अवसर मिला है। मैं उनके सरल स्वभाव और व्यवहार से बहुत ही अधिक प्रभावित था। मैंने एक विशेषता उनमें देखी कि जब कभी किसी कमेटी में या सदन में या कभी ऐसे मौके पर जब कोई तनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी तो वह कोई ऐसी बात कह देते थे जिससे मामला बिल्कुल नारमलाइज हो जाता था और वह स्थिति समाप्त हो जाती थी। ऐसा उनका स्वाभाव था। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके निधन से दुख है और हमारे दल के लोगों में भी काफी दुख है। मैं मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी और मेरे दल की समवेदना को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, श्री नवल किशोर जी के निधन के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल और हमारे अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और

---

*वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने दल के लोगों को उससे सम्बद्ध करता हूं। अध्यक्ष जी, उनके निधन से मेरे लिये व्यक्तिगत रूप से क्षति हुयी है। उनका और मेरा परिवार ३५–४० साल से एक ही साथ रहता था और बड़े घरेलू ताल्लुकात थे। हमारे जिले के वह थे और जितना भी उनका राजनीतिक जीवन बना वह मेरी आंखों के सामने बना। उनके निधन से हमारे जिले की जो क्षति हुयी है वह कभी पूरी नहीं हो सकी है। और इसी तरह से हमारे प्रदेश की जो क्षति हुयी है वह कभी पूरी नहीं हो सकती। उनके अन्दर बड़ी सौजन्यता थी और वह बड़े हंसमुख स्वाभाय के थे। कभी कोई तकलीफ की बात किसी को देख लेते थे तो बड़े उदिग्न हो जाते थे। आजकल जमाना ऐसा बनता चला जा रहा है कि छोटी-छोटी चीजों से लोगों का ताल्लुक हटता जा रहा है, लेकिन वह इन बातों से बड़े प्रभावित होते थे और उनमें सदा उत्कंठा रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा की जाय। वह बड़े प्रगतिशील विचारों के थे और चाहते थे कि हिन्दुस्तान के अन्दर जल्दी से जल्दी ऐसी कोई व्यवस्था की जाय जिससे हमारे लोगों का दुख दर्द कम हो। इस नश्वर जगत में जो आया है उसको जाना है। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई मुझसे कम उम्र में ही मर जाता है। बड़ी नागवारी गुजरती है। मुझे दुख होता है कि पूरी तरह से वह दुनियां देख भी नहीं पाते हैं और उठ जाते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके सन्तप्त परिवार को हमारी समवेदनायें भेज दें। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इतनी शक्ति मिले कि वह इस दुख को सहन कर सकें।

*चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)––

मान्यवर, श्री नवल किशोर जी के निधन के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, उनके निधन से हमें और हमारे दल को भारी दुख है। आपसे प्रार्थना है कि उनके दुखी परिवार को हमारा और हमारे दल का संमवेदना संदेश भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष––

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने श्री नवल किशोर जी के निधन के सम्बन्ध में जो समवेदना के भाव व्यक्त किये हैं और जो शोकोद्गार उन्होंने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और इस सदन को सम्बद्ध करता हूं। श्री नवल किशोर जी एक हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। मुझे पूरी तरह से उन्हें जानने का मौका मिला था। पिछली बार जब मैं सेन्ट्रल हाल में बैठा था तो उनसे बातें कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि वे इतनी जल्दी १९ तारीख को इस संसार से उठ जावेंगे। उनके आकस्मिक निधन पर, ५६ वर्ष की अल्पकालिक निधन से, हम आप सबको धक्का लगा है और सबको शोक है। मैं आपकी समवेदना का सन्देश शोक सन्तप्त परिवार को पहुंचा दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शास्वत शांति प्रदान करें। आपसे निवेदन है कि २ मिनट का मौन धारण करें।

(सभी सदस्य दो मिनट अपने–अपने स्थान पर खड़े हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कबूल सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री पी०एन० मिश्रा, ए० डी० एम० (सिटी), लखनऊ ने सूचित किया है कि श्री कबूल सिंह, सदस्य, विधान सभा (भारतीय लोक दल) आज प्रातः ११ बजे विधान भवन, लखनऊ के सामने प्रदर्शन करते हुये धारा १५१/१०७/११६ सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

सर्वश्री मुहम्मद असरार अहमद, एदल सिंह, नन्द राम, राम प्रकाश यादव तथा बेनी प्रसाद वर्मा, सदस्यगण, विधान सभा ने सूचना दी है कि १९ मार्च, १९७५ को माननीय मुख्य मंत्री ने विधान सभा में एक सूचना दी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में १८ मार्च को प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की गवाही के समय श्री गोविन्द मिश्र नाम के एक व्यक्ति के पास पिस्तौल पकड़े जाने के कारण एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गयी। सूचना देने वाले माननीय सदस्यों का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह वक्तव्य प्रकाशित किया था कि प्रधान मंत्री के सकुशल वापस चले जाने के कारण हमें हर्ष प्रकट करना चाहिये और संबंधित अधिकारियों की सराहना की जानी चाहिये। सदन में इसी आधार पर एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया जो पारित हुआ था। माननीय सूचनाकर्ता सदस्यों का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की उपर्युक्त सूचना बिल्कुल निराधार थी और जानबूझकर सदन को गुमराह करने वाली थी।

माननीय सूचना देने वाले सदस्यों ने इस बात के प्रमाण में श्री गोविन्द मिश्रा द्वारा प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे गये केवल एक पत्र का हवाला दिया है, किन्तु यह इस बात को सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण प्रतीत नहीं होता कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में जो वक्तव्य दिया था वह बिल्कुल निराधार था और जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिये दिया गया था। यह वक्तव्य एक माह पूर्व सदन में दिया गया था और यह मामला किसी हाल ही में घटित घटना से सम्बन्धित नहीं है। अतः इस मामले में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अध्यक्ष महोदय, पहले आप सुन तो लें। सवाल यह है कि किस आधार पर मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही जबकि उनको यह मालूम नहीं था। गलत बात कही है और सदन को गुमराह किया है। मुलजिम ने प्रधान मंत्री को लिखा है उसकी बात को आप क्यों नहीं मानेंगे। उसने तो प्रधान मंत्री को लिखा है कि मुझसे मुख्य मंत्री ने इस संबंध में कहा लेकिन हम से दुश्मनी मुख्य मंत्री मानते हैं इसलिये मुझको फंसाया गया है। यहां पर कहा गया कि पिस्तौल निकला। बल्कि उसका थैला लिया गया, उसे कार्ड इश्यू हुआ बताया गया था। सूचना निदेशक ने कहा कि अपना कार्ड ले लो और थैला उसका ले लिया गया। उसने कहा है कि दुश्मनों से साठगांठ है। मुख्य मंत्री जी ने जो बयान यहां दिया है और जो वाक्यात सामने आये हैं उनमें भिन्नता है।

श्री अध्यक्ष--

अगर इतने विलम्ब के बाद आपको यह मालूम हुआ है कि सदन को गुमराह किया गया है तब यह प्रश्न विशेषाधिकार का नहीं उठता। पुराना मामला नहीं उठाया जा सकता।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मैं यह धृष्टता नहीं कर सकता कि कोई भी बात ऐसी कहूं जिससे इस सदन को गुमराह करने की चेष्टा करूं। मैं जानता हूं कि यहां माननीय सदस्य इसलिये नहीं आये हैं कि किसी भी बात को ध्रुवसत्य मानेंगे और जांच-पड़ताल नहीं करेंगे। लेकिन जिस आधार पर यह नोटिस दी गई है, उस सम्बन्ध में अगर 'देर' की बात न भी मानी जाय तो भी जो गोविन्द मिश्र का वक्तव्य है जो कि जमानत पर छूटने के बाद लिखा गया है, उसमें तमाम असत्य बातों को लिखा गया है। अब किसी दोषी व्यक्ति के सम्बन्ध में इस तरह की बातें यहां पर आवें तो जितने लोग, अगर किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा में पकड़े जाते हैं, जमानत पर आने के बाद यह कहने लगें कि यह कारण था कि मैं पकड़ा गया, या जो डकैती थी वह मैंने नहीं डाली, या चोरी नहीं की, और हम लोग उनके बयानों पर निर्णय लेने लगें, तो यह मैं विरोधी दल पर छोड़ता हूं कि यह कहां तक उचित होगा। विरोधी दल के पास एक मात्र आधार वहीं के अखबार हैं जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास भी भेजी गई है। इस सम्बन्ध में जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं सदन में कह सकता हूं कि जितनी भी बातें कही गई हैं वह गलत हैं। न तो मैं इस आदमी को जानता हूं और न ही मेरे मुख्य मंत्री होने के बाद किसी दिन मुझसे मिला और न ही चुनाव के दौरान मुझसे मिला। मैं तो इसे जानता ही नहीं हूं। मान्यवर, जहां तक मुझे स्मरण है इसके पिता श्री केशव मिश्र को जरूर जानता हूं क्यों कि वह स्वतन्त्रता संग्राम के सिपाही थे। परन्तु इस लड़के को न मैं जानता हूं और न ही समझता हूं कि मेरे परिवार का किसी भी प्रकार का इससे सम्बन्ध है। बहरहाल इतना ही मैं यहां कह सकता हूं कि अगर कुछ विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य एक मुलजिम के बयान पर मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न लाना चाहते हैं, मैं उनके स्वविवेक पर यह बात छोड़ता हूं कि कहां तक यह बात उचित है और ग्राह्य है ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, जो मुख्य मंत्री जी ने कहा वह एक पक्षीय बात थी, अब उसका दूसरा पक्ष भी आ गया है। अगर मुख्य मंत्री जी को कोई बात मालूम नहीं थी तो वह कह सकते थे कि बाद में देख लेंगे क्योंकि सही पता नहीं है। इसलिये जब तक छानबीन न हो मुख्य मंत्री को कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई ऐसी बात कहे.....

एक सदस्य--

देश में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि यह नहीं कहा जा सकता कि कौन दोषी है और कौन नहीं।

स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

सर्वश्री राम अधार राय तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने सूचना दी है कि ८ अप्रैल, १९७५ के लिये निर्धारित श्री शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जनवरी, १९७१ में २ संख्या सहायकों की सीधी भरती के लिये विज्ञापन निकाला गया था जिसके फलस्वरूप चयनोपरान्त एक व्यक्ति की नियुक्ति तदर्थ रूप में कर दी गई थी। तत्पश्चात् जब यह निर्णय लिया गया कि संख्या सहायकों के ४ पदों को विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाय, तब उस व्यक्ति की सेवायें समाप्त कर दी गई। बाद में उसके प्रत्यावेदन पर विचार करने के उपरान्त पांचवें रिक्त पद पर उसकी तदर्थ रूप से नियुक्ति की गई। सूचना देने वाले माननीय सदस्यों का यह भी कहना है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उक्त उत्तर जानबूझकर सदन को गुमराह करने की नियत से दिया है। उनका कहना है कि विज्ञापन ७ जुलाई, १९७१ के "आज" समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जनवरी १९७१ में नहीं।

उनका यह भी कहना है कि यह बात भी गलत कही थी कि एक व्यक्ति की नियुक्ति तदर्थ रूप में की गयी। माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कि ८ अप्रैल, ७५ को जो उत्तर दिया था वह जान बूझकर सदन को गुमराह करने की नियत से दिया था कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया है। इसलिये इस मामले में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्गरत नहीं है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

इसमें प्रमाणपत्र दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इतने बड़े मामले में चाहे अपने मन से यह अपने अधिकारियों की सूचना पर इस सदन को सूचना दी।

श्री प्यारे लाल (मेरठ) द्वारा नेता विरोधी दल पर गलत आरोप लगाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री मुहम्मद असरार अहमद तथा माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने सूचना दी है कि १८ अप्रैल, १९७५ को उद्योग विभाग के बजट पर बोलते हुए श्री प्यारे लाल शर्मा ने कहा कि "चौधरी साहब ने क्या नहीं किया। चीनी मिलों के 'टेकओवर' करने के लिये एक ३ मेम्बरों की कमेटी बिठाई, जिसमें बाबू गेंदा सिंह, श्री वीरेन्द्र वर्मा और श्री पृथ्वीनाथ सेठ थे। पश्चिमी जिलों से प्रति मिल डेढ़ लाख रुपया इकठ्ठा हुआ और कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया गया।"

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

प्यारे लाल जी ने जो शब्द कहे वह कार्यवाही से मैंने कोट किये हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चौधरी साहब ने डेढ़ करोड़ रुपया बटोरा और कमेटी की रिपोर्ट दबा गये। मैंने कई बार लिखित प्रश्न खुद किये कि वह रिपोर्ट सदन में रखी जाय। सरकार ने हमेशा कहा कि वह गोपनीय है। सदन में कभी नहीं रखी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

जब उद्योग विभाग पर बहस हो रही थी तब यह सवाल क्यों नहीं उठाया? दिस मैटर इज लेट नाउ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मेरा सवाल है। पहले मैं कहूंगा।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

आप प्रश्न उठा रहे हैं कि डेढ़ करोड़ इकट्ठा किया। आप कहें कि नहीं किया।

श्री महम्मद असरार अहमद--

इस तरह से सदन नहीं चलने देंगे। जब मैं बोल रहा हूं तो यह क्यों बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इनको नाराज नहीं होना चाहिये। अभी उनके कहने के अनुसार.....

श्री अध्यक्ष--

मुख्य आरोप है कि डेढ़ करोड़ रुपया इकट्ठा किया। आरोप उन्होंने लगाया है तो विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे बनता है? या तो कोई नियम बनाया जाय कि किसी के खिलाफ कोई आरोप न लगाये या कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाय।

एक सदस्य--

मोती लाल देहलवी जब कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे.....

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

बिना किसी आधार के माननीय चौधरी साहब पर आरोप लगाया। इस तरह से भ्रष्टाचार की बात दिखाई गयी है। वह मोशन तो डाइरेक्ट बन गया।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि ऐसे मामले में प्रतिवाद यहां कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि विशेषाधिकारी समिति को सुपुर्द करने पर क्या होगा?

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

मान्यवर, विशेषाधिकार समिति को बिठा दें, यह मैं साबित करदूंगा।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

ठीक है.....

श्री अध्यक्ष--

लेकिन वह अच्छा नहीं होगा न? उन्होंने जो कहा, उसका प्रतिवाद कर सकते हैं कि वह झूठ बोल रहे हैं।

*चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, क्या प्रस्ताव उन्होंने भेजा, मुझको नहीं मालूम। मैंने तो कल शाम को सुना था। जब मैं नहीं था, तो माननीय प्यारे लाल जी ने कुछ आरोप लगाये थे। कल रास्ते में वह मुझ को मिल गये। मैं उनको अपने कमरे में पकड़ ले गया। मैंने कहा, यह आप बतलायें कि आपने यह कहा था। इन्होंने कहा मैंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि डेढ़ लाख रुपये इकट्ठा हुये। मैंने कहा, वह मुझे देने के लिये इकट्ठा हुआ होगा, तो वह चुप हो गये। मैंने कहा ठीक है, आप आइये। तो मान्यवर, जहां सही बात होती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

है, जिसके लिये चैलेंज करते हैं, लेकिन इनक्वायरी नहीं बैठती। तो जो झूठ और बिल्कुल बेबुनियाद बात है, उसके लिये क्या होगा ? मैं उनको चैलेन्ज करना चाहता हूं कि वह इसको साबित करें। विशेषाधिकार समिति हो सकती हो, तो करें। वरना मैं इनवाइट करता हूं कि इस हाउस की एक कमेटी बिठला दी जाय, चाहे वह रुलिंग पार्टी की हो। मैं उसके लिये तैयार हूं। लेकिन अगर साबित न हुआ, तो मैं यह नहीं कहता कि वह माननीय सदस्य सदन को छोड़ जाय, बल्कि उसमें दुनिया को मालूम हो जायेगा कि सच्चाई क्या है।

अब, मान्यवर, मैं एक कहानी बताऊं, तो बड़ा समय हो जायगा, लेकिन अगर ५ मिनट समय दें, तो बता दूं। मान्यवर, दिसम्बर, १९६९ में जब नयी कांग्रेस का फार्मेशन हुआ तो बाम्बे में उन्होंने एक रेज्यूलेशन पेश किया कि यू० पी० की शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण हो। १७ फरवरी को गवर्नमेंट बनी बी० क० डी० और कांग्रेस की, यहां। कांग्रेस की तादाद ज्यादा थी और उनके इसलिये मिनिस्टर ज्यादा थे। एक कमेटी बिठाई गयी। उस कमेटी की रिपोर्ट आयी राष्ट्रीयकरण के हक में। इस बीच में बहुत सी बातें हुयीं, जिनका जिक्र नहीं करना चाहता। यह बात फिर उड़ाई गयी कि राष्ट्रीयकरण टाला जा रहा है। और आपने तो ५० लाख घटा दिया, बात २ करोड़ की उड़ाई गयी।

एक सदस्य--

वह तो पश्चिमी जिलों का है।

चौधरी चरण सिंह--

आपसे भी चंदा लिया गया होगा।

तो मान्यवर, बात यह उड़ायी गयी कि २ करोड़ ले लिया गया इसलिये राष्ट्रीयकरण को टाला जा रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि जब वह रिपोर्ट आयी, बल्कि आने के पहले, क्योंकि मैं जानता था कि रिपोर्ट राष्ट्रीयकरण के हक में आयेगी, मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को तीन बार खत लिखे। रिकार्ड में सब मौजूद हैं लेकिन हमारे एडवोकेट जनरल, श्री कन्हैयालाल मिश्र की राय थी कि एक-आध फैक्ट्री को ले सकते हैं। लेकिन अगर सब फैक्टरीज का राष्ट्रीयकरण करने की नीति है तो यू० पी० इन फैक्टरीज को नहीं ले सकता भारत सरकार ले सकती है। भारत सरकार के सालिसिटर जनरल की जो राय थी वही हमारे यहां के एडवोकेट जनरल श्री कन्हैयालाल मिश्र की राये थी कि स्टेट ले सकती है और भारत सरकार भी ले सकती है लेकिन हमारे यहां के लीगल रिमम्ब्रेन्सर, ला सेक्रटरी की राय थी कि स्टेट नहीं ले सकती। केवल सेन्टर ले सकता है। खैर इस पर सब सहमत थे कि सेंटर ले सकता है। आप ने डिसीजन भी लिया था लिहाजा आप इसको लें यह मने उनसे कहा। अगर आप खुद ऐक्ट नहीं बनाना चाहते तो फिर आर्टिकिल २५८ के मातहत स्टेट को अथोराइज कर दें और हम एक नोटिफिकेशन से ले लेंगे या फिर आप खुद ले लें। आप माननीय तिवारी जी से पूछ लें मैंने इस सम्बन्ध में तिवारी जी को दो बार दिल्ली भेजा था, उनके साथ एक साहब और थे और वह दिल्ली इस बात को समझा कर आये थे। मैं बैठे जाता हूं, तिवारी जी को यह बात याद होगी।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

जी हां, याद है, दिल्ली भेजा था।

चौधरी चरण सिंह--

केन कमिश्नर तथा सारे आफिसर्स की यह राय थी कि अगर शुगर मिल्स को जुलाई तक नहीं लिया जायगा तो उनका रिनोवेशन और मरम्मत तीन महीने तक नहीं हो सकेगा और अगर सरकार ने अगस्त या सितम्बर तक इन फैक्टरीज को लिया तो अगले सीजन में अच्छी तरह से नहीं चल सकगी और रिट फाइल हो गयी तो ये फैक्टरीज नहीं चल पायेगी और अरबों रुपये का नुकसान हो जायगा। इसलिये हमारी और सब साथियों की यह राय थी कि जल्दी से जल्दी ले लिया जाय। मैं इन्दिराजी से मिला लेकिन वह राजी नहीं हुई। यह सब राइटिंग में है। सहयोगियों को भेजा लेकिन राजी नहीं हुई। मजबूर हो कर अगस्त में यह तय किया कि अगले साल के लिये यह मामला मुल्तवी किया जाता है। यह सच्चाई है।

इसी बीच में एक बात और बतलाना चाहता हूं ११ जून को मेरी तलबी हुई दिल्ली में .... (व्यवधान)..... इसमें भी दो करोड़ का जिक्र है। मुझसे अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि अगर आप नहीं करते हैं फलां तारीख तक तो गवर्नमेंट आर्डर जायगा। मैंने कहा क्यों? उत्तर मिला कि कांग्रेस के लोग और बी० के० डी० के कुछ लोग आपकी सरकार के मुकाबले प्रेसीडेंट रूल को अच्छा समझते हैं। मुझे अपने कानों पर विश्वास होना मुश्किल हो गया। मैंने कहा कि आपके पास यह खबर आई है कि दो करोड़ ले लिये हैं। उन्होंने कहा आई तो है। मैंने कहा क्या हुआ अगर दो करोड़ ले लिये, क्या बुरा किया? तो चुप। मैंने कहा इसलिये लिये होंगे क्योंकि इलेक्शन के लिये सब लोग लेते हैं, मैंने ले लिये तो क्या पाप किया? (व्यवधान---शोरगुल)।

एक सदस्य--

आपने ठीक बात आज तसलीम की है।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति से बातचीत हो रही थी मैंने उससे कहा कि मैंने रुपया नहीं लिया। मैंने इलेक्शन तक में रुपया नहीं लिया हालांकि मुझे लाखों रुपया देने के लिये इण्डस्ट्रियलिस्ट आये थे। रुपया लेता तो और सीट्स आजाती। मैंने रुपये की डिमांड की इसकी इंक्वायरी करा ली जाय। जुडिशियरी या इक्जीक्यूटिव, सीक्रेट या ओपन। बट दियर वाज नो रिप्लाई। आज भी मेरा चैलेंज है कि इसकी सीक्रेट, या ओपन, इक्जीक्यूटिव या जुडिशियरी इन्क्वायरी कर लें। लेकिन बाकायदा प्रचार हुआ। खड़े होकर जो कुछ चाहे कह दीजिये। एक साहब ने वही बात दुहरा दी। जिनके दिल की चादर साफ नहीं है वे दूसरों के दिलों की चादर, जिनकी साफ है, पर रोशनाई फेकने की कोशिश करें, यह शोभा नहीं देता। मैं चैलेंज करता हूं इस असेम्बली में, इस हाउस की कमेटी बनाने के लिये, जिसमें कि उधर के लोग ही मेजोरिटी में हों और जिसको कि मेरे दोस्त ने आपके पास भेजा है, उसे आप स्वीकार करें।

श्री प्यारे लाल (मेरठ)--

इसको विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय और मैं चौधरी साहब के चैलेंज को स्वीकार करता हूं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल, जिनका कि मैं बहुत सम्मान करता हूं, ने इसी सदन में स्वयं भाषण दिया था और मैंने आपके सामने यह कहा था कि जब आप देवरिया तशरीफ ले गये थे तो वहां के मिल वालों से पैसा इकट्ठा हुआ और मैंने आपको खत लिखा था। यह बात यू० पी० एसेम्बली की प्रोसीडिंग्स में मौजूद है। चेक से जो रुपया आया था उसके बारे में आपने एक सज्जन हैं, उनको आदेश दिया था कि इसको लौटा दिया जाय। सवाल यह नहीं है कि पैसा लिया गया या नहीं लिया गया लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ चौधरी साहब ने इस हाउस में मेरे भाषण के बाद यह कहा था कि रुपया वापस किया गया था और जिनके द्वारा इकट्ठा किया गया था वे आपके ही दल में हैं, मेरे दल में नहीं हैं। चौधरी साहब ने अपने भाषण में स्वीकार किया था। . . . . . (व्यवधान). . . . . । मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूं और मैं चुनौती देने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप प्रोसीडिंग्स को निकलवा लें। चौधरी साहब जब मुख्य मंत्री थे और मैं उधर की बेंचेज में बैठता था तो मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह सवाल उठाया था। उसके बाद यह पैसा लौटाया गया। मैंने इसी सदन में उस घटना का उद्धरण किया और चौधरी साहब ने कहा कि वह तो आपके दल में चल गये जिनके जरिये रुपया इकट्ठा हुआ था तो इस प्रकार आरोप-प्रत्यारोप से कोई लाभ नहीं होता।

चौधरी चरण सिंह—

वे तो उसी बात को दुहरा रहे हैं। तीन दफे उन्होंने वही बात कही। हमारे देवरिया के प्रेसीडेन्ट थे। पहले वे कांग्रेस के एम० एल० ए० थे, पुराने साथी थे। ६७ में हार गये थे उसके बाद वे बी० के० डी० में आ गये और प्रेसीडेन्ट हो गये। मैं दौरे में देवरिया गया। मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने अपने जिले की पार्टी का काम चलाने के लिये २४ हजार रुपये, किसी से २ हजार, किसी से ढाई हजार, इकट्ठा किया। मैंने कहा तुमने बुरा किया, उस रुपये को वापस करो और उन्होंने वापस करवा दिया। तो इसमें क्या चीज आप कह रहे हैं किसको सुना रहे हैं। उससे कोई लाभ नहीं है। २ करोड़ मुझे मिला, २४ हजार वापस करवा दिया ? मैंने सीधी सी बात आपके सामने रखी है। यह मैं रूलिंग बैंचेज पर छोड़ता हूं जो कोर्स उनको मंजूर हो उसे वह एक्सेप्ट करें नहीं तो माननीय प्यारे लाल खेद प्रकाश करें वर्ना यह प्रिवेलेज कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह जिस चीज का जिक्र आया चैक वापस कर दिया लेकिन जो बिना चैक के पाते हैं उसका क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय नेता विरोधी दल ने कृपा करके मेरा उल्लेख किया कि राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये और उत्तर प्रदेश सरकार के विचारों को केन्द्र तक पहुंचाने के लिये मुझे भेजा जब हमारा मिला जुला मंत्रिमंडल था। उस समय उन्होंने मुझे आज्ञा दी या नहीं यह उन्होंने कहा। तो श्रीमन्, यह सही है कि उस समय बहुत विस्तार से इस पर विचार हुआ था। यह सही है कि जो दो कानूनी पहलू उन्होंने बताये, एडवोकेट जनरल, सोलिसिटर और लौ सेक्रेटरी की राय जो थी उनमें परस्पर भिन्नता थी और उसमें यह भी था कि इंस्डस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन की धारा २० के अन्तर्गत पावर डेलीगेट कर सकते हैं या नहीं। तो

यह प्रश्न भी था। भारत सरकार से लीगल आस्पेक्ट में बातें हुईं और यह प्रश्न आया की क्या राज्य सरकारें इसको टेकओवर कर सकती हैं या नहीं ? और क्या सेक्शन २० के अन्तर्गत इंडस्ट्रियल रेगुलेशन ऐक्ट के अन्तर्गत यह अनकन्स्टीट्युशनल तो नहीं होगा ? क्या यह अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा सकता है, या नहीं ? तो यही विवाद लगातार चलता रहा और फिर भार्गव कमीशन बना तो आज भी वही लीगल डिफिकल्टी है कि क्या शुगर मिलों को लिया जा सकता है, या नहीं। फिर यह भी सवाल आया कि जो कोआपरेटिव फैक्ट्रीज हैं उनको भी लिया जा सकता है या नहीं। तो यह सारे प्रश्न सामने आये मैंने कल ही एक प्रश्न के उत्तर में इस संबंध में दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। मैं आग्रह करूंगा मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा पता नहीं माननीय नेता विरोधी दल की राय राष्ट्रीयकरण के उस समय जो पक्ष में थी आज भी वही है या नहीं। अगर उनका हमें बल मिल जाय तो अधिक सहायता मिलेगी ताकि शुगर मिलों का टेकओवर सारे देश में हो सके।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। माननीय सूचना देने वाले सदस्यों का कहना है कि श्री शर्मा के कथन से स्पष्ट जाहिर होता है कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के जानबूझ कर और एक दल विशेष के नेता, उसके सदस्यों व उसको बदनाम करने के लिये ही ऐसा भाषण दिया है। श्री शर्मा के इस कथन से स्पष्ट रूप से चौधरी साहब, भारतीय लोक दल उसके सदस्यों का अवमान हुआ है। यह उन्होंने कहा है।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २८९ (२) (ग) के अनुसार किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप तथा लांछन नहीं लगाया जाना चाहिये। ऐसे वक्तव्यों पर उसी समय अधिष्ठाता अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना चाहिये जो इस प्रकार के कथन को रोक देते। यदि सम्बद्ध सदस्य को अनुपस्थिति में आरोप लगाय जायं तो ऐसे सदस्य को प्रतिवाद करने का प्रथम अवसर दिया जा सकता है। वह हमने चौधरी साहब को दे दिया है। इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—

वही तो बता रहा हूं कि विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) इसके बारे में मैंने अपना दृष्टिकोण बताया कि जब किसी सदस्य ने किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाये तो उसके प्रतिवाद के लिये अवसर मिलेगा और अगर वह उस वक्त नहीं हो तो प्रथम अवसर मिलेगा जो चौधरी साहब को पहला अवसर दे दिया है और उन्होंने प्रतिवाद कर दिया। अब उधर से और इधर से अपनी राय तो रहेगी राजनीतिक रायें रहेंगी।

चौधरी चरण सिंह--

उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मैंने कहा था कि या तो वह खेद प्रकट करें नहीं तो विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। अब कुछ भी नहीं हो रहा है या जांच बैठाएं।

श्री अध्यक्ष--

आपने भी स्पष्ट कर दिया, अब ऐसी स्थिति में इसको बढ़ाने से क्या फायदा ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात निवेदन कर रहा हूं। इस सदन में माननीय सदस्यगण कई बार बहुत सारी बातें कहते हैं अपने-अपने स्वविवेक पर। यह विवेक की बात है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। आपने जो निर्णय लिया है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है, यह उचित है। मैं समझता हूं कि यह इस सदन में जो विवेक है उसकी कमी है, जाब्ता का प्रमाण है कि मैं क्या कहता हूं और क्या नहीं कहता हूं। यदि इस प्रकार के प्रश्न विशषाधिकार समिति में रोज जाएंगे तो विशेषाधिकार समिति के पास रोज आपको ५० प्रश्न भेजने पड़ेंगे। चौधरी साहब ने सफाई कर दी। उन्होंने कह दिया बिलकुल नहीं है। (व्यवधान) मेरी अपनी राय में आपने जो निर्णय दिया है, वह उचित है।

चौधरी चरण सिंह--

यह एक अलग बात है कि मैंने सफाई दे दी, किन्तु हुजूर को तसल्ली हुई है या नहीं, इसका क्या पता। वह कल फिर ऐसे स्टेटमेन्ट देते रहेंगे या नहीं ? (व्यवधान) माननीय नेता सदन ने यह कहा कि आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करेंगे तो आपको रोज पचासों करने पड़ेंगे। हमारी तरफ से जो आरोप लगते हैं, उनके साथ ही यह कहा जाता है कि हम इसकी तहकीकात चाहते हैं, किन्तु तहकीकात के लिये गवर्नमेन्ट तैयार नहीं होती है। हमने भूतपूर्व मुख्य मंत्री के सामने कहा था कि गवर्नमेन्ट पर जो चार्जेज लगे हैं, उनकी जांच के लिये हाई कोर्ट के जज को स्थायी तौर पर मुकर्रर कर दिया जाए। अब भी जो इधर से चार्ज लगते हैं, उसके लिये यही कहा जाता है कि इस सदन की एक कमेटी बनाई जाए, किन्तु उसका भी विरोध हो रहा है, आप किसी पर तैयार ही नहीं होते हैं। नो-कांफिडेन्स मोशन जो आया था, उसमें भी हमने यह चैलेंज किया था और सत्यपाल मलिक ने बजट में कहा था कि इस तरह की शिकायत है, उन्होंने बहुत नम्र भाषण में कहा था। यह नहीं कहा कि किसी ने ढाई करोड़ रुपया ले लिया या और कुछ ले लिया। उसके साथ ही चाहिये थी कि हाईकोर्ट के जज से इन्क्वायरी करा दी जाए, लेकिन उस चीज को नहीं माना गया। आपकी मेजारिटी थी, नो-कांफिडेन्श मोशन रेजेक्ट कर दिया गया। किन्तु हमारे उसका जवाब नहीं दिया गया। बावजूद उसके हमारे खिलाफ तरह-तरह का उल्टा सीधा प्रचार किया गया ..... (व्यवधान) आपके खिलाफ जो चार्जेज होंगे और जनता को ब्राइब करके यहां आ जाएंगे, रिगिंग करके आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि जनता वोट देती है। क्या यह जनता तय नहीं करती है कि इतना होने पर भी आपके ३२ परसेन्ट वोट आए। इसलिए आपको मेरी बात मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। आप चार्ज लगा रहे हैं और मैं इन्क्वायरी मांग रहा हूं। वह खेद भी प्रकाश नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि विशेषाधिकार समिति को देखने का प्रश्न नहीं। मेरे मन को इससे बड़ी ठेस पहुंची है, मुझे और मेरे दल की इमेज को ठेस पहुंची है, मैं नहीं चाहूंगा कि इसे इसी तरह टाल दिया जाए। डिसीजन मस्ट बी टेकेन।

श्री अध्यक्ष——

मैंने तो निर्णय ले लिया है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)——

मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी है, तो मैं समझता हूं कि अब इस संवाद को किसी के भी द्वारा उठाना ठीक नहीं है, चाहे वह नेता सदन हों या नेता विरोधी दल। आपको सदन कड़ाई के साथ चलाना चाहिये।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष——

नियम ५६ में मुझे ४ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह एक चीनी मिलों के बारे में है। बजट चल रहा है, आपको मौका था और है, आप कह सकते हैं। इसलिये स्वीकार नहीं है। आज यह ३ बजे तक है।

श्री प्यारेलाल (मेरठ) द्वारा नेता विरोधी दल पर गलत आरोप लगाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)——

तो आपका वही निर्णय रहा ?

श्री अध्यक्ष——

माननीय चौधरी साहब ने जो सवाल उठाया अगर असंसदीय शब्द होते तो मैं उनको निकाल देता, खेद प्रकाश के लिये कहता। कोई सारवान चीज के लिये चाहे गलत हो हम कैसे फैसला कर सकते हैं ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद——

इस तरह से सदन का कार्य नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष——

अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं तो मैं उत्सुक नहीं हूं। मैंने व्यवस्था दे दी। अगर जबर्दस्ती अपने मनमाफिक व्यवस्था नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)——

एक स्पैसिफिक चार्ज लगाया है और आप कहते हैं कि मामला साधारण है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष——

उधर से तो रोज लगते हैं।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह——

नहीं लगते हैं और साथ ही हम तहकीकात की मांग करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रतिवाद आप कर सकते हैं। चौधरी साहब को काफी मौका दिया।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि आपने इस विषय पर एक व्यवस्था दी जो शिरोधार्य है। लेकिन आप ध्यान दें कि एक बात पर विचार करना आवश्यक है। जैसा कि माननीय चौधरी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया गया, कल मेरे ऊपर लगाया जायेगा तो जो डायरेक्ट इल्जाम लगाया जायगा कि किसी ने एक करोड़-या डेढ़ करोड़ रुपया ले लिया और उसको यह कह कर समाप्त कर दिया जाय कि आप ने सफाई दे दी और दूसरा व्यक्ति जिसने इल्जाम लगाया है वह कुछ न कहे तो यह ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह कहूंगा कि सभी नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर एक मीटिंग करके निश्चित करें कि आरोप लगाने की क्या विधि हो और नियमों में परिवर्तन करें।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

नियम ५६ के अन्तर्गत चार सूचनायें आई हैं जो सभी अस्वीकार की गई हैं।

श्री प्यारे लाल (मेरठ) द्वारा नेता विरोधी दल पर गलत आरोप लगाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

अब वित्तीय वर्ष १९७५-७६ के बजट पर चर्चा होगी।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय लोकदल के कई सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर एक साथ बोलते रहे।)

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बना दी जाय।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की एक कमेटी बना दीजिए।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिये, वरना यह सदन इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप सब बैठ जाइये ?

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। जब तक आप कोई व्यवस्था नहीं देंगे, इस सदन में इसी तरह से शोर बढ़ता चला जायगा। मेरी आप से आग्रह है कि आप इस पर कोई व्यवस्था दे दें ताकि सदन सुचारु रूप से चल सके।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी तरफ से, अगर गवनमेन्ट तैयार नहीं है, कमेटी बना दें तो मैं उस पर भी तैयार हो जाऊंगा। जब तक यह नहीं होगा तब तक हम तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो हमारे पीठासीन सम्मेलन का निर्णय है कि जब सदन नहीं चाहे तो अध्यक्ष कमेटी न बनाये।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, २०९ के अन्तर्गत आपको पूर्ण अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--

वह तो प्रस्ताव के अन्तर्गत होता है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष जी, रूलिंग पार्टी का एक सदस्य मुझ पर चार्ज लगाता है और यह कहता है कि मेरे पास सबूत है। मैं यह डिमांड करता हूं कि एक कमेटी बना दी जाय। मेजारिटी जो चार्ज लगाती है, वह तैयार नहीं होती है। वह तो कहते ही हैं कि उनके पास सबूत है। आप माननीय सत्यपाल मलिक की स्पीच मंगा कर पढ़ लीजिए, चार्ज लगाने वालों ने यह डिमांड किया था हाईकोर्ट के जज की। यहां पर एक्यूज ही कह रहा है कि जांच करा ली जाय, कमेटी बैठाली जाय। पब्लिक लाइफ की क्लीनिंगनेस के लिये जरूरी है। मुझ जैसे आदमी पर चार्ज लगता है, और वह कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, मैं कहता हूं कि इसकी जांच करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष--

यहां पर बहुत से जब ऐसे आरोप लगते हैं, तो बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो कर यह कहते हैं कि यहां पर तो आप झूठ आरोप लगायेंगे ही, अगर आप बाहर कहेंगे, तो मैं अदालत में जाऊंगा।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

.....आप बैठें तो। माननीय चौधरी साहेब को मालूम है जिसके खिलाफ आरोप लगता है, तो वह चुनौती दे सकता है। यहां पर सदन में बोलने की आजादी है। अगर बाहर लगावे तो उसके विरुद्ध दावा किया जा सकता है।

चौधरी चरण सिंह--

यह रास्ता है, बाहर आप करें, अन्दर भी रास्ता है। मैं तो अन्दर डिमान्ड करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अन्दर तो सहमति पर है, अगर आप दोनों सहमत हों। हम अकेले कैसे बनावें। माननीय चौधरी साहेब जानते हैं, अध्यक्ष को विवादग्रस्त मामलों में नहीं पड़ना चाहिये। अगर आपके पास सबूत हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा भी चला सकते हैं, चैलेन्ज कर सकते हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

यहां पर तो आपसे ही कहा जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों सहमत हो जायं तो बन सकती है।

चौधरी चरण सिंह—

एक सदस्य आरोप लगाता है और उसके पास सबूत मौजूद है तो हाउस की एक समिति बैठ सकती है, माननीय नेता सदन को क्या एतराज है? मैं डिमान्ड करता हूं कि सदन की एक कमेटी बैठे, क्यों नहीं राजी होते?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा)—

अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल का जो इस प्रदेश में और देश की राजनीति में स्थान है उसका भी हमेशा ध्यान मुझे रहता है। यह प्रश्न था कि क्यों न एक सदन की कमेटी बना दी जाये। मान्यवर, यह परम्परा अच्छी नहीं है। इस सदन के अन्दर कमेटी बनाने की परम्परा हाउस आफ कामन्स में मारकोनी स्कैन्डल से हमेशा के लिये निर्णय ले लिया गया कि हम हाउस की कमेटी में नहीं जायेंगे। मैं उन तथ्यों में नहीं जाना चाहता। मेरा बुनियादी विरोध है। मैं इस परम्परा और बुनियाद को गलत समझता हूं कि इस सदन में कोई इस तरह की कमेटी बनायी जाये और इसलिये मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि यह परम्परा रही है प्वाइन्ट आफ परसनल एक्सप्लानेशन की और मैं जानता हूं, भारत की जनता जानती है और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता, मेरी बाबत, माननीय चौधरी साहब के बारे में या किसी अन्य माननीय सदस्य के बारे में न जानती हो। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भोली नहीं है कि वह उसको सौ फीसदी गोड्स ट्रुथ मान कर किसी को ग्राह्य या अग्राह्य कर ले। वह खूब समझती है कि किस नेता के चरित्र में क्या बुराइयां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। इसलिये मैं चौधरी साहब की बात का समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं।

चौधरी चरण सिंह—

जिन्दगी ऐसी सीधी-सादी नहीं है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह बहस कब तक चलेगी?

चौधरी चरण सिंह—

चार्ज लगवाइये और बहस को रुकवाइये?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन ने जो बात कही है यह उनकी अपनी राय है कि सदन की समिति नहीं बैठनी चाहिये। जैसा कि मैंने

पहले ही कहा हम उस राय से सहमत नहीं हैं। आप लोग आयुक्त ऐक्ट बनाइये या न बनाइये लेकिन एक पैरलल अथौरिटी है। आप इस सदन की एक कमेटी बिठाइये। जो बात आप कह रहे हैं, मिनिस्टरों पर जो आरोप लगाये गये हैं, और कमेटी की डिमांड हुई है, वह इससे बिल्कुल भिन्न है। आपके यहां तो जिन पर आरोप लगे हैं, वे समिति गठित कराने के लिये तैयार नहीं हैं लेकिन यहां पर तो जिस पर आरोप लगाये जा रहे हैं, वह समिति के गठित कराये जाने के लिये तैयार है। इसलिये आपका यह कहना कि चूंकि हमारी पार्टी के ऊपर अगर कोई आरोप आया है तो वे समिति के बैठाने के खिलाफ हैं, उचित नहीं मालूम पड़ता। यहां पर तो जिस पर चार्ज है, वह स्वयं चाहता है कि समिति बैठाई जाय? (व्यवधान)।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, बहुमत के आधार पर ये सिद्ध कर देंगे कि बुद्धू की बीबी नहीं है सिद्धू की बीबी है और दुनिया इनको समझ जायेगी कि वोट से ये किसी बात को इधर से उधर भी कर देंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, प्रस्तुत मद के सम्बन्ध में जो बातें उठाई गई हैं, उनका उत्तर देने में मुझे लगभग १ १/२ घंटा लगेगा। इसलिये उस बात को ध्यान में रखकर ही बोलने की आज्ञा दीजिए?

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

मान्यवर, हमारे मुल्क की बड़ी ही बदकिस्मती है कि बावजूद इसके कि हम लोग बड़ी जिम्मेदारी की जगह पर चुन कर आते हैं और लाखों आदमी हमें चुनते हैं, हमारे मुल्क के अन्दर बावजूद २५ वर्ष से ज्यादा हुए आजादी आये, मैच्योरिटी नहीं आई है। बिना किसी सबूत के हमारी आदत पड़ गई है कि हम एक दूसरे पर कीचड़ उछाल दिया करते हैं, वह बात तो दूसरी है कि किसी सरकार के मंत्री के ऊपर चार्ज लगाये जाते हैं क्योंकि सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है। उनकी हर बात का पब्लिक लाइफ पर असर पड़ता है, गवर्नमेंन्ट की फाइनेन्सेज पर, सरकार की इज्जत पर। कमेटियां तो बन सकती हैं जैसा कि अम्पने उस रोज देखा था जो किताब लिखी है कौल साहब ने और शकधर साहब ने, मावलंकर साहब ने अपनी रूलिंग में एक कानून बनाने की व्यवस्था की थी लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। अगर हमारे यहां नेता विरोधी दल और नेता सदन जरूरी समझते हैं कि आगे इस तरह की बातें न की जायं तो प्रक्रिया नियमावली में ऐड किया जा सकता है। आज की स्थिति में इस तरह की कमेटी बनाना मुनासिब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फर्ज कीजिये कि कोई कमेटी बन जाय। उसके बाद उसने अपनी एक राय बना ली। उसकी राय से तो कुछ बनता नहीं तब तक कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा। सरकार मैजारिटी में बैठी हुई है। बावजूद इसके कि इधर की कोई बात ठीक हो फिर भी वह वोट से उसको गिरा सकती है। इस माने में कमेटी की कोई जरूरत नहीं है लेकिन यह जरूर है कि इस तरह की अनर्गल बातें न कही जायं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस पर मेरा निर्णय हो गया। । माननीय राममूर्ति जी अब बैठ जायं । . . . (व्यवधान) . . . मैं आखिरी प्रेसाइडिंग आफिसर होऊंगा जो नेता सदन और नेता विरोधी दल के ऊपर कमेटी बनाये । आपको मालूम है कि इस देश में जो लोकतन्त्र का प्रयोग हो रहा है सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां विरोधी दल के नेता की हैसियत कानून और मर्यादा से बनानी है और उसमें मुझे कितनी कठिनाई पड़ती है । जो निर्णय मैं करता हूं वह बहुत सोच समझ कर करता हूं । किसी भी हालत में मैं अध्यक्ष की हैसियत से नेता सदन और नेता विरोधी दल पर कोई कमेटी बनाने को तैयार नहीं होऊंगा ।

चौधरी चरण सिंह—

जब कि नेता विरोधी दल स्वयं डिमान्ड करते हैं तब आपको क्या एतराज है ? आप स्वयं रक्षा करने को तैयार नहीं हैं । वह डिमान्ड करते हैं तब भी आप तैयार नहीं हैं । क्यों तैयार नहीं हैं ? वह सज्जन कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कैसे बना सकता हूं ?

चौधरी चरण सिंह—

क्यों नहीं बना सकते हैं ? यहां पर खड़े होकर कहना शुरू कर देते हैं कि १० लाख, १५ लाख ले लिया । हमने कभी इस तरह के चार्ज नहीं लगाये ।

श्री अध्यक्ष—

असंसदीय चीजों को हम देख सकते हैं लेकिन इस पर निर्णय हो गया हमारा और मैं यह कहूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल ने बार-बार आग्रह किया है कि निर्णय बदलो मत । तो निर्णय ले लिया है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

(व्यवधान के मध्य) आपने जो व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि आप नेता विरोधी दल और नेता सदन का सम्मान कर रहे हैं यह ठीक है, लेकिन अगर इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो इस प्रदेश की जनता के साथ आपको न्याय करना होगा । इस देश की जनता की भावना का आपको ख्याल रखना होगा । अगर किसी पर गबन और भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो दोनों का सम्मान बनाये रखने के बावजूद भी सच्चाई का पता लगाना चाहिये चाहे वह नेता सदन हों या नेता विरोधी दल हों । आपको जांच समिति यहां बिठानी चाहिये । इसके बिठाने से किसी का अपमान नहीं होता है । अगर देश की जनता को यह पता लग जाय कि विधान सभा के अध्यक्ष भ्रष्टाचार के विरोध में सच्चाई को जानने के लिये किसी के खिलाफ जांच समिति बिठा रहे हैं तो उससे आपका सम्मान बढ़ेगा, इस सदन का सम्मान बढ़ेगा । और अगर भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डाला गया तो इससे सदन का अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा ।

(स्पष्टीकरण के लिये श्री स्वामी प्रसाद सिंह को पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक..... (व्यवधान) ....

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, सच्चाई को जनता तक पहुंचाने के लिये यह आवश्यक है कि जांच समिति मुकर्रर की जाय। अगर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उनकी जांच होनी चाहिये (व्यवधान) उससे जनता में सम्मान बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप अपना फैसला दें, अपनी व्यवस्था दें। चाहे कोई मंत्रि-मंडल का सदस्य हो, अगर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उसकी जांच के लिये जांच समिति नियुक्त होनी चाहिये। (व्यवधान-शोर) (मेजें थपथपाते हुये व्यवधान) अगर आप जांच समिति की नियुक्ति करेंगे तो उससे देश और प्रदेश में एक नया माहौल बनेगा, नयी दिशा मिलेगी, लोगों में आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। जनतन्त्र में लोगों की आस्था भी बढ़ेगी। आखिर जनता को यह तो मालूम हो कि पर्दे के पीछे कौन-कौन है। उनका कैसा आचरण है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया आसन ग्रहण करें।

एक सदस्य—

जबतक आप व्यवस्था नहीं देंगे विधान सभा का सम्मान बढ़ने वाला नहीं है.... (व्यवधान) (कई सदस्यों के खड़े होने तथा व्यवधान करने के कारण सुनाई नहीं पड़ा)।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जब नेता विरोधी दल के ऊपर कुछ चार्ज लगाये गये और उधर से यह चैलेन्ज आया कि उनके पास सबूत है तो आप प्रक्रिया नियमावली के नियम २०० के अन्तर्गत स्वयं कोई कमेटी नियुक्त कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि उसमें आपको क्या कठिनाई सामने आ रही है। (शोर) जब इस तरह से चैलेन्ज किया जा रहा है तो कमेटी नियक्त होना बहुत जरूरी हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आप मुझे तो सुन लें, मुझे तो एक स्पष्टीकरण देना है....

(व्यवधान)

(श्री स्वामी प्रसाद सिंह के खड़े रहने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इनका दूसरा मामला है। इनको समझाइये, यह कैसे होगा ?

चौधरी चरण सिंह—

मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी कि मैं माननीय नेता सदन, और नेता विरोधी दल के ऊपर कोई कमेटी नहीं बैठा सकता ।

चौधरी चरण सिंह—

आपने अपनी साफ कर दी, लेकिन मेरी साफ नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष—

स्थिति साफ हो गयी, आप माने या न माने । (व्यवधान)

अगर प्राग्दर्शन में नहीं बनता है, तो मैं कैसे कर सकता हूं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप अपने विवेक से कर सकते हैं ।

चौधरी चरण सिंह—

नाराज होकर आप कोई बात कहते हैं तो वह दलील नहीं होती है । आप रूल २०० देख लीजिये । मेरे ऊपर आपका जरूरत से ज्यादा प्यार है, इसीलिये आप इस पर इनक्वायरी नहीं करा रहे हैं न कि यह आपको शोभा नहीं देता है ? मैं आपसे कहता हूं कि जो व्यक्ति चार्ज लगाता है और यह कहता है कि उसके पास सबूत है और मैं कहता हूं कि वह चार्ज गलत है । ओपेनली सदन के सामने यह कहा गया है और दुनियां भर में यह अखबारों मे छपेगा । (व्यवधान) ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जब इस तरह से किसी को फांसना है, तो हाउस नहीं चलेगा । आप अपने कमरे में चले जायं अध्यक्ष महोदय, हम लोग निपट लेंगे ।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, यह बार-बार जो धमकी देते हैं कि हाउस को नहीं चलने देंगे, हाउस को नहीं चलने देंगे । क्या यह इनकी इच्छा के ऊपर है कि जब ये चाहेंगे तब हाउस चलेगा और जब न चाहेंगे तब हाउस नहीं चलेगा ? अगर नियमों के अन्दर कमेटी नहीं बन सकती तो किसी के कहने से कमेटी थोड़े बनायी जायेगी । दूसरा कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन आप यहां नियमों के रक्षा के लिये बैठे हुए हैं । हर बार खड़े होकर जो इस तरह से बार-बार चेतावनी और धमकी देते हैं कि वह कर देंगे, यह करदेंगे, इस तरह से नियमों का फैसला नहीं हो पायेगा और कोई नयी परम्परा नहीं बन सकेगी । .... (व्यवधान)

एक सदस्य—

हाउस नहीं चलेगा ।

एक सदस्य—

इनके बूते में है कि यह हाउस नहीं चलने देंगे । यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी ।

एक सदस्य—

यह कोई इनकी बपौती है ।

चौधरी चरण सिंह—

अजीब मामला है कि चार्ज लगाया जाता है और जब मांग की जाती है कि कमेटी बैठाइये तो ..... (व्यवधान)

श्री ख्यालीराम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं आरोप लगाता हूं कि चौधरी साहब असत्य बोले हैं। आप मुझे इस पर कुछ कहने के लिये मौका दें।

चौधरी चरण सिंह—

मैं खड़ा हूं पहले से, आपने इनको इजाजत दे दी है क्या? ... (व्यवधान)

श्री ख्याली राम शास्त्री—

मैं माननीय नेता विरोधी दल का सम्मान करता हूं और उनको मैं बड़ा ईमानदार और सच बोलने वाला समझता था लेकिन (व्यवधान) .....

२० मार्च को उन्होंने जो अपना भाषण फरमाया उसमें उन्होंने कहा था कि बी० के० डी० के एक कार्य-कर्त्ता का मुरादाबाद में मर्डर किया गया है। मैं चैलेंज करता हूं ... (व्यवधान)। .....

मैं चुनौती करता हूं....

(सदन में व्यापक शोर) (शोर के बीच)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इस तरह से आप बोलने का मौका देंगे तो यहां सब लोग अपनी-अपनी शिकायतें करने लगेंगे? सदन का काम कैसे चलेगा? ..... मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बुनियादी सवाल है..... अध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाया गया.....

(व्यापक शोर)

माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द नहीं किया जायगा और दूसरी तरफ माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं।

श्री ख्याली राम शास्त्री—

(मा० सदस्य ने एक पुस्तक हाथ में लेकर कहा) अध्यक्ष महोदय, असत्य भाषण दिया है.....

श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल से उनको माफी मंगवाइये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिये सुनाई नहीं पड़ रहा है। राममूर्ति जी खड़े हुये हैं उनको तो सुन लीजिये कम से कम।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, २ मिनट मेरी बात सुन लीजिये। इसके अलावा और जो सदन है नेता विरोधी दल में और उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल में बड़ा फर्क है। विधिवत वह यहां नेता बनाये गये हैं। उनको लीडर अपोजीशन के नाते सभी सुविधायें, सहूलियतें

[श्री राममूर्ति]

मिल रही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब मुद्गल के ऊपर चार्ज लगाया गया तो मावलंकर साहब ने कहा था कि विशेषाधिकार समिति बैठी हुयी है लेकिन उसके बावजूद भी एक अलग कमेटी बनायी जा सकती है। इस मामले को देखें। उसी आधार पर आप सक्षम हैं। आप न्याय के स्रोत हैं। आप जिस सीट पर बैठे हुये हैं, आप से ही हम सबकी रक्षा हो सकती है और कोई नहीं कर सकता। आप कोई ऐसी चीज निकालें।

श्री अध्यक्ष—

एक जो यह विशेषाधिकार का सवाल है। वह तो हम भेज सकते हैं, लेकिन इसको भेजना उचित नहीं समझा। निर्णय नहीं किया है। अगर कमेटी बनाने की बात है तो वह तो सदन बनायेगा।

(कई सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

श्री मधुकर दिघे—

जब प्रस्ताव आ जाय, तो आप सक्षम हैं बनाने के लिये।

श्री अध्यक्ष—

किसी भी समिति के लिये.....

श्री राम मूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, या तो हम हाउस आफ कामन्स से या फिर पार्लियामेन्ट से गाइड होते हैं, फिर क्यों आप नहीं बना सकते हैं। आप सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने कहा, और जो आपने हाउस आफ कामन्स की बात कही है उसके लिये पार्लियामेन्ट के सवाल भी याद रखना चाहिये। कोई भी स्पीकर बहुमत की उपेक्षा करके नहीं रह सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

खेद तो प्रकट करा ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप सुनिये।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

अगर अन्याय होता है तो आप बहुमत का विरोध कर सकते हैं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हुये हैं.....

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का जहां तक सवाल है मैंने उस पर निर्णय दे दिया। और निर्णय यह है कि वह विशेषाधिकार प्राग्दर्शन में नहीं बनता है और मैं सूचना को आग्राह्य करता हूं। कमेटी बनाने की जो बात है उसके बारे में मैं कहता हूं कि सदन की राय अगर होती तो मैं बना सकता हूं। वह अलग चीज है। लेकिन अगर सहमत न हो तो नहीं बनायी जाती है। जब सदन की सहमति हो, आम राय, हमको लगती तो कमेटी बन सकती है, अगर सदन चाहता है कि बने।

एक सदस्य—

अगर हमेशा इस बात के खिलाफ मेजोरिटी हो। मेजोरिटी के खिलाफ होने से हम नहीं कर सकते हैं तो सदन कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

हर निर्णय के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन समिति बनाने के मामले में कह रहा हूं।

एक सदस्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल भाषण में विपक्ष के नेता ने माननीय गोपीनाथ दीक्षित जो सदस्य नहीं हैं, उन पर झूठे आरोप लगाये। वह मौजूद नहीं थे कि झूठे आरोपों का उत्तर दें। आप पर आरोप लगाये गये तो आप कमेटी बनाने पर इतना इनसिस्ट कर रहे हैं। तो आप आरोप लगा सकते हैं और दूसरा क्या आरोप नहीं लगा सकता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

समिति बनाने की आम राय मैं नहीं देता हूं।

(शोरगुल)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, उधर के सदस्य कहते हैं कि गवर्नमेन्ट पर चार्ज क्यों लगाये गये और इधर के सदस्य कहते हैं कि क्यों चार्ज लगाये गये ? यदि कमेटी .....

श्री अध्यक्ष—

सदन से संबंधित काम की कमेटी बना सकते हैं। प्रश्न यह है .....

(शोरगुल)

मैं नेता विरोधी दल को अब समझ रहा हूं कि जो प्राग्दर्शन में अध्यक्ष को नहीं है उसको विशेषाधिकार को कैसे सुपुर्द करें। दूसरी चीज समिति बनाने के हमारे जो नियम के अन्तर्गत यह अधिकार है उनका प्रयोग करते हुये बनाते हैं। बाहर के जो आरोप-प्रत्यारोप हैं उनकी जांच कर सकते हैं लेकिन कोई एक मामला हो या एक विशिष्ट बात उठे तो उसके बारे में कोई समिति अध्यक्ष बना देते हैं, लेकिन बहुमत की इच्छा के विपरीत वह कमेटी नहीं बनाते हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जो दल रात में करोड़ों रुपये ले लेता है ..... (शोरगुल) जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वह कहते हैं कि कमेटी न बने तो यह गम्भीर बात है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, मेरा कहना है कि माननीय शर्मा जी ने एक आरोप लगाया और चौधरी साहब ने उसका खण्डन किया। हमने सवाल उठाया और माननीय नेता सदन यहां मौजूद हैं, उनको पता भी चल गया। तो मैं एक आरोप लगाता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री और उनकी मंत्रि परिषद् ने उनको उकसा कर यह बात की है इसलिये नहीं चाहते हैं, वरना यह .....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, यह बिल्कुल असत्य है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

(शोर) उनके सदस्य यहां मौजूद हैं, यदि हमारे यहां गलती होती है तो आप नियम लिखकर भेज देते हैं । लेकिन यह जानते हुये मुख्य मंत्री कहते हैं कि सही मानते हैं । इसी सदन में यह सवाल कई बार उठ चुका है । चौधरी साहब कह चुके हैं, कमलापति जी कह चुके हैं और बाद में कई सत्र में यह बात आ चुकी है और फिर भी जब उठती है तो ऐसे ही उठती है । अगर माननीया इन्दिरा जी यह चाहती हैं कि बी० एल० डी० के नेता को हाउस में जलील कर दें तो हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे .....

श्री अध्यक्ष—

आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने की दिशा में मैं प्रयत्नशील रहता हूं । लेकिन हो सकता है कि प्राग्दर्शन में यह मामला विरोधी दल के नेता के विरुद्ध पड़े ..... अगर इसको भेज दिया जाता है.....

(घोर व्यवधान, कई सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता सदन से यह कहना चाहूंगा कि वह अपनी पार्टी के लोगों की ही कमेटी बना दें.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं निर्णय ले चुका हूं, मामला विशेषाधिकार का नहीं बनता ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल सिंह—

जब तक सदस्य माफी नहीं मांगेंगे, हम सदन को नहीं चलने देंगे, हम सत्याग्रह कर देंगे ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, आप स्वयं समझ रहे हैं कि मामला गंभीर है, फिर भी अपने निर्णय को क्यों नहीं बदलते हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इस तरह से आप हमारे नेता विरोधी दल को नहीं हटा सकते.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं कि आरोपों सम्बन्धी जांच करने के लिये समिति बनाने में सदन की राय मालूम होना जरूरी है..... (व्यवधान)

श्री राम अधार—

अगर आप भी सत्ता दल के साथ चलेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप पिटी पिटाई परम्पराओं पर चल रहे हैं। आपको नई परम्पराएं डालनी चाहिये। आपको कमेटी बनानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

कोई ऐसा मामला मैं विशेषाधिकार समिति में नहीं भेजना चाहूंगा, जिसमें माननीय नेता विरोधी दल या माननीय सदस्य पर कीचड़ उछाला जाय।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आपने कहा कि आप नेता विरोधी दल को हटा सकते हैं। यह उनकी मर्यादा के विरुद्ध वाक्य है।

(श्री एदल सिंह, सदन के बीचो-बीच खाली स्थान पर आकर बैठ गये)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप इस मामले को बहुत मामूली समझ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते क्या हैं। कोई भी मामला कमेटी में भेजें और उसमें माननीय नेता विरोधी दल के खिलाफ कोई ऐसी अशोभनीय चीज हो तो मैं इसको पसन्द नहीं करता।

एक सदस्य—

कोई अशोभनीय चीज नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

वह बहुमत से जो चाहेंगे साबित भी कर देंगे। यह तो आपस में समझने की बात है।

(श्री एदल सिंह को श्री मुलायम सिंह यादव सदन के बीच से उठाकर ले गये।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष—

यह तो तर्क की लड़ाई है, बल की नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप दस मिनट के लिये स्थगित कर दें सदन को और चौधरी साहब और नेता सदन को बुला लें। अगर आज्ञा दें तो मैं भी आ जाऊं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं इसका समर्थन करता हूं। आप नेताओं से परामर्श कर लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो पहले ही कहा था।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

पहले बजट पास हो जाय। उसके बाद शाम तक आप बात कर लें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

इनके दिमाग में कूड़ा भरा है। उनकी बात न सुनें।

श्री अध्यक्ष--

यह जोर देकर कह रहे हैं कि विशेषाधिकार समिति को भेज दें तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा।

एक सदस्य--

विशेषाधिकार समिति को भेजने की बात नहीं है। कमेटी बनाने की बात है।

श्री अध्यक्ष--

पीठासीन अधिकारियों के सामने भी यह मामला आया था। आप चाहते हैं कि यह मामला वहां जाय और कीचड़ उछाला जाय। वहां भी बहुमत हो और बहुमत से ही फैसला हो जाय तो आपके नेता विरोधी दल की शक्ल बिगड़ सकती है।

(शोर)

यह कैसे होगा. . . . . इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)

ऐसा नहीं। यह नहीं हो सकता। जो आज तक हमारी समितियां हैं, वे सर्वसम्मति से फैसला करती हैं। आपके कहने से थोड़े कर देंगे। सवाल यह है कि विशेषाधिकार समिति में भेजने का औचित्य हो, तब।

श्री शतरूद्ध प्रकाश--

मान्यवर, जैसा माधव बाबू ने सुझाव दिया है, १० मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दें।

श्री राम मूर्ति--

मान्यवर, अगर कोई कमेटी की बात आयी और बहुमत ने यह कह दिया कि यह मामला नेता विरोधी दल के खिलाफ है उनकी शक्ल बिगड़ जायगी, यह बात मैं नहीं समझा। उनको जो कुछ कहना है, कहने दें। आप कमेटी बिठायेंगे, तो उसके चेयरमैन आप होंगे। आप देखेंगे, किसकी शक्ल बिगड़ती है, किसकी नहीं। अगर आपकी अध्यक्षता में फैसला उचित ढंग से होगा, तो शक्ल नहीं बिगड़ेगी।

श्री अध्यक्ष--

कमेटी तो (व्यवधान) जैसे आप यहां निर्णय कर सकते हैं, वहां कमेटी में भी कर सकते हैं। अब यह कह दें कि कोई पुच्छल ब्याधि से कोई मामला है, जिसमें नेता सदन या नेता विरोधी दल के बारे में अनायास या अकारण कोई बात हो, तो समाचारपत्रों के जरिये से जब तक फैसला नहीं होता, तब तक क्या हो, वह स्थिति नहीं आती। हमने एक निर्णय लिया कि विशेषाधिकार के लिये प्राग्दर्शन में नहीं बनता। अब जैसाकि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा. . . . . .

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २०० के अन्तर्गत . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह प्रस्ताव ऐसे नहीं आ सकता। सूचना देनी होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मैं प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रस्ताव नहीं आ सकता। आप बैठ जायं।

श्री मुहम्मद शकील अहमद—

मान्यवर, यह प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री एदल सिंह—

मान्यवर, अभी आपने व्यवस्था दी थी कि १० मिनट के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय और नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता जनसंघ बैठकर बात कर लेंगे.....

श्री अध्यक्ष—

आप परेशान क्यों हो रहे हैं, वह तो होगा ही। सवाल यह है कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो सुझाव दिया है, वह अच्छा ही है। नेता विरोधी दल भी आ गये हैं। अब मैं १० मिनट के लिये उन लोगों से अपने कक्ष में बात करने के लिये सदन स्थगित करता हूं।

(इस समय १ बजकर ५३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ। २ बजकर ३ मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचना दी कि श्री अध्यक्ष ने सदन ५ मिनट के लिये और स्थगित कर दिया है। २ बजकर ८ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्यारे लाल (मेरठ) द्वारा नेता विरोधी दल पर लगाये गये आरोपों की जांच हेतु सदन की समिति गठित करने के सम्बन्ध में नियम २०० के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय असरार साहब न मालूम कहां चले गये हैं। सदन का काम रुका हुआ है।.....

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक प्रस्ताव आया है जो कि माननीय मुहम्मद असरार अहमद, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा माननीय राममूर्ति जी के नाम से है "मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २०० के अन्तर्गत नेता विरोधी दल के विरुद्ध कल जो श्री प्यारे लाल शर्मा, सदस्य विधान सभा ने अपने भाषण में आरोप लगाये थे, उसकी जांच के लिये सदन की एक कमेटी गठित की जाय।" इसको कल मैं लूंगा..... (व्यवधान)

नियमानुसार ही होगा जो सहमति का प्रस्ताव होता है वह तो जब चाहे तब आ सकता है और जिसमें सहमति नहीं होती, उसमें सूचना देनी होती है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

१० मिनट के लिये इसीलिये सदन स्थगित किया गया था।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये किया था। सवाल यह है कि यह कार्य-सूची में छापा जाता है। सूचना देकर आपको नोटिस मिल जाती है। जब कोई सर्वसम्मत से चीज आती है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, प्यारेलाल जी कह दें कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है.....(चौधरी साहब और असरार साहब जाने कहां चले गये हैं)।

श्री अध्यक्ष—

यह तो नियम की बात है, चौधरी साहब मानेंगे। अभी तो आपने नोटिस ही दी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, चौधरी साहब से बात हो गई, जो निर्णय माधव प्रसाद त्रिपाठी लेंगे, उसे वे मानेंगे.....

(श्री मुहम्मद असरार अहमद के आने पर)

श्री अध्यक्ष—

जो सूचना मिली है, उसको कल लिया जाय।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

इस सम्बन्ध में यह कहना है कि इसमें बहस हो गई है और मेरा आग्रह है कि इस पर सदन में वोटिंग ले ली जाय कि समिति का गठन हो या न हो। इससे मालूम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है, लेकिन नियम को स्थगित करके या संसूचना देकर। जो प्रस्ताव बिना नोटिस के हैं क्योंकि प्रस्ताव कभी भी आ सकते हैं नेता सदन और नेता विरोधी दल रख सकते हैं और सभी दलों के जो नेता हैं, वह अपनी सम्मति देते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, सूचना इसी वजह से दी जाती है ताकि दोनों को पता चल जाय। तो इत्तफाक से इस मामले में आपको भी विरोधी दल को भी और रूलिंग पार्टी को सब को पता चल गया है। अब तो सिर्फ इतनी बात है कि इसपर मत हो जाय। जो नियम है हरचीज में हमारे रास्ते में लायेंगे तो हमको हमेशा के लिये कह दें कि यहां से चले जायं और यह इतमीनान से बहुगुणा सरकार जो है, वह काम करती रहें। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

तो मान्यवर, वह नियम स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

हां, ठीक है, माननीय दिघे ने जो एक बात नियम स्थगित करने की कही है।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

कल राजस्व मंत्री का भी अवमान हुआ है जो पत्र माननीय माधव प्रसाद जी नें पढ़ा ।

श्री अध्यक्ष—

तो मैं २८३ में इस प्रश्न के संबंध में कह रहा हूं। यह जो दिघे जी का कहना है कि २८३ को स्थगित कर दिया जाय। जब यह हो जाय तभी यह आ सकता है, तो मैं इसको रखता हूं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

आप स्वयं फैसला कर दीजिये, यहां क्यों रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कहते हैं कि जबरदस्ती बात मैं करूं। जबरदस्ती क्यों करवाते हैं ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

बात होनें के बाद आप स्वयं सस्पेंड कर दें। बहुत से नियम आप सस्पेंड करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधव बाबू और राममूर्ति जी आप बैठे हैं, बतायें, क्या करें ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो दिघे साहब ने कहा है, मैं उसके विरोध में नहीं कहूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे दल की स्थिति स्पष्ट है। इस संबंध में मैं विरोधी दल वाले जो प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसमें नियम के सम्बन्ध में कल के बदले आज की जो बात है, जो नियम की बात है उसके रास्ते में हम कोई दिक्कत नहीं लाना चाहते हैं। माननीय सदस्यों को अगर उनके हृदय में इससे शान्ती होती है तो गवर्नमेन्ट का जहां तक तालुक है, मैं अपने व्यू फिर से रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

नियम स्थगित करने का सवाल नहीं होता है मैं इसको रखता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २०० के अन्तर्गत नेता विरोधी दल के विरुद्ध जो कल श्री प्यारे लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने भाषण में आरोप लगाये थे, उनकी जांच के लिए सदन की एक समिति गठित की जाय ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रस्ताव पर कुछ कहने तो दें। मान्यवर, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं अपने विचार सिर्फ दोहरा रहा हूं। जब यह मांग हमारे इस सदन में एक बुजुर्ग, नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह जी ने करी कि इस पर आज फैसला हो जाय। तो मान्यवर, इसके पहले भी मैंने बार-बार कहा है सदन में जो लांछन लगते हैं, उसके लिए सदन की समिति कोई उपाय नहीं है। उसके दो ही उपाय हैं। एक तो उपाय यह है कि सदन के सदस्यों को या आम जनता को उस पर यह अधिकार प्राप्त हो जाय कि सदन के किसी भी सदस्य ने चाहे वह सरकारी पक्ष का हो या विरोध पक्ष का हो अगर सदस्यों के आचरण पर कोई दोष किसी को दीखता है, या उसर

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

प्रदेश की १० करोड़ जनता को दीखता है तो उसका कोई रास्ता होना चाहिये और कोई निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिये जो असंदिग्ध स्थिति में हो जाय। उसमें सारे प्रदेश की जनता को न लगे कि इन लोगों की आपस में भाई चारा नहीं, सदस्य-सदस्य के साथ नहीं और एक दल दूसरे दल का साथ नहीं निभाते।

एक दल और भाईचारा जो हमारा है, उससे ऊपर उठकर बात हो। इसीलिये मैं लोक आयुक्त विधेयक की बात कह रहा हूं। उसके सिलसिले में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी यह आकांक्षा है कि इसी वर्ष मई महीने में वह बिल कानून बन जाए और उसके अन्तर्गत किसी भी सदस्य–विधान सभा का हो या विधान परिषद् का हो, विरोधी दल का नेता हो या मंत्री हो या और कोई सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति हो–अध्यक्ष या उपाध्यक्ष मैं नहीं कह रहा हूं क्षमा करेंगे किन्तु उनके ऊपर भी लांछन हो सीधे-सीधे लोग उनके विरुद्ध वहां जा सकें। उसमें गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे भेजे या न भेजे। एक अच्छी और न्यायोचित प्रणाली के मुताबिक उसकी सारी छानबीन होकर आ सके, एक तीसरा व्यक्ति सदन के बाहर बैठ कर निर्णय दे सके कि यह कल्पना या चार्ज शुद्ध है या नहीं, तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे सार्वजनिक जीवन की शुद्धता निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस तरह से जो हमारी आदत है कि बिना सोचे–विचारे लांछन लगाने की, उसका परिहार्य हो जायेगा।

इस सदन की समिति पर, चाहे वह कोई भी निर्णय दे, बाहर के लोगों का और आम जनता का यह विश्वास बना रहेगा कि लांछन को दबाने या छिपाने की चेष्टा की गई है। चाहे बहुमत के आधार पर या मंत्री के आधार पर। इसलिये सदन की कमेटी को लेकर, इस तरह के लांछनों की जांच के लिये मार्कोनी केस के बाद हाउस आफ कामंस ने जिस स्थिति में सदन की कमेटी को देना बन्द कर दिया है, उसी आधार पर मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि चौधरी चरण सिंह की जो आकृति है वह सारे प्रदेश में स्पष्ट हो। बहुत से लांछन यहां लगते हैं, उनसे आकृति में कोई बदलाव समझ में नहीं आता। हर एक की आकृति जनता में बनी हुई है। आम जनता के हृदय पर उनकी एक इमेज है, एक अक्स है और आम जनता के हृदय पर हमारे छोटे लोगों का भी एक नक्शा और अक्स पड़ा हुआ है। इसलिये यहां पर बहुत कह देने से किसी की तस्वीर बनती हो या बिगड़ती हो, यह मैं मानता नहीं हूं। लेकिन उस बुनियादी आधार पर न चाहते हुए भी मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने नेता विरोधी दल पर बहुत ही स्पष्ट आरोप लगाए और माननीय नेता विरोधी दल ने उसका खंडन किया और उन्होंने इस बात की चुनौती दी यह कहकर कि इसको साबित किया जाए, इसको साबित करने के लिए एक कमेटी की मांग की। सरकार की तरफसे उसका विरोध हो रहा है। सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री जी ने बहुत खूबसूरत तर्कों के साथ, खूबसूरत शब्दों के साथ उस कमेटी के गठन का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य चूंकि सत्ता पक्ष के हैं, इसलिये सरकार के पास या उनके पास कोई सबूत नहीं है, जिससे जो उन्होंने उन पर आरोप लगाए हैं वे साबित हो सकें। इसका मतलब है जो विरोधी दल के नेता पर आरोप लगाए हैं, वे सही नहीं हैं। इसलिये

मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये और इस प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिये ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार का एक प्रस्ताव आपके सामने विरोध पक्ष से आया था। अभी माननीय बहुगुणा जी ने ठीक ही कहा कि अपने-अपने विचार व्यक्त किए थे वही हम लोगों ने कहा था। जो उन्होंने उस वक्त कहा था, वही उन्होंने आज भी कहा। उनके विचार वही हैं। मैंने जो उस वक्त कहा था, वही विचार मेरे इस समय भी हैं। वही मैं अपने विचार थोड़े शब्दों में दोहरा दूं क्योंकि उन्होंने भी कहा है। मैं समझता हूं जब ऐसे मामले आपके सामने निर्णय के लिये आते हैं तो प्रिविलेज के रूप में आते हैं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है इस विषय पर नियम और कानून तो मेरे ज्ञान में यह बात आई कि एक प्रिविलेज का विषय होता है और एक प्रिविलेज का विषय नहीं बनता है। जो प्रिविलेज का विषय होता है उस पर आप आदेश दे देते हैं और वह समिति के पास चला जाता है। जो प्रिविलेज का विषय नहीं होता है उसमें ऐसी बात आ जाती है जिसमें किसी के मन को ठेस लगती हो जिससे वह प्रिविलेज का केस बनता हो। ऐसी स्थिति में यद्यपि प्रिविलेज कमेटी को मामला रिफर नहीं होता है तो सदन सक्षम है कि वह ऐसी समिति बनायें और आप ऐसे मेम्बरों को उसमें मनोनीत कर सकते हैं जो उसकी डिटेल्स में जायं और फैसला दें। आप देखेंगे कि यह मिस्टर कौल की किताब में चैप्टर ११ होगा। यह नियम २०० में बनता है लेकिन जो विचार व्यक्त किया गया है, मुद्रा केस को लेकर तो उसमें यह बनता है।

मैंने इसी के आधार पर निवेदन किया है कि यदि उनके पास ऐसे सबूत नहीं हैं तो वह कह देते कि उनके पास सबूत नहीं हैं। अगर ऐसा वह कह देते तो मामला यहीं समाप्त हो जाता। लेकिन उन्होंने नहीं कहा तो अब जो बात स्टैन्ड करती है उसका निराकरण कैसे हो। माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि हम लोगों में आपस में भाई चारा कायम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल जाय तो भाईचारा हट जायगा और वह कहेंगे कि इनके ऊपर जो केस चलता है तो चले। फिर इनके भाईचारे की की बात कहां चलेगी। न्याय के हित में आप इसको अलग रख सकते हैं। जैसा कि माननीय राममूर्ति जी ने कहा कि अगर उनके साथ ऐसा हो जायेगा तो हमारे साथ तो रोज होगा। इस लिये हम कहते हैं कि एक समिति का गठन होना चाहिये।

एक बात उन्होंने और कही कि समिति का निर्णय कुछ भी हो लेकिन यहां बहुमत दूसरा फैसला दे सकता है। मैं कहूंगा कि जो समिति बनेगी उसमें आप लोगों का ही बहुमत होगा वह निर्णय तो वहां से बन कर आयेगा जहां आपका बहुमत होगा। क्या सदन की मर्यादा ऐसी है कि वह दिन को रात कह देगा और रात को दिन कह देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अंधेरे को अंधेरा ही कहेंगे और प्रकाश को प्रकाश कहेंगे। आप कहां तक विरोध करेंगे। जहां ऐसी स्थिति आयेगी वहां आप सही निर्णय ही करेंगे। इस आधार पर जो इल्जाम लगाया गया है उसका निराकरण तभी हो सकता है जब समिति बनाई जाय और वह देख ले। वह कहते हैं कि इससे शक्ल बिगड़ जायगी। मैं नहीं समझ सकता कि कैसे शक्ल बिगड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

जायेगी। इसको दुरुस्त करने के लिये ही तो समिति बनेगी। मैंने स्वामी प्रसाद सिंह जी के बारे में पढ़ दिया था और मैंने कह दिया था कि मुझे पता नहीं कि यह सही है या गलत मैं कह दूंगा कि मुझे खेद है।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं कहता हूं कि वह बिलकुल गलत है, आप खेद प्रकट कीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह तो जब मौका आयेगा, तब मैं कहूंगा। एक समिति बनाई जाय और उसके सुपुर्द यह मामला किया जाय ताकि भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इजाजत है बोलने की ?

श्री अध्यक्ष—

जी हां, आप बोलिये।

श्री राम मूर्ति—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी बात को मानें, जो मेजारिटी कहे। यह कांग्रेस पार्टी है, महात्मा गांधी के वसूल के मुताबिक यह दल बना हुआ है, जब कोई मसला आता है तो पहले ही सोच लेते हैं कि जो मजारिटी पार्टी है वह जो चाहेगी, वही होगा। यह सोचना कि हमारी मजारिटी है, यह ठीक नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हाऊस की इज्जत बने।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नेता विरोधी दल के विरुद्ध जो कल श्री प्यारे लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने अपने भाषण में आरोप लगाये थे, उनकी जांच के लिये सदन की एक कमेटी गठित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी।)

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आज यह साबित हो गया कि सरकार जांच नहीं कराना चाहती है, चाहे हमारे खिलाफ हो, चाहे उसके खिलाफ हो।

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

बजट का क्या होगा ? ३ बजे वोटिंग होनी थी। चौधरी साहब अपनी तीन और साढ़े तीन घंटे की तकरीर रखी और मुझे उनके विद्वतापूर्ण भाषण का उत्तर देने के लिये कम से कम घंटा सवा घंटा चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

समय बढ़ा देंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस समय तक चलना था उसके मुताबिक मुझे डेढ़ घंटे का समय दे। इसके बाद जो बजट आज आना था।

श्री अध्यक्ष--

रात में बैठेंगे और फिर क्या हो सकता ? स्वास्थ्य का बजट है। जितना समय इसमें लगेगा।

(घंटी बन्द होने पर)

दरवाजा बन्द करें। उधर से कोई न आने पावे।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर सदन के विभाजित होने पर निम्नलिखित मतानुसार प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--८१

अंगने लाल, श्री
अठई राम, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
उमानाथ, श्री
एदल सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
काली चरण यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चरण सिंह, चौधरी
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जमना प्रसाद बोस, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
तीरथ राम कोहली, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
पूरन लाल, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)

महेन्द्र सिंह, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम जनम राय, श्री
राम नाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम स्वरूप, भारतीय, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
विश्राम, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्री नारायण श्री (उर्फ भुलई भाई)
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यप्रकाश मालवीय, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री

विपक्ष में—१३४

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गया सिंह, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपूरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जयराज गौतम, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री

धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मलखान सिंह सैंनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह मदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टन
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
लोक पति, श्री

विद्याधर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
सच्चिदानन्द वाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

इलाहाबाद विश्वविद्यालय चुनाव से सम्बन्धित राजस्व मंत्री के तथाकथित पत्र के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का स्पष्टीकरण

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, कल जब मैं यहां सदन में नहीं था तो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने एक पत्र इस आशय का पढ़ा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो चुनाव हो रहे हैं छात्र संघ के, उसमें मैंने १० हजार रुपये माननीय मुख्य मंत्री की ओर से दिये और एक बधाई का पत्र आदि दिया। कोई पत्र उन्होंने यहां पढ़ा। मुझे बड़ा दुख है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, कि बिना उसकी जांच किये उन्होंने ऐसे गलत आरोप मेरे ऊपर लगा दिये। मैं निवेदन कर दूं कि मेरा कोई संबंध उससे नहीं है, वह पत्र बिलकुल असत्य है, माननीय माधव प्रसाद जी ने किसी तरह से वह पत्र मेरे नाम से कहीं टाइप ..... (व्यवधान) ... किया हुआ है लिया है और उसमें मेरे दस्तखत बना लिये हैं। यह हो सकता है कि जनसंघ पार्टी ने राजस्व विभाग से कोई पत्र पा लिया हो। न तो विश्वविद्यालय के छात्रसंघ से मेरा कोई संबंध है न कोई रुपया मैंने दिया, न मुख्य मंत्री जी ने किसी को धन्यवाद दिया (व्यवधान) न कोई उसकी जरूरत थी। मैं तो उस विश्वविद्यालय में पढ़ा नहीं हूं और न आज तक वहां गया हूं। तो हमारे इतने जिम्मेदार जनसंघ के नेता ने जो कुछ कहा था—हर पार्टी का लीडर जो है अगर कोई माननीय सदस्य उसे कोई पत्र देता है तो पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिये और उनको मुझसे बात कर लेनी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि यह मेरे ऊपर बड़ा अन्याय हुआ है और मेरी प्रतिष्ठा की बात है। कई अखबारों में मुझे यह पढ़ने को मिला। उनकी यह मंशा हो सकती है कि भूतपूर्व राजस्व मंत्री जी उनकी पार्टी के रहे उनका पैड उनको मिल गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, जो चौधरी साहब के कैबिनेट में रह चुके हैं, मैं तो इलेक्शन पेटीशन के सिलसिले में १०–१२ दिन से इलाहाबाद में था। हो सकता है कि राजस्व मंत्री के पैड पर मेरे नाम से उन्होंने पत्र लिखा हो। इसलिये मुझे इस बात का क्षोभ है। यह बिलकुल असत्य बात कही गयी है। मेरा पत्र बिलकुल नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, ठीक ही कहा है। मैंने तो कल ही कह दिया था कि कोहली साहब उस पत्र को लेकर आए और उन्होंने मुझे वह पत्र दिखलाया और उस पत्र को लेकर मैंने पढ़ दिया। अब वह पत्र उनके पास कैसे आया, कहां से आया। इस तथ्य पर तो वही प्रकाश डाल सकेंगे। मैंने तो केवल इस पत्र को पढ़ कर सुना दिया। उसी वक्त मैंने कहा था कि जातीय तौर पर मेरी कोई जानकारी नहीं है जो जानकारी कोहली साहब को है उसे वही बतलायेंगे। और जो कुछ बात माननीय मंत्री जी ने कही है उसको मैं हंस कर टाल देता हूं।

(व्यवधान)

(श्री तीरथ राम कोहली के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपने बगैर इजाजत लिये यहां पर एक कागज दे दिया और वह भी बिना जानकारी किये हुए। मैं इस पर आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। (व्यवधान) पहले आप उसका जवाब दें?

(व्यवधान)

मैं इस पर इजाजत नहीं देता हूं। मैं इस पर मौका नहीं दूंगा। मैंने आप के नेता को वक्त दे दिया। एक को वक्त दे दिया। मुझको बिना दिखलाये उन्होंने एक पत्र पढ़ दिया। मैंने भी देखा है। उस पर श्री स्वामी प्रसाद सिंह का दस्तखत है।

(व्यवधान)।

मैंने एक को मौका दे दिया। अब समय नहीं है।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

मुझे जवाब तो देने दें।

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण के ऊपर जवाब देने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, किसी बात का जवाब तो होना चाहिये। क्योंकि उनको तथ्यों की जानकारी है, इसलिए उनको तथ्य बतलाने का अवसर दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं कोई तफतीश नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष]

माननीय कोहली साहब को पहले मुझे उस पत्र को दिखलाना चाहिये था। मुझे बगैर दिखलाये हुए उसे क्यों पढ़ा दिया गया ? यह क्या है कि कोई माननीय सदस्य जब जी चाहे किसी माननीय सदस्य के ऊपर आरोप लगा दें और मुझे दिखलायें तक नहीं ?

(व्यवधान)

यह कोई तरीका है ? मैं तो कर चुका जो कुछ करना था। मैं इस तरह से हर सदस्य को गलत पत्र पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता। अभी मैं इसके ऊपर निर्णय नहीं देता हूं। बिना जानकारी किए हुए उस पत्र को पढ़ दिया गया जब कि बिना जानकारी किए हुए उसे नहीं पढ़ना चाहिए था।

अब मैं आगे चलता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायेगा। माननीय नेता विरोधी दल.....

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

आप बोलने का मौका नहीं देंगे तो हम हाउस को चलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं कि आगे काम न हो ? पत्र आपने पढ़ दिया, जो कुछ कहना था आपने कह दिया। अब क्या चाहते हैं ?

श्री मोहन लाल कपूर—

मुझे बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका है ? नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री मोहन लाल कपूर—

यही तरीका है।

(व्यापक शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप तो कह चुके, स्पष्टीकरण का मतलब यह नहीं होता है।

श्री तीरथ राम कोहली—

आप २ मिनट का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष—

इजाजत नहीं है।

श्री मोहन लाल कपूर—

कल उन्होंने कहा था कि जांच करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

नहीं इस तरीके से नहीं। यह कोई ढंग नहीं है। माननीय कोहली जी ने बिना सूचना दिये, प्रश्नात्मक ढंग से एक चीज पढ़ी है। उनको पढ़ना नहीं चाहिये। अगर वह

मेरे पास आते तो मैं उनको बता देता। उनकी बहुत चिट्ठियां आती हैं, बहुत अधिक इसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है। सवाल तो मेरी भी समझ में नहीं आता। आप तो 'आउट बर्स्ट'—आप से वह सारे जुड़े हैं। आप नाराज क्यों हो जाते हैं?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा, आरोप लगाये, ... मैं नाराज नहीं।

चौधरी चरण सिंह—

हाउस आफ कामन्स में स्पीकर स्पीक्स द लीस्ट।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मेरी सलाह यह है कि चौधरी साहब को अधिष्ठाता मंडल का मेम्बर बना दूं, थोड़े दिनों के लिये हाउस को चलाने की जिम्मेदारी चौधरी साहब को दे दीजिये। बहुत अच्छा चलायेंगे। ..... (हंसी) ..... (कई सदस्यों ने साथ-साथ बोलना शुरू कर दिया।)

चौधरी चरण सिंह—

फिर निकाले जायेंगे।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

अगर चौधरी साहब चलाना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूं, इस कुर्सी पर।

(व्यापक शोर)

मैं चौधरी साहब को चुनौती के साथ कहता हूं कि वह अपनी सम्मति दें। मैं हट जाऊंगा, यहां से।

(कई माननीय सदस्य जोर जोर से बोलने लगे—शोर)।

मैं नहीं चलाऊंगा, वैसा जैसा कि वह चाहते हैं। हर चीज में आप दबायें। हर एक चीज का अधिकार जतायें। यह अनादर है। कदम-कदम पर आप अकड़ते हैं। यह अनादर है।

श्री तीरथ राम कोहली—

मुझे थोड़ा सा मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, इजाजत नहीं है।

श्री मोहन लाल कपूर—

अध्यक्ष महोदय, आप भी नाराज होकर हम लोगों को दबाना चाहते हैं। हमको दबाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब के बाद मैं आपको दावत देता हूं कि आप आइये और स्पीकर बन जाइये। मैं अब एक मिनट भी .....

श्री मोहन लाल कपूर—

आपने मंत्री जी को मौका दिया।

श्री अध्यक्ष—

बराबर आप कहते जा रहे हैं। आप अधिकार पूर्वक, अपनी इच्छानुसार इजाजत लेंगे—मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मोहन लाल कपूर—

उनको क्यों दिया है ? (कई सदस्य बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। आपको दूसरा स्पीकर बनाना पड़ेगा। जरा भी लिहाज नहीं है। मैं इजाजत नहीं देता।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हद हो गयी है। मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया, अब आप कृपा करके आसन ग्रहण करें।

श्री तीरथ राम कोहली—

मेरी बात सुन तो लें ..... मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं इजाजत नहीं है। माननीय कोहली साहब इस तरह से इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आप जरा बैठ जाइये।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नेता विरोधी दल को पुकारने पर)

श्री तीरथ राम कोहली—

यह जो पत्र है .....

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता, आप लिखकर दीजिये।

श्री तीरथ राम कोहली—

मैंने लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आपने लिखकर नहीं दिया है, वह कापी है।

आप लिखकर दीजिये। आप इस तरह से सदन की महिमा को घटायेंगे और बगैर कहे आप कोई सूचना देंगे तो जरूर मैं इसको टोकूंगा।

श्री मोहन लाल कपूर—

उन्होंने कौन सी सूचना दी है। मंत्री जी ने क्या आपको लिखकर दिया है ? मंत्री जी ने कौन सी सूचना दी थी ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, इस तरह से नहीं ।

श्री मोहन लाल कपूर--

आपने कमाल कर दिया । मंत्री महोदय ने कौन सा दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, इजाजत नहीं है ।

यदि आप (श्री मोहन लाल कपूर) नहीं बैठते हैं तो कोहली साहब को इंगित करूंगा कि बैठ जायं ।

(श्री तीरथ राम कोहली नेता विरोधी दल के कहने पर बैठ गये ।)

श्री मोहन लाल कपूर--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

१९७५-७६ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १८-सचिवालय, अनुदान संख्या १९-जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१-पुलिस, अनुदान संख्या २५-अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा अनुदान संख्या ३-मंत्रि परिषद्

(क्रमगत)†

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मुझको अफसोस है कि कल मैं अपने भाषण के बाद यहां से चला गया । मैं बहुत थक गया था यह कारण था । दोस्तों से कह गया था कि ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से कितना सुचारु रूप से शासन चल रहा है और पुलिस किस स्वच्छता से काम कर रही है, उसके हक में जो व्याख्यान हों उसको नोट कर लेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं झगड़े में पड़ गया, मुझको बोलने का मौका ही नहीं मिला । रात भर जागा और दिन में गायब हो गया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, यदि सदन का समय बढ़ा दें तो अच्छा हो जाय ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, अधिष्ठाता मंडल में यदि चौधरी साहब को रख लें तो हाऊस भी ठीक से चलायेंगे और बोलने का समय भी मिल जायगा ।

श्रीभगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, समय को बढ़ा दें और मुझे भी बोलने का समय दें ।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि श्री भीखालाल जी को समय दें । मुझको २ मिनट चाहिये । जो भी मुकर्रर किया हो उसको समय दे दें । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

---

†२१ अप्रैल, १९७५ की कार्यवाही से ।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है, कल पहल करते रहे कि हमारे दल को समय मिल जाय लेकिन नहीं मिला। नेता विरोधी दल जवाब देंगे और फिर नेता सदन देंगे। तो हम लोग जो कहना चाहते थे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तो उससे वंचित हो रहे हैं। इसलिये चाहता हूं कि हमारे दल को समय दें।

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)--

मान्यवर, मैंने सुबह आपके कमरे में जाकर कहा था कि हमारे जिले में एक ऐसी विशेष घटना हो गयी है जिस पर आपने आश्वासन दिया था कि मौका देंगे। इसलिये आप समय हमें दे दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने बहुत सोचा था, लेकिन इतना समय हो गया है और नेता विरोधी दल बोलेंगे तथा और भी मांग होने लगी है।

*चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं रामायण राय जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनके मुताबिक यह शासन पहले शासन के १९६७ या १९७० के मुकाबले में बेहतर चल रहा है। यदि ऐसा ख्याल न हो तो हो सकता है कि कोई परेशान हो जाय। इसीलिये उस पार्टी के मेम्बर हैं और उसी की सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिये जो चश्मा लगाया गया है वह उन्हीं को मुबारक हो।

मान्यवर, मैं समझता था कि माननीय कमलापति त्रिपाठी का जो शासन था that was the last word of inefficiency and corruption. आखिरी शब्द मैं उसे मानता था। लेकिन यह मेरा मुगालता था और यह जो शासन देख रहा हूं उसमें कोई बेहतरी पैदा नहीं की है। हो सकता है कि कुछ नीचे की तरफ गया हो। कल जो माननीय सदस्य बीच में दखल दे रहे थे उनका नाम शायद बाजपेयी जी है। उन्होंने कहा कि दीक्षित जी ने मुझे पत्र लिखा है। हो सकता है लिखा हो, मुझे याद नहीं। लेकिन टेलीफोन जरूर आया है कि मैंने जो बातें कहीं हैं वह गलत है। मैंने उनसे कह दिया कि आ जाओ बातें हो जायेंगी। जहां तक उनके पत्र लिखने की बात रही, मेरे पास अब भी ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण पत्र पड़े हुये हैं जिन्हें मैंने अभी भी खोल कर नहीं देखा है। लेकिन मैंने जो कहा उसका जवाब नहीं आया, उन्होंने जो पत्र लिखा यह मैटर नहीं करता। सवाल यह है कि गवर्नमेन्ट क्या कर रही है और वह जवाब गवर्नमेन्ट की तरफ से आना चाहिये। मैं चार्ज लगाता हूं कि उनके इशारे पर, उनकी पोजिटिव स्कीमिंग से सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन ठप्प हो गया है उन्नाव का, वहां पर अन्याय हो रहा है। यह मेरा चार्ज है और ऐडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसका जवाब आना चाहिये। अगर मैंने उन पर चार्ज लगाया है तो चार्ज ऐडमिनिस्ट्रेशन पर लगाया है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन कितना जेरे असर है।

अध्यक्ष महोदय, रामायण राय जी ने दो-तीन बातें कही हैं। पहली बात तो यह है कि वह विरोधी दल के लोगों की बातें सुनते हैं। हमारी शिकायत यह है कि वह हमारी बातों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को नहीं सुनते और वह जानते हैं कि अपने लोगों की वह कितनी शिकायत सुनते हैं। अगर हमारी बातें सुनते हैं तो उन्हें बरदाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन यह बात वही जानते हैं कि जो कांग्रेस वाले कहते हैं वह सुनते हैं। एक बार बात आई कि मुरादाबाद के इन्जीनियर का ट्रान्सफर क्यों नहीं ११ साल के बाद, तो वह कहते हैं कि एम० एल० ए० नहीं चाहते। वह कांग्रेस एम० एल० एज० ही हैं जो नहीं चाहते। आज कांग्रेस मैन का इन्टरफीयरेंस ही है इन सब खराबियों की जड़ में। आज जितना कांग्रेस वाले चाहते हैं बहुगुणा जी कर रहे हैं और इसलिये खराबी है।

एक बात कही गई कि बाजरा काण्ड की पत्रावली दिखा दी गई। लेकिन यह बात नहीं कही गई कि उसमें कांग्रेस एम० एल० ए० भी शामिल थे। आपने पत्रावली दिखाकर कोई रियायत नहीं की, वह हमारा हक था।

एक बात चरित्र हनन की कही गई। मैंने जो व्याख्यान दिया है उसमें मैंने कौन सा चरित्र हनन का आरोप लगाया है। चरित्रहनन का कायदा तो आपका है क्योंकि आपके पास मेरिट नहीं है। आज जो काण्ड हुआ क्या वह चरित्र हनन का नहीं था। पार्लियामेंट में आज दो कांग्रेस एम० पी० ने जो चार्ज लगाया है क्या वह चरित्र हनन नहीं है। मैं जानता हूं कि कौन लोग वह चार्ज लगवा रहे हैं। जिनका भी हाथ इसके पीछे होगा उन्हें यह मालूम नहीं था कि मामला इस हद तक पहुंच जायगा और वह खुद ही एक्सपोज हो जायेंगे। चरित्र हनन कोई किसी का नहीं कर सकता। अगर निर्मल चरित्र है तो कोई उसका हनन नहीं कर सकता, जैसा कि कोई सजज्न कह रहे थे कि किसी से कोई बात छिपती नहीं।

मैंने जो कल कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात कही थी तो मेरा मतलब यह था कि कानून बने और उस पर अमल करे यह ब्यूरोक्रेसी का काम है। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी का आदमी है उसके साथ रियायत बरती जाय और दूसरे के साथ सख्ती बरती जाय तो उसको मैं कमीटेड ब्यूरोक्रेसी कहता हूं। कांग्रेस वालों के साथ रियात करना, उनके चुनाव में सारा ट्रान्सपोर्ट लगा देना और इस हद तक करना कि बैलेट के बक्से बदल दिये जायं तो यह सब क्या है? एक बात उन्होंने कही कि टेक्निक बदल रही है। मैं मानता हूं कि क्राइम्स दूसरे देशों में भी बढ़ रहे हैं।

मैं तो पहले भी कहता था कि पुलिस पर्सनल की तादाद कम है और कुछ कानून में भी खराबियां हैं। नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना है। मैंने तो पढ़ा नहीं लेकिन वकील लोग कहते हैं कि इससे तो और क्राइम्स बढ़ेंगे। पुलिस परसोनेल का कम होना कानून की खराबियां–यह पब्लिक हैंडीकैप्स हैं। लेकिन और जो खराबियां हैं वह गवर्नमेंट के एटीटीयूड की वजह से हैं। विद आल ओनर टु एस० ओ० श्री पाण्डे, मैं फिर कहता हूं। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस चाहते थे कि फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाय। एस० ओ० इससे इंकार कर देता है और उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। यह एस० ओ० डायरी में लिख देता है जो कि उसको अधिकार है कि एस० पी० ने फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए कहा और मैंने इससे मना किया इसलिए ट्रान्सफर हो गया। क्या यह एस० ओ० जो एस० पी० के मातहत है गलत लिखता है। हो सकता है यह जो सूचना मुझे मेरे दोस्तों ने दी, गलत हो। लेकिन मुझे कई और केसेज मालूम हैं कि मिनिस्टर और एम० एल० एज० के खिलाफ लिखा।

[चौधरी चरण सिंह]

बाद में तो एक एम० एल० ए० को मिनिस्टर बना दिया गया। मैं जिले का नाम नहीं लेता। जो एम० एल० ए० बदमाशों को सपोर्ट करते थे उनको मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने एस० ओ० का ट्रान्सफर कराया क्योंकि उसने उनको सपोर्ट नहीं किया। उस एस०ओ० ने लिख दिया कि मेरा ट्रान्सफर इसलिये हुआ क्योंकि मैंने कांग्रेस एम० एल० ए० को सपोर्ट नहीं किया।

पुलिस तो आर्गनाइज्ड फोर्स है। जैसा मिनिस्टर होगा वैसी पुलिस फोर्स होगी। उसकी लीडरशिप ट्रिकिल डाउन कर जायगी फ्राम टाप टु कांस्टेबुल। रामायण राय जी ने कहा कि मजदूरों के साथ अन्याय किया, स्त्रियों को पिटवाया, स्टूडेंट्स को पिटवाया। लेकिन जो कुछ कल मैंने कहा उसका यह कोई जवाब नहीं हुआ। यह सब तो इलेक्शन के जमाने में कहना।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

क्या यह गलत है ?

चौधरी चरण सिंह--

बिलकुल गलत। पहली बात यह कि यह सवाल उठता ही नहीं। जो क्रिटीसाइज किया है, उसके बारे में बतलाते। अब यह क्या कि चौधरी साहब ने औरतों को पिटवाया, लड़कों पर गोली चलवायी। यह कोई चार्ज नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया। और आज देखें कि इस सरकार के जमाने में क्या स्थिति है। विद्यार्थी सम्भाले नहीं सम्भलते। एजूकेशन का सत्यानाश हुआ। कोई स्कूल कालेज ठीक से नहीं चल रहे और कोई मेहनत नहीं होती वहां। आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते होंगे और आप सोच सकते हैं कि कोई संतोष नहीं है आपका। तो मैं चाहता था कि बच्चे बिगड़े नहीं, डिसिप्लिन में रहें, मेहनत करें और पढ़कर डी०एम० बनें, एस० पी० बनें, साइन्टिस्ट बनें, लेफ्टीनेंट जनरल हो सकें, डाइरेक्टर हो सकें। उन सबको आपने बिगाड़कर रख दिया।

तो दो साहबान बोले थे, और दोनों का जवाब मैंने दे दिया। इससे ज्यादा वक्त सदन का मैं नहीं लूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, ऐसा पहले हुआ, मुझको ठीक ख्याल है, सचिव महोदय बतायेंगे, कि जब बजट सेशन में लोग बोलना चाहते थे और लोगों को समय नहीं मिला समयाभाव के कारण या मंत्रियों के बोलने के कारण, तो ऐसा कहा गया कि प्वाइन्ट लिखकर दे दो और वह बजट स्पीच का पार्ट बन जायेगा। अगर मैं ठीक न कह रहा हूं, तो मुझको करेक्ट कर दें। मान्यवर, मुझको बोलने का समय नहीं मिला अब इसका क्या कारण हो, मैं नहीं जानता।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, मैं आपकी बात पर विचार करूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाये कुछ कह ही नहीं पाये।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो विचार प्वाइन्ट लिखकर देने के बारे में व्यक्त किये हैं, मैं उस पर न भी अपनी विमति और न सहमति दे सकता हूं, लेकिन विचार उस पर करूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल ने कल अपने लगभग तीन घंटे के भाषण में कुछ तो प्रशासन के संबंध में बुनियादी बातें कहीं थीं और कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये अनेक प्रकार से यह सिद्ध करने के लिये कि प्रशासन का स्तर न्याय और व्यवस्था की तुला पर नीचे उतरता आ रहा है। सबसे पहले, मान्यवर, उन्होंने जो मैंने अपने भाषण के इन्ट्रोडक्ट्री स्पीच पर २, ४ शब्द कहे थे, उसके सिलसिले में बड़ी व्याख्या की थी। मैंने यह कहा था कि सार्वजनिक सेवा में जो लोग लगे हैं, वे सरकारी कर्मचारी इस प्रशासन मशीन के केवल यन्त्र नहीं, परिवर्तन के यंत्र भी हैं। मैंने यह भी कहा था और मैं उसको दोहराना चाहता हूं, जब मैं यह कहता हूं कि उनमें कमिटमेंट होना चाहिये, तो मैंने यह नहीं कहा था कि कांग्रेस की नीतियों के प्रति, या भा०लो०द० की नीतियों के प्रति, या जनसंघ की नीतियों के प्रति, या किसी दल विशेष की नीतियों के प्रति कमिटमेंट होना चाहिये। मेरा स्पष्ट मत है, और था, कि इन सरकारी कर्मचारियों में अगर संविधान मे जो बुनियादी बातें की गयी हैं, उनके प्रति कमिटमेंट नहीं है, तो वह सरकारी कर्मचारी जो संविधान की कसम खाता है गवर्नर जिसके नाम पर राज्य चलता है, जो संविधान की सुरक्षा का प्रश्न है, वह समाप्त स्वयं हो जाता है।

मैं कुछ मोटे उदाहरण देता हूं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी छूत अछूत में विश्वास करता है और उस विश्वास के अनुरूप चालचलन रखता है तो मेरी दृष्टि में वह संविधान के विरुद्ध दोषी है और उसका कमिटमेंट संविधान के प्रति नहीं है और ऐसे व्यक्ति को सरकार की सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा अर्थ यह नहीं है कि हमारी कोई नीति विशेष हो उस पर हम कमिटमेंट चाहते हैं। चौधरी साहब ने तुरन्त इस बात पर जुडीशियरी के सिलसिले में कहा कि बहुगुणा तो कमिटेड सर्विसेज की बात करते हैं और उन्होंने सुपरसेशन आफ जजेज की बात भी कह दी।

मैं सदन का इतना समय नही लेना चाहता कि सुपरसेशन की पूरी बात कहूं लेकिन डेमोक्रेसी के सम्बन्ध में जितना जानता हूं चाहे अमेरिका हो, चाहे केनाडा हो, चाहे अस्ट्रेलिया हो अथवा ग्रेट ब्रिटेन हो जुडीशियरी के अन्तर्गत जजेज की नियुक्ति वहां कैसे होती है। इसके सम्बन्ध में मैं चौधरी साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। साथ ही जो कमिटेड जुडीशियरी का कंसेप्ट है चौधरी साहब का वह भले ही कुछ भी हो लेकिन रूजवेल्ट साहब ने अमेरिका में जो न्युडील दिया था उसकी ओर चौधरी साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं। रुजवेल्ट कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नहीं थे और जाहिर है न हमारी नीतियों के प्रतिपादन का उनके सामने कोई प्रश्न था लेकिन अमेरिका के जीवन में संक्रान्ति काल चल रहा था तो रूजवेल्ट साहब ने उस समय जो दृष्टान्त उपस्थित किया था जुडीशियरी कैसी होनी चाहिये उस सिलसिले में थोड़े से उदाहरण में जरूर चौधरी साहब के सामने रखना चाहूंगा। उसके साथ ही हिन्दुस्तान के महान जज पातंजलि शास्त्री ने राव वर्सेस गवर्नमेंट आफ मदरास के केस में जो अपनी रूलिंग में लिखा है जजेज की कैसे नियुक्ति होनी चाहिये, जज जब फैसला दे तो क्या चीजें उसके सामने होनी चाहिये और क्या चीजें होती हैं जो उसके फैसले को निश्चित करती है उनसे भी चौधरी साहब के उस प्रश्न का उत्तर मिल जायगा जो चार्ज के रूप में उन्होंने उठाया।

मैं जानता हूं चौधरी साहब एक विशेष नीति के पोषक हैं और मेरा उनसे उस नीति के सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि उस नीति के अनुरूप, अपने विचारों के अनुरूप चलने की शक्ति वह रखते हैं। जब पातंजलि शास्त्री ने जजमेंट दिया था तो जाहिर है कि वह उस समय कांग्रेस के मेम्बर नहीं थे, न हमारे किसी महकमे के कर्मचारी थे। 1952 का आल इंडिया

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

रिपोर्टर हैं, वाल्यूम ३९, पृष्ठ २०० पर पातंजलि शास्त्री का जजमेंट है उसका थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, हिन्दी में भी अनुवाद कर दूंगा

"It is inevitable that the social philosphy and the scale of Values of the judges participating in the decision should play an important part."

क्या मानी हुए ? वह कह रहे हैं कि "जज जब फैसला लिखता है तो उसका सोशल फिलासफी और उसका जो सामाजिक दृष्टिकोण होता है, जो उसकी फिलासफी है जिसके अधीन वह काम करता है और जो उसकी स्केल आफ वेल्यूज हैं, मान्यतायें हैं, उन मान्यताओं के अनुरूप वह फैसला देगा। इसके मानी यह हुए कि जज की नियुक्ति के समय इस फंडामेंटल को भी देखना होगा कि उसकी स्केल आफ वेल्यूज क्या हैं। अगर यह नहीं देखा जाता है तो यह बात स्पष्ट है कि जिस बुनियाद पर आप समाज बनाना चाहते हैं वह बुनियाद नहीं बना सकेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह तो सर्वमान्य बात है कि संविधान के अनुच्छेद १२४ के अन्तर्गत प्रेसीडेंट को अधिकार है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की राय से जजेज अथवा चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे। अब धारा १२४ में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि सीनियारिटी से ही होगा जूनियर नहीं हो सकेगा, यह भी प्रतिबन्ध नहीं है कि बाहर से नहीं आ सकेगा।

मान्यवर, अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में मिनिस्टर्स जो इलेक्शन में हार गये उनको जज बनाने के उदाहरण मैं पेश कर सकता हूं। अटौर्नी जनरल जो कि मिनिस्टर की हैसियत का होता है उसको सुप्रीमकोर्ट का जज बनाया गया। रूजवेल्ट जो कि एक प्रसिद्ध जज हुये हैं, जस्टिस वारेन उनके सहयोगी और समर्थक थे। आइजन हावर जो रनिंग मेट थे, वाइस प्रेसीडेन्शियल कमेटी के उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। मेरा यह अर्थ नहीं है कि हमने नहीं बनाये। हमसे भी एक बार भूल हुई कि हमने जस्टिस हेगड़े को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जिस पर कि चौधरी साहब आंसू बहा रहे थे। भगवान न करे, उनको फिर किसी भी रास्ते वहां जाने दे। ये भी उन तीन जजेज में से एक थे। यह कहना कि हिन्दुस्तान जुडीशियरी कमिटेड है—अभी ये जस्टिस ए० एन० रे चीफ जस्टिस हैं, जो हमने न्यूज प्रिंट कंट्रोल आर्डर किया उसको उन्होंने रद्द किया, मीसा कानून को रद्द किया। तो यह कहां हुआ कि जैसा हम चाहेंगे वैसा फैसला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो तीन जजेज थे उनकी जुडिशियल फिलोसफी तो तब खुली जब वे बाहर आ गये और उन लोगों के पक्ष में बोलने लगे जिन लोगों को उन्होंने सेवा की, जिन लोगों के साथ वे बैठे और जिनकी तरफ से वे चैम्बर में कार्य कर रहे हैं। क्या यह बात सच नहीं है कि हमारी पार्लियामेंट और हमारे सुप्रीम कोर्ट के बीच गोलकनाथ के मुकदमें में कन्फेन्टेशन की स्थिति पैदा कर दी गई थी। जिस वक्त संविधान बन रहा था उस वक्त जवाहर लाल जी ने कहा था कि यह थर्ड चेम्बर नहीं है। नीति सम्बन्धी फैसले सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं होंगे। यही बात रूजवेल्ट साहब ने कही है। कुलदीप नायर की एक पुस्तक है जिसमें इस बारे में साफ-साफ लिखा हुआ है। मैं चौधरी साहब को सजेस्ट करता हूं कि वे इसे देख लें। उनसे तो उनकी शिकायत नहीं हो सकती है। वे उनसे कमिटेड हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ ७४ से लेकर पृष्ठ १०१ तक वे देख लें ·····

चौधरी चरण सिंह—

आप कुलदीप नायर की सभी बातें मानने के लिये तैयार हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जो बातें रूवेल्ट साहब ने कहीं हैं, उनमें सार है। उनकी सारी बातें मैं नहीं मानता हूं और न ही सारी बातें रिजेक्ट करता हूं। उसी तरह से न आपकी सारी बातें मानता

हूं और न ही सारी बातें रिजेक्ट करता हूं। इसलिये चौधरी साहब को आशंका है। जाहिर है ऐसा कमिटमेंट हमारा नहीं हो सकता। प्रगति विरोधी तत्व जो देश में हैं, जो यथास्थितिवाद चाहते हैं। प्रगति के पद–चिन्ह जिस तरफ जाने में खतरा समझते हैं उसी तरफ चौधरी साहब के चरण भी फिसल कर उनके साथ मिल गये हैं। उनको कष्ट होता है, आशंकायें हो सकती हैं लेकिन कांग्रेस का सिपाही चौधरी चरण सिंह यथास्थितिवाद से छुटकारा लेगा और नये जीवन और नई दृष्टि से संग्राम में उसी प्रकार उतरेगा जिस प्रकार बापू के संग्राम में एक बार पहले उतरे थे। देश जा रहा है शिखर की तरफ। जो देख सकता है देखें, बहुतों को आंखें दी हैं लेकिन देखना नहीं चाहते, बहुतों के कान हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। बहुतों को मुंह भी दिया है लेकिन वह सही बोलना नहीं चाहते। तो मैं लाचार हूं उसका मेरे पास इलाज नहीं है।

अब एक चार्ज चौधरी साहब ने लगाया रायबरेली में इंदिरा जी ने कहा जितने पत्थर लगाये हैं वह मैंने मुख्य मंत्री को पूछ कर लगाये। और चौधरी साहब को तो शक है कि वह पत्थर गायब हो चुके हैं। तो मैं पढ़ कर बता देना चाहता हूं कि कोई पत्थर गायब नहीं हुए हैं। उन सब पर एक के बाद एक काम हो रहा है। आप अगर सुनना चाहते हैं तो मैं पढ़ दूं। आप चाहते हैं या नहीं लेकिन हमारा प्रदेश प्रगति की तरफ जा रहा है यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक पत्थर नरोरा में लगाया था तो उसमें दो करोड़ से ऊपर केन्द्र सरकार ने प्रोवाइड कर दिया है और वह शुरू हो गया है। पत्थर लगाने के दिन भी कहा था कि छठी योजना के आखीर तक जन्म ले लेगा।

दूसरा मान्यवर, यह कहा गया कि साहब कालपी में पुल बनना था तो जालौन में पुल बन रहा है उसमें ३९ लाख १९७४ में खर्च हो चुका है। इसके बाद मान्यवर, भारत हेवी इलैक्ट्रिकल गाजियाबाद का इनागुरेशन हो गया है। इन्डियन स्विच फैक्ट्री, रायबरेली में भी उत्पादन शुरू हो गया है आप जाकर देख सकते हैं आपके लड़के वहां पर ट्रेनिंग में लगे हुए हैं और हैंगर में काम शुरू हो गया है। उसके बाद मान्यवर, सहादरा-सहारनपुर रेलवे लाईन के काम के लिये दो करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। वह पारसाल भी रेलवे बजट में था और इस साल भी रेलवे बजट में रखा गया है। फिर शारदा सहायक योजना के लिये गोमती पर एक्वीडेंट हेतु ८ करोड़ का खर्च है जिसमें ३ करोड़ खर्च हो चुका है। फैजाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी तो मुझे खुशी है केन्द्र से उसकी सहमति आ गई है। आई० सी० ए० आर० की सहमति दे दी है यह मुझे टेलीफून पर बताया है कि स्वीकृति आ गई है उसमें हमारे आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी शेष काम कर रहे हैं जो उसके लिये वहां हैं।

यमुना पम्प कैनाल में काम बड़ी तेजी से हो रहा है उसको कोई भी देख सकता है। हरिपुर रिजरवायर में ७३ लाख इस साल रखा है परसाल जो खर्च हुआ उसकी सूचना आपके सामने है ही। एक बात और मान्यवर यह कही गई कि ४ शुगर फैक्ट्रीज बननी थी। तो इन चार शुगर फैक्ट्रीज के सिलसिले में आर्डर हो गये हैं तीन फैक्ट्रीज, में तो ३१ दिसम्बर, १९७५ से पहले प्रोडक्सन में आ जायेंगी। और चौथी फैक्ट्री को बात भी अपनी जगह पर आगई है।

५ स्पिनिंग मिलों के सारे प्लान वगैरह क्लीयर हो गये हैं तो वहां भी काम जोरों से चला है। ओवरा थरमल प्लांट का स्टेज वन १०० मेघावाट में काम शुरू हो गया है बाकी जो भी है उस सिलसिले में सिविल वर्क तेजी में है इक्वीपमेंट आ गये हैं और इंस्टाल हो रहे हैं। तो मान्यवर किस-किस को कहूं जितने भी काम थे वह हो रहे हैं। पाठा ड्रिंकिंग वाटर स्कीम में ९ जनवरी से काम शुरू हो गया है। आर्कलोजिकल म्यूजियम,

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

मथुरा का इनागुरेशन हो गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी होस्टल की जो बात है वह ब्यायज हास्टल १९७२ से चल रहा है न्यू ब्लाक मेहता होस्टल का भी इनागुरेशन हो गया है.....

श्री शतरूद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आप बाद में पूछ सकते हैं। हमने तीन घंटे तक चौधरी साहब को सुना और एक भी हमारी तरफ से बीच में नहीं बोला। आप नोट कर लें जो पूछना होगा बाद में पूछ सकते हैं। चौधरी साहब ने एक बात और कही उनका मतलब यह था कि हम लोग झूठ बोलते हैं। शब्द तो उन्होंने प्रयोग नहीं किया।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने कहा ऐसा उन्होंने कहा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हमने मिल कर प्रधान मंत्री के सहयोग से पूरा किया है और पूरा कर रहे हैं। एक आस्पेक्ट और चौधरी साहब ने यह कहा कि वह जब चीफ मिनिस्टर हुए थे, तो बहुत सारे अफसरों को निकाला था किन्तु वह सब फिर वापस हो गये। पहली बात तो यह सही नहीं है कि सब वापस हो गये। जिनको निकाला था, उनमें से ११ आदमी ऐसे हैं, जो कि कम्पलसरी रिटायर किए गए, पर गये, प्रासीक्यूशन में केस हैं, डिसमिशल के बाद केस कोर्ट में चल रहा है या ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जिनकी चीजें विचाराधीन हैं और विजीलेंस कमीशन और ऐडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जानकारी मौजूद है। मैं चौधरी साहब को उन सबके अलग-अलग केस वाईज नाम दे सकता हूं। श्री ए० चेट्टी पी० सी० एस० कम्पलसरली रिटायर्ड, बी० एन० कंसल, पी०सी०एस०, डिशमिस्ड बट प्रासीक्यूशन इन कोर्ट कान्ट्न्यि, एच०सी० अग्रवाल डी० एस० ओ० डाइड। आर० सी० अग्रवाल, ई० ई० और इसी तरह से वाई० आर० गुप्ता, ई० ई० तथा आर० एस० गुप्ता, जगन्नाथ शर्मा तथा छंगालाल, लेखपाल हैं, जिनके केस कोर्ट में चल रहे हैं जो डिसमिस हुए हैं उनके नाम बी० एन० कंसल और कुलश्रेष्ठ हैं...

चौधरी चरण सिंह--

रिटायरमेंट के तो आर्डर मैं ही कर गया था, उनमें से दो को आपने रिएप्वाएन्ट कर लिया। ४९ सस्पेंड किये थे, जिनमें से ३८ रिइन्स्टेट हो गये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मेरे पास १४ प्लस ११ आदमियों–टोटल २५ आदमियों की एक सूची है, जिनको मुअत्तल किया और जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही चली थी। उनके सबंध में मैंने कहा जब उनके पास गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो-जो ऐक्शन लिए वह आपके सामने हैं प्रासीक्यूशन भी आपके सामने हैं। मैं हर एक–छोटे छोटे अधिकारी की बात नहीं कह रहा हूं। जहां तक ताल्लुक बाकी लोगों का है, जो १४ आदमियों की एक लिस्ट है, जिसमें तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, सिविल सर्जन, एक्जीक्यूटिव इजीनियर हैं और एक जूनियर एसोशिएट पी० आर० ए० आई० का भी है और एक आई० पी० एस० और आई० ए० एस० हैं। उन्होंने कह दिया कि त्रिपाठी जी की सरकार ने कर दिया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इनमें से एक के बारे में तो गवर्नर रूल में हुआ, जब त्रिपाठी जी थे नहीं यानी जुलाई १९७१ में। यों ही किसी का नाम रख देना वाजिब नहीं है। जो रखे गये, उनका सस्पेंशन किया था, केस नहीं बना तो वे रिइ-

न्स्टेट हो गये। सस्पेंशन फाइनल डिसमिशल नहीं होता है। जिनके ऊपर केस नहीं बना, उनके खिलाफ सरकार जोर–जबर नहीं कर सकती थी। एक बात उन्होंने हमारे मुख्य सचिव के बारे में भी कही (व्यवधान) मैंने पहले कहा था कि चौधरी साहब सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं चूंकि हमसे इतना नाराज हैं। निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान) मैं सही निवेदन कर रहा हूं, आपको दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, आजकल तो क्या करूं? उन्होंने यह मुख्य सचिव के बारे में शिकायत की कि––

चौधरी चरण सिंह––

मुख्य सचिव की नहीं आपकी की।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

इस अफसर को एक्शटेंशन दिया है और आई० जी० पुलिस को दिया है और कहा कि यह ऐसे अफसर थे जब वह चीफ मिनिस्टर चौधरी साहब हो गये, तो श्री शिवराजसिंह उनके पास केस लाए, उनको मुअत्तल कर दे और अधिकारी भी अपना पक्ष रख सके उनके सामने आप स्टाइल आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन देखिए। चौधरी साहब ने अपने नीचे के काम करने वालों को इन्डिकेट कर दिया कि मैं यहां तक जाना चाहता हूं। नीचे वाला अफसर कमजोर हो, तो कह दे कि हुजूर आपका निर्णय सर माथे पर। क्योंकि मुख्य मंत्री चाहे कोई बात तो उनके नीचे के लोग उसे और तेजी से करेंगे। लेकिन कुछ सनवाल साहब की किस्मत अच्छी थी और माननीय चौधरी साहब की कलम में दोष करने से बचने की चेष्टा कर दी और जो उसका परिणाम निकला उसको सुन लें। मैं यह पत्रावली सदन के किसी भी माननीय सदस्य, को अपने पक्ष में दिखा सकता हूं। वह आद्योपांत इस को पढ़ लें और इस निर्णय पर आजांय कि चौधरी साहब का निर्णय ठीक नहीं था। वैसे तो शिवराज सिंह जी की चौधरी साहब के बारे में राय बदल गई है। जिस समय वह मंत्रिमंडल से हटे उस समय उनकी राय अच्छी नहीं थी। थोड़े दिन पहले अच्छी थी। हम पोलिटिशियंस की तो फाइल्स बहुत कम होती हैं लेकिन सिविल सर्वेन्ट्स की फाइल्स मौजूद रहती हैं। सनवाल साहब के लिये चौधरी साहब ने कह दिया कि उनमें क्या खास बात थी। मैं थोड़े से शब्दों में बता देना चाहता हूं कि वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बी० एस० सी० फर्स्ट क्लास थे, लन्दन में उन्होंने टौप किया और आई० सी० एस० में भी टौप किया था। कई बार गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा कि तुम एडीशनल सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी के पद पर आ जाओ।

चौधरी चरण सिंह––

श्रीमन्, यह मिसलीड कर रहे हैं। एक आदमी इम्तहान अच्छे पास कर सकता है परन्तु यह जरूरी नहीं है कि वह अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। माननीय जवाहर लाल जी कहां पर फर्स्ट क्लास पास किये थे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उनको ४/५ बार अपने पास बुलाया। श्री के० बी० लाल गये तो उनके स्थान पर कहा कि आ जाओ। तो ब्रूसेल्स में एम्बेसेडर थे। क्या यह एक मामूली पद था? लेकिन उनके पास शिकायत क्या आई थी? यह शिकायत आई थी कि उन्होंने एग्रो में गड़बड़ किया है। लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं निकली। आनन्द की बात यह है कि दो-दो मुख्य मंत्री उनके बाद बने। माननीय टी० एन० सिंह की नोटिंग फाइल में मौजूद है। उनके बाद माननीय कमलापति त्रिपाठी मुख्य मंत्री बने उनकी नोटिंग भी मौजूद है। क्या बात थी कि उन्होंने कहा कि एग्रो में कुछ गड़बड़ी हुई। उन्होंने कुछ पावर्स को डैलीगेट

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

कर दिया। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बेजा बात नहीं है। पावर अपने हाथ रखने से बेजा बात हो सकती है। तब कहा गया कि उनकी कार्य क्षमता देखी जाये। १९६९ में यह एग्रो के अध्यक्ष हुये। इनके जमाने में ३४.६५ लाख का लाभ एग्रो को हुआ। अगर शुद्ध लाभ वगैरह लिया जाय तो १९६९–७० में ६.५ है। इसके बाद जब से यह एग्रो से हटे हैं तब से एग्रो को हानि-लाभ देख ली जाय। उन्होंने जो बातें की हैं उनमें एक भी ऐसी नहीं मिली जिससे कहा जा सके कि आदमी ने बेइमानी की थी। दोनों मुख्य मंत्रियों के नोटिंग यहां मौजूद हैं।

मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सनवाल को एक्सटेंशन मैंने कोई साल भर या छै महीने के लिये नहीं दिया है। मैंने उनको एक्सटेंशन इसलिये दिया है कि असेम्बली के चलते हुये मैं मुख्य सचिव को बदलना नहीं चाहता था। मैं किसी और को एक्सटेंशन नहीं दूंगा। इसीलिये मैंने इनको एक्सटेंशन दिया है। लेकिन यहां प्रश्न दूसरा है कि आपने एक ऐसे आदमी को जिसका सदैव उज्जवल चरित्र रहा है, जिसने बड़े परिश्रम और लगन के साथ प्रदेश की सेवा की है और दिल्ली जाने का प्रलोभन भी इस व्यक्ति ने छोड़ दिया, ऐसे अधिकारी के सम्बन्ध में भ्रम फैलाना ठीक नहीं था कि इन्होंने एग्रो में बेइमानी की थी मैं इसका जोरदार शब्दों में खंडन करता हूं और विरोध करता हूं। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। इससे प्रशासन में कमजोरी आयेगी और प्रशासन में सच्चे आदमी का दिल टूट जायेगा। जब माननीय चौधरी साहब बोलने को खड़े होते हैं तो मेरा यह अनुभव रहा है कि चौधरी साहब पूर्व जन्म की कथा और कांग्रेस के संबंधों को भूलकर नये चरण सिंह बन कर बोलने की चेष्टा करते हैं यदि होता नहीं चौधरी साहब, आप बहुत दिन रहे हैं मंत्री, मुख्य मंत्री, आप भगवान की दया से इस प्रदेश के मुख्य नेता हैं, कृपया ऐसी दिशा न दीजिए, जिस दिशा में सार्वजनिक जीवन में, ये जो प्रशासन की तरफ से जो लोग हैं, जिनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, उनका सारा भविष्य संकट में आ जाय। जहां तक चौधरी साहब ने मान्यवर, डा० जी० पी० श्रीवास्तव के बारे में कहा .....

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

आई० जी० के सम्बन्ध में कहा गया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जिस रोज यह बात कही गई थी, उसी रोज मैंने कहा था कि १०वीं इक्सटेंशन दिये गये हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, वही मैं स्पष्ट कह रहा हूं।

चौधरी चरण सिंह—

आपने आते ही कहा था कि इक्सटेंशन नहीं होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरा वादा था। आज भी वह कर रहा हूं। राज्य में व्यक्ति का वादा इस तरह का नहीं होता है। मध्य मई तक वह भी रुकने वाले नहीं है। जिन कारणों से वे रुके थे, वह भी आपको बात मालूम है। नया आई० जी० जो आयेगा, वह भी अपनी क्षमता के आधार पर आयेगा। ये जो आई० जी० और चीफ सेक्रेटरी हैं, यह आउट स्टैंडिंग मेरिट के अधिकारी हैं और मैं कहता हूं कि जिन कठिन परिस्थितियों में इन लोगों ने काम किया है और विरोधी पक्ष की नीति के विचारों के बावजूद भी उन्होंने दृढ़ता से काम किये हैं, जिनके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं। मान्यवर, उन्होंने यह नहीं कहा कि पुलिस के प्रशासन में क्या सुधार हो, लेकिन मान्यवर, उन्होंने कहा कि डा० जी० पी० श्रीवास्तव को क्यों बनाया, जबकि हाई कोर्ट का फैसला हो गया था? उसकी उन्होंने अपील कर रखी है। चौधरी साहब,

आप अपनी राय बना सकते हैं, मैं तो अपनी राय नहीं बना सकता हूं। डा० जी० पी० श्रीवास्तव ने अपील कर रखा है और सरकार ने भी अपील कर रखा है। अब उस अपील का फैसला आवे, तब निर्णय लिये जा सकते हैं। अपील के फैसले के बाद ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि वह इस पद पर आवें कि न आवें। "दि फेलो हैज बीन कंडेम्ड अनहर्ड"।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

आप हिन्दी में बोलिये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

एकाध जुमला चौधरी साहब भी अपनी स्पीच में बोलते हैं, इसलिये मैं भी बोल रहा हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

आप चौधरी साहब का मुकाबिला न करिये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मुझे चौधरी साहब के नेतृत्व में काम करने का बहुत अवसर मिला है, आपको तो अब मौका मिला है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

आप चौधरी साहब की नकल मत करिये। नकल करने से अकल खराब हो जायगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब अपने दोस्तों से कहें, वे मुझे आपकी नकल करने से रोक रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह--

मुझे इस तरह के सिपाहियों से ज्यादा खतरा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

विरोधी दल ने कई बातें कहीं। एक बात उन्होंने यह भी कही, इस मामले में उनके हृदय पर आघात लगा, जो सुजाता कान्ड के नाम से चीज चल रही है। यह दुखद घटना है। माननीय चौधरी साहब ने कुछ प्रश्न पूंछे थे, क्या करते रहे और कुछ एस० एस० पी० के सम्बन्ध में भी कहा। उसमें मान्यवर बात यह है कि १५ मार्च को यह रिपोर्ट लिखायी गयी पुलिस में इस तरह की कि यह बात हो गयी है वरुण साहब की ओर से। हमारी जो साधारण पुलिस है वह चेष्टा करती रही और चेष्टा करने के बाद जो उसने डाईंग डिक्लेरेशन दिया जो १८ तारीख को पुलिस के पास आया। मान्यवर, उन्होंने जो बातचीत इस लड़की से की उससे बड़ी मुश्किल से अन्दाज मिला कि यह हलवासिया कोर्ट में कमरा है, जिसके सिलसिले में बहुत सारी चर्चायें हैं। २२ मार्च तक निरन्तर पूंछतांछ होती रही और यह लड़की कभी कुछ और कभी कुछ कहती रही। बड़ी मुश्किल से सिविल पुलिस से उसको खोल कर, देखकर उसकी लिस्ट बनाकर जो उस में सामान था सील कर दिया।

चौधरी चरण सिंह--

6 रोज हो गये। जिस समय अखबार में पढ़ा तो डिड यू काल एस० पी० इमीडिएटली ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहेब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, मैंने गृह सचिव, आई० जी० पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस० एस० पी० इन चारों को बुलाया और अलग-अलग दृष्टिकोण से उनसे बातचीत की। सिविल पुलिस ने कहा कि हमको इस लड़की ने चक्कर में डाल दिया है किसी बात के किनारे लड़की लगती ही नहीं। तो हमने कहा कि इस मामले को सी० आई० डी० को दे दे। उसकी अपनी ताकत है। सी० आई० डी० को २६ तारीख को केस दे दिया गया है। जहां तक एस० एस० पी० का तालुक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा अगर उसके कैरेक्टर रोल को देखा जाये तो मालूम हो जाये कि कैसा आफीसर है। सारे पुलिस आफीसरों में एक आदमी है एन० के० सक्सेना चौधरी साहेब उस पर विश्वास करते हैं। यहां पर एस० एस० पी० बीमार हुआ और उसकी जगह पर किसी को करना था। उस समय कम्युनल कंडीशन थी, अगर एस० एस० पी० सारी चीजों से वाकिफ नहीं होगा तो दिक्कत होगी। मैं उस आफीसर को बधाई देता हूं जिसने ऐसी परिस्थितियों में कार्य किया। मैंने उसको परमानेंट एस० एस० पी० नहीं बनाया है, वह लीव वैकेन्सी में काम कर रहा है।

अब दूसरी बात चौधरी साहब ने यह कही थी कि क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, सन् १९४७ के हिसाब में ६६ को और ६६ की शक्ल में ७२ को और ७२ की शक्ल में ७४ और ७५ को देखा जाय। सारे देश और दुनियां में देख लें। सारी दुनिया के क्रिमिनोलौजी के जो रिकार्डस हैं, उनको देखने से पता चलता है कि कई कारणों से क्राइम्स बढ़ रहे हैं, यह उन्होंने भी माना था। मान्यवर, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह भी देखना होगा कि क्राइम्स को कन्ट्रोल करने में पुलिस ने क्या-क्या किया है। पुलिस और डाकुओं के एनकाउन्टर्स हुए हैं। २७१ एन्काउन्टर्स हुए, ५७ डाकू मारे गये और ११८६ डाकू गिरफ्तार किए गये। इन डाकुओं के कब्जे से ७६४ तरह-तरह के आग्नेयास्त्र और भारी संख्या में गोला बारूद मिला जो डाकू मारे गये उनमें प्रमुख ३ लोग थे, एक जरमन जो इटावे और उसके आसपास में आतंक मचाये हुए था, दूसरा आलेनबी जो शाजहांपुर और पीलीभीत में आतंक मचाये हुए था तीसरा डाकू मोहन सिंह, कुख्यात डाकू। इनमें ये ३ कुख्यात एवं नृशंस डाकू मारे गये। उसी तरह से यह देखना पड़ेगा कि हमारी पुलिस कितने देशी व विदेशी हथियार, तमंचे बनाने के जगह जगह अड्डे, पकड़ पायी। इस वर्ष ३१ मार्च तक की अवधि में अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले २३ कारखाने बरामद किए गये। इसी वर्ष में पुलिस ४७९ बन्दूकें (११४ विदेशी), २४९६ पिस्तौल (६ विदेशी), ५४ रिवाल्वर, (१० विदेशी), २७ राइफल (१६ विदेशी) तथा ११,२५५ कारतूस बरामद करने में सफल हुई है। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जो पुलिस ने कार्यवाही की है यदि उस पर दृष्टिपात करें तो हर जगह पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है।

ट्रक्स, कार्स और स्कूटर्स जो पुलिस ने इस अवधि में बरामद किए हैं वे १० लाख ८० हजार रुपये के मूल्य से भी ऊपर के हैं। इसी प्रकार से पुलिस ने गाजीपुर जिले में ४ लाख मूल्य का कपड़ा पकड़ा जो ट्रक द्वारा चोरी जा रहा था। मान्यवर, एक-एक चीज को बतलाने में तो बड़ा समय लगेगा कि किन-किन जगहों पर भगाई हुई लड़कियों को और लोगों को पुलिस के द्वारा निकाला गया।

मान्यवर, चाहे हमारी चुराई हुई सम्पत्ति की वसूली हो डकैतों के पकड़ने का सिलसिला हो- आग्नेयास्त्रों को पकड़ने को सिलसिला हो या हिन्दू मुस्लिम फिसाद का मामला हो या कम्युनलरायट का सिलसिला हो जिस शक्ति और अच्छाई के साथ हमारी पुलिस नेकाम किया है वह सराहनीय रहा है। यही नहीं कई विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने मुझसे अकेले में यह कहा है कि आपके कलेक्टर्स और पुलिस वालों नें बहुत अच्छा काम किया है। (विरोध पक्ष की ओर से हंसी)। (श्री मोहन लाल कपूर के खड़े होने पर)

माननीय मोहन लाल जी ने नहीं कहा और वे कभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि कौन प्रसन्नता की बात है कि हिन्दू मुस्लिम झगड़े न हुए हों? लेकिन जिनको प्रसन्नता हुई उसमें एक आदमी है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस अवधि में लड़कियां नहीं बेची गईं, चोरियां नहीं हुईं, डाके नहीं पड़े ? अगर मैं आपको मेरठ की स्थिति बताऊं तो आपके रोगटे खड़े हो जायेंगे अफसोस है कि मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अगली बार मिलेगा। मैंने नहीं कहा कि सतयुग है। मैंने पहले ही कहा था कि यह हमारी चेष्टा है।

श्री मोहन लाल कपूर--

इस चेष्टा में आप और बिगाड़ देंगे पुलिस को। बड़ौत में एक आदमी के मुंह पर पुलिस ने पेशाब कराने की चेष्टा की।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हमारी यह चेष्टा है इसके बावजूद कि बाहर कोशिश की जा रही है अव्यवस्था का वातावरण बनाने की, न्याय और व्यवस्था को तोड़ने की चेष्टा की जा रही है विद्यार्थियों को उकसाने की चेष्टा की जा रही है।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

एक घटना का वर्णन हमें नहीं करने दिया। . . . . . (व्यवधान)।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माननीय चौधरी साहब ने एक बात कही कि चुनाव से दो महीने पहले कभी ट्रांसफर नहीं होता है और हमने ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने उन्नाव का किस्सा कहा। कोई भी केस जो हमारे सामने उठाया गया उसकी जांच पड़ताल में हमारी तरफ से कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने एस० पी० बुलाया अरुणाचल से, यह भी दो महीने के अन्दर। सन् ७१ में संविद की सरकार थी। भले ही चौधरी साहब उस समय मुख्य मंत्री नहीं थे लेकिन सरकार में वह साझीदार थे और सात दिन पहले वोटिंग के उन्नाव के एस० पी० को बुलाया गया उन्होंने कहा कि हमने एस० पी० बुलाया अरुणाचल से, यह भी दो महीने के अन्दर। सन् ७१ में संविद की सरकार थी। भले ही चौधरी साहब उस समय मुख्य मंत्री नहीं थे लेकिन सरकार मे वह साझीदार थे और सात दिन पहले वोटिंग के उन्नाव के एस० पी० को बुलाया गया और उसको यह हुक्म हुआ कि तुम्हारे नीचे जो अफसर हो उसको चार्ज दे कर छोड़ दो।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

वीरेन्द्र वर्मा थे होम मिनिस्टर।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सरकार आपकी थी, चाबी आपकी चलती थी। यह गलत काम किसके इशारे से होते थे यह वीरेन्द्र जी खुद बता सकते हैं। लेकिन उन्नाव की कथा, दोनों तरफ के बयान सुन लिये और हम बड़े पसोपेश में हैं, हमारे सामने दोनों तरफ आपकी सूरत मूरत रहती है, हम उसको छांट रहे हैं और छांट कर जो भी बात निकलेगी चौधरी साहब को भी उससे अवगत करेंगे, सारी दुनियां अवगत होगी।

चौधरी चरण सिंह—

सन् ७१ में सात दिन पहले अगर ट्रांसफर हुआ बिला किसी खास कारण के तो गलत था। लेकिन उससे आपकी यह गलती कैसे जस्टिफाई हो जाती है कि ६ महीने पहले एस०पी० आता है, बहुत अच्छा काम करता है. . . . . .

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

कुछ अनुदान पर भी बात होनी चाहिये। यह दरोगा दरोगी के ट्रांसफर को लेकर कहां तक कहियेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अगर माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कल कोई इस बात पर कहते तो ठीक होता। मैं तो उत्तर देने के लिये खड़ा हूं। अनुदान की बात भी कहूंगा लेकिन जो प्रश्न उठ गये हैं उनका जवाब न दूं तो एक माने में वह लांछन रह जायेंगे, मुझे उनका जवाब देना जरूरी है। आप ऐसा करिये। कि दरोगा दरोगी कल की सारी स्पीच से हटवा दीजिये, मेरा भी हटवा दें, मुझे कोई एतराज नहीं है।

एक बात और कही गयी कि बदायूं में पुलिस ने बड़ा गड़बड़ कर रखा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि १८ एस० ओज० वहां पर थे। ९ आदमियों के खिलाफ कार्यवाही हुई। दो ग्रास मिसकांडक्ट के लिये सस्पेन्ड हुये। दो कंसीलमेंट आफ क्राइम में रिवर्ट हुये। दो कोर्स के लिये गये जो नार्मली जाते हैं और दो आदमियों को लोगों की शिकायत पर, जिसको सही पाया गया, हटाया गया और कम से कम एक थाने पर शेड्यूल्ड कास्ट के दरोगा होने चाहिये तो शेड्यूल्ड कास्ट के एक दरोगा एडजस्ट करने के लिये एक जगह भी की गयी। एलीगेशन यह लगाया गया कि आनेस्ट एस० आईज० ट्रांसफर हो रहे हैं। उसकी बात भी सुन लीजिये। एक एस० आई० डिसमिस हुआ ७१ में कानपुर रेन्ज में। वह रिइन्सटेट हो गया बाद में। एक तो ऐसा एस० आई० है जिसका यह रेकार्ड था। दूसरा, महेन्द्र सिंह जिन्होंने ट्रांसफर मांगा नहीं था लेकिन प्रशासनिक कारण से उनको हटाया गया।

श्री आर० के० शुक्ला का ट्रान्सफर बरेली हुआ, हमारे चौधरी साहब के बगल में जो माननीय असरार साहब बैठे हुये हैं उनकी कम्पलेंट एस० पी० के पास मौजूद है, अब उनकी शिकायत हम न सुनें, उनका हुक्म हम न मानें, यह हमारे लिये मुमकिन नहीं है। हां, चौधरी साहब अगर उन्हें अपनी बगल से हटा दें तो हम उनकी बात सुनना बन्द कर दें। (हंसी)। बी० बी० चौधरी जो मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ रेन्ज में जाना चाहते थे, हमने मेरठ भेजा और इस खयाल से भेजा कि वे यह खयाल न करें कि मैं चूंकि चौधरी हूं इसलिये हीं भेजा जा रहा है। (व्यवधान)।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

चौधरी साहब ने तो उदाहरण दिये थे, अब जो नीति आपने अख्तियार की हो, जो उससे संबंधित हो, वह आप बतायें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नीति का अगर एक शब्द भी कहा गया होता तो आप कह सकते थे, आपने तो अनीति की बात कह दी, अब उत्तर तो सुनिये। आपकी तरफ से अगर ऐसी बातें उठायी जायें कि प्रशासन डर जाये, थर्रा जाये, और यहां पर जहां कि उनका कोई रक्षक नहीं है, इतने बड़े सदन में ऐसी बातें कही जाये, तो वे किसी प्रकार मजबूती के साथ डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार का मुकाबला कर पायेंगे ? . . . . . (व्यधान) मैं चौधरी साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने मित्रों से कह दें कि वे मेरी बात कृपया सुनें ताकि मैं जल्दी समाप्त कर सकूं। मर्डर के बारे में मैं कहने जा रहा था कि वह केस वर्क आऊट हो गया है, कुछ अधिक कहना नहीं चाहता, लोग पकड़े भी गये हैं।

जहां तक लखनऊ पुलिस का ताल्लुक है, मैं कह चुका हूं। इम्मारल ट्राफिक के विषय में जो चिन्ता व्यक्त की जाती है, वह सही बात है। ऐसे मांस के सौदागर और व्यापारियों की जितनी निन्दा की जाय कम है। जब से नये एस० पी० आये हैं, उन्होंने ९ रेड्स किये, ७६ वीमेन पकड़ी गयीं। चौधरी साहब ने कहा कि इतनी लड़कियाँ मेरठ में, इतनी बांदा में पकड़ी गयीं, हमने उसके लिये केन्द्रीय सरकार को चिट्ठी लिखी है कि यह लड़कियां मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से बांदा में लायी जा रही हैं। उनके भगाने का उद्गम स्थान वहां है। और मुसीबत यहां पैदा हो रही है। मैंने ब्रह्मानन्द जी को पत्र लिखा है कि वे सभी सरकारों से प्रार्थना करें कि यह चीज रुके और हमारे यहां इस तरह का व्यवसाय करने वालों को मदद न मिले।

बाराबंकी के बारे में माननीय चौधरी साहब ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी, ... (व्यवधान)।

एक सदस्य—

एक के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं हुई..... (व्यवधान)।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आप सुनिये तो..... (व्यवधान) .... एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के सिलसिले में केस कुछ रजिस्टर्ड किये गये, उन पर चार्जशीट्स लगे और कुछ का इनवेस्टिगेशन हो रहा है। शायद किसी केस में फाइनल रिपोर्ट लगी हो लेकिन एस० डी० एम० या डी-वाई० एस० पी० की रिपोर्ट का कोई सवाल नहीं है। उस पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही हो रही है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

डी० वाई० एस० पी० सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सी० आई० डी० से इसकी जांच करा दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

एक माननीय सदस्य ने गाजीपुर और बलिया में बोर्डर डिस्टरबेंसेज की बात कही। उस सिलसिले में सारी बात कहने की जरूरत नहीं है। वहां पर हर तरह से सतर्कता बरतने के लिये कर्मचारियों को कह दिया गया है लेकिन असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश को समझने के लिये और जिसके लिये चौधरी साहब ने कल हमारी निन्दा भी की, चौधरी साहब ने कहा कि जब वे रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं थे और कंसोलिडेशन का काम चल रहा था तो वहां के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये रेवेन्यू विभाग को लेना चाहते थे जिसके लिये उन्होंने गुप्ता जी से कहा था।

मैं कंसोलिडेशन की पूरी कथा नहीं कहना चाहता लेकिन सन् ५२ से इस सदन का मैं भी एक सदस्य हूं। अगर मेरी याद ठीक है तो सबसे पहले कंसोलिडेशन का काम सुल्तानपुर जिले की मुसाफिरखाना तहसील में शुरू हुआ और कैराना तहसील में भी शुरू हुआ। आज भी दोनों जगह के लोग रो रहे हैं। इतने चतुर सारथी के हाथ में रथ होते हुए भी वे आज भी रो रहे हैं। उस क्षेत्र में अपने खेत के हिसाब से किसी की जमीन है ही नहीं एक चक में। एक चक नहीं, दो चक नहीं, तीन चक नहीं, आठ-आठ चक हैं, ऐसी चकबन्दी हुई है वहां। मान्यवर, माफ कीजियेगा, मैं उसमें चौधरी साहब को दोष नहीं देता। चौधरी साहब क्या करते। इन्होंने कानून बना दिया लेकिन अपने को सी० ओ० थोड़े बना सकते थे? वहां की मशीनरी ने कोई कमिटमेंट तो किया नहीं था, और चौधरी साहब कमिटमेंट के खिलाफ हैं। चौधरी

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

साहब ने एक बात यह कही कि भूमि के बंटवारे के लिये आपने एक कमेटी बना दी और इस कमेटी में ऐसे आफिसरों को रख दिया जो कि रिटायर हो गये थे। मैं चौधरी साहब को ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, भारतवर्ष के नेता वर्ग में वही एक ऐसे हैं जो हर व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। मिस्टर पाटिल ने एक बड़े अरसे से, कई वर्षों से सब कुछ छोड़ कर, अपना सर्वस्व त्याग कर विनोबा जी के साथ काम किया है और आज भी कर रहे हैं। . . . .

चौधरी चरण सिंह--

यह गैर जरूरी है। यह कहने की क्या जरूरत है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इसलिये जरूरत है कि वे मिनिस्टर थे, कांग्रेस मैन थे, विनोबा जी के साथ उन्होंने काम किया है, और उनको उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने कहा कि कमीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होना चाहिये था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

ऐडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात है, उसी से हमको ९ चक वाली विरासत मिली है, ८ चक वाली विरासत मिली है, भूमि न बंटने की विरासत मिली है, गांव समाज की जमीन हड़प लेने की विरासत मिली है और उस विरासत के देने वालों में चौधरी साहब सर्वोपरि हैं। आप रेवेन्यू मिनिस्टर बने, मुख्य मंत्री बने, इस बालक का क्या कसूर है, इस वृद्ध ने बिलकुल गड़बड़ किया है। (हंसी)। मान्यवर, यह काम एक वर्ष में हो जाना चाहिये था चौधरी साहब ठीक कहते हैं। अब जरा देख लिया जाय कि चौधरी साहब कितने वर्ष तक रहे हैं। अगर ठीक काम हुआ है तो जमीनें हरिजनों को क्यों नहीं मिली हैं ? ग्राम सभाओं की जमीनों में क्यों गड़बड़ी हुयी ? इसके बाद चौधरी साहब खुद ही निश्चय करें कि क्या करना चाहिये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वह कमिटमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन सर्विसेज कमिटेड हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह उस कास्ट से आते हैं जिनके पास जमीनें खूब हैं। वह उस खानदान से आते हैं जहां उनके पास खेती खूब है और जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। यह है बुनियादी अंतर। नियम जरूरी हैं तो उसके अनुरूप दृष्टिकोण चाहिये।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

मान्यवर, अब मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं और एक सूचना चौधरी साहब को देना चाहता हूं। उन्हें प्रसन्नता होगी जानकर कि कानपुर के एक ब्लाक में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना पैसा पाटिल कमेटी पर खर्च किया गया है। मान्यवर, मंगल देव विशारद कमेटी का जिक्र आया है तो पहले उसका जवाब कर दूं। मंगल देव विशारद कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों के मुताबिक सीलिंग की नोटिसें हमने १९२ कोआपरेटिव सोसाइटीज, अगर मैं भूलता नहीं हूं तो १९० या कितनी, पर १०० से ऊपर सीलिंग की नोटिसें दी जा चुकी हैं। (मेजों को थपथपाने की आवाजें)।

उसके मुताबिक हमने करीब-करीब ७७ जो उनकी सिफारिशें हैं, उनको स्वीकार करके प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया है कि इन आदेशों के मुताबिक कार्यवाही हो और मान्यवर, इस कमेटी के जो नेता हैं, पाटिल साहब की कमेटी को अभी चंद रोज ही हुये हैं। कानपुर में. . .

(सदस्यों के टोकने पर)

कोई भी पुर हो। चाहे वह बहुगुणा पुर है और चाहे चौधरी साहब का पुर हो या गोपाल पुर हो या नत्थूपुर हो सभी उसमें शामिल है। नाम पढ़ लें। कोई छूट नहीं गया हो। मैं कहना चाहता हूं कि मंगल देव विशारद जी की कमेटी की रिपोर्ट रखी जा चुकी है, आप कृपा करके उसको पढ़ लीजिये। अब पाटिल साहब की कमेटी ने जो वातावरण बनाया है, कानपुर जिले और हरदोई जिलों में, जहां पर चौधरी साहब अपने आदमियों को भेज कर पुछवा लें, जो जमीन लोगों ने दबा ली थी, कब्जे में कर लिया था और जिसको छुड़ाने के लिये हमको कानून बनाना पड़ता। हमारी हरिजन समाज कल्याण मंत्री वहां खुद गयीं थीं, विनोबा जी के २५ साल भूदान यज्ञ के हो रहे थे। उस समय, मुझे खेद है कि मैं यह प्रस्ताव न पास करा सका। मैं गैर हाजिर था। विनोबा जी को बधाई देनी चाहिये कि उनके भूदान के २५ वर्ष होते हैं। मैं नत मस्तक होता हूं कि उन्होंने कृपा करके पाटिल साहब को और कुछ लोगों को कहा कि तुम जाओ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो लग गये हैं क्रांति में और तुम लोग जाओ शांति में। यह उन्होंने कहा। आज उन लोगों ने जिन्होंने जमीन दबा रखी थी, जिन लोगों ने चोरी कर रखी थी। पतारा ब्लाक में चौधरी साहब मेरा निवेदन मान लें तो मैं सरकार की तरफ से चौधरी साहब को मुआइना करने को कहता हूं, जाकर देखें क्या फायदा हो रहा है? मेरा विश्वास है कि प्रदेश में साल भर के अन्दर ऐसा वायु-मंडल बन जायगा कि जिन्होंने जमीन चुरायी है, कब्जा किया है, उनसे छुड़वाने में हमें बहुत हद तक सफलता मिलेगी।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं चौधरी साहब ने एक बात यह कही कि कांग्रेस वालों के लिये कोई कानून नहीं है। यूथ कांग्रेस का जिक्र किया, और सुल्तानपुर तथा पीली-भीत का जिक्र किया। मैं सफाई से कह देना चाहता हूं कि आई० जी० ने कोई आदेश नहीं दिये हैं। यूथ कांग्रेस, कांग्रेस या कोई भी दल कानून के ऊपर नहीं है। हमारा जो शासन है वह रूल आफ ला है, रूल आफ मैन नहीं है। कानून का राज्य है, व्यक्तियों या दलों का राज्य नहीं है। इसलिये सुल्तानपुर और पीलीभीत दोनों जगह जो कहा गया कि कितने लड़के पकड़े गये, तो चाहे वह सही हों या गलत हो, उसको कोर्ट तय करेगा। यदि गलत पकड़े गये तो चाहे वह बी० एल० डी० का हो या इधर का हो उसको वापस लेंगे और यदि सही है तो छोड़ेंगे नहीं।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने हमारे संबंध में कहा कि हेलीकाप्टर से बहुत चलते हैं। बात सही है। जब चौधरी साहब मिनिस्टर हुये तो मोटर पर बैठे तो सच पूछिये उस समय हम पैदल ही थे। वह मोटर से चले तो हम पैदल ही, लोगों को बहुत बुरा लगा। तो कांग्रेस वर्कर की जब बैठक होती तो वहां भी शान शौकत और ठाठ-बाट से जो मोटर से जाने वाले हैं वह मोटर से जायेंगे, रेल से जाने वाले रेल से और हवाई जहाज से जाने वाले हवाई जहाज से। तो हवाई जहाज से पंत जी के जमाने से पंडित कमलापति त्रिपाठी तक कौन हवाई जहाज से नहीं उड़ा? तो हम क्यों न उनकी लीक पर चलें। (हंसी)

"लीक पर तीनों चलें, सागर, सिंह, सपूत"।

मान्यवर, जनता किसके साथ है इसका फैसला मीटिंग में आने वाली उपस्थिति से हो सकता है। एक दिन हमारी मीटिंग हो जाय और एक दिन नेता विरोधी दल की मीटिंग हो जाय और उसमें कितनी उपस्थिति होती है, इससे तय हो सकता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप इसको करा लें और जिस शहर में, चाहें वहां करा लें। बनारस में जब चाहें तब मीटिंग करा लें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हमारा माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी से यह कहना है कि जनता तो चुनाव में तय करती है और तय कर चुकी है। फिर तय करेगी क्योंकि लोक सभा का चुनाव आ रहा है।

मान्यवर, यह इतना बड़ा प्रदेश है कि इसमें मुख्य मंत्री और मंत्रियों को अगर शासन ठीक से चलाना है और जाना है तो जायेंगे। यदि किसी लड़की की शादी में शामिल होना है तो होंगे। और उन्होंने मुंशीलाल विधायक के सिलसिले में कहा। मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि हम गन्ने की लेवी की वसूली कर रहे हैं और कितनी बड़ी सभा उस गांव में लेवी के सिलसिले में हुई थी और कितने लोग उस सभा में आये थे। अगर उस सभा के बाद उस गरीब की झोपड़ी में चला गया जो हमारे विधायक हैं तो मैं यह नहीं मानता हूं कि चौधरी साहब को जो सरकारी मोटर मिली है वह किसी रिश्तेदार या मित्र के यहां उसको लेकर न जाते होंगे। अगर उनको हेलीकौप्टर मिला होता वह उसमें भी जाते। यहां प्रश्न मेरा नहीं है, यह प्रश्न मुख्य मंत्री का है, प्रश्न समय का है।

जैसा चौधरी साहब ने जिक्र किया, जिस दिन मैं मुरादाबाद हेलीकोप्टर में गया हूं, उस दिन मैं रुड़की भी गया मीटिंग में, सहारनपुर गया मीटिंग में, इन्जीनियर्स की मीटिंग में गया, पुलिस परेड भी थी, दुग्धशाला कोआपरेटिव बेसिस की थी, वह भी उस इलाके में खुली थी। इलाके बहुत ज्यादा थे और मेरे पास समय केवल एक ही दिन का था। इसके सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि हेलीकौप्टर से जाता। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को बड़ा कहकर चौधरी साहब ने इशारे-इशारे में इसको छोटा करने के लिये और इसके विभाजन के सिलसिले में कुछ तथ्य दिये और कहा कि हमारा वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है इसलिये हम इसे बड़ा रख रहे हैं। मुझे बड़ी आशा है कि चौधरी साहब इन बातों को जिनको वह पन्त जी के समय में ही छोड़ चुके हैं, अब फिर नहीं उठायेंगे। उत्तर प्रदेश सारे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति का प्रमाण है और उत्तर प्रदेश की समस्याओं को जो कि बहुत बड़ा प्रदेश है द्रुतगामी वाहन से जाकर ही तय कर सकते हैं और मुझे आशा है कि चौधरी साहब भी मेरी भावना को समझेंगे।

हमारी प्रदेश की यह स्पष्ट नीति है, जैसा हमारे चौधरी साहब ने कहा कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने पहले झण्डे निकाले थे, बिजली वालों ने, और जब मैं संचार मंत्री हो गया तो मैंने कहा कि हड़ताल नहीं हो सकती। मेरी यह स्पष्ट राय है, चौधरी साहब क्षमा करेंगे, उन्होंने शायद मेरी बात को ठीक से नहीं पढ़ा कि कम्युनिकेशन मंत्री होने के बाद मैंने कहा और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि हड़ताल करने का अधिकार नान-गजेटेड सरकारी कर्मचारियों का भी है लेकिन वह एक आखिरी शस्त्र होगा और मुझे खुशी है कि पिछले दो सालों में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने सिर्फ हड़ताल ही की, वरन् हमें सहयोग भी दिया है। मान्यवर, अल्प बचत योजना में हमारी अपील पर उन्होंने पैसा दिया है। इस सरकार को समर्थन प्राप्त है हमारे सरकारी कर्मचारियों का और हमारे तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच विरोधी दल झगड़ा नहीं करवा पा रहे हैं तो मान्यवर, यह उनकी हार की खिसियाहट है, जिस पर मैं सिर्फ अफसोस ही जाहिर कर सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता।

मान्यवर, हम ट्रेड यूनियन के मानने वाले हैं, लेकिन मैंने साफ कहा है कि 'डिसिप्लिन इज नाट नेगोशिएबिल' यानि अनुशासन के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुशासनहीनता स्वीकार कर ली जायगी, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को हक-हुकूक नहीं दिये जायेंगे। हम कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, वित्तीय कठिनाईयां हैं, सामाजिक कठिनाइयां है, बदलते हुये समाज के रूप की जो दिक्कतें आती हैं, उसके लिये सारे उत्तर प्रदेश की महान जनता और हमारा दल जिसका सौभाग्य से नेतृत्व हमारी इन्दिरा गांधी कर रही हैं, यह दल अपने कर्त्तव्यों के प्रति जो हमारे किसान हैं उनके प्रति, जो हमारे मजदूर हैं उनके प्रति, जो वायुमण्डल है, समाज के मन को बदलना है;

जो हमारे बुनियादी आदर्श हैं उन आदर्शों को इस प्रदेश में चलाते रहेंगे बल्कि निडर होकर इस खयाल के बिना कि कौन क्या कह रहा है, हमें आगे बढ़ना है और उत्तर प्रदेश को हिमालय से भी ऊंचा उठाना है। हमें आशा है सभी माननीय सदस्यों का हमें सहयोग प्राप्त होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८— सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८—सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,४७,१२,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९-संम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९—जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,२०,७१,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—संम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१—पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४६,१३,५७,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५—अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,४०,३३,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३—मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २४,३४,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—कारागार

कारागार मंत्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२—कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,२८,७५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२—कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,२८,७५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१—चिकित्सा, अनुदान संख्या ३२—परिवार नियोजन, अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या ६९—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३१—चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३०,६४,३६,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३२—परिवार नियोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,५१,१८,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५,२५,९८,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६९—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,०४,७७,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, इन अनुदानों को पेश करते समय मैं दो शब्द इन अनुदानों के सम्बन्ध में और इस वर्ष १९७५–७६ में जो कार्य करने जा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, इस अवसर पर इस बात की इस सदन में घोषणा करते हुये खुशी होती है कि १९ अप्रैल, १९७५ को हमारे प्रदेश में स्माल पाक्स निल घोषित हो गया है। अब स्माल पाक्स की स्थिति १९ अप्रैल, १९७५ के बाद बिलकुल नहीं रहेगी। लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कभी-कभी इस स्माल पाक्स के बारे में थोड़ी सी भ्रान्ति इस प्रदेश में और माननीय सदस्यों के सामने आ जाती है। मीजिल्स, चिकन पाक्स और स्माल पाक्स ये तीनों तरह की जो बीमारी है, इन तीनों को स्माल पाक्स से जोड़ा जाता है। यह स्माल पाक्स ऐसी बीमारी है जिससे कुरूपता के साथ मृत्यु की संख्या भी बहुत अधिक रही है। इस प्रदेश ने आज सारे देश के अन्दर इस बात की मान्यता प्राप्त की है कि यहां विश्व बैंक ने जो कार्य किया है और जो विश्व संगठन ने मदद की है, उसकी सहायता से इस प्रदेश को स्माल पाक्स से छुटकारा दिला पाये हैं। लेकिन इस बात पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रदेश के जो पड़ोसी इलाके हैं और देश हैं, उनमें स्माल पाक्स की स्थिति भयंकर है खासतौर से बंगला देश में। बगला देश के माध्यम से जो कुछ फैलाव की स्थिति बनी हुयी है, उस पर बराबर नजर रखने की आवश्यकता है और इसी कारण स्माल पाक्स में लगे हुये जो कर्मचारी हैं, उनके सम्बन्ध में जो केन्द्र की सहायता है, अगले २ वर्षों तक कायम रहेगी। उसी के साथ प्रदेश का जो कार्य है, वह अपनी जगह चलता रहेगा। उसी के साथ जो वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन्स हैं, उनकी मदद मिलती रहेगी। हम इस बात की कोशिश में हैं कि कहीं पर भी एक भी केस दिखाई पड़े तो उसी जगह उसको खत्म करने की कोशिश करें ताकि फैलाव न हो।

इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि १९७४–७५ में जो चेचक रोकने के सम्बन्ध में जो अभियान चलाया गया, उसमें ६०५२ विस्फोटों का पता चला जो २,३०३ गांवों और ७४ नगरों में फैला रहा जिसमें २८,२६९ रोगी पाये गये। इस वर्ष ४६,४८,१४१ लोगों को प्राय-मरी टीका दिया गया और १,१२,९७,४६१ लोगों को पुनर्भेदी टीका दिया गया। ऐसी स्थिति में आज स्माल पाक्स पर उत्तर प्रदेश ने विजय पाई है और इसके साथ-साथ जो दूसरी कम्यूने-बिल डिजीजेज हैं, उनके सम्बन्ध में भी हम जागरूक हैं। मलेरिया के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वह केवल उत्तर प्रदेश में ही प्रसार की स्थिति में नहीं है बल्कि सारे देश में है और अभी दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ १७,१८ तथा १९ को उसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि जिस प्रदेश में मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा हो उसमें इंसिडेंस के हिसाब से केन्द्र सहायता करे। उसमें हेड करने का मौका मुझे मिला था और केन्द्र ने इस बात को माना है कि जहां पर जितना अधिक इंसिडेंस हो उतनी ही अधिक सहायता केन्द्र वहां देगा। ऐसी स्थिति में जो मलेरिया की स्थिति पर हमने अपने प्रदेश में काबू पाने में कामयाबी हासिल की है और

[श्री प्रभु नारायण]

बहुत से स्थानों से मलेरिया खत्म करने का काम हमने किया है। लेकिन साथ ही थोड़ी बहुत स्थिति जहां खराब हुई है अपनी त्रुटियों और कमियों के कारण उस पर हम केन्द्रीय सहायता तथा अपने कार्यक्रम के माध्यम से काबू पायेंगे, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है।

इसके साथ लेप्रोसी का जहां तक ताल्लुक है हमारे प्रदेश में बहराइच, गोरखपुर तथा तीर्थ स्थानों पर इसका काफी प्रकोप है और हेल्थ मिनिस्टर्स की जो कांफ्रेन्स दिल्ली में हुई, उसमें इसका जिक्र हुआ और केन्द्र ने इसको स्वीकार किया कि वह बहराइच, गोरखपुर तथा तीर्थ स्थानों से लेप्रोसी को खत्म करने में उत्तर प्रदेश की विशेष सहायता करेगी और इस सिलसिले में उसके प्रभाव को इन जिलों से खत्म करने का प्रयास किया जायगा। हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भी इस बात को चाहती हैं जिस तरह से स्माल पाक्स के मामले में राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया, लेप्रोसी को खत्म करने के लिये भी वैसा ही राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाय और आशा है कि उत्तर प्रदेश लेप्रोसी के खात्मे के मामले में भी कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जायगा।

मैं इस सिलसिले में यह भी जिक्र करना चाहता हूं कि अंधेपन तथा नेत्र दोष से भी हमारा प्रदेश काफी प्रभावित रहा है और हेल्थ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में इस बात का फैसला हुआ कि अंधेपन के सिलसिले में नेशनल प्रोग्राम चलाया जाय और उस कान्फ्रेन्स में हमने यह बात कही कि प्रदेश में सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर, मुजफ्फरनगर तथा अन्य कई अस्पतालों के माध्यम से हम नेत्र चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके साथ-साथ आवश्यकता इस बात की है कि एक बड़ा प्लान हो जिसके अन्तर्गत अधिक लोगों की सहायता की जा सके और इस बात की उम्मीद है कि नेशनल प्रोग्राम के अन्तर्गत केन्द्र बलाइन्डनेस को खत्म करने में उत्तर प्रदेश की पूरी सहायता करेगा।'

इस मौके पर मैं फायलेरिया के सम्बन्ध में भी कुछ जिक्र करना चाहूंगा कि इसका प्रकोप भी हमारे प्रदेश में रहा है और उसके लिये भी कुछ कार्य करना जरूरी है। उसकी रोकथाम के लिये कार्य बराबर जारी रखने का हमारा प्रयास रहेगा और फायलेरिया के इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिये ३१ जिलों में सर्वेक्षण कार्य हेतु हमने सर्वेक्षण यूनिट्स स्थापित किये हैं।

(इस समय ४ बजकर ४५ मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए)

चार फायलेरिया कंट्रोल यूनिट्स स्थापित की जा रही हैं। इस तरह से इसको स्ट्रैंगथेन किया जायगा और फायलेरिया पर काबू पाने का काम किया जायेगा।

कालरा के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस बीमारी को रोकने के लिये सरकार द्वारा प्रयास किये गये हैं और उसी के फलस्वरूप कुम्भ जैसे मेले में कालरा का कोई केस नहीं हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि कालरा के सिलसिले में हम कितने जागरूक हैं।

यहां पर बार-बार यह प्रश्न उठाया गया कि ग्रामीण जनता की तरफ स्वास्थ्य विभाग ने विशेष ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि १९७२-७३ में इस हेतु दो करोड़ रुपये का प्राविधान था, १९७४-७५ में ३ करोड़ ७७ लाख रुपये का प्राविधान किया गया और मौजूदा वर्ष में इससे आगे जाने की बात कही गई है और ज्यादा प्राविधान किया गया है। इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो स्वास्थ्य विभाग का बजट है उसका काफी रुपया देहातों की तरफ डाइवर्ट करने का फैसला किया गया है। १९७३-७४ में जहां पर केवल ४५ लाख २५ हजार रुपये देहातों की दवाओं के लिये प्राविधान किया गया था वहीं इस वर्ष १९७५-७६ में २,५३,४०,००० रुपये का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो हमारे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

थे उनको ५ हजार रुपये की दवाएं मिलती थीं, अब वह १२ हजार रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा यदि कोई स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र ८० हजार की पापूलेशन पर है तो उसके जो ८ सब-सेन्टर्स होंगे उनको दो-दो हजार रुपये दवाओं के लिये दिये जायेंगे। इस प्रकार २८ हजार रुपये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सब सेन्टरों पर दवाओं के लिये दिये जायेंगे जब कि १९७३-७४ में केवल ५ हजार रुपये का ही प्राविधान किया गया था।

देहातों की जनता के लिये ९०५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, ७ हजार उपकेन्द्र हैं, ८३९ एलोपैथिक चिकित्सालय, ९१७ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय तथा ९३६ होमियोपैथिक अस्पताल हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जनता की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्वास्थ्य सेवा जितनी मजबूती के साथ ग्रामीण अंचलों में होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो पायी। हमारा इस बात का प्रयास होगा कि हम इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ायें और इसकी अधिक से अधिक कोशिश करें कि जो प्राविधान बजट में किया गया है वह आम जनता तक, आम किसानों तक पहुंचे।

इसके अलावा इस अवसर पर मुझे यह भी निवेदन करना है कि एक बड़ा भारी काम प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से किया है और केन्द्र और प्रदेश की सरकार मिल कर मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता की सेवा करने का व्रत पूर्णरूप से प्रदर्शित करने जा रही है। मैं इस बजट के माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि जो कुछ काम इस सत्र में होने जा रहा है उसमें हम एक विशेष स्तर के सिद्धान्त को मजबूत करने जा रहे हैं।

इसके अलावा, मान्यवर, आरक्षण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि प्री-मेडिकल टेस्ट के माध्यम से जो विद्यार्थी लिये जाते थे, जो भर्ती होती थी उसमें परिगणित जाति के लोगों की १० प्रतिशत ही भर्ती होती थी लेकिन १९७५-७६ के बजट में हमने यह किया है कि १० प्रतिशत के स्थान पर १८ प्रतिशत हरिजन और शेड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थी भर्ती होंगे।

इसके साथ-साथ जो अनुसूचित जनजाति के लोगों को केवल एक फीसदी लिया जाता था अब उसके स्थान पर दो फीसदी कर दिया है। इसी तरह राजनीतिक पीड़ितों और सेना के जवानों के परिवारवालों के लिये पहले केवल दो और एक की संख्या थी, अब वह एक-एक फीसदी हो गया है। जितने स्थान हैं उस हिसाब से एक फीसदी भर्ती होगी। इस स्थिति में मान्यवर, आप देखें जो छोटे तबके के और पिछड़े लोग हैं, उनको समाज में बराबरी के स्तर पर लाना है। उनके लिए विशेष अवसर और साधन देने के साथ-साथ यह देखना पड़ेगा जो आरक्षण दिया है पूरा हो। तो इस पर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग देखेगा कि जहां तक आरक्षण का प्रश्न है वह पूरी मुस्तैदी के साथ और नियंत्रित तरीके से लागू किया जाय।

इस अवसर पर मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आज जो पिछला वर्ष १९७४-७५ बीत रहा है और चिकित्सा विभाग ने खास कर एलोपैथिक विभाग ने पैसा सरेंडर कम किया है। जितनी दवायें उपलब्ध थी उनका पूरा उपयोग किया है और जिन अस्पतालों में कमी रही उनको पूरा करने का पूरा प्रयत्न किया। इस अवसर पर मैं आश्वासन देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अभी तक जो दवाओं की खरीद की प्रथा रही है और उसमें सरेंडर की प्रथा रही है, उसमें तब्दीली कर के लगातार दवाओं को दो महीने और तीन महीने में अस्पतालों में पहुंचाने का काम कायम रखा गया।

इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सेविंग से सरेंडर नहीं किया बल्कि स्वास्थ्य सेवा विभाग ने लखनऊ मेडिकल कालेज को ५९ लाख का कर्जा दिया है, उसके साथ-साथ यहां पर चिकित्सा की स्थिति को मजबूत करने के लिये ३३,२८,२९२ रु० दिये हैं वह इस बात के लिये दिये हैं कि वहां पर जो रिसर्च का काम हो रहा है और सेवाओं को अपग्रेड करने का

[श्री प्रभु नारायण]

काम हो रहा है, उसे पूरी तरह से सहायता मिल सके। इसी सेविंग के माध्यम से हमने ९ लाख रुपया स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय की जो स्थापना हो रही है, उसके लिये दिया है। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के लिये डेढ़ लाख रुपय दिया है। आयुर्वेदिक औषधियों को क्रय करने के लिये ३ लाख रुपया दिया है। इस स्थिति को मान्यवर, देखें तो जो रुपया सेविंग का था उसको पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिये उनको मजबूत करने के लिये लगाया है। पिछले वर्ष १९७४ का जो बजट था उसमें चैरिटेबुल इंस्टीट्यूशन के लिये जो जनता की सेवा करने वाले संस्थान हैं जो अस्पताल चलाते हैं, उनके लिये बहुत कम रुपये का प्राविधान था, उसमें साढ़े तीन लाख रुपया था उसमें अपनी सेविंग से साढ़े चार-लाख रुपया इन संस्थाओं को देने का कार्य हुआ है। इसके अतिरिक्त और जो कमियां थीं उनको पूरा करने का काम भी किया गया।

दवाओं की खरीद के सम्बन्ध में जो खराबियां थीं उनको दूर करने का प्रयत्न किया गया है। शासन ने इस बात का निर्णय कर लिया है कि जो सेंट्रल स्टोर में पर्चेजेज होती है उन दवाओं को इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसुटिकल लि० ऋषिकुल तथा इण्डियन एंटी बायोटिक्स पिम्परी से ही अधिकांश रूप से खरीदा जाये। साथ ही साथ जो दवाएं २५ फीसदी लोकल अस्पतालों को लोकली खरीदने का अधिकार दिया है, उसमें बड़ी फर्मों को नामजद करने की बात है और उनको डाइरेक्ट दवाएं पहुंचाने की बात है। ये जो कार्यवाही हुई है, उससे खरीद-फरोख्त के मामले में सुधार की स्थिति आई है। किन्तु मैं यह नहीं कहता कि कमियां नहीं हैं, लेकिन उनको दूर करने के लिये पूरे तरीके से काम किया जा रहा है।

इसके साथ-साथ मुझे इस बात की घोषणा करते हुए खुशी होती है कि आज इस प्रदेश में २० अस्पताल जिसमें ५ करोड़ रुपये खर्च होंगे एस० आई० स्कीम में मजदूरों के लिये, वर्ष ७५-७६ में बनाने का प्राविधान हम करने जा रहे हैं। जिसमें ९८० बेड्स होंगे। उनको बनवाने के लिये आज हम पूरी तरह प्रयत्नशील हैं और इसी बजट सत्र में उन पर कार्य होगा। ये अस्पताल जो बनेंगे, यह १००, ५०, १२ और २५ शैय्याओं वाले होंगे। ये अस्पताल लखनऊ, नैनी, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद में १०० शैय्याओं वाले बाराणसी, पिपरी, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़ व हरिद्वार में ५० शैय्या वाले, गोरखपुर, रामपुर, मुरादाबाद, सीतापुर, शिकोहाबाद व मिर्जापुर में २४ शैय्या वाले तथा उन्नाव, देहरादून व इटावा में १२ शैय्याओं वाले होंगे। इस तरह इन २० स्थानों पर श्रमिकों के लिये अस्पतालों का निर्माण हम करने जा रहे हैं। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि ७४-७५ में लखनऊ और कानपुर के मेडिकल कालेजों में सेन्ट्रल स्टर्लाइजेशन स्कीम लागू करने का प्रयास किया गया और उसका प्राविधान किया गया, अब सेन्ट्रल स्टर्लाइजेशन स्कीम वर्ष ७५-७६ में बड़े अस्पतालों में चालू करने का प्रयास करेंगे और यह प्रयास रहेगा कि बड़े अस्पतालों से यह स्कीम शुरू होकर नीचे के अस्पतालों तक पहुंच जाए। आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि बिजली के फेल्योर के कारण आपरेशन में अस्पतालों में बड़ी दिक्कतें होती रही हैं। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि आपरेशन टेबुल पर ही यह स्थिति आ जाती है। इस स्थिति का सामना करने के लिये ७ अस्पतालों को जनरेटर प्रदान करने की सुविधा कर दी गई है। उनको पैसा दे दिया गया है। साथ ही इस साल भी बड़े अस्पतालों में विशेषकर जनरेटर देने का कार्य किया जाएगा।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ७५-७६ के इसी बजट सत्र में हमारी यह कल्पना है और हम यह चाहते हैं कि भारत सरकार की सहायता से पोस्ट ग्रेजुवट मेडिकल इंस्टीट्यूट इस प्रदेश में हों। हमारा प्रदेश साढ़े नौ करोड़ लोगों की आबादी का प्रदेश है और देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अतः यहां पोस्ट ग्रेजुवेट इंस्टीट्यूट का न होना अपनी जगह उचित नहीं प्रतीत होता है। हमने अपने इस बजट में टोकेन-ग्रांट के रूप में इसके लिये ५० हजार रुपया रखा है। जब अभी मैं आल इण्डिया मेडिकल कांफ्रेन्स में दिल्ली गया था,

मैंने वहां कहा कि जिस तरह से दिल्ली में, चन्डीगढ़ और पांडेचेरी में मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी वह होना चाहिये। मैंने केन्द्रीय सरकार और केन्द्र के स्वास्थ्य मंत्री से इस बात का अनुरोध किया कि वह मेडिकल इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में खोलने के सिलसिले में हमारी सहायता करें। हमें आशा और उम्मीद है कि इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों का जो हमें सहयोग रहेगा, उसमें हम केन्द्र को इस प्रार्थना पर मनवाने में सफल होंगे कि वह इस सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करें।

हमें यह भी खुशी है ऐलान करने में कि हमारी केन्द्र के स्वास्थ्य मंत्री से जो बात हुई, उसमें उन्होंने गोरखपुर मेडिकल कालेज में कैंसर के इलाज के लिये एक कोबाल्ट यूनिट खोलने का आश्वासन दे दिया है। मैं वाराणसी गया था तो मेडिकल कालेज में कैंसर इन्स्टीट्यूट के शिलान्यास के समय उन्होंने इसका ऐलान किया।

इसके साथ-साथ इलाहाबाद मेडिकल कालेज में सर्जरी तथा मेडिकल की स्नातकोत्तर कक्षाओं को खोलने की बात इस बजट में है। मुझे खुशी है और मैं घोषणा करना चाहता हूं कि जो प्रदेश का कार्डीलियोजी विभाग, कानपुर मेडिकल कालेज में है और जिसकी सेवायें उपलब्ध हैं वह, नई बिल्डिंग में इसी वर्ष में चला जायेगा और इस सेवा को इम्प्रूव करने के कार्य किये गये हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रदेश को विशिष्ट सेवायें उपलब्ध हो सकें, इसका प्रयास जारी है।

इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष हमारा प्रयास है कि जो प्रदेश में ३३ आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की बात है, उसके साथ-साथ तीन और चिकित्सालय पर्वतीय अंचल में खोले जायेंगे। इस तरह से ३६ खोले जायेंगे। ३० होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की जायेगी, ५० का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। २५ शैय्याओं का एक चिकित्सालय खोला जायेगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस स्थान पर जमीन उपलब्ध होगी और स्वास्थ्य विभाग के स्पेसीफिकेशन के अनुसार बिल्डिंग तैयार मिल जायेगी, वहां पर दो एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जायेंगे। १९७४—७५ में दो महिला चिकित्सालय खोलने की बात थी। उसका इसी महीने मे निर्णय हो गया कि एक विधूना इटावा जिले में और दूसरा सहसपुर एटा जिले में खोला जायेगा।

इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि दो बच्चों के क्लिनिक खोले जायेंगे। दो दंत चिकित्सालय खोले जायेंगे और इमर्जेन्सी सेवायें खोली जायेंगी। एक हड्डी का कक्ष खोला जायेगा और एक मेडिकल इन्स्टीट्यूट खोला जायेगा। रोग शैय्या की वृद्धि में ९ एस० आई० हास्पिटल्स में बढ़ेंगी, २५ आयुर्वेदिक चिकिसालयों में होंगी, २०० के और खोलने की बात है। १२०० रोग शैय्यायें बढ़ाने का कार्य होगा।

इसके साथ-साथ में इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी तलवार डाक्टर की छंटनी की लटकी रहती थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ७२—७३ में कार्य हुआ था। ७३—७४ में उपलब्धि अच्छी नहीं थी। लेकिन इस वर्ष ७४—७५ के आखिरी महीनों में उपलब्धि बढ़ी।

फेमिली प्लानिंग के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार ने रोक लगा दी थी कि फेमिली प्लानिंग के सिलसिले में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर ५० फीसदी डाक्टर देंगे। हमारी तरफ से इन केन्द्रों पर एक डाक्टर ९०५ स्थानों पर है। दूसरे डाक्टर के देने के सिलसिले में ६१२ की भर्ती की है। उसमें केवल ५० फीसदी देंगे बाकी नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, श्री करन सिंह जी से मेरी बातचीत हुई, हेल्थ कांफ्रेन्स में भी यह सवाल उठाया और जो केन्द्र का स्वास्थ्य विभाग है, उससे तथा हमारे विभाग के प्रतिनिधियों

[श्री प्रभु नारायण]

स बात चीत हुई उसमें मैं भी शामिल था और केन्द्र के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल थे। हमने बहुत जोरदार तरीके से कहा कि ५० फीसदी जो हटाने का सवाल है वह हमारे प्रदेश में नहीं होना चाहिये, हमारे ऊपर सीलिंग खत्म होनी चाहिये और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस बात का आश्वासन है कि जो ५० फीसदी सीलिंग थी वह सीलिंग नहीं रहेगी और हमको इस बात की कामयाबी मिलेगी।

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स पर हमको डाक्टर्स मिल जायेंगे। इस अवसर पर मुझे इस बात को आपके सामने रखना है कि आज इस बात की आवश्यकता है कि अपने स्वास्थ्य और चिकित्सा के सुधार के सिलसिले में जो ड्रग कन्ट्रोल्स का काम है इसको समुचित तरीके से किया जाय। यह काम मान्यवर, आप जानते हैं, प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं, उससे माननीय सदस्यों को कितनी चिन्ता रही है। उसी के साथ-साथ खाद्य में जो मिलावट की स्थिति है, उस संबंध में कार्यवाही की गई है और उसे भी मजबूत करने का कार्य किया गया है, लेकिन उससे हमारी बहुत संतोष की बात हो सकती है। लखनऊ में एक ड्रग या जो सब-स्टैण्डर्ड मेडिसिन्स के सिलसिले में स्क्रूटिनाइज करना है उसी तरह की लेबोरेटरी की आज प्रदेश में कई स्थानों पर आवश्यकता है। मैं अभी इस वर्ष मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में दिल्ली के अन्दर यह बात उठाई थी कि वाराणसी की जो फूड लेबोरेटरी है उसमें ड्रग्स को एनालिसिस किया जाय। साथ ही साथ पश्चिम में जो है फूड ड्रग वह सहायता करे, जिससे कि हम पूर्व में भी फूड ड्रग और लेबोरेटरी खोल सकें। जो वित्तीय स्थिति है, जो वित्तीय साधन हैं, आज इस कार्य में हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें कोई दुविधा हमारे मन में नहीं है।

जहां तक यह परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, वह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। विकासशील देश के लिये जो अपना सुधार करने के लिये लगे हुए हैं, देश के अन्य प्रदेशों में यदि परिवार नियोजन सफल हो जाय और उत्तर प्रदेश में न हो, तो वह सफलता की बात नहीं रह जाती है। आज परिवार नियोजन के कार्य की सफलता के लिये मुझे पूर्ण आशा है कि इसमें हमारे विरोधी पक्ष के साथियों का भी सहयोग मिलेगा। इस समय मैं यह भी बता देना चाहता हूं माननीय सदस्यगण को, इस सदन को कि जो विश्व बैंक की सहायता से आज जो ६ जिलों के अन्दर वर्ल्ड बैंक की स्कीम चल रही है, उसका काम हम आज तेजी से चला रहे हैं। आज वर्ल्ड बैंक की मदद से जो स्वास्थ्य चिकित्सा की स्थिति है, उसको मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है।

इस अवसर पर अन्त में मैं विशेषतौर से भारतीय चिकित्सा पद्धति जो अयुर्वेद की पुरानी पद्धति रही है उसके संबंध में यूनानी पद्धति और होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूं। आज मेरी यह मान्यता है, आज इस बात की जरूरत है कि आज जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हमारे देश और प्रदेश के अन्दर प्रचलित हैं आज उनमें कोई न कोई समन्वय का रास्ता निकाला जाय। अभी तक स्थिति यह रही है, एक दूसरे के संघर्ष की स्थिति रही है। हमारे ऐसे लोग समन्वय की स्थिति चाहते हैं। आज एलोपैथी से ज्यादा सहायता मिल सके, यूनानी चिकित्सा के सिलसिले में यह सहायता मिलनी चाहिये। आज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और यूनानी चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाया जा सके, वह उठाया जाय, सरकार का ध्यान इस संबंध में गया है और इसलिये १९७४-७५ में ३० होमियोपैथिक अस्पताल खोले गये हैं। इस तरह से आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथिक के सिलसिले में आज विशेष तौर से ध्यान देने की बात कही गई है।

इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि ३ कालेजों को जो पीलीभीत और बुन्देलखंड, झांसी में हैं, का प्रान्तीयकरण किया गया है। ४० नये अस्पताल स्थापित किये गये हैं और ३३ अस्पताल इस वर्ष स्थापित किये जायेंगे। एक २५ शय्याओं का अस्पताल अलीगढ़ में खोला गया है।

इसी के साथ ही साथ दवाओं के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अस्पतालों की व्यवस्था होगी वह पर्वतों को मिलाकर २५ शय्याओं युक्त अस्पतालों की

स्थापना की जायेगी। अस्पतालों में साधारण जनता को दवायें ठीक प्रकार से मिल सकें इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जायेगा। जो जीवन के लिये आवश्यक दवायें हैं उनकी व्यवस्था करने की कोशिश की जायेगी। इस सम्बन्ध में मुझे पूरी उम्मीद है कि डाक्टरों का सहयोग मिलेगा जिससे जनता की सेवा अधिक से अधिक हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि चिकित्सा का सम्बन्ध किसी दल विशेष से नहीं है, इस सम्बन्ध में विरोधी दल का पूरा सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं १९७५–७६ का चिकित्सा का बजट प्रस्तुत करता हूं।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम एक घंटा अवश्य चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप कटौती के प्रस्ताव पेश कर।

श्री गोरे लाल शाक्य—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६९—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है उसको मैं कह दूं। आप, मैं और स्वास्थ्य मंत्री जी एक ही पार्टी में थे और डा० लोहिया के शिष्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कटौती का आप इसी से शुभारम्भ करेंगे।

श्री गोरे लाल शाक्य—

और जब डाक्टर लोहिया की अंत्येष्ठि हुई तो माननीय मंत्री जी ने ४० किलो फूल मिजवाये थे। मान्यवर, मुझे दुःख होता है कि किस प्रकार से फीगर्स का मैनीपुलेशन होता है। जब मैं डायरेक्टर साहब के पी० ए० के पास गया जिनका नाम श्री एस० जाहिद हुसैन है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

डायरेक्टर की शिकायत करते तो ठीक था आप तो पी० ए० के स्तर पर आ गये ?

श्री गोरे लाल शाक्य—

मान्यवर, मैंने उनके पी० ए० से पूछा कि आपका मेडिकल विभाग कितने सेक्शन्स में बंटा हुआ है तो पी० ए० ने मुझे बताने से इन्कार कर दिया। मैंने यह भी कहा कि मैं एक विधायक हूं और मुझे आज इस सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव पेश करना है. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी सुविधा के लिये यहां पर पुस्तकालय है।

श्री गोरे लाल शाक्य--

मान्यवर, चेचक के बारे में फीगर्स इस प्रकार से हैं : वर्ष १९७३-७४ में ३५,०३६ चेचक के रोगी हुए जिनमें से ४,४५५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। वर्ष १९७४-७५ में २८,२७९ व्यक्ति चेचक के रोगी हुए जिनमें से ४,२९१ लोग मरे। पिछले ११ महीने में ५ हजार लोगों की मृत्यु हुई है जब कि हमारे मंत्री जी कहते हैं जीरो।

मान्यवर, जब हम विदेशों के बजटों को देखते हैं तो पाते हैं कि डिफेन्स बजट के बाद स्वास्थ्य विभाग का बजट होता है एलोकेशन्स के मामले में। लेकिन दुर्भाग्य है कि न तो हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने और न प्रदेशीय सरकार ने इसे नम्बर २ पर रखा है। एलोकेशन के मामले में ४, ५ से ६ या ७ नम्बर पर रखा जाता रहा है।

मान्यवर, यह स्टेट किस के लिये बनी हुई है। स्टेट बनी ही है केवल मनुष्यों की सुरक्षा के लिये। जब उनकी बीमारियों से सुरक्षा नहीं होगी तो हम क्या कर सकेंगे। मेरा निश्चित मत है कि स्वास्थ्य के बजट का एलोकेशन दूसरे नम्बर पर होना चाहिये।

मान्यवर, बीमारियों से बचने के लिये आप चीन का उदाहरण ले लें। हमारे यहां पर इन्जैक्शन्स हैं, दवायें हैं, तमाम चीजें हैं। अगर हम लाखों टन दवायें भी खिला दें तो भी जन स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते हैं। चीन ने क्या स्टेप्स लिए ? उन्होंने जो पहला स्टेप लिया वह चूहे और मच्छर, मक्खियों के मारने का लिया और फिर चिड़ियों को मारने का जो लाखों टन अनाज चट कर जाती थीं। इसलिये जो रोग फैलाते हैं, उनको पहले मारने का प्रबन्ध करना चाहिये। चीन ने यह पेट्रायोटिक हेल्थ रेवोल्यूशन में किया है वही यहां पर भी होना चाहिये। यदि मच्छर मक्खियां और चूहे रहेंगे तो कभी भी जन स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है। दूसरे हमारे यहां पर जो गन्दगी है तालाबों में और नदियों में, वह अगर दूर नहीं होगी तो जन स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकेगा। आज शहरों के पास जो नदियां होती हैं उनमें शहर की गन्दगी को नालों द्वारा गिराया जाता है जिनसे शहर की जनता के लिये पीने का पानी लिया जाता है। तो इससे जन स्वास्थ्य में कोई प्रगति नहीं हो सकती है।

हमारे यहां पर सरकार इलाज का प्रबन्ध करती है लेकिन बचाव का नहीं। इसे चाहिये कि बीमारियों से बचने का प्रबन्ध वह पहले करे। इसके साथ ही साथ हमारे जो हो स्पिटल्स हैं, आज वे डाकुओं के, चोरों के और तस्करों की सैक्चुअरीज बनी हुई हैं। अगर डकैत पकड़े जाते हैं, तो वहां पर भर्ती होते हैं, चोर पकड़े जाते हैं तो वहां पर भर्ती हो जाते हैं और अगर तस्कर पकड़े जाते हैं तो वहां पर भर्ती हो जाते हैं और उनकी एन्ट्री वहां पर दिखा दी जाती है और वहां के डाक्टर्स उन्हें झूठे सर्टिफिकेट्स दे देते हैं। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि उन्हें अस्पतालों में बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका सुझाव यह है कि अगर स्मगलर बीमार हो जाय तो उसका इलाज न कराया जाय ?

श्री गोरे लाल शाक्य--

वह बीमार नहीं होता, वह बीमार बन जाता है।

इसके साथ ही में यह कहना चाहता हूं कि यहां पर डाक्टर बेकार हैं और देहातों की डिस्पेन्सरीज में डाक्टर नहीं हैं। शहरों में डाक्टरों की संख्या ज्यादा, जबकि देहात में डाक्टरों की कमी है जहां ८० प्रतिशत पापुलेशन रहती है। एक और यहां का केरेक्टरेस्टिक देखिये। ८० प्रतिशत शैय्यायें शहरों में हैं और २० प्रतिशत देहात में हैं जबकि आबादी इसके उल्टा है, ८० प्रतिशत देहात में और २० प्रतिशत शहरों में। तो यह सारा दोष यहां के एडमिनिस्ट्रेशन का है। शैय्यायें और अस्पताल शहर व देहातों में आबादी के अनुपात में होने चाहिये। अब यहां डाक्टर्स पापुलेशन रेश्यो देखिये। ७ हजार व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर है। और हास्पिटल पापुलेशन रेश्यो है १ अस्पताल के पीछे २६५१६ व्यक्ति। और एक व्यक्ति के पीछे पर कैपिटा एनुअल एक्सपेन्डीचर है ५.१३ रुपये के करीब। यह एस्टीमेटेड है, हो सकता है ५ रुपये के लगभग हुआ हो और २,३५१ व्यक्तियों के पीछे एक बिस्तर है।

यहां पर कितनी सफाई से और कितना सुन्दर भाषण हो गया कि यहां पर जनस्वास्थ्य और चिकित्सा का कितना अच्छा काम चल रहा है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। १९७३ में १२५७५ केसेज में से ८,८२० केसेज नोन परमिटेड फूड क्लर्स पकड़े गये जिनको हम और आप खाते हैं और बीमार होते हैं। देखना यह चाहिये कि जो कलर मिलाया गया है वह स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद है या नहीं। अगर ऐसे केसेज पकड़े जायं तो उस सारे सामान को फिकवा देना चाहिये और उनको कड़ा दण्ड देना चाहिये। एड-ल्ट्रेशन का जहां तक सम्बन्ध है, ५७ परसेन्ट मिल्क प्रोडक्ट्स एडल्ट्रेटेड पाये गये। नान-मिल्क प्रोडक्ट्स में ८३ परसेंट और पल्सेज (दालों) में तो सौ परसेन्ट एडल्ट्रेशन पाया गया। इसके साथ ही साथ जो यह लाल गेहूं दुर्भाग्य से मंगाया जाता है, खाद्य मंत्री यहां नहीं हैं, खाद्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय का चोली और दामन का साथ है अगर फूड में एड-ल्ट्रेशन होगा तो जनस्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर सकता। हमारा जनस्वास्थ्य दिन-पर-दिन गिरता चला जा रहा है इसलिये खाद्य मंत्री को पहले जनस्वास्थ्य के लिये कदम उठाना चाहिये बाद में स्वास्थ्य मंत्री को कदम उठाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य जरा शान्ति से सुनने की कृपा करें। अभी माननीय सदस्य जरा नये हैं।

श्री गोरे लाल शाक्य---

लाल गेहूं देना बन्द कर देना चाहिये। जनता के स्वास्थ्य पर इस लाल गेहूं का बहुत बुरा असर पड़ा है। बाल मृत्यु के आंकड़े मुझे पुराने उपलब्ध हुये हैं वह मैं दे रहा हूं, नये लेटेस्ट उपलब्ध नहीं हो सके। १९५१-६१ तक के आंकड़ों के हिसाब से यू० पी० में १००० के पीछे बाल मृत्यु सबसे ज्यादा है। यू० पी० में १८६, वेस्ट बंगाल में १२०, आल इंडिया-१३९, मैसूर-१२०, मध्य प्रदेश-१७५, केरल-१२०, गुजरात-११०, बिहार १४५, आंध्र प्रदेश १११, मद्रास १०९। इससे स्पष्ट है कि हमारे यहां स्वास्थ्य पर कितना ध्यान सरकार दे रही है। ..... (व्यवधान)।

अब एलोपैथिक अस्पतालों की तथा उनमें शैय्याओं की संख्या के आंकड़े देखिये। पवर्तीय क्षेत्र में अस्पताल-२८० तथा शय्यायें ३५९९, पश्चिमी भाग में अस्पताल-७७७, शय्यायें १३५६। केन्द्रीय क्षेत्र में अस्पताल-४०२ तथा शय्यायें ९१२७, पूर्वी क्षेत्र में अस्पताल ६८६, शय्यायें १०९३८। आबादी बुन्देलखंड में अस्पताल १२८ तथा शैय्यायें १५२३ हैं।

[श्री गोरे लाल शाक्य]

आबादी के हिसाब से इनकी तुलना अगर की जाय तो पता चलेगा कि पर्वतीय क्षेत्र में आबादी सबसे कम है और वहां अस्पतालों की संख्या अधिक है, इसके विपरीत जहां आबादी अधिक है वहां अस्पतालों और शैय्याओं की संख्या कम है। पूर्वी जिलों की तरफ अगर हम देखें तो पता चलेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वहां की आबादी के हिसाब से वहां अस्पताल और शय्यायें बहुत कम हैं। . . . . (व्यवधान) मेरठ में मेरठ मेडिकल कालिज में १५० स्थान है जिसमें ५० दिल्ली वालों के लिये रिजर्व हैं। अगर आपको बाहर वालों के लिये रेजर्वेशन करना था तो १५० के बाद ५० स्थान और बढ़ा कर करते। जब हमारे यहां के लोगों के लिये स्थान की वैसे ही कमी है तो बाहर वालों के लिये रिजर्व करने की क्या जरूरत है। . . . . . (व्यवधान)।

अब मैं राजकीय शय्याओं के बारे में बताना चाहता हूं—शहरों में जब कि आबादी देहात के मुकाबले बहुत कम वहां इनकी संख्या है २६,४६८ तथा ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर की आबादी बहुत अधिक है वहां इनकी संख्या है ७,३४३। इस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेन्ट चलता है।

अब मैं टी० बी० की पोजीशन देता हूं कि यहां टी० बी० का कितना प्रकोप है। १९७२ में आउट डोर पेशेन्ट १,१२,१५५ थे और इनडोर पेशेन्ट ९,२००थे १९७३ में आउट-डोर पेशेन्ट१,१४,३२६ थे और इनडोर पेशेन्ट ९,८५३ थे १९७४ में आउटडोर पेशेन्ट १,३६, ९३७ और इनडोर पेशेन्ट १२,२६८ थे। ये टी० बी० के आंकड़े हैं, इससे स्पष्ट है कि टी० बी० के रोगियों का कोई ज्यादा अच्छा उपचार नहीं चल रहा है। इस दिशा में सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कोई भी प्रोग्राम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जनता का सहयोग उसमें प्राप्त न हो जाय। हिन्दुस्तान में ८४ प्रतिशत हिन्दू रहते हैं और १० प्रतिशत मुसलमान रहते हैं। तो ८४ प्रतिशत आबादी के रेजिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखना चाहिये। जब तक रेजिस्टेंस होगा आपको जनता का सहयोग नहीं मिलेगा और कभी भी आपका प्रोग्राम सफल नहीं हो पायेगा। इसलिये रेजिस्टेंस खतम होना चाहिये। हिन्दुओं में खास कर जनसंघ वालों की ओर से फेमिली प्लानिंग के लिये, रेजिस्टेंस बहुत है। वे कहते हैं कि हिन्दुस्तान जब सेकुलर देश है, तो सारे भारतवर्ष के लिये मोनोगमी लागू कर दी जाय। यह क्या कि एक मुसलमान जो १० परसेंट की आबादी में आता है वह तो चार-चार बीबियां रखे और ८० परसेंट आबादी वाला केवल एक बीबी ही रखे। कुछ मुसलमान दो-दो बीबियां भी रखते हैं लेकिन अधिकांश मुसलमान नहीं। मुसलिम वोट लेने के लिये जो सरियत के मुताबिक ४ बीबियां रखने की इजाजत दी गयी है उसे खतम नहीं करती है। क्योंकि अगर वह खतम नहीं होता है तो सामान्य जनता का सहयोग आपको फेमिली प्लानिंग में नहीं मिल सकेगा। इसलिये अगर आप सारी योजना को बरबाद नहीं करना चाहते हैं तो सब के लिये यूनिफार्म ला होना चाहिये और मुसलिम सरियत एक्ट खतम होना चाहिये। सारे हिन्दुस्तान में मोनोगेमी लागू होनी चाहिये और पोलोगेमी खतम होनी चाहिए। टर्की, अरब, पाकिस्तान आदि मुसलमान देशों ने पोलोगेमी खत्म कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य व्यक्तिगत बातचीत न करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप बार-बार कहते हैं कि माननीय सदस्य व्यक्तिगत बातचीत न करें। मैं आपसे कहता हूं कि यहां व्यक्तिगत बातचीत क्या होती है, क्योंकि यहां तो बातचीत व्यक्तिगत कुछ होती नहीं।

अनुदान संख्या ३१--चिकित्सा, अनुदान संख्या ३२--परिवार नियोजन, अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या ६९--चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

श्री उपाध्यक्ष--

अगर माननीय सदस्य को बात करने की मिनिश है और वे व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं तो बाहर जाकर लाबी में बात करें।

(व्यवधान)

आखिर कुछ व्यवस्था की मान्यतायें हैं, कुछ परम्परायें हैं और प्रक्रिया नियमावली है। हमेशा नियमों को तोड़ कर और इस तरह से कोई व्यवस्था की बात उठा कर खड़े होकर बातचीत करना यह कोई मुनासिब बात नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आप यह व्यवस्था दे सकते हैं कि कोई सदस्य बातचीत न करें। लेकिन आप कहते हैं कि कोई व्यक्तिगत बातचीत न करें। तमाम लोग वहां सार्वजनिक बातचीत करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यक्तिगत बातचीत का मतलब यह है कि आप लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, वह नहीं होना चाहिये। अब आप कृपया बैठें। माननीय सदस्य को बोलने का मौका दीजिये।

श्री गोरे लाल शाक्य--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फैमिली प्लानिंग के बारे मे कुछ बातें और कहना चाहता हूं। सरकार ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेन्ट बेनीफिट, सोशल सिक्योरिटी का कोई प्रबन्ध नहीं करती है परन्तु परिवार नियोजन लागू करना चाहती है। जिनको ओल्ड एज पेंशन, शोसल सिक्योरिटी, रिटायरमेन्ट बेनीफिट नहीं हैं वह अपने बच्चों को ही ओल्ड एज, पेंशन, रिटायरमेन्ट बेनीफिट, सोशल सिक्योरिटी मानते हैं। इसलिये वह बच्चे पैदा करते हैं जिससे उनको आगे चलकर चिंता न रहे। तो अगर फैमिली प्लानिंग को सफल बनाना चाहते हैं तो इन चीजों की ओर ध्यान दें। क्योंकि बच्चे ही ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेन्ट बेनीफिट होते हैं तो कैसे यह मोह लोग छोड़ सकते हैं। इसलिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकार को ओल्ड एज पेंशन आदि चीजों पर ध्यान देना चाहिये।

इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जनसंख्या को बढ़ाने के लिये बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी प्राब्लम पापुलेशन प्राब्लम है। परिवार नियोजन इसी का एक भाग है। जो फूड प्रोडक्शन है वह भी परिवार नियोजन का एक दूसरा पहलू है। फूड प्रोडक्शन और पापुलेशन प्राब्लम का भी संबंध है। पापुलेशन प्राब्लम का इस पर बहुत असर पड़ता है। इसके अलावा रेलीजियस, सोशल, इन्कम डिस्ट्रीब्यूशन का भी परिवार नियोजन पर बड़ा असर पड़ता है। अगर पापुलेशन प्राब्लम को नहीं रोका गया तो जो हमारी योजनायें हैं वह कभी पूरी नहीं हो सकतीं हैं। इसलिये परिवार नियोजन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। अगर परिवार नियोजन को लागू किया गया तो फूड फैसिलिटी, एजूकेशन फैसीलिटी, जाब फैसिलिटी और जो पर-कैपिटा इन्कम है, इन सब का निदान हो सकता है।

इसी के साथ-साथ मैं बताना चाहता हूं कि परिवार नियोजन के बारे में सेक्स एजूकेशन का बड़ा महत्व है। सेक्स एजूकेशन हमारे कैरीकुलर में इन्ट्रोड्यूस करना चाहिये। क्योंकि

[श्री गोरे लाल शाक्य]

अंन्तोगत्वा जो अल्टीमेटम है, एवरेज मैन का वह शादी करना है। और यदि सेक्स एजूकेशन का लोगों को पता हो तो उनको आप ही आसानी रहेगी कि कब हम बच्चे पैदा करें या न करें। इसलिये सेक्स ऐजूकेशन को, किसी भी स्टेज पर आप इन्ट्रोड यूज करें। मैं यह नहीं कहता कि कक्षा ७-८ के बच्चों की शिक्षा पिरों दें। लेकिन लेटर स्टेज पर सेक्स एजूकेशन को कैरीकुलर में शामिल किया जाना चाहिये। इसकी मैं आपसे जोरदार सिफारिश करता हूं।

इसके साथ-साथ जो टाटा आदि संस्थान हैं, जो फैमिली प्लानिंग के लिए उत्साहित करते हैं और फैमिली प्लानिंग के केस में २५० रुपये पुरस्कार दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह से जो अन्य संस्थान हैं उनमें ऐसे पुरस्कार देने चाहिये फैमिली प्लानिंग के लिये।

इसके साथ-साथ आल इंडिया रेडियो से परिवार नियोजन के बारे में प्रसारण का प्रबंध होना चाहिये और आल इंडिया रेडियो के हर स्टेशन पर एक यूनिट कायम होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त पोस्टर्स, मोशन पिक्चर्स जो हैं, उनको भी बढ़ावा देना चाहिये। अभी तक जितने हमारे परिवार नियोजन के साधन हैं वह अधिकतर शहरों में एवेलेबिल होते हैं। जो हमारे इन्टीरियर्स हैं, वहां ऐसे प्रचार के साधन नहीं हैं। जो ८४ फीसदी आबादी को कंविन्स कर सके कि परिवार नियोजन हमारे लिये अच्छा है, इसको अपनाना चाहिये। देहातों में इसका कोई असर नहीं है केवल शहरों में ही असर है। इसलिये इन साधनों को देहातों में भी पहुंचाना चाहिये।

इसी के साथ-साथ मुझे बुद्धिज्म की याद आती है जिसमें कहा गया है :—

अब्रह्मचर्यगं वेरमणी सिक्कादम सिक्कायदम समादयामि
कामेस्यु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्कापदम समादयामि।

तो ऐसे धर्म को बढ़ावा देना चाहिये। जहां मनुष्य को संयम से रहने की बात की गयी है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि देहात में कोई प्रचार के साधन नहीं हैं और जो पंचायती रेडियोज हैं, वह काम नहीं कर रहे हैं। इसलिये सारे प्रदेश में उनको वर्किंग आर्डर में होना चाहिये। नहीं तो जो विधान सभा में कहते हैं वह वहां नहीं पहुंच पाता है। यह मेरा सुझाव है।

मान्यवर, पापुलेशन को चेक करने के लिये एक प्रोफेशनल कालेज लड़कियों के लिये खोलना चाहिये और जिसमें डिग्री कोर्स ४ साल का रखा जाय जिससे जिनकी शादी करने की एज है वह इस कोर्स को करने से उनकी ४ साल शादी रुक जायेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि यह किया गया तो जन्म दर जो इस समय है, उसमें बहुत कमी आयेगी। यह फैमिली प्लानिंग के लिये अच्छा होगा।

मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि श्रीमती इंदिरा गांधी फेडरल केबीनेट ओन फेमिली प्लानिंग की चेयरमैन होते हुये इसमें तरक्की ज्यादा नहीं हुई है। इसलिये अफसोस है कि इसका मुख्य कारण यह है कि स्टाफ इफीशिएन्ट नहीं है। हर ब्लाक में फैमिली प्लानिंग तथा चिकित्सा कर्मचारी ३०–४० व्यक्ति हैं और हर ब्लाक में १५–१६ फैमिली प्लानिंग कर्मचारी हैं। फिर भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ सरकार को एक बात और ध्यान में रखना चाहिये कि जहां मद्रास में राज्य सभा की दो सीटें खोईं नहीं उत्तर प्रदेश में सीटों का ज्यादा उपयोग पापुलेशन से किया है। इसलिये ऐसे नियमों को खत्म किया जाना चाहिये। जब आबादी कम होने से मद्रास दो सीटें खोयेगा तो फिर वह राज्य परिवार नियोजन क्यों अपनायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं यूनानी चिकित्सा के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। यहां पर जो पुराना सिस्टम आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा का है उसके लिये फार्माकोपिया नहीं बना है। जो पुरानी दवाइयां हैं उन्हीं को नई दवाइयों के रूप में पेटेन्ट दवाइयां बना रहे हैं और विदेशों में करोड़ों रुपये का इस तरह से लाभ कमा रहे हैं। इसलिये फार्माकोपिया बनना चाहिये जिससे भारत का शोषण रुक सके। अथर्ववेद व अन्य साहित्य को इकट्ठा करके हिन्दुस्तान की औषधियों पर खोज कार्य किया जाना आवश्यक है।

मान्यवर, आयुर्वेदिक अस्पतालों व उनमें शैय्याओं की संख्या एलोपैथी की संख्या से कम नहीं होनी चाहिये। यह अस्पताल जन साधारण को इलाज की वे सुविधायें दे सकते हैं जो एलोपैथिक अस्पताल नहीं दे सकते हैं। हिन्दुस्तान के निर्धन वर्ग की आवश्यकता बैद्य व हकीम ही पूर्ण कर सकते हैं।

इसके साथ ही मान्यवर, जितने प्राइवेट मेडिकल सरकार प्रैक्टिशनर हैं उनके लिये फ्री तीन साल का रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिये। क्योंकि तीन साल में नये-नये डेवलेपमेंट पैदा हो जाते हैं और नई-नई बीमारी, इसलिये उनको डे-टु-डे डेवलपमेंट की नालिज कराने के लिये रिफ्रेशर कोर्स लागू किया जाना चाहिये। मान्यवर इसके साथ ही साथ सेन्ट्रल ड्रग्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ और अमेरिकन फर्म ला-प्रिटाइट के साथ एक कान्ट्रक्ट हुआ है जिसमें ५० हजार डालर अमेरिकन फर्म प्रतिवर्ष देती है और उसके ऐवज में जो नये-नये आविष्कार होते हैं यह ड्रग इन्स्टीट्यूट देता है। उन पर अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार अमेरिकन फर्म का है। आपको आश्चर्य होगा कि ७ पेटेन्ट इण्डिया ने खो दिये हैं और एक पेटेन्ट स्विस फर्म को चला गया। आविष्कार करें हम लोग और फायदा उठायें विदेशी लोग। अतः यह कान्ट्रैक्ट खतम होना चाहिये क्योंकि इसमें मैं बहुत ही दुखी हूं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार क्या कर रही है, यह बताया जाय। इस अमेरिकन फर्म से जो रुपया आता है उसका एकाउन्ट, एक डा० नित्यानन्द हैं, रखते हैं, और ए०जी० आफिस इसका एकाउन्ट नहीं रखता है। अमेरिका से कितनी रकम की दवाएं आती हैं किस कीमत पर कितनी मात्रा में इसका कोई हिसाब नहीं मालूम। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिये।

डा० डी० एन० शर्मा कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। यह कमेटी पिछले साल बनी थी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया है। इस पर भी ध्यान देना चाहिये। इसके साथ ही साथ ग्रोवर फर्म स्कैन्डल हुआ और इस सिलसिले में इन्क्वायरी चल रही है लेकिन इस स्कैन्डल के बारे में अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। साथ ही सेन्ट्रल ड्रग स्टोर, यू० पी० मेडिसिन परचेज करता है और उद्योग निदेशालय टेण्डर इन्वाइट करता है और दोनों ही जगह बहुत बड़ी रकम कमीशन के रूप में खाई जाती है। अगर इन दोनों का काम एक ही जगह हो जाय तो कम से कम पब्लिक को एक ही जगह कमीशन देना पड़ेगा और जो दो जगह रिश्वत ली जाती है वह एक जगह हो जाने से कम होगी।

महानगर डिस्पेंसरी में एक्सरे प्लान्ट बिलकुल बेकार पड़ा हुआ है। या तो उसे खतम कीजिये वर्ना ठीक करके चालू करवाइये। डिस्पेंसरी में डा० के० के० सिंह हैं जो १४ वर्षों से स्वामित्व जमाये हैं। यही चीज भ्रष्टाचार को जन्म देती है। क्या वजह है कि जब ५ साल का नियम है तो इतने साल से क्यों वह वहां हैं?

गोरखपुर में डा० कपूर को ५ वर्ष से अधिक हो गये उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

[श्री गोरे लाल शाक्य]

दूसरा एडलट्रेशन जो दवाओं में होता है उसको रोका जाना चाहिये। अभी हाल में ग्लूकोज काण्ड हुआ, उसमें जानें गईं। आखिर हम कब नसीहत लेंगे। यह जो कृत्रिम दवायें बनाई जाती हैं, उनमें मिलावट होती है वह किसी से छिपा नहीं है। टेबलेट की जगह खड़िया की टेबलेट बनाई जाती हैं और पकड़ी भी गई है। तो इसको बन्द होना चाहिये अलग से एक स्क्वैड स्थापित करना चाहिये जो इंडिपेन्डेन्ट और होल टाइमर हो और केवल छापे मारने का काम हों।

जो ग्लूकोस कांड था उसे वहीं छिपा दिया गया जबकि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जो भी दोषी होगा उसे नहीं छिपाया जायेगा। नाम तो पहले ही आ गया, इसलिये नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। जो बी० जे० फार्मेसी थी और जिसके मालिक, बी० के० सेठ थे उनको किस ने लाइसेंस दिलवाया। मैंने भी वह पत्र पढ़ा है। डा० वीरेन्द्र स्वरूप ने उनके साथ अपना सम्बन्ध खोल दिया कि हमारे उससे सम्बन्ध हैं। वह उसी कालेज के मैनेजर हैं और वह सीनियर लेक्चरार हैं उनको लाइसेंस दे दिया जाय। विधायक लोग साधारण सिफारिश भी कर दें तो इसके मायने यह नहीं कि फेवर करना चाहते हैं। परन्तु जब वह सम्बन्ध खोल रहे हैं कि हमारा भतीजा है तो इसका मतलब है कि जबरदस्ती दिलाना चाहते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट मिली उसमें यह है कि जबरदस्ती लाइसेंस दिलवाया गया, विभाग की उसमें रजामन्दी नहीं थी। इस तरह से यह केसेज छिपाये जा रहे हैं।

इसके साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि जन साधारण को कोई सुविधा नहीं है। रूस में १२०० व्यक्ति के पीछे एक डिस्पेन्सरी है। आस्ट्रेलिया में यह है कि जहां आवश्यकता पड़ती है तो वहां डाक्टर को हेलीकाप्टर मिलता है। हम इसमें यह स्ट्रेस नहीं करना चाहते हैं कि जन साधारण को ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिये। जो आपके अल्प साधन हैं उनमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिये यह भी नहीं मिल पातीं। इसके साथ-साथ मैं दारुलशफा की बात कहना चाहता हूं। आप यकीन करें कि वहां जो डिस्पेन्सरी है, मैं दवा लेने गया। पहले कह दिया गया कि जो बीस दवाएं लिखी हैं वह लैप्स हो गयीं। दूसरी दफा गया तो सारी दवाएं करटेल कर दीं और छोटा सा टानिक दे दिया जबकि वहीं एक-एक पर्चे पर ९०० रु० की दवाएं इश्यू होती हैं।

एक सदस्य—

रास्ता क्या है ?

श्री गोरे लाल शाक्य—

रास्ता यह है कि डाक्टर के प्रेसक्रिप्शन पर दवाएं इश्यू होनी चाहिये। साथ ही यह भी होना चाहिये कि विधायक के लिये अधिकतम कितने रुपये तक की दवा मिल सकती है, मंत्री के लिये कितने तक मिल सकती है और सेक्रेटरी के लिये कितने तक की दवा मिल सकती है। जब इस प्रकार होगा तभी यह भ्रष्टाचार दूर होगा। इसके साथ-साथ जो लोकल परचेज के लिये राधा ड्रग हाउस है वह एक कांग्रेसी व्यक्ति का है। भ्रष्टाचार के आरोप में उसका कन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था क्योंकि जो दवाएं स्मगिल होकर जाती थीं वही लौट कर दारुलशफा में आ जाती थीं। लेकिन मंत्री जी ने फिर उन्हीं को कन्ट्रैक्ट दे दिया है। जब ऐसा है तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। यह दारुलशफा डिस्पेन्सरी का हाल है।

मेडिकल कालेज, लखनऊ में जो डफरिन हास्पिटल है वहां साढ़े सात बजे सुबह से ड्यूटी प्रारम्भ होती है और दूसरे दिन ढाई बजे समाप्त होती है। ३० घंटे कैसे ड्यूटी हो सकती है। बीच में कर्मचारी खाना खाने भी जाता है। यदि ड्यूटी इतनी लम्बी रहेगी, तो ठीक से कैसे काम कर सकते हैं ?

इसके साथ ही साथ, इस विभाग के सेनेटरी इन्सपेक्टर्स और सुपरवाइजर्स के साथ अन्याय किया गया है। जो दूसरे विभाग के सेनेटरी इन्सपेक्टर्स और सुपरवाइजर्स हैं, उनको जो टी० ए०/डी० ए० दिया जाता है, इस विभाग के सेनेटरी इन्सपेक्टर्स और सुपरवाइजर्स को क्यों नहीं दिया जाता।

मान्यवर, जो ज्वाइन्ट डायरेक्टर और एडीशनल एडायरेक्टर हैं, उनकी तनख्वाह में सिर्फ २०० रुपये का फर्क है। तो या तो एडीशनल डायरेक्टर की पोस्ट को खत्म करें या उसको कुछ ज्यादा दें।

इसके साथ ही साथ, जो कानपुर का कैंन्सर हास्पिटल है, वहां पर ३००/४०० रुपये लोगों से रिश्वत लेकर ऐडमीशन लिया जाता है। उनका ४/५ दिन ट्रीटमेंट करने के बाद निकाल दिया जाता है और नये लोगों से फिर ३००/४०० रुपये लेकर ऐडमीशन किया जाता है। यह भ्रष्टाचार बंद किया जाना चाहिये। इसी तरह से जो टेकनीशियन्स हैं, वे कह देते हैं कि मशीन खराब है और इस तरह से छोटे-छोटे कर्मचारी भी १०/१०, १५/१५ रुपये रिश्वत लेकर काम करते हैं। न वहां रहने की व्यवस्था है, न दवा की। सैकड़ों मील से, गाजीपुर, बनारस, देवरिया, पौड़ी गढ़वाल आदि जिलों से लोग आते हैं और पड़े रहते हैं। कोई सुविधा का ध्यान नहीं।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्रायवेट डाक्टरों की प्रेक्टिस खत्म करके अच्छे कदम उठाये थे। लेकिन अब फिर प्रायवेट प्रैक्टिस को खोल दिया गया है। इससे जनता का भला नहीं होने का। डाक्टर्स प्राइवेट फीस लेकर ही भर्ती करते हैं। तो प्राइवेट प्रेक्टिस बंद कर दें, चाहे उनका एलाउन्स २५० या ५०० रुपये तक बढ़ाना पड़े। आपने प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दिया और उसके एवज में कुछ सुविधायें दे दी थीं। अब तो यह हो रहा है, प्राइवेट प्रेक्टिस भी खोल दी गयी है और वे सुविधायें भी चल रही हैं। दोहरा फायदा उनको दिया जा रहा है। एक तरफ गरीब जनता परेशान है, दूसरी तरफ दोहरी सुविधाएं दी जा रही हैं। यह कहां का न्याय है ?

इसके साथ ही साथ, मैं मोबाइल हास्पिटल के बारे में कहना चाहता हूं कि उनमें डाक्टर नहीं जाते, कम्पाउन्डर्स जाते हैं, इलाज के लिये। इसके लिये तो डाक्टर्स की भर्ती होनी चाहिये, चाहे अलग से हो, चाहे इन्हीं में से हो।

जो महिलाओं की गोपनीय चिकित्सा होती है, उसके लिये एक्सपर्ट महिला चिकित्सक नहीं है और उनका इलाज पुरुष डाक्टर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कराया जाता है। तो प्रयास यह होना चाहिये कि महिलाओं का इलाज महिला डाक्टर्स द्वारा ही होना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी पत्नी का कत्ल हो गया और मैं यह चाहता था कि पत्नी के शव का शव विच्छेदन लेडी डाक्टर ही करे और मेल डाक्टर न करे लेकिन कोई लेडी डाक्टर उपलब्ध न होने के कारण और ऐसा कोई प्रतिबन्ध न होने के कारण मेल डाक्टर ने ही मेरी पत्नी के शव का शव विच्छेदन किया। मेरा अनुरोध है कि महिलाओं की मृत्यु होने पर उनके शव का शव विच्छेदन लेडी डाक्टर्स ही करें इसके लिये सरकार को नियमों में व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके अलावा ८० प्रतिशत जो हमारे अस्पताल के भवन हैं वही जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और गंदगी भी वहां बहुत सी है। जिला परिषद के अस्पताल स्टेट डिस्पेंसरीज में गिने जाते हैं और प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स की इमारतें जो हैं, उन सब पर विशेष ध्यान देना चाहिये, उनकी मरम्मत व सफेद पुताई होनी चाहिये। गंदगी में ठीक इलाज नहीं चल सकता।

[श्री गोरे लाल शाक्य]

मेडिकल कालेजेज में लेक्चरर्स की नियुक्ति के लिये जो कमेटी बनाई गयी है उनकी नियुक्ति में मेरी जानकारी में यह बात लाई गयी है कि प्रथम श्रेणी के जो छात्र हैं, जो थ्रुआउट फर्स्ट क्लास रहे हैं उनकी नियुक्ति लेक्चररशिप में नहीं हुई बल्कि ऐसे लोगों की हुई जो थर्ड क्लास थे। इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये कि मेडिसिन लाइन में भी ऐसा पक्षपात क्यों चल रहा है ?

कानपुर में बेना झावर में ई० एस० आई० डिस्पेंसरी है। उसमें महिला कर्मचारी एम० जेड० हेस्टिंग्स है उनको पिछले ७, ८ साल से कोई इन्क्रीमेन्ट नहीं दिया गया और न उन पर कोई दोषारोपण ही किया गया कि इस वजह से उनका इन्क्रीमेन्ट नहीं लगाया जायगा। इसके अलावा उनका सरनेम भी कई वर्षों से चेंज नहीं किया गया था जब कि उनकी शादी बहुत पहिले हो गयी है। मैंने कई बार प्रोटेस्ट किया तब सरनेम चेंज किया गया। तो इसमें क्या आफत थी और क्या इसमें भी विभाग रिश्वत लेना चाहता था।

इसके साथ एस० पी० जी० अस्पताल, वाराणसी में सीनियर सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप थे उसके बावजूद भी उनका प्रमोशन कर दिया गया। और अच्छी जगह नियुक्त किये गये हैं। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, आगरा में डाक्टर जैन तथा डा० मिश्रा के विरुद्ध कई आरोप थे लेकिन उनको हटाया नहीं गया और ५ साल से एक ही जगह पर नियुक्त हैं। जिला संक्रामक रोग शाखा के औषधि भंडार, लखनऊ में जो कर्मचारी पिछले १५, १६ साल से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे उनको परमानेन्ट नहीं किया गया बल्कि बाहर से नई भर्ती कर ली गयी जब कि यह प्रिविलेज उनको ही मिलना चाहिये था जो पहले से काम कर रहे थे। शायद उनकी नई नियुक्ति में रिश्वत मिल गयी और इसलिये जो १५ साल से काम कर रहे थे उनको स्थायी नहीं किया गया।

इसी तरह से वायटल स्टेटिस्टिक्स के लिये देहातों में लेखपालों को रखा गया है। समझ में नहीं आता कि उनके जरिये से सही डायनोसिस कैसे हो सकता है? हमारी योजनायें कैसे पूरी होंगी ? यह तो लेखपाल नहीं जानता है कि कैसे और किस बीमारी से मौत हो गई। तो यह वाइटल स्टैटिस्टिक्स इक्सपर्ट लोगों को सौंपी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (माननीय सदस्य के बैठने पर तथा पुनः खड़े होने पर)..... इसके साथ ही में कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

एक सदस्य--

व्यवस्था का सवाल है, जब माननीय सदस्य बैठ गये और फिर बाद में कहा कि मैं कटौती का प्रस्ताव रखता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पहले ही पेश कर दिया।

डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से अपने स्वास्थ्य मंत्री जी की कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज सर्वांगीण विकास के लिये सही कदम उठाया है और उसके लिये बजट प्रस्तुत किया है। मैं यह मानने के लिये बिलकुल तैयार नहीं हूं कि विकास ठीक गति अभी पकड़ेगा परन्तु इतना निश्चित है कि जो कदम हमारी सरकार ने और हमारे मंत्री महोदय ने उठाये हैं, उनसे हमारा भविष्य सुनिश्चित रूप से स्वर्णिम होगा।

मान्यवर, बजट में जो ग्रामीण अंचलों में अधिक सुविधायें देने की बात कही गई, है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। क्योंकि पिछले वर्ष इसी सदन में मैंने यह प्रार्थना स्वास्थ्य

मंत्री जी से की थी कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र २ किलोमीटर पर बनने चाहिये और उसके लिये मैंने कुछ सुझाव भी रखे थे। मुझे खेद है कि वह दो किलोमीटर की मेरी कल्पना अभी कल्पना ही है। दो किलोमीटर तो क्या हमारी सरकार का जो साधारण लक्ष्य ८ किलोमीटर का था, अभी तक उसका भी कोई न तो ठीक सर्वेक्षण हुआ है और न सारे प्रदेश में इस ८ किलोमीटर के लक्ष्य की प्राप्ति के ठीक-ठीक उपाय काम में लाये गये हैं। यह स्थिति बहुत चिन्तनीय है और मुझे यकीन है कि हमारे मंत्री जी इस विषय में अवश्य कदम उठायेंगे और कम से कम सारे प्रदेश में ८ किलोमीटर की दूरी पर अस्पतालों को स्थापित करने में पूरी चेष्टा करेंगे।

मैं दो-चार बातें सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं। पहले मैं शिक्षा को लेता हूं। मेरा ख्याल है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है वह किन्हीं कालेजों में किन्हीं पद्धतियों में तो बहुत अच्छा है और किन्हीं पद्धतियों में उसकी अवस्था जीर्ण है। आप लोग आये दिन अखबारों में पढ़ते होंगे लखनऊ में जो तिबिया कालेज है उसकी दशा बड़ी चिन्तनीय है। जितने आयुर्वेदिक कालेज हैं उनकी अवस्था बहुत सुन्दर नहीं है। होमियोपैथिक कालेजों की अवस्था वास्तव में बहुत ही चिन्तनीय है। हालत यहां तक बिगड़ गई है कि लखनऊ में जो नेशनल होम्योपैथिक कालेज है, जो सरकारी कालेज है, उसके पास अभी तक कोई भवन भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में समाज में चिकित्सा और स्वास्थ्य विषयक शिक्षा सम्बन्धी यह बात सोचना कि हम ठीक रास्ते पर चल निकले हैं मेरी समझ में ठीक नहीं है।

अगर वास्तव में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार आप लाना चाहते हैं तो मेरा यह ख्याल है कि प्रदेश के अन्दर जितने भी मेडिकल कालेजेज हैं, जितने भी मेडिकल संस्थान हैं, जितने सेवा संस्थान हैं, चिकित्सा संस्थान हैं। उन सबको पूल किया जाना चाहिये और सब को पुल करके जोन बनाकर सब पद्धतियों के अलग-अलग विंग बनाये जाने चाहिये। सब शिक्षा का स्तर एक किया जाना चाहिये। जो प्री-मेडिकल टैस्ट होते हैं वह अभी तक केवल एलोपैथिक कालेजों के लिये ही होता है। आयुर्वेदिक कालेजों का अलग होता है तथा होम्योपैथिक का अलग होता है उसमें कहीं पर हाईस्कूल वालों को लिया जाता है कहीं पर इंटर वालों को। तो मेरी समझ से एक स्तर सब के लिये होना चाहिये और उसके बाद जो अंचल बनें जिन-जिन पद्धतियों में जो जाना चाहें, उसमें वह जाय। उनका प्री-क्लीनिकल स्टेज में चिकित्सा विषय जो हैं वह सब के साथ एक जैसे होने चाहिये और जब वह प्री-क्लीनिकल स्टेज से निकल जाय तो उसके बाद वह अपने-अपने जोनल इंस्टीट्यूशन में विभिन्न पद्धतियों को पढ़े और थर्ड इयर फोर्थ इयर और फिफ्थ इयर में अपने-अपने कोर्स का अध्ययन करें। जब इस प्रकार से सब पद्धतियों का विकास करेंगे और धीरे धीरे उनको पूल करने को कोशिश की जायेगी तो १०, १५ वर्ष में अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस का जिक्र हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है, जिसका उन्होंने संकेत दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा चिकित्सा को चिकित्सा विभाग से अलग करके शिक्षा विभाग के साथ मिला दिया जाना चाहिये। उसे अलग रखना हमारी समझ में कोई खास बात नहीं आती है। जिस तरह से इंजीनियरिंग वाले हैं जिसे शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ही लिया जाता है तो चिकित्सा विभाग में अलग से रखने की बात समझ में नहीं आती है। इससे विद्यार्थियों में एक रूपता की भावना आयेगी, समाजीकरण उनमें होगा। इंजीनियरिंग और चिकित्सा संबंधी तथा अन्य विद्यार्थियों में एक रुपता नहीं होती है। आप देखते होंगे अपने-अपने ग्रामों में, या शहरों में एक तारतम्य अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है।

श्री उपाध्यक्ष--

समय हो रहा है। आप भाषण समाप्त करें।

डाक्टर श्याम किशोर--

अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

औसतन ७ मिनट का समय दे रहा हूं। सबको बोलना है। अन्य माननीय सदस्य भी है जिन्हें अपने विचार रखने हैं।

डाक्टर श्याम किशोर--

एक मेरा सुझाव परिवार नियोजन विभाग से है। यह एक नैतिक और सामाजिक प्रकार का कार्य है जहां तक मेनीपुलेटरी और सर्जिकल साइड की बात है वह जरूर चिकित्सा के साथ रहना चाहिये। लेकिन परिवार नियोजन, समाज कल्याण विभाग के साथ जोड़ा जाना चाहिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इसके लिए डाक्टरों की सलाह लेनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। आपको जरूरत है तो आप डाक्टर की सलाह लीजिये।

डाक्टर श्याम किशोर--

मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो डब्लू० एच० ओ० प्रोग्राम चल रहा है यह अच्छा है उससे समाज को जरूर फायदा हो रहा है लेकिन मेरा ख्याल यह है कि हमारे प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में मद्यपान का जो प्रचलन है वह इतना ज्यादा है कि मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय में जरूर देखें और डब्लू० एच० ओ० में इस मामले को अवश्य उठाया जाए और वहां पर भारतीय चिकित्सक और भारतीय विशेषज्ञ जाएं और वे वहां जाकर अमेरिका और यूरोप में यह देखें कि वहां पर मद्यनिषेध क्यों फेल हो गया है और वहां पर उन परिवारों को भी देखें, इस बात का अन्वेषण करें कि आखिर अमेरिका और यूरोप में मद्यनिषेध क्यों फेल हो गया है। फिर ये लोग अपने अर्जित ज्ञान को अपने देश में, समाज में फैलाएं, जिससे हमारे देश में भी मद्य-निषेध वास्तव में लागू हो सकें। यह प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, उससे हमारे समाज में हिंसात्मक प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। इसलिये यह बहुत ही आवश्यक है कि जैसे भी हो, मद्यनिषेध लागू कराया जाए और इस सामाजिक बीमारी को दूर करने के लिये मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो मद्यपान सम्बन्धी हमारा सामाजिक विकार है उसके संबंध में अवश्य कारगर कार्यवाही करें। इन शब्दों के साथ यह जो कटौती का प्रस्ताव बिलकुल निरर्थक है, मैं उसका विरोध करता हूं और जो सिंह साहब ने बजट का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मेरा यकीन है कि उसको आप सभी लोग अवश्य मानेंगे।

*श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने बहुत नहीं कुछ रचनात्मक कार्य करने का बजट में इशारा किया है, लेकिन कुछ ऐसा आभास हुआ है कि हमारे मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय के दिमाग में भी पूरब–पश्चिम वाली बात पैदा हो गयी है। वह कुछ समय के अनुसार जैसी कि आजकल लोगों में धारणा है, उसके वह भी शिकार हो गये हैं। मेडिकल इन्स्टीटयूट में यदि कोई सुख-सुविधा प्रदान करने की बात है तो वह सारी की सारी इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े-बड़े नगरों में ही दी जाती है। किन्तु वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की वह कोई जरूरत नहीं समझते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जबकि देश की ८०–८५ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, इस तरफ किसी भी सरकार या मंत्री ने घूमकर भी नहीं देखा। वहां पर मरीजों को ४०–५० मील दूर से आकर शहर में चिकित्सा का प्रबन्ध करना पड़ता है। जहां ८५ प्रतिशत जनता खेती और किसानी करती है, वहां पर उचित चिकित्सा का प्रबन्ध होना बहुत जरूरी है। शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर गांवों की तरफ देना चाहिये। मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि इस वर्ष पिछले वर्ष से मलेरिया का प्रकोप हो गया है। सरकार ने पहले कहा था कि मच्छर तो रहेंगे लेकिन मलेरिया नहीं रहेगा। लेकिन आज मलेरिया के भयंकर प्रकोप के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। इसलिये मच्छरों को मारने के लिये उचित इन्तजाम होना चाहिये, जो मंत्री जी के वश की बात है।

परिवार नियोजन में ८० प्रतिशत केस जाली होते हैं। कर्मचारी और दलाल लोग पैसा तो अपनी जेब में रख लेते हैं और बनावटी नाम लिख लेते हैं कि फलां-फलां ने आपरेशन कराया। मेरे–इल्म में यह शत प्रतिशत सही है, जाली केसेज किए जाते हैं, जाली फेमली प्लानिंग को बढ़ावा दिया जाता है। जब फेमली प्लानिंग नहीं थी तब जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर क्या थी और अब साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं, इसे आप ठीक से देख लें तो नतीजा निकल जाएगा कि यह चीज सही है या गलत है।

प्रदेश के चिकित्सालयों में आपरेशन इंस्ट्रूमेंट्स बिलकुल नहीं हैं। मैं अपने जिले की जानकारी के अनुसार कह रहा हूं, खुर्जा और बुलन्दशहर में इसके कारण आपरेशन नहीं हुए। हमारे गांव में एक लड़के को गोली लग गई, किन्तु उसका आपरेशन तहसील और जिला हेडक्वार्टर पर इनकी कमी के कारण नहीं हो पाया। लड़के को दिल्ली ले जाना पड़ा और आपरशन कराना पड़ा। मेरी तहसील खुर्जे में गोली चली जिसमें २० आदमी गोली के शिकार हुये और अस्पताल में उनकी चिकित्सा का यहां तक की फर्स्ट एड का भी इन्तजाम नहीं था। जितनी दवायें अस्पताल में होनी चाहिये उसकी दस प्रतिशत भी नहीं है। यह बड़े अफसोस की बात है कि जहां आदमी के अनमोल जीवन की सुरक्षा होती है वहां दवाओं का प्रबंध न हो, यह बड़े दुख की बात है।

एक्स रे प्लांट की बहुत ज्यादा परेशानी है। यह कहीं भी सुचारुरूप से नहीं चलते हैं। कहीं कोई कमी आ जाती है और कहीं कोई आ जाती है। मरीजों को शहर में एक्सरे कराना पड़ता है और सरकार कहती है कि हम जनता को सुख-सुविधायें देते हैं। यह धोखा है और सरकार का खोखलापन है। अस्पतालों में गरीबों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। अमीरों को ही सारी सुविधायें मिलती हैं। गरीबों को डिस्टिल्डवाटर की शीशी भी बाजार से लानी पड़ती है और उसको दस पैसे की भी पट्टी नहीं मिलती है।

मंत्री जी को प्रशासन की बात बताऊं। मंत्री जी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। एक सैनीटरी इंसपैक्टर का स्थानान्तरण ६ महीने में आठ बार हुआ। दस साल से मेरे जिले में सोनिटरी इंसपेक्टर्स हैं। उनकी शिकायत बी० डी० ओ० ने की, प्रमुख ने की और

[श्री एदल सिंह]

एम० एल० ए० ने की, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ। मंत्री जी से बात हुई तो डायरेक्टर महोदय से कहा गया। दोनों सेनिटरी इंस्पेक्टर कुशल पाल सिंह और शर्मा को सहारनपुर तब्दील कर दिया गया। फिर दुबारा आदेश जाता है कि कुशलपालसिंह शर्मा जी से चार्ज ले लें। उन्होंने कहा कि यह आदेश क्लिअर नहीं है, इसलिये हम चार्ज नहीं दे सकते हैं। यह दशा है उनके विभाग की। १४/१४ साल लोगों के तबादले नहीं होते हैं और एक ही जगह पर जमे रहते हैं।

अस्पतालों में रोगियों को फल, दूध तथा भोजन शुद्ध नहीं मिलता है। दूध में ७५ फीसदी पानी मिलाया जाता है लेकिन कोई जांच नहीं की जाती है। फल बिलकुल नहीं मिलते हैं और भोजन भी अच्छा नहीं मिलता है। यह सब परेशानियां ह। इनको देखना पड़ेगा। बुलन्दशहर जिले की तहसील खुर्जे में एक जनाना अस्पताल है जो बिलकुल खंडहर है। पिछले स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी को दिखाया तो उन्होंने सिविल अस्पताल में बदल दिया और कहा कि अगले साल बना देंगे। जनाने अस्पताल की इमारत का प्रबन्ध किया जाय। मंत्री जी ने जैनरेटर के लिये कहा तो मैं कहूंगा कि इसका प्रबंध प्रत्येक जिले में होना चाहिये क्यों कि बिजली की कमी सब जगह है।

एक सेंट्रल मेडिकल स्टोर डिपार्टमेन्ट बड़ी भारी बला है। इसके संबंध में पहले मुझे जानकारी थी लेकिन अब नहीं है। जिस रोगी को, जिस अस्पताल के रोगी को दवा चाहिये, वह दवा नहीं देता है और मजबूर होकर डाक्टरों को वह दवाइयां जो न काम आने वाली हैं, रोगी को देना पड़ता है जिसका नतीजा यह होता है कि रोगी को फायदा नहीं होता है और रोगी मरणावस्था में पहुंच जाता है। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे रखे हुए सुझावों की जानकारी करके, उसकी कमी को दूर करने की व्यवस्था करेंगे। इस तरह से मैं जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में ७४-७५ की जो उपलब्धियां बताई हैं, वह ७५-७६ के लिये जो प्रस्तावित बातें रखी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। बहुत से क्रांतिकारी कदम उठाये गये हैं इस बजट में, लेकिन में यहां पर थोड़े ही समय में कुछ सुझावों को आपके माध्यम से सदन के सामने रक्खूंगा।

जहां तक मेडिकल एजूकेशन का प्रश्न है यह बहुत अहम विषय है। प्रदेश में और अभी हमारे ग्रामीण अंचल में डाक्टरों की बहुत कमी है। उसको देखते हुए इस बार बजट में मेडिकल एजूकेशन के लिये बहुत अल्प धनराशि का प्राविधान किया गया है। ७३-७४ में ९१ लाख का था, ७५-७६ में केवल ३१ लाख ही रह गया है। मैं समझता हूं कि यह काफी कम है और इसको बढ़ाना आवश्यक है। मुदालियर कमेटी की संस्तुति थी, उसके मुताबिक कम से कम ५० लाख आबादी के पीछे एक मेडिकल कालेज होना आवश्यक है। हमारे प्रदेश में इस समय ९ करोड़ की आबादी है, उसमें कम से कम १८ मेडिकल कालेजेज होना आवश्यक है, लेकिन इस समय केवल ९ मेडिकल कालेजेज हैं। मैं मानता हूं कि इस समय शासन के पास धन की कमी है, उसको देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि और मेडिकल कालेजेज खोले जायं। जो मेडिकल कालेजेज हैं उनमें क्षमता बढ़ाई जाय ताकि जो डाक्टर्स निकलें, सब तो नौकरी में नहीं खपेंगे, कुछ ग्रामीण अंचल में प्राइवेट प्रेक्टिस भी करेंगे।

इसके साथ-साथ में आगरा मेडिकल कालेज के विषय में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। अब तक यह देखा गया है कि प्रदेश में जितने मेडिकल कालेजेज हैं, उसके मुकाबिले बहुत ही कम धनराशि आबंटित की गई है गतवर्षों में भी और इस बार भी साज-सज्जा केलिये १ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, जब कि अन्य मेडिकल कालेज जो हैं, उनमें ३ लाख, ५ लाख का प्राविधान किया गया है। अभी साढ़े ३३ लाख का आबंटन लखनऊ मैडिकल कालेज के लिये किया गया है। आगरा मेडिकल कालेज के लिये यह उदासीनता क्यों बर्ती जाती है? अभी वहां पर ७५–७६ के लिए जो प्रस्तावित बातें रखी गई हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट की बात नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ई० एन० टी० विभाग व आर्थोपेडिक यह विभाग बहुत अहम है और इस डिपार्टमेंट को पूरे विभाग का दर्जा दिया जाय। इसके अलावा हमारे यहां स्टेट ब्लड बैंक की आवश्यकता है। यह हमारा अनुभव है कि मेडिकल कालेजेज और अस्पतालों के चारों तरफ अनधिकृत ब्लड बैंक पैदा हो गये हैं, जहां न टेक्निशियन्स हैं और न कोई व्यवस्था है, जैसे चाय और पान की दूकानें होती हैं, उसी तरह से ये ब्लड बैंक पैदा हो गये हैं। मेरा अनुरोध है मंत्री जी से कि वे अपने अधिकारियों को यह आदेश दें कि इस तरह से जो अनधिकृत ब्लड बैंक हैं, उन पर रोक लगाई जाय। इसके अलावा मंत्री जी ने कहा कि वहां पर एक जैनेरेटर का प्राविधान किया गया है। लेकिन इतने बड़े मैडिकल कालेज के लिये वह बहुत ही नाकाफी है। आज प्रदेश भर में बिजली की बहुत कमी है। वहां पर जो गायनोकोलोजी, ओप्थैल्मिक और सरजरी विभाग हैं, उनमें अलग-अलग एक-एक जैनेरेटर की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे यहां पर एक लेडी लायल हौस्पिटल है। यदि उसको एस० एन० होस्पिटल से सम्बद्ध कर दिया जाय तो उसके विकास की बहुत संभावना बढ़ जायेगी और इससे वहां की जनता को भी काफी राहत मिल सकेगी। मेरी यह भी प्रार्थना है कि बैक्टीरियोलाजी का जो पैथोलाजीके अन्तर्गत एकविभाग है, उसको भी एक पूर्ण विभाग का दर्जा दिया जाना चाहिये। मेरी प्रार्थना यह भी है कि सरजरी विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन की सम्प्रेसन की भी स्थापना की जाय।

आगरे में या कानपुर में एक्सरे की जो प्लैट्स हैं वे बहुत ही कम हैं जो गरीब लोग वहां पर एक्सरे के लिये जाते हैं उनको बाजार से ही एक्सरे करवाने पड़ते हैं। इसी प्रकारसे वहां पर गैस आक्सीजन सिलेन्डर्स का भी अभाव है। मेरा अनुरोध हैकि कम से कम आक्सीजन सिलेन्डर्स जो लाइफ सेविंग डिवाइस हैं, इसका समुचित प्रबन्ध करा दिया जाय। एक्सरे प्लेट्स जिनकी गरीबों के लिये बहुत आवश्यकता है, उनको भी वहां पर मुहइया कराया जाय।

इसके अलावा वहां के जो डाक्टर्स हैं, उनकी भी अपनी समस्या है। हर तार से जब उनका चुनाव होताहै तो लोक सेवा आयोग के समक्ष उन्हें जाना पड़ता है, नतीजा यह होता है कि कभी-कभी जूनियर डाक्टर्स का प्रोमोशन हो जाता है और सीनियर्स नीचे रह जाते हैं, तो उस दशामें उनके मन में कुन्ठा की भावना हो जाती है। जिस प्रकार से और विभागों में अधिकारियों को पदोन्नत किया जाता है, जैसे पी० सी० एस० को आई० ए० एस० बना दिया जाता है, इन्जीनियर्स को चीफ इन्जीनियर तक बना दिया जाता है, उसी प्रकार से मेरी प्रार्थना है कि शिक्षक डाक्टर्स का भी आटोमेटिक प्रोमोशन, उसके कार्य को, अनुसन्धान कार्य को दृष्टि में रखकर पदोन्नत कर दिया जाना चाहिये। ऐसा अन्य प्रदेशों में प्राविधान है। हमारे प्रदेश में भी वर्ष १९७२ में इस प्रकार का एक जी० ओ० जारी हुआ था कि लैक्चरर डाक्टर्स में से ५० प्रतिशत रीडर्स होंगे, लेकिन वर्ष १९७५ तक भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है।

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल]

अब मैं माननीय मंत्री जी का डिफेक्टिव परचेज सिस्टम के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर्स है उसके अलावा बलरामपुर और सिविल होस्पिटल में भी स्टोर्स हैं। कुछ दिन पूर्व वहां पर स्टोर्स की जांच विजीलेन्स द्वारा की गई थी, लेकिन कौन दोषी पाया गया, इसकी रिपोर्ट आज तक भी सदन के सामने पेश नहीं हुई है। मेरे पास निश्चित सूचना है कि उसमें बहुत धांधले बाजी पकड़ी गई। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय।

कुष्ठ रोगियों की भी एक समस्या है। हमारे यहां पर एक जालमा हौस्पिटल है जिसमें जापान और हमारी सरकार की ओर से मदद दी जाती है। कहा गया था कि १० वर्ष बाद उसका टेक ओवर किया जायगा लेकिन अभी तक टेक ओवर नहीं किया गया है। वहां के जो बड़े-बड़े डाक्टर्स व अधिकारी लोग हैं वे ५–५ फीगर्स में तनख्वाह पाते हैं लेकिन वहां पर जो छोटे कर्मचारी हैं, उनको प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन से भी कम वेतन मिलता है। यहां तक कि उन्हें कोई वर्दी वगैरह व अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। मान्यवर, उस अस्पताल में लाखों रुपये का गड़बड़ घोटाला है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे उसकी जांच करवायें और उसे जल्द से जल्द टेक ओवर करने का आदेश देने की कृपा करें।

जहां तक स्पूरियस और सब स्टैंडर्ड ड्रग्स का सवाल है। हमारे यहां पर १८ ड्रग्स इन्सपेक्टर्स थे, उनकी संख्या को बढ़ाकर ३६ कर दिया गया है। आज इन स्पूरियस और सब स्टैन्डर्ड दवाओं के बेचने वाले मौत के सौदागर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई रुकावट नहीं की जाती है। इन्सपैक्टरों के पैसे होते हैं। आज उन इन्सपैक्टर्स और मौत के सौदागरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस विषय में भी मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस विषय में भी जांच करायें और उनको सजाये दिलायें?

मान्यवर, लखनऊ में हमारा जो सिविल हौस्पिटल है, वह २ विंग्स में बटा हुआ है। एक तो सूचना विभाग में स्थिति है और दूसरा हजरतगंज म स्थित है। मरीजों को बड़ी परेशानी होती है। मरीजों को बरसात व गर्मी मेंवहां से यहां आना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सम्पूर्ण सिविल अस्पताल को इन्फारमेशन विभाग के भवन में रखा जाये और जो सूचना विभाग है उसको पुराने सिविल अस्पताल हजरत गंज में लाया जाये, इससे मरीजों को सुविधा होगी।

*श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर मैं कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करने के लिये तथा जो अनुदान रखे गये है, उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सुदूर देहाती इलाकों में चिकित्सा की व्यवस्था का बड़ा अभाव है। यही नहीं स्वयं माननीय मंत्री जी की नाक के नीचे राजधानी में एक बलरामपुर अस्पताल है, जहां पर आज भी मरीजों के लिये तात्कालिक दवायें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। खून एकत्रित जो किया जाता है, उस के रख-रखाव की उचित व्यवस्था नहीं है जिसके कारण मरीजों की मृत्यु हो जाया करती है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि एक रिक्शा वाले की मृत्यु आपरेशन थियेटर में ही हो गयी क्योंकि उसको खून नहीं मिल पाया।

बलरामपुर अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड है। यहां पर मरीजों से खाने के लिये ७.५० रु० लिया जाता है लेकिन जो खाना वहां पर उपलब्ध होता है वह अच्छी किस्म का नहीं होता है। इसका उदाहरण यह है कि इस वार्ड में २८ मरीजों की व्यवस्था है तो उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

२८ मरीजों में से कुल ६ व्यक्ति ही यहां पर खाना खाते हैं। रोटियां कच्ची होती हैं, कभी खिचड़ी दे दी जाती है। इस प्रकार से यहां की व्यवस्था है। पिछले २७ सालों से वहां पर एक ही खाना बनाने वाला व्यक्ति है जब से उसकी नियुक्ति हुई है तब से उसका तबादला नहीं किया गया है इस प्रकार से वह केवल खाना बनाने वाला ही नहीं है बल्कि वह वहां का मालिक बन बैठा है। यही हालत वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट की है। वह यहां से जाना नहीं चाहते हैं। इनके लिये सीनियर सुपरिन्टेन्डेंट की पोस्ट क्रिएट की गयी है। इसका कारण यह है कि यहां का बहुत बड़ा बजट होता है और वह उसमें मनमानी करते हैं। वह सी० एम० ओ० होकर जाना नहीं चाहते हैं।

इटावा जिले में यमुना चंबल और कुवारी नदी के बीच के बीहड़ इलाके में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। यहां पर चिकित्सा के लिये लोगों को दूर-दूर से आना पड़ता है। चकनपुर और सहसों में नये अस्पतालों की व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है। वहां पर एक कनचोरी बाजार है जो कानपुर और इटावा की सरहद को जोड़ता है। यहां पर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के यहां पर डिप्टी सी० एम० ओ० ने छापा मारा तो उनके यहां बहुत सी चोरी की दवायें मिली थी दवायें सील थीं और उन पर लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज की सील थी और वे वहां से चोरी में बेची गयी थी। लेकिन आज दो महीने बीत जाने के बाद भी आगरा का ड्रग इंस्पेक्टर उस दुकान पर बरामद सामान की फेहरिस्त बनाने नहीं आया और उस मामले को टाला जा रहा है। इसी तरह डा० एच० बी० सिंह, डिप्टी सी० एम० ओ०, आगरा के भ्रष्टाचार की व्यापक चर्चा यहां हुई लेकिन आजतक उसकी जांच न इस सदन में आयी न इस सदन के बाहर आयी। औरैया के महिला और पुरुष चिकित्सालय बहुत जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं। माननीय मंत्री जी इन चिकित्सालयों को अपग्रेड कर के नयी इमारत की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सर्वप्रथम कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अपने साथी के प्रति उनके परिश्रम के लिये आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनके भाषण के अगर पहले हिस्से को निकाल दिया जाय तो मुझे ऐसा लगता था कि वह इस विभाग में और क्या-क्या काम होने चाहिये, इसका सुझाव प्रस्तुत कर रहे थे और अन्त में, जैसी कि उनकी मनःस्थिति थी, उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया। मैं ऐसा समझता हूं कि वह स्वयं महसूस करते हैं कि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। मैं उनकी जानकारी के लिये उनकी और सदन की सेवा में आग्रह करना चाहता हूं कि देश जिस समय आजाद हुआ इस महकमे का कुल बजट ढाई करोड़ का हुआ करता था इस प्रदेश का। वह बजट बढ़ कर लगभग ५४ करोड़ के हो गया, है यानी २८ गुना बजट इन थोड़े से वर्षों में इसका बढ़ा है। इसके साथ ही साथ जब हम आजाद हुये थे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय इस प्रदेश में राजकीय अस्पतालों की कुल संख्या ९६१ थी जो आज बढ़ कर २,६३८ हो गयी है। मैं समझता हूं कि हमारे यह दो आंकड़े काफी होंगे जिस बात को कहना चाहता हूं उसके लिये कि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में बअदब एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने दूसरे राज्यों का जो चिकित्सा बजट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे राज्य में कुल बजट का जो अंश इस विभाग पर खर्च किया जाना चाहिये वह अभी तक नहीं खर्च किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इसका जो वांछित अंश है, वह इसको मिलना चाहिये।

[श्री रामायण राय]

अब मैं माननीय मंत्रीजी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सब से पहला सुझाव यह है कि जो यह पुस्तिका बांटी गयी है, इसमें काफी अच्छी बातों की ओर संकेत किया गया है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उससे प्रसूत जो एक महारोग फैल रहा है, मेरा मतलब है मानसिक रोग से, उसकी चिकित्सा के लिये स्वराज्य के पूर्व से ही तीन अस्पताल इस प्रदेश में थे। एक तो आगरा में जहां के माननीय सदस्य डाक्टर साहब हैं। दूसरा बरेली में और तीसरा, जहां से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी आते हैं, वाराणसी में। इन तीनों अस्पतालों की स्थापना हुई थी जो क्रिमिनल्स होते थे, उनके इलाज के लिये।

एक और अस्पताल अभी शैशव काल में है मेडिकल कालेज, लखनऊ में राज्य सरकार की कृपा से स्थापित हुआ है और इसमें रोगियों की सेवा का कार्य चल रहा है। लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें। इस तरफ दो तरह के लोग सेवा में लगे हैं--एक तो वे हैं जो एम० बी० बी० एस० करने के बाद तथा इस तरह की शिक्षा लेते हैं, दूसरे वे हैं जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करते हैं। यूरोपीय चिकित्सा पद्धति में इस बीमारी के इलाज के लिये पहले जो बीमार होता है उसके सारे पैथोलाजीकल टेस्ट्स होते हैं, फिर उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। उसके बाद दोनों डाक्टर्स साथ समानान्तर बैठकर चिकित्सा के बारे में फैसला करते हैं। लेकिन यहां पर स्थिति भिन्न है। यहां पर मेन्टल हास्पिटल्स में मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की जो नियुक्तियां हुई हैं उनको अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है। टेस्ट वही लोग करते हैं, मगर कोई आदमी पागल है या नहीं, इसका सार्टिफिकेट देने का अधिकार उनको नहीं दिया गया है। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मैं केवल इस ओर संकेत इस समय कर रहा हूं, फिर कभी मंत्री जी की सेवा में ब्योरे से अपने विचार रखूंगा।

मान्यवर, दवाओं की खरीद केबारे में निवेदन करना चाहता हूं। डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के अधीन दवाओं तथा सज्जा आदि की खरीद की व्यवस्था होती है। उद्योगों के लिये लाइसेन्स भी वही विभाग देता है। नतीजा यह होता है कि ऐसे-ऐसे उद्योगों से दवाओं तथा सज्जाओं आदि की खरीद की जाती है जो अच्छी नहीं कही जा सकतीं। मेरा निवेदन है कि दवाओं आदि की खरीद में उद्योग विभाग का हाथ नहीं होना चाहिये।

बजट पास होने के बाद जब कभी मंत्री जी इस विभाग के स्थानान्तरण आदि के प्रश्न पर विचार करें तो इस प्रश्न पर भी विचार करें कि फैमिली प्लानिंग के वर्कर्स, जिनका काम फैमिली प्लानिंग के विषय में जानकारी देना है तथा उसकी विधियों को इस्तेमाल करने का प्रचार आदि करना है, की नियुक्ति वहीं होनी चाहिये जहां का वह रहने वाला है। एक आदमी भोजपुरी इलाके का अगर है, उसको अगर बुन्देलखंड की तरफ भेजा जायेगा तो वह वहां लोगों में अधिक परिचित न होने के कारण उतना अच्छा काम नहीं पर पायेगा।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। प्राइमरी हेल्थ सेन्टर तथा जिला अस्पतालों में आपस में कोई संबंध स्थापित होना चाहिये। प्राइमरी हेल्थ सेन्टर का डाक्टर अगर किसी मरीज के लिये कुछ लिख कर भेजता है तो जिला हास्पिटल वाले उस पर कतई ध्यान नहीं देते। इसी तरह से अगर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल वाले मेडिकल कालिज के लिये किसी के एडमिशन के लिये सिफारिश करते हैं तो वे उस पर ध्यान नहीं देते। कोई ऐसा तरीका इसलिये अपनाना चाहिये जिससे कि आपस में संबंध स्थापित रखे जा सकें।

माननीय सदस्य ने पूर्व, पश्चिम तथा बुन्देलखंड आदि के आंकड़े दिये कि कहां कितने अस्पताल खुले हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वे जनसंख्या के लिहाज से उसको देखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर कि सबसे अधिक अस्पताल हैं, वहां पर जनसंख्या का घनत्व ५४२ आदमी पर स्क्वायर माइल है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां

६०० अस्पताल हैं, वहां जनसंख्या का घनत्व १२०० आदमी पर स्क्वायर माइल है उसकी जनसंख्या का घनत्व क्या है, गरीबी जहां अधिक होगी, वहीं रोग भी ज्यादा होगा। जाहिर है कि कई फैक्टर्स हैं जिनको दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होना चाहिये।

बुन्देलखंड के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत कर दिये, लेकिन यह नहीं बतलाया कि वहां कितने जिले हैं और उसमें कुल कितने आदमी बसते हैं। इससे भ्रम उत्पन्न हो गया कि राज्य सरकार ने जानबूझ कर किसी इलाके के साथ कोई ज्यादती की है। मैं समझता हूं कि इसका भी सर्वेक्षण होना चाहिये और चिकित्सा सुविधाओं का समान रूप से विस्तार होना चाहिये। अन्त में जो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, मैं जानता हूं प्रारम्भ से ही समाजवादी रहे हैं, और इसीलिये आपने स्वयं सुना होगा कि इस प्रकार की और बातें तो छोड़ दीजिये, श्रमिकों के लिये वे इस साल २० अस्पताल खोलने जा रहे हैं। और इसलिये कि वे भी सोशलिस्ट हैं कम से कम इस मौके पर आप उनको बधाई जरूर दीजिये और अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शाक्य जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्रीजी ने जो अनुदान पेश किया है, उसके सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि अपनी मधुर भाषा से, अपने सीधे स्वभाव से और हाव-भाव से उन्होंने सदन को विमोहित करने का असफल प्रयास किया है। वास्तविकता इस प्रदेश की क्या है, इस प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति क्या है, इसके सम्बन्ध में जो आंकड़े बतलाये गये हैं उनको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय रामायण राय जी जो एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि ४७ में कितना खर्चा हुआ और अब ७४–७५ में कितना खर्च किया जा रहा है। यह बचकाना दलील है। तब आमदनी कितनी थी और आज सरकार की आमदनी कितनी है? तब दवा की कीमत क्या थी और आज दवा की कीमत क्या है? यह सही है कि जितना अपेक्षित ध्यान देना चाहिये था, उतना ध्यान नहीं दिया गया।

देहातों की स्थिति क्या है? आज आप गांवों में चले जायं, आज भी गांव के झोपड़ों में बहुत से गरीब और फटे कपड़े पहनने वाले इंसानों को अब १०–१२ पैसे वाला कुनैन की टेबलेट १५ पैसे में मिलता है। लेकिन उसके न मिलने पर वह दम तोड़ देता है। कालरे का छोटा सा इंजेक्शन जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है, उसके अभाव में वह दम तोड़ देता है। बजट की तसवीर ही बतलाती है जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि ३ करोड़ ७७ लाख रुपया ९ करोड़ की जनसंख्या जो इस प्रदेश की है उसके लिये दिया गया है। इस तरह से प्रति व्यक्ति ३५ पैसे एक साल में दवा के ऊपर आप खर्च करते हैं। यह श्री रामायण राय जी की समाजवादी सरकार है जो अपने एक नागरिक के लिये एक साल में ३५ पैसे खर्च करती है। अगर आप देहात में चले जायं तो आबादी के हिसाब से वह घट कर प्रति व्यक्ति २५-२६ पैसे ही दवा के नाम पर रह जाता है। जो सरकार पूरे साल के लिये एक व्यक्ति पर दवा के नाम पर २५ पैसे खर्च करती है, उसके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये और मैं भी धन्यवाद देता हूं और सरकार को भी धन्यवाद देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो कुछ भी पेश किया है, मैं दो तीन बातों की तरफ सुझाव देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि उनकी दूरदर्शी नीति उसे कार्यान्वित करके इस प्रदेश को इस दिशा में आगे बढ़ा सकती है। पहली बात तो यह है कि हमारा जो मौजूदा डाइरेक्टरेट है, जब तक उसमें सुधार नहीं होता, अच्छे काम की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के चरित्र के सामने प्रदेश के न्यायालय ने प्रश्न चिह्न लगा दिया हो, जब तक वह आदमी यहां बना रहेगा, तब तक अच्छे काम की अपेक्षा करना सम्भव नहीं है। इसलिये इस प्रश्न चिह्न को हटाने की दिशा में काम करना होगा।

आज डाइरेक्टरेट में कितना भ्रष्टाचार है, उस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले दिनों एक मामले में गोरखपुर में परिवार नियोजन के सिलसिले में जो डाक्टर हैं श्री जी० डी० त्रिपाठी इनको दोषी पाया गया था। इस संबंध में विजीलेंस को भी एप्वाइन्ट किया गया। इससे पता चला था कि उन्होंने जो नाम आदमियों के भेजे थे वह बिल्कुल गलत थे और केवल कागज पर ही आपरेशन हो गया था। इस तरह से गलत रिकार्ड बन गया और ५० हजार रुपया बेकार गया। मैंने एक प्रश्न भी किया था। उत्तर में कहा गया था कि डाक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। मान्यवर, अप्रैल का महीना है अभी तक सस्पेंशन आर्डर डाइरेक्ट्रेट से गोरखपुर जिले तक नहीं पहुंचा है और वह आदमी काम कर रहा है। मेरा स्पष्ट आरोप है, कि मंत्री महोदय इस मामले की जांच करायें। उसके पक्ष में एक वरिष्ठ अधिकारी का हाथ है, जिसका दामन नापाक है गन्दा है, घिनौना है।

मैं निवेदन करूंगा कि आपने हर एक रीजन्स में ज्वाइंट डाइरेक्टर बना दिया। अस्पताल में जो चपरासी हैं, जो फोर्थ क्लास के इम्पलाइज हैं उनके ट्रांसफर का अधिकार ज्वाइंट डाइरेक्टर को दे देना चाहिये। ताकि इनको यहां डाइरेक्ट्रेट न आना पड़े। और बेचारों को दौड़ धूप न करनी पड़े। कम से कम क्लाश फोर्थ इम्पलाइज के ट्रांसफर आदि के मामले को इनके हाथ में दे देना चाहिये। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन जो है, उनको भी अधिकार देना चाहिये, जिससे यहां इनका रोज आना-जाना बंद हो जाय।

(इस समय ६ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं २-३ सुझाव और देना चाहता हूं। गोरखपुर के मेडिकल कालेज में आपने मोबाइल यूनिट खोली है। मैं पूर्वांचल की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको बधाई देना चाहता हूं। मजदूरों के लिये आपने अस्पताल खोला है इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं गोरखपुर मेडिकल कालेज की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर आप वहां जायं तो देखेंगे कि कालेज बना हुआ है फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन इमरजेंसी वार्ड नहीं है, कम्पाउण्डर नहीं है, नर्सेज नहीं हैं। जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिये दवा का इंतजाम नहीं है। केवल बिल्डिंग बनी हुयी है। साज-सामान नहीं हैं, आपरेट्स नहीं हैं, मशीन नहीं है कोई एमीनिटीज नहीं हैं। केवल ढांचा तैयार कर दिया है। मैं इसके लिये विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि गोरखपुर मेडिकल कालेज की तरफ निश्चित रूप से ध्यान देंगे। पूर्वांचल की जनता जो गरीबी में दम तोड़ रही है उसके लिये मोबाइल यूनिट जो आपने खोली है उसके लिये मैं आपको पहले ही धन्यवाद दे चुका हूं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि गरीबों के लिये, मजदूरों के लिये आप वहां ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनको दवाई इत्यादि सुलभ हो सके, आसानी से मिल सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह जो पी० एम० टी० की बीमारी है इसके बारे में। मान्यवर, इस इम्तहान को आप खत्म कर दीजिये। मैं तो समझता हूं, यह

सबसे बड़ा फ्राड है। मेरा सुझाव है कि इसको आप खत्म कर दें। यह इक्जामिनेशन सिस्टम फ्राड है और केवल बड़े लोगों के लिये जिनके पास पैसा है, उनके लिये हैं। जिनके भाई-भतीजे बड़े बड़े ऊंचे पदों पर हैं, उनके लिये हैं। सामान्य जनता, गरीबों के लड़के पी० एम टी० में नहीं आ सकते हैं। आप इसकी जगह पर कुछ मिनिमम योग्यता रख दें। बी० एस० सी० साइंस, बायलोजी रख लीजिये। आप परीक्षा अंकों पर विश्वास करते हैं तो मैं समझता हूं कि बी० एस सी० मिनिमम क्वालीफिकेशंश तय कर लीजिये। परीक्षा में जो अंक प्राप्त विद्यार्थी ने किये हैं, उसके आधार पर आप लीजिये। इसी तरह से तराई इलाके, पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, उनका कोटा भी निश्चित रूप से फिक्स कर देना चाहिये।

जैसे पहले तराई इलाके वालों को, हरिजनों को कोटा दिया जाता था उसी तरह से आपको निश्चित रूप से एक मापदंड तय करना पड़ेगा और यह तभी संभव है जबकि पी० एम० टी० जो यह ह्वाइट एलीफैंट है इसको खत्म किया जाय। इससे फ्राड और भ्रष्टाचार होता है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इसको समाप्त कर दीजिये। इस पर गंभीरता से विचार करें। आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और इस इक्जामिनेशन सिस्टम को समाप्त करें।

श्री अध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

मान्यवर, जो बोगस फर्में हैं उन फर्मों से दवाओं को . . . . . .

श्री अध्यक्ष––

अभी जनसंघ को समय नहीं मिला है। अब समय नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि दवा की खरीद फरोक्त की तरफ आप ध्यान दें और इन्क्वायरी करें कि जितनी फर्में बन्द कर दी गयी थीं उनसे दवा कैसे खरीदी गयी? इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपर)––

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने लच्छेदार शब्दों में बड़ा निराशाजनक बजट प्रस्तुत किया है। १९७३–७४ में चिकित्सा पर जहां २० करोड़ रुपये का प्राविधान था, १९७४–७५ में ३५ करोड़ का था और उसको पुनरीक्षित करके ३२ करोड़ किया गया था, वही १९७५–७६ में ३२ करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है। जबकि जाहिर है कि महंगाई बढ़ गयी है और मंत्री जी ने जो वादे किये हैं कि ग्रामीण अंचलों में सुधार करेंगे, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि उनको कैसे पूरा करेंगे।

मान्यवर, नये अस्पतालों को खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। केवल यदि दान में भवन मिल गये तो २ अस्पताल ग्रामीण अंचल में खोलेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में १२ हजार रु० वार्षिक खर्च करने का जो प्राविधान था वही इस वर्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल]

भी है। इस तरह २५–३० पैसा प्रति व्यक्ति खर्च किया जायगा। ऐसी स्थिति में ग्रामीण अंचलों में कौन सी विशेष सुविधा इस वर्ष मंत्री जी देने जा रहे हैं यह बात स्पष्ट नहीं की।

मान्यवर, एक योजना है वर्ल्ड बैंक हेल्थ पापुलेशन प्रोजेक्ट, जिसमें पैसा हमें विश्व बैंक से मिल रहा है और उसके काम की हालत यह है कि जनवरी, १९७३ में इसका निदेशालय बना, लेकिन अभी लखनऊ में दो वर्ष हो गये कोई निर्माण कार्य नहीं प्रारम्भ हो सका है, उसके लिये साइट नहीं चुन सके हैं। उसका नक्शा बनाने के लिये सी० डी० आर० आई० को दिया था, लेकिन अब वह पी० डब्लू० डी० को दे दिया गया है।

मान्यवर, मंत्री जी ने एक बयान कुछ दिन पहले दिया था कि जो अधिकारी या कर्मचारी राजनैतिक दबाव का प्रयोग करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। मैं मंत्रीजी को बधाई इस बयान के लिये देता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं उनके सामने सवाल रखना चाहता हूं कि राजनैतिक दबाव डालने के लिये कर्मचारियों या अधिकारियों को आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या आपके विभाग में ट्रान्सफर, पोस्टिंग और प्रोमोशन के निश्चित नियम हैं? क्या ऐसा नहीं है कि कुछ लोग १०–१५ वर्ष तक एक ही स्थान पर रहते हैं और जो अच्छी प्राफिटेबिल जगहें हैं वहां रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभागे डाक्टर हैं जो पहाड़ों में पड़े रहते हैं, जेल में ड्यूटी लगती है। उनका कोई पुरसाहाल नहीं है। यदि आप कुछ नियम अपने विभाग में बनायें तो किसी को भी राजनैतिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज भी आपके विभाग के अन्दर निदेशालय से लेकर आप तक फाइलें पहुंचने में काफी समय लगता है और उन गजटेड आफिसरों को जिनमें सी० एम० ओज० तक शामिल हैं बाबू को रिश्वत देना पड़ता है जब फाइलें सरकती हैं। इसलिये जब आप यह सब व्यवस्था करेंगे तभी आपका बयान सफल होगा और वास्तव में वह अच्छी चीज होगी। दूसरे पहाड़ों पर लोग जाने से चकराते हैं। इसलिये यदि उन्हें आप नान-प्रैक्टिसिंग घोषित कर दें तो सम्भव है डाक्टर अच्छे सुलभ हो जायेंगे।

एक ओर तो डाक्टरों की कमी की बात कही जाती है और पता नहीं क्यों सी० एम० ओ०, डिप्टी सी० एम० ओ० और ज्वाइन्ट डाक्टरों की पोस्ट बनाई गई, जिस पर अनुभवी और टेलेन्टेड डाक्टरों की नियुक्ति की गई है। उनसे न तो जनता को कोई राहत है और न उनकी प्रतिभा का कोई उपयोग है। वह केवल बाबूगीरी का काम कर रहे हैं। मेरा यह सुझाव होगा कि विभिन्न पदों पर जो अनुभवी चिकित्सक कार्य कर रहे हैं, उनके लिये यह पाबन्दी होनी चाहिये कि कम से कम वह दो घंटे अपने कार्यालय में अपनी विशेष योग्यताओं के विषय में मरीजों को देखेंगे और सेवा करेंगे।

सी० एम० ओ० और डिप्टी सी० एम० ओ० के बीच शायद ही कोई ऐसा अस्पताल हो जहां झगड़ा न हो। मैं नहीं जानता कि शासन इस मामले में स्पष्ट है कि नहीं कि सी० एम० ओ० और डिप्टी सी० एम० ओ० की क्या ड्यूटीज हैं और साथ ही सुपरिन्टेंडेंट के क्या अधिकार एवम् कर्त्तव्य हैं, बहरहाल जिला स्तर पर इन अधिकारियों को कोई ज्ञान नहीं है। डिप्टी सी० एम० ओं० की पोस्ट सुपरफ्लुअस है और जहां तक सुपरिन्टेन्डेन्ट का प्रश्न है, यह सीनियरमोस्ट डाक्टर नियुक्त होना चाहिये।

आज स्पेशलाईजेशन का युग है। स्पेशलाइज्ड केडर की बात बहुत वर्षों पहले की गई थी। बहुत से डाक्टरों से आप्शन भी ले लिया गया था, लेकिन पता नहीं उस स्कीम का क्या हुआ। आपके स्वास्थ्य विभाग में करीब १७००–१८०० गाड़ियां हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा गाड़ियां बेकार रहती हैं और मुझे जानकर यह आश्चर्य हुआ कि मिर्जापुर में ३ गाड़ियां और मथुरा जिले में भी करीब ३ ही गाड़ियां जिला अधिकारी ने गैर-चिकित्सीयी

कार्य के लिये दूसरे अधिकारियों को दे रखी हैं। आप जो प्रादेशिक योजना बनाते हैं वह एक स्पेशलाइज्ड विषय है और उसमें आपको मेडिकल कालेज के जो चित्सिक हैं जो अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं उनकी भी राय इसमें लेनी चाहिये। पैथोलाजी, रेडियोलाजी और एनेस्थिसिया के बारे मे पिछले वर्ष एक योजना सरकार ने बनाई थी कि इस क्षेत्र में विशेष योग्यताओं वालों की कमी है और इसलिये डाक्टरों को १०० रुपया अलाउन्स देकर उन्हें इस विषय में प्रशिक्षित किया जायगा, लेकिन अफसोस है कि जिन डाक्टरों ने इसमें आप्शन दिया था उनको अनुमति भी सरकार की ओर से दी गई थी, परन्तु मेडीकल कालेज वाले स्थानों में उनकी नियुक्ति नहीं की गई और उन्हें मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा और जिन विषयों में स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत थी, वह काम पूरा हो नहीं सका।

इसी तरह से ड्रग एडलट्रेशन के क्षेत्र में भी कंट्रोल की जरूरत है। ड्रग कन्ट्रोलर के स्थान पर फारमेसी में प्रशिक्षित किया हुआ व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति रखना चाहिये। मेरी यह जानकारी है कि वनस्पति घी बनाते समय हाइड्रोजन प्रोसस में निकिल का प्रयोग होता है और थोड़ी मात्रा में निकिल वनस्पति घी में रह जाती है और यह निकिल स्वास्थ्य के लिये खतरनाक होती है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच करायें और यदि यह पायें कि निकिल का प्रयोग हुआ है और कुछ मात्रा में निकिल रह गई है, तो इसका प्रयोग बन्द करवायें।

हमारे फैमली प्लानिंग फेल हो गया है। उसमें ५० प्रतिशत काम बोगस हो रहा है। अगर वास्तव में फैमली प्लानिंग चाहते हैं तो कोई कानून बनायें जिसे २/३ से अधिक बच्चे होने पर कम्पलसरी स्टरलाइजेशन होना चाहिये। अगर आप ऐसी बन्दिश लगा देंगे तो भी उससे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा और यदि करेगा तो वोटिंग राइट मत दीजिये, सरकारी नौकरी मत दीजिये।

टी० बी० और लेप्रोसी बहुत भयानक बीमारी है और इस पर हम अभी काबू नहीं पा सके हैं। पिछले साल आपने मुश्किल से लाख—डेढ़ लाख मरीजों को दवा दी होगी। लेप्रोसी बढ़ती जा रही है। आपने स्वयं भी स्वीकार किया है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी किया था। लेप्रोसी की कीटाणु रोगी की नाक में रहते हैं और बाहरी सिम्पटम्स पैदा होने से पहले ही लेप्रोसी से ग्रस्त व्यक्ति बहुत से दूसरे लोगों को बीमार बना देता है। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप विशेषज्ञों से परामर्श करके इसकी रोकथाम के लिए व्यापक सर्वेक्षण करायें और ऐसे लोगों को समाज से अलग करके उनकी चिकित्सा व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भगवतीचरण निर्मोही (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझ सरीखे कमजोर स्वास्थ्य के आदमी को स्वास्थ्य बजट पर बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, यह जो बजट है इससे लोगों को जीवन दान मिलेगा, इससे लोगों के शोक और रोग दूर होंगे। इसलिये मैं इस बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं और साथ ही कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, इस विभाग की सबसे बड़ी तारीफ, सबसे बड़ी योग्यता यह है कि इसने रोगों पर काबू पा लिया। जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं वैसे ही कुछ रोग मुख्य होते हैं। जितने डाक्टर हैं उतने ही रोग हैं। लेकिन हैजा, मलेरिया और चेचक ऐसे रोग हैं जिन्होंने मानव को संत्रस्त कर दिया था। लेकिन इस विभाग ने हैजे पर काबू पा लिया, मलेरिया पर काबू पा लिया और यह विभाग चेचक के उन्मूलन की ओर अग्रसर है। मैं आपके माध्यम से सरकार को और विभाग को धन्यवाद देता हूं।

[श्री भगवती चरण निर्मोही]

मान्यवर, जहां विभाग का यह प्रशंसनीय पहलू है, वही कुछ आलोचनात्मक पहलू भी हैं। हमें धरातल को देखना है। आंकड़ों के जाल में फंस कर हम यथार्थता की ओर नहीं जा पाते। आंकड़े तो अर्थशास्त्रियों के लिये होते हैं। मान्यवर, गांव की क्या दशा है, उसको भी देखना चाहिये। यहां शहर में विटामिन ए, बी, सी, डी सभी मिलते हैं लेकिन गांव में खांसी की गोली भी नहीं मिल पाती। इस विभाग का सारा ध्यान शहरों की ओर है। यहां एक पुस्तिका मिली है, जिसका नाम 'स्वास्थ्य समीक्षा' है उसमें थोड़ा सा जिक्र गांवों का है। इसी से पता चलता है कि गांवों की कितनी उपेक्षा की जा रही है।

श्रीमन्, समय कम है। मैं कहना चाहता हूं कि जितना आप शहरों में अस्पताल की साज सज्जा पर खर्च करते हैं अगर उसका एक चतुर्थांश भी गांव के लिये दे दें तो वहां की दशा सुधर सकती है। आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक रोगी को खून नहीं मिला इसलिये उसकी मृत्यु हो गयी, या उसका आपरेशन ठीक नहीं हुआ इसलिये उसकी मृत्यु हो गयी। मान्यवर, डाक्टर को पीयूषपाणी, कुशलक्रिया और धैर्यधर तो होना ही चाहिये। कोई भी डाक्टर हो उसे सावधान रहने की जरूरत है। मान्यवर, जिनका खून सूख रहा है, आपरेशन की कौन कहे वह उसका नाम भी नहीं जानते। ऐसे ग्रामीण की और भी किसी ने सोचा है? क्या यही समाजवाद है, क्या गांधी जी की यही शिक्षा है? अगर यह उत्तम विभाग है तो इसको गांव की ओर जाना होगा और अगर इस विभाग का ध्यान गांवों की ओर नहीं जाता तो इसको सर्वोत्तम नहीं कह सकते।

अब मैं थोड़ा सा पहाड़ों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हालांकि जब पहाड़ों का जिक्र होता है तो उससे यहां के कुछ लोग चिड़ते हैं। वहां हालत यह है कि बीस तीस किलोमीटर तक अस्पताल नहीं है। लोग बीमार होते हैं; उनको दवा नहीं मिलती। जब रोगी आखिरी सांस लेने लगता है तो उसके संगी साथी और गांव वाले कहते हैं कि इसको अस्पताल ले जाओ। कठनाई के कारण लोग सहसा अस्पताल ले जाने का साहस नहीं कर पाते। तो मोटर नहीं, बस नहीं, गाड़ी नहीं। कंधे पर डोली रखकर ले जाते हैं। मैं यह कल्पित बात नहीं कर रहा हूं। अगर उसका भाग्य अच्छा रहा तो हास्पिटल तक डोली पहुंच जाती है, अगर रास्ते में ही मर गया, तो आधे रास्ते से ही श्मशान घाट की ओर चल देता है, जहां हर रोग से मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों ने पहाड़ देखे नहीं हैं, अगर पहाड़ जायं तो एक ही दिन में बीमार हो जायेंगे वहां की दुर्दशा को देखकर। अब मैं कुछ व्यक्तिगत बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

मान्यवर, हमारे यहां गढ़वाल में जहां से मैं चुनकर आया हूं, एक जगह ढांगू में जसपुर स्थान पर एक प्रायमरी हेल्थ सेन्टर खोलने की बात थी। वहां के मुख्य चकित्सा अधिकारी ने कहा वहां प्रायमरी हेल्थ सेन्टर खोला जा सकता है, लेकिन वहां भवन की व्यवस्था नहीं है। तब लोगों ने भवन तैयार कर लिया। फिर पूंछा जाता है तीन वर्षों में कि वहां डाक्टर के रहने लायक जगह है कि नहीं। उसकी भी रिपोर्ट जाती है। फिर पूछा जाता है कि पानी नजदीक है कि नहीं। ३ वर्ष हो गये, उसके भी। मैं चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो गया। मान्यवर, जसपुर, मेरे लिये अपजसपुर बन गया है। वहां मैं जा नहीं पा रहा हूं। किस तरह से क्या लोगों से कहूं? कुछ नहीं हो रहा है। मान्यवर, एक शेर याद आता है—

पा बरहना, दस्त वीरां दूर मंजिल राह सख्त,
तू बता ऐ शामे गुरबत मैं करूं तो क्या करूं?

कोई सुनन वाला नहीं। यहां कहता हूं, तो कहा जाता है, वहां जाओ, वहां जाता हूं तो कोई सुनता नहीं। समय कम है। लाल बत्ती हो जाती है, तो भाषण गड़बड़ा जाता है। एक बात और कहना चाहता हूं कि देव प्रयाग में डाक्टर के लिये निवास स्थान नहीं है। एक सुझाव यह भी है कि प्रत्येक ब्लाक में प्रायमरी हेल्थ सेन्टर खोले जायं तो जनता को राहत मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस सुन्दर और स्वास्थ्य प्रद बजट का समर्थन करता हूं।

कामरेड चन्दन सिंह (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, किसी देश और प्रदेश के लिये स्वास्थ्य विभाग का बजट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर वहां के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो देश और प्रदेश की तरक्की की बात सोची जा सकती है। वह चाहे किसान हो, या मजदूर, यदि वह स्वथ्य है तो उसका उत्पादन बढ़ सकेगा। अगर कोई किसान बीमार हो जाता है, तो २/३ दिन की बीमारी का मतलब होता है उसकी फसल का सूख जाना, या बोवाई ठीक वक्त पर न हो सकना। इसी प्रकार, यदि कोई मजदूर २/४ दिन बीमार हो जाता है तो उस फैक्ट्री में उत्पादन रुकेगा। इसीलिये बजट में अगर केवल यही दृष्टिकोण होता है कि इस साल हमने इतना खर्च किया और अगले साल इतना खर्च करेंगे और पीछे से आगे आ गये, तो यह किसी देश के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिये काफी नहीं होता और केवल इतना कह देने से स्वास्थ्य ठीक नहीं किया जा सकता। हमारा लक्ष्य क्या है, अगर यह बात हमारे सामने नहीं आती और विरोधी पक्ष की तरफ से बिना लक्ष के केवल कटौती का प्रस्ताव आ जाता है, तो यह बात ठीक नहीं। एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि एक साल की योजना में हमारे जो श्रम करने वाले लोग हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक ढंग से चल सके, ताकि उत्पादन-कार्य बराबर चलता रहे। विकासशील हमारे देश में जहां पूंजीवादी व्यवस्था की छाप हर विभाग पर पड़ रही है, इस स्वास्थ्य विभाग का दायित्व और भी बढ़ जाता है।

डाक्टर के हाथ में रहता है व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा जीवन-मरण का प्रश्न और उस के दिल में थोड़ा लालच आ जाय तो उसकी खैरियत नहीं। कई बार सुना गया कि फलां डाक्टर सर्जरी में बड़ा काबिल है लेकिन साथ ही यह भी सुनने में आया कि मरीज खटिया पर पड़ा है और डाक्टर सौदा कर रहा है पैसों का और यदि मरीज अथवा उसके रिश्तेदारों के पास उतना पैसा नहीं है तो उसका इलाज नहीं हो सकता। तो पूंजीवादी रवैया इस पेशे में रहता है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

बजट काफी है लेकिन देखना यह है कि क्या इसका उपयोग हो पा रहा है, गांवों में अस्पताल खुल गये लेकिन दवाइयां नहीं पहुंच पातीं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर दवाइयों के बजट का पैसा पहुंच गया लेकिन गांवों के अस्पतालों तक वह नहीं पहुंच पाता है। गांवों के अस्पतालों में वैसे ही डाक्टर जाने से हिचकिचाता है यदि कोई डाक्टर सेवाभाव के कारण अथवा गरीब होने के कारण नौकरी का खयाल करके वहां पहुंच भी जाता है तो वहां दवा नाम की चीज अस्पताल में नहीं होती। यह रोग यहां तक पहुंच गया है कि डाक्टरों में इस मामले को लेकर आपस में लड़ाई होती है और एक-एक जिले में दो-दो पार्टीज बन जाती हैं।

आजमगढ़ जिले का एक केस आया था और वहां पूरे का पूरा स्टाफ ट्रान्सफर हो गया था। यह स्थिति आजमगढ़ की ही नहीं है बल्कि प्रदेश के कई जिलों में ऐसी स्थिति है। इसमें मूल कारण लालच और पूंजीवादी प्रवृत्ति है। एक ओर एक अधिकारी और दूसरी ओर दूसरा अधिकारी होता है और सोचा यह जाता है कि इस अधिकारी से ज्यादा फायदा पहुंचाया गया। सरकार को सोचना होगा कि इस प्रवृत्ति के खिलाफ वह क्या कदम उठा सकती है? यह भी सही है कि डाक्टर की ओर से दवा के साथ-साथ मीठी वाणी, सहानु-

[कामरेड चन्दन सिंह]

मूतिपूर्ण रवैया मरीज का आधा दर्द तथा बीमारी को दूर कर देता है। मैं समझता हूं कि महिलाओं को अगर इस पेशे में लिया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा। सरकार को यह नीति बनानी होगी कि इस पेशे में महिलाओं को ज्यादा ले। सोवियट रूस में मैंने देखा कि इस पेशे में ज्यादा प्रभुत्व महिलाओं का ही है। ५०० के क्लिनिक मेंदो पुरुष डाक्टर थे और शेष महिलायें थीं। कारण यह था कि महिलाओं का दिल हमदर्दी की ओर होताहै लिहाजा महिलाओं की इस पेशे में रखा जाय।

यहां पर पहा ों का जिक्र किया गया कि उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया गया यह दृष्टिकोण गलत है। मेरा सुझाव है अस्पताल खोलने का सिद्धान्त दूरी से होना चाहिये सरकार को यह नहीं सोचना चाहिये कि आबादी न होने के कारण इतनी दूरी पर अस्पताल न हो। उस जगह ज्यादा अप्राकृतिक स्थिति होने से अगर आबादी कम है तो उन्होंने वहां बस जाने में कोई कसूर नहीं किया।

पहाड़ों की जैसी स्थिति है वैसे ही दक्षिण में भी स्थिति है। कोई अस्पताल १५, १६ मील तक नहीं होता। इसके अलावा अस्पतालों में शैय्यायें डाक्टरों की संख्यायें यह जरूर आबादी के हिसाब से बढ़ाइये। जिस क्षेत्र की ज्यादा आबादी हो, उन अस्पतालों में शैयाओं की संख्या बढ़ा दी जाय, डाक्टरों की संख्या बढ़ा दी जाय, स्टाफ बढ़ा दिया जाय, लेकिन अस्पतालों को दूरी के हिसाब से होना चाहिये। झांसी में अभी एक मेडिकल कालेज खुला, हमारे लिये यह बड़े गर्व की चीज है और सही माने में मैं समझता हूं कि प्रदेश में ही क्या सारे हिन्दुस्तान का यह सबसे अच्छा मेडिकल कालेज वहां पर बन रहा है। लेकिन उसकी स्थिति यह है कि उस मेडिकल कालेज के खुलने पर वहां की जनता गर्व नहीं करती है, दुख प्रकट करती है क्यों कि जो सुविधा वहां की जनता के लिये होनी चाहिये, जो दवाई वगैरह वहां मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पा रही हैं। वहां के प्रिंसिपल या हेड आफ दि डिपार्टमेंट जो हैं, वे मरीजों को कोई सुविधा नहीं दे पाते हैं। यह मेडिकल कालेज जंगल में खुला है। इसलिये मेरा सुझाव है कि उस मेडिकल कालेज के आस-पास ही किसी प्राइवेट व्यक्ति को दवा की दुकान खोलने की इजाजत दे देनी चाहिये ताकि वहां पर दवा आदि मिल सके। बांदा में एक आयुर्वेदिक कालेज है--अतर्रा कालेज, उसकी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कि झांसी के आयुर्वेदिक कालेज की है। या तो सरकार उसे अनुदान दे या उसे सरकार अपने हाथ में ले ले। धन्यवाद।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (जिला उन्नाव)---

माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद। मैं समझता हूं यह शायद पहला मौका है जब स्वास्थ्य का बजट समाजवादी दिशा की ओर बढ़ने वाला अपने किस्म का बजट है। मैंने जब माननीय ओझा जी को सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अपने को समाजवादी कहने वाले व्यक्ति किस तरह से यह कह रहे हैं कि यह समाजवादी दिशा की ओर नहीं जा रहा है। इसमें मैंने पहली बार यह देखा कि हरिजन छात्रों के लिये १८ प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है और मजदूरों के लिये २० अस्पतालों के लिये ५ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी देखा कि ३९९ अराजपत्रित आयुर्वेदिक कर्मचारियों को राजपत्रित किया गया है, यद्यपि शायद इसका कार्यान्वयन अभी नहीं हो सका। लेकिन यह सब ऐसी बातें हैं जो निश्चित रूप से संकेत करती हैं कि स्वास्थ्य विभाग समाजवादी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी लोहिया जी के साथी रहे हैं। उनकी विचारधारा थी कि हिन्दी को प्रोत्साहन दिया जाय। मैं समझता हूं कि मेडिकल कालेजों में जो अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई होती है, उसके बजाय यदि हिन्दी म

वहां पढ़ाई हो तो उससे कई लाभ हो सकते हैं। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सैकड़ों लड़के जो हिन्दुस्तान से बाहर जाते हैं, उन पर रुकावट आ जायेगी और वे यहीं पर रहकर प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। जितने भी विकासशील देश हैं उन्होंने यह कार्य आरम्भ भी कर दिया है। हमसे बाद में जो देश आजाद हुये, मलेशिया, इन्डोनेशिया, मिश्र आदि उन्होंने मेडिकल एजूकेशन प्रारम्भ कर दिया है। अपनी मातृ भाषा में, यदि आप चाहते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में अगुवा रहे तो मेडिकल कालेजों की पढ़ाई का काम आप हिन्दी भाषा में शुरू करवा दें, तभी मैं समझता हूं सही दिशा में हमारे कदम जायेंगे। उससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इन्टरमीडियेट पास करने के बाद जब लड़का मेडिकल कालेज में जाता है और वहां अंग्रेजी का प्रयोग शुरू हो जाता है, जिससे उसे विषय को समझने में बड़ी परेशानी होती है।

अतः मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेडिकल कालेजेज में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई को व्यवस्था शुरू करा दें। इससे हमारे छात्रों की ग्रहण शक्ति बढ़ेगी। इसमें दो एक व्यवधान आ सकते हैं जो एक मानसिक धारणा अध्यापकों में बनी है कि वह अंग्रेजी के बदले में हिन्दी में कैसे पढ़ायेंगे। इसके लिये उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिये इन्डोनेशिया, कोरिया और मिश्र से। यह कोई कठिन काम नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुवाद या नोट्स बनाने की समस्या आ सकती है लेकिन वह कोई असंभव नहीं है। तो एक न एक दिन इस दिशा में कदम उठाना ही पड़ेगा और ज्यादा अच्छा होगा आपके कार्यकाल में यह कदम उठे और आप इसमें अगुवाई करें।

इसके अतिरिक्त मैं आयुर्वेद के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने देखा है कि आयुर्वेद चिकित्सालय जो हैं, उनको केवल १५ सौ रुपया वार्षिक दवाइयों के लिये प्राविधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्राविधान काफी कम है। पिछले एक दो वर्षों में आयुर्वेदिक दवाइयों के मूल्य जिस तरह से बढ़े हैं, उसके अनुपात से यह नाकाफी है। जहां तक मेरी जानकारी है एलोपैथिक डिसपेंसरियों में एक रुपया एक व्यक्ति पर खर्च होता है और आयुर्वेदिक चिकित्सा में दस पैसा एक मरीज पर खर्च किया जाता है जब कि आयुर्वेदिक प्रणाली को विदेश वालों ने भी माना है और डब्लू० एच० ओ० ने भी सराहा है तथा मान्यता दी है। इस आधार पर मैं समझता हूं कि आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों के लिये कुछ अधिक पैसा औषधियों के लिये मिलना चाहिये।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। हमारे देश की आबादी के करीब ८० फीसदी लोग गावों में रहते हैं और २० फीसदी शहरों में रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है जैसा मैं समझ सका हूं यह बिलकुल इसके विपरीत है उसमें २० फीसदी तक गांवों के लिये खर्च किया जाता है और ८० फीसदी शहरों के लिये। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि यह अन्तर मिटाने हेतु कोई इस तरह की व्यवस्था या नियम लागू होना चाहिये।

अभी माननीय अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले मैंने मेडिकल कालेज कानपुर के लोगों से सम्पर्क स्थापित किया था और उनसे यह जो आज कल लोगों ने केवल अर्थोपार्जन के लिये इसे चुना है, इस संबंध में बात हुई तो उनसे अपेक्षा की कि वह केवल अर्थोपार्जन के लिए ही यह काम न करें। मेडिकल पेशा जो है वह केवल अर्थोपार्जन के लिये नहीं है बल्कि उसमें सेवाभाव भी होना चाहिये और उन्होंने मुझसे वायदा किया कि वह शासन को इसके लिये योजना भेजेंगे।

[श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी]

माननीय मंत्री जी काशी से आते हैं हैं जो बहुत बड़ी काशी है लेकिन मेरे क्षेत्र मे एक छोटी काशी है। जिसे बड़ौरा कहते हैं। मेडिकल कालेज के डाक्टर ने यह कहा है कि हफ्ते में एक या दो दिन यदि योजना को स्वीकृति मिल गई तो ग्रामीण परिवार नियोजन एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में आवेंगे और मदद करेंगे। इस योजना से मेरे मन में एक चीज आयी जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय जो है वह प्रदेश के सारे लोगों को कृषि के संबंध में देखेंगे उनको सुझाव देंगे तो उसी तरह से इन मेडिकल कालेजों के लिये भी २० मील का रेडियस बना दें जिसमें डाक्टर जायं और ग्रामीण क्षेत्र की सेवा के काम में अभिरुचि लें और सेवाभाव से काम करें। इससे देहातों में लोगों की सेवा हो सकती है।

एक सुझाव और देना चाहूंगा कि मेडिकल कालेजों म जिस तरह से आखीर में ६ महीने को इन्टर्नशिप का कोर्स होता है उसी तरह से डाक्टरों को सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलने चाहिये जब तक वह तीन महीने की ट्रेनिंग गांव में रहकर न ले लें। अगर वह ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से वह गांवों की सेवा कर सकेंगे। जहां तक देहातों की स्थिति का मैंने जिक्र किया वहां पर डाक्टर जाते नहीं है तो दूसरी तरफ उनके लिये भी कुछ दिक्कतें हैं। जहां पर चिकित्सालय है वहां पर उनके रहने के लिये बिल्डिंग नहीं है। तो शासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये जिस तरह से पहाड़ों पर जाने के लिये अलग से एलाउन्स मिलता है, शहरों के लिये अलग से अलाउन्स मिलता है, उसी तरह से इनको भी अलग से देहातों के लिये एलाउन्स मिलना चाहिये। ज्यादा मुनासिब हो कि देहात में जाने वाले डाक्टरों को अलग से एलाउन्स दिया जाए, जिससे कि उनको देहातों में जाने की प्रेरणा मिले और साथ ही गांव के लोगों की अधिक से अधिक सेवा करने की।

मेरे क्षेत्र में पी० एच० सी०, अचलगंज है, वहां दो डाक्टर हैं, किन्तु उसका निजी भवन नहीं है। इसके अलावा वहां पर आप अस्पताल खोलेंगे, जहां पर दान से बिल्डिंग बनेगी, यह आपकी योजना है। तो जो आधुनिक भारत के चाणक्य श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी रहे हैं, उनके गांव पररी में एक दानदाता ने २ लाख रुपये से अस्पताल भवन बनवाना शुरू कर दिया है। वहां एलोपैथिक महिला अस्पताल की शीघ्र स्थापना हो जानी चाहिये। भुभुंवार गांव में भी दो लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर एक आदमी अस्पताल भवन बनवाना चाहता है, अतः वहां पर आप एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी की व्यवस्था की स्वीकृत दे तो अच्छा हो। इसके अलावा उन्नाव जिले के मसवासी गांव के कुंओं का पानी ऐसा खराब है कि उसे इस्तेमाल करके सारे लोग विकलांग होते जा रहे हैं। सारे अधिकारियों ने उसको देखा है, किन्तु मुझे दुःख है कि उसके बारे में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। मंत्री जी उसके बारे में व्यवस्था कराने की कृपा करें। इसके अलावा नवाबगंज ब्लाक में, जिसे डाक्टर अतुस इयादास ने भी देखा है और जिसकी काफी प्रशंसा की है और जहां काफी संख्या में मरीज आते हैं, मंत्री जी इसे अपग्रेड करने के लिये अपना ध्यान दें। इस तरह से मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुखः की बात है कि शासक दल के लोग खुद अपनी पीठ ठोंका करते हैं और शाबासी कर लेते हैं। उनकी किताब में लिखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ३३ हजार शय्याओं का प्राविधान है, जिसमें से करीब २६ हजार से ऊपर शहरों में है और शेष ७ हजार के करीब ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो आप देखें कि ग्रामीण अंचल की ओर आपकी अपेक्षा कुछ ठीक नहीं है। हमारे जो मंत्री जी हैं, वह शायद बाहर भी गये होंगे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने देखा होगा कि वहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्या हालत है। बाहर किसी भी देश में ३०० या ४०० आदमियों के पीछे एक डाक्टर होता है, जबकि हमारे यहां पर ७-८ हजार के पीछे भी एक अच्छा डाक्टर नहीं है। इससे देहातों के अन्दर बहुत बड़ी परेशानी है।

मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आप चाहे यह परेशानी दूर करें या न करें, शैयाएं बनाएं या न बनाएं, लेकिन वहां पर जो क्वैक्स हैं या नीम—हकीम हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, यह देहातों में लोगों को बिलकुल बेमौत मार डालते हैं, अतः इन पर रोक लगाई जाए। ये हजारों लोग जगह बेजगह अपनी दूकान लगाए बैठे रहते हैं, इसलिये इस तरफ ध्यान दना चाहिये। यदि आप ग्रामों में डाक्टर नहीं भेज पाए, तो कम से कम क्वैक्स, नीम—हकीम भी न भेजें यह आपकी गांववालों के साथ बहुत बड़ी सेवा होगी और रजिस्ट्रेशन के समय में यह देखा जाया करे कि वह काम्पीटेन्ट आदमी ही हुआ करें।

बड़े जो—शोर से कहा जाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छा विस्तार हो रहा है। किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जिले में एमरजेंसी की हालत में, कोई आदमी मरणासन्न हो तो उसके लिये डिस्ट्रिक्ट डिस्पेंसरी में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वह आगरे तक पहुंच जाए। वेहिकिल का कोई प्रबन्ध नहीं है। जहां हैं, वहां खराब पड़ी हैं। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि केवल १४ ऐसे स्थान हैं जहां पर आपत्तिकाल में आप उसको दूसरी जगह भेजने का प्राविधान कर सके हैं। इस सम्बन्ध में आप अगले साल १४ से २४ भी कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आपकी बड़ी सेवा होगी।

हमारे प्रदेश में मुख्य कारण जो आता है वह यह है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, वह स्पूरियस ड्रग एजेंसी द्वारा किया जाता है। पिछली बार जब कानपुर में ग्लूकोस कांड चला था तो गुजराल साहब जो केन्द्र के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी मैं गया हूं मुझे किसी भी डिस्पेंसरी में स्टैंडर्ड ड्रग्स नहीं मिलीं। जिन का नमूना लिया गया है वह भी एडल्ट्रेटेड हैं। जितनी हमारे प्रदेश में मेडिकल फर्म्स हैं, वह सब इसी तरह की एडल्ट्रेटेड ड्रग्स बनाती हैं। अगर इन पर किसी तरह से सरकारी नियंत्रण लग सके तो आधी बीमारी वैसे ही कम हो जावेंगी। ड्रग्स के दाम वैसे भी इतने ऊंचे रख दिये गये हैं कि लोग उनको खरीद नहीं पाते हैं। आज शुद्ध और अच्छी चीज कहीं नहीं मिलती हैं और इसकी कोई परवाह भी नहीं की जाती है। ड्रग्स खींचने की जो एजेंसीज हैं, उनके ऊपर सरकारी कंट्रोल होना चाहिये। जिस तरह से शराब वगैरा खींची जाती है उसी तरह से दवाओं की भी हालत है।

इसके अलावा मिलावट की कहानी है। प्रदेश में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी भी होटल में शुद्ध चिकनाई नहीं मिलेगी। आंध्र में मरे जानवरों की चरबी होटलों में चलती है। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। गांवों में मरे जानवरों की चरबी जलाई जाती है। जब तक मिलावट को रोका नहीं जायगा तब तक जनता के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है। मंत्री जी को देखना चाहिये कि खाने पीने की चीजों में कम से कम मिलावट होनी चाहिये। इतने बड़े सूबे में यह नामुमकिन है कि कोई चीज शुद्ध मिल सके। दूध और दवाएं तथा घी वगैरा अगर शुद्ध मिलने लगें तो यह भी जनता की बड़ी भारी सेवा होगी। सब से पहला काम यह है कि मिलावट को रोका जाय। यह उद्योग बड़े पैमाने पर चल रहा है। लोग तरह-तरह से चीजें बनाते हैं और बाहर भेजते हैं। कानपुर और लखनऊ एडल्ट्रेशन के केन्द्र हो चुके हैं और देहात से लेकर कस्बों में तथा शहरों में खाने पीने की सारी चीजें जाती हैं।

[बाबा रामनाथ]

अगर मिलावट वाली चीज पर नियंत्रण कर लिया जाय तो यह जनता की बड़ी सेवा होगी। जो वस्तु मिलें वह शुद्ध मिलें, चाहे कम मिलें। मैंने दो ही सुझाव दिये हैं एक तो एडल्ट्रेशन के रोकने का और दूसरे क्वैक्स का रजिस्ट्रेशन न करने का। क्वैक्स को रोका जाय।

(श्री मोहम्मद शकील अहमद के खड़े होनेपर।)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये। राय यह है कि इसको जल्द समाप्त किया जाय।

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)—

मोहतरिम स्पीकर साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईमानदारी से देखा जाय तो हमारे प्रदेश में ९९ फीसदी लोग मरीज हैं और इसमें भी कोई दो रायें नहीं हैं कि उनमें से ७०/८०फीसदी लोग ऐसे हैं जो इलाज नहीं कर सकते हैं। इसलिये ज्यादा से ज्यादा दौलत इस महकमे को देनी चाहिये। लेकिन इस महकमे की कारगुजारी ऐसी है कि मैं एक रुपया भी बहुत ज्यादा समझता हूं। मैं राय देना चाहता हूं कि इस महकमे के मुलाजमीन से साल भर तक फ्री काम लिया जाय क्योंकि इन्होंने पिछले सालों में कुछ काम नहीं किया है।

मैं चन्द बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं, गुटबन्दी, करप्शन और बदगुमानी, यह २/३ चीजें इस महकमे में आगई हैं अभी पिछले मर्तबा का किस्सा है कि मेरे क्षेत्र में एक ब्लाक है महमदपुर, जहां पर कि डाक्टर के बारे में इस कदर शिकायत मिली कि वह दूसरे गुट के मरीजों को देखने से इनकार करता है जिसकी वजह से यह मालूम हुआ कि वहां पर फौजदारी हो जायगी। उसके संबंध में मैंने वहां के अधिकारियों से कहा मगर पता चला कि वहां पर गुटबंदी है।

सदर अस्पताल में पता चला कि जितनी दवाइयां हैं, सब बेंच दी जाती हैं। मैंने शासन को लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और नतीजा अफसोसनाक वाक्या हुआ। उसके बाद यह तय हुआ कि महमदपुर के डाक्टर और सदर अस्पताल के तमाम डाक्टर और कर्मचारी को ट्रान्सफर कर दिया जाय और यह वायदा लिया मंत्री जी ने तमाम आजमगढ़ के विधायकों से कि कोई शख्स ट्रान्सफर के खिलाफ सिफारिश नहीं करेगा और नहीं मैं किसी का ट्रान्सफर रोकूंगा। महमदपुर के डाक्टर ने डायरेक्ट्रेट के स्टाफ से मिल कर महमदपुर से महमदाबाद गोहना बनवा दिया। महमदाबाद गोहना की तरफ से जफर आजमी साहब और दूसरे लोगों ने मंत्री जी से कहा तो मंत्री जी ने मुझको बुलवाया जिस पर मैंने साफ बताया कि महमदपुर है न कि महमदाबाद गोहना। तो मंत्री जी ने उसको दुरुस्त करके महमदपुर किया मगर डाक्टर महमदपुर आज भी वह डायरेक्ट्रेट के अधिकारियों से मिल कर अपना ट्रान्सफर आर्डर बेअमल कराये हैं और इसी तरह से पड़ा है।

इस संबंध में मैं एक और अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर करप्शन के सिलसिले में कोई शिकायत करता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। रायबरेली में मुस्लिम मजलिश के सेक्रेटरी, सय्यद अलमदार नकबी जो तीन अखबारों के, कौमी आवाज, तनबीर नौ और जनमोर्चा के नामानिगार हैं वहां के अस्पताल के खिलाफ उन्होंने अखबारों में शिकायत लिखी मगर जब वह दवा लेने गये तो उनकी घड़ी वगैरह डाक्टर ने छीन लिया और उनको काफी मारा जिसकी शिकायत प्राइम मिनिस्टर मुख्य-मंत्री से की और खुद मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से की। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह आदत अस्पताल वाले छोड़ दें वरना मुसल्ला हो के अस्पताल में जायेंगे और उस सूरत में शिकायतें जनता उनको चोटें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहुंचा कर करेगी। नतीजा के तौर पर बहुत ही भयंकर नतीजा होगा और उसका जिम्मेदार यह शासन होगा।

जहां तक विधायकों की दवा के संबंध में एक मोहतरम मेम्बर ने जो मशविरा दिया है, वही मैं भी रखना चाहता हूं कि उसमें डाक्टर के नुस्खे के साथ विधायकों को दवा दी जाय। दारुलशफा में रोज कोई न कोई कमरे पर आता है और अपनी दवा लिखवाना चाहता है विधायक के नाम से, मैंने इस संबंध में सबको इनकार किया मगर एक आदमी ने मुझको एक रोज गाली भी दे दी और उसने यह बताया कि ये एम० एल० एज० करते हैं आप क्यों इनकार करते हैं? बहरहाल यह बड़ी ही खराब प्रैक्टिस है इसको दूर करने का प्रस्ताव देना चाहिये। ये एलोपैथिक की दवाइयां बहुत से लोगों को रिऐक्शन करती हैं मुझको भी करती हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि यूनानी का दारूलशफा में दवाखाना खोला जाय और खासतौर से मैं अपने वास्ते चाहूंगा कि जो कानूनी सुविधा विधायकों को मिलती है, वह मुझको यूनानी दवा इलाज के सिलसिले में दी जाय। यूनानी इलाज के सिलसिले में मैं यह कहूंगा कि इसमें बड़े फायदे हैं और इसमें कार्य में तरमीम होनी चाहिये, यहां तक कि इसका डाइरेक्टर भी अलग हो। इन शब्दों के साथ वक्त की कमी के कारण आपके हुकुम से मैं खत्म करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

श्री गोरे लाल शाक्य—

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, श्री रामायण राय जी को कन्फयूजन हो गया, उन्होंने मेरी बात को झुठला दिया और मेरी ही बात को फिर कह दिया। जो उनका मतलब है वही मेरा भी मतलब है। पूरे प्रदेश में १ लाख के पीछे औसत अस्पताल २.५ हैं और एक लाख के पीछे शैयाओं की औसत संख्या ४३.२ है। इसी को दृष्टि में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्र में अस्पताल और शैयाओं का कन्सेन्ट्रेशन है। पर्वतीय क्षेत्र में एक लाख के पीछे ९२.४ शैयाएं हैं। पर्वतीय क्षेत्र में एक लाख के पीछे ७.२ अस्पताल हैं। यह मैंने कहा था पापुलेशन के हिसाब से ही अस्पताल और शैयाये होनी चाहिये।

उ० प्र० में २० प्रतिशत एक्सरे प्लांट खराब पड़े हैं उनको चालू करने के लिए मंत्री को कदम उठाने चाहिए।

समेसी जो जिला लखनऊ का कस्बा है, तथा घसारा जो जिला इटावा का कस्बा है, वहां पर अस्पताल खोलना चाहिये वहां की आबादी अधिक है और वहां के लोगों की मांग भी है। इमरजेन्सी वार्ड में सीनियर डाक्टर ही तैनात किये जायें, प्रशिक्षार्थी नहीं। प्रशिक्षार्थी डाक्टरों के द्वारा तमाम जानें ली जा रही हैं।

फारेन फर्म्स को टेक ओवर या उनका नेशनालाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान या स्टेट की फाइनेन्स इतनी अच्छी नहीं है कि उन फर्म्स का नेशनालाइजेशन किया जा सके।

इसके साथ ही साथ बैंकों का व बीमा आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया है। फोरेन फर्म्स के डिविडेन्ड रेमिटेन्सेज और ट्रेड रेसट्रिक्टिव के बारे में सुधार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही साथ जहां तक हिन्दुस्तानी ड्रग मैन्यूफैक्चरिंग फर्म का सवाल है, उनका राष्ट्रीयकरण अवश्य होना चाहिये। यहां पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इन्शोरेन्स का राष्ट्रीयकरण हो गया है परन्तु ड्रग इन्डस्ट्री के नेशनालाइजेशन को प्राथमिकता देनी चाहिये थी।

रेट कान्ट्रेक्ट के बारे में कहना चाहता हूं। वह दिसम्बर, १९७४ में एक्सपायर कर दिया गया है। एक्सपायर होने की हालत में दवा नहीं खरीदी जा सकती है। इसीलिए

[श्री गोरे लाल शाक्य]
रेट कान्ट्रैक्ट जून में एक्सपायर होना चाहिये ताकि मार्च से जून के बीच में दवायें खरीदी जा सकें ।

(व्यवधान)

एक ही विषय पर मंत्री जी के दोहरे आदेश होते हैं जिसका नाजायज लाभ बाबू लोग उठाते हैं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, अगर ट्रेजरी बेन्चेज उनको भाषण नहीं करने देंगे तो कल उनको भाषण नहीं करने दूंगा। साफ कहता हूं। तमीज सीखें पहले।

श्री गोरे लाल शाक्य—

हर जिले में महामारियों, हैजा, चेचक, प्लेग आदि के लिये इन्जेक्शन लगाने का स्थान एक जगह होना चाहिये । और हर जिले में इम्यूनाइजेशन सैल स्थापित होने चाहिये । हमारे माननीय मंत्री जी को प्रदेश में हैल्थ रैवोल्युशन स्टार्ट करना चाहिये ताकि जन-स्वास्थ्य कायम रह सके ।

मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां के निवासियों को शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध भोजन नहीं मिलता है, उसकी ओर उन्हें ध्यान देना चाहिये ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ५० करोड़ रुपये की प्रति वर्ष मैडिसिन्स खरीदी जाती हैं । तो जब यहां पर इतना ज्यादा कन्जम्पशन है तो क्या कारण है कि उनको प्रदेश में ही क्यों नहीं बनाया जाता है जिस प्रकार से मद्रास और अन्य प्रदेशों में किया जाता है ? पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी व्यवस्था नहीं करती है । एन्टीबायटिक्स का जहां तक ताल्लुक है, यहां पर पर कैपिटा प्रति वर्ष २ टेब्लेट्स मिलती हैं । जो डिसेन्ट्री के मर्ज के लिये भी काफी नहीं हैं । तो इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इस विभाग द्वारा जनता की क्या सेवा हो रही है । औषधि नियंत्रक संगठन को गतिशील बनाया जाय ।

दूसरे फैमिली प्लानिंग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । यहां पर लौंगिविटी और लाइफ कम है । और मृत्यु दर अधिक है । अगर उनको यह यकीन हो जाय कि हमारे बच्चे नहीं मरेंगे तो वे फैमिली प्लानिंग की तरफ उनका ध्यान जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें ।

श्री गोरे लाल शाक्य—

मान्यवर, फेमिली प्लानिंग के बारे में एक इन्श्योरेंस की बात कहना चाहता हूं । मैं स्वयं इन्श्योरेन्स इन्डस्ट्री में रह चुका हूं । उसका एक इतिहास है कि 40–50 वर्ष पहले जब इन्श्योरेन्स एजेन्ट लोगों के पास जाते थे तो उनको किक कर दिया जाता था लेकिन अब आप देखें कि इन्श्योरेन्स इन्डस्ट्री कितनी आगे पहुंच गई है । तो जो फेमिली प्लानिंग वालों को अभी किक करते हैं, वे धीरे धीरे उसको भी ग्राह्य कर लेंगे । जिस प्रकार से जाम्बिया में परिवार नियोजन को नीग्रो पोपुलेशन समझते हैं । उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के हमारे हिन्दू वर्ग के लोग कहते हैं कि अगर हम फेमिली प्लानिंग को एडौप्ट कर लेंगे तो हिन्दुओं की संख्या कम हो जायगी और मुसलमानों की संख्या बढ़ जायेगी जिससे वे हम लोगों पर राज्य करेंगे । तो इस कल्चरल रस्ट्रिक्शन को भी दूर करने की जरूरत है ।

श्री प्रभु नारायण—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े समय में अपनी बात कह दूंगा। दो, एक गलतफहमियां हैं मेरे मित्र को जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उन गलतफहमियों को दूर कर देना मेरे लिये निहायत ही आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि माननीय शाक्य जी ने यह कहा कि राधा ड्रग हाउस का लाइसेन्स खत्म कर दिया गया था और माननीय मंत्री जी ने उसे पुनः कायम कर दिया। यह रिपोर्ट जिसने उनको दी या जिस किसी के कहने से उन्होंने यह बात कही, यह गलत है। अभी तक ऐसा था कि एक ही आदमी सारे लखनऊ शहर में जितने सरकारी अस्पताल थे, उनको दवाई सप्लाई करते थे। दारुलशफा के लोगों की शिकायत थी कि दवा ठीक समय से नहीं मिलती। इसलिये उस कंट्रैक्टर को खत्म कर के अब चार हिस्सों में बांट दिया गया है। दारुलशफा में कोई दूसरा कंट्रैक्ट होगा, सिविल हास्पिटल में दूसरा होगा, बलरामपुर अस्पतल में तीसरा होगा और डफरिन अस्पताल में चौथा कंट्रैक्टर होगा। अब किसी एक आदमी के हाथ में मोनोपली नहीं रहेगी। इसलिये जो सूचना उनको दी गयी कि उसका कंट्रैक्ट कैन्सिल किया गया और फिर दे दिया गया, यह बात गलत है।

दूसरे, माननीय शाक्यजी को यह भी पता नहीं है कि अब उत्तर प्रदेश में ड्रग कंट्रोलर पूरे समय के लिये नियुक्त कर दिया गया है। उनको दो, तीन साल पुरानी बात याद होगी लेकिन अब पूरे समय के लिये यू० पी० में ड्रग कंट्रोलर नियुक्त है।

चेचक के बारे में कहा गया कि मृत्युयें हुई हैं। तो अवश्य पहले मृत्युयें हुई हैं। मैंने यह नहीं कहा कि पहले कोई मृत्यु नहीं हुई। इस सम्बन्ध में वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के जो स्वास्थ्य सेवा निदेशक हैं, डा० लोवेन उन्होंने एक बधाई का तार भेजा है। तार अंग्रेजी में आया है जिसका हिन्दी में शब्दार्थ करा दिया है। वह मैं पढ़े देता हूं :

"भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश चेचक रोग से मुक्त हो गया है। कृपया विश्व स्वास्थ्य संगठन की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए तथा अपने प्रदेश के समस्त हेल्थ स्टाफ को और विशेष रूप से डा० जी० पी० श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों द्वारा उत्तर प्रदेश में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता के लिये प्रशंसनीय योगदान दिया है, तो इस स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में अभूतपूर्व सफलता के लिये हमारी प्रशंसा सूचित कीजिये। विश्व स्वास्थ्य संगठन अगले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश को अपनी अधिकतम सहायता प्रदान करेगा। इस अवधि में ऐसे मामले सामने लाने, जो अभी तक जानकारी में न हों, अथवा बाहर से आये तथा कार्यक्रम की सफलता से प्राप्त लाभों को संचित करने के पूरे प्रयास किये जाने चाहिये।"

इस सम्बन्ध में इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो उपलब्धि है उसको भी नकारना उचित नहीं होता है। जहां पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की गलती है जरूर उसकी कटु आलोचना की जाय लेकिन जहां पर उन्होंने अच्छा कार्य किया है, उसकी प्रशंसा न की जाय तो कम से कम उसकी आलोचना ही न करना उचित होगा। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि स्माल-पाक्स इरेडिकेशन स्कीम के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने अच्छा कार्य किया है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं।

एक बात यह कही गयी कि डाक्टर की ड्यूटी कम लगाओ। सारी दुनिया में, इंग्लैंड वगैरह में डाक्टर अधिक समय काम करता है लेकिन यहां डाक्टर की ड्यूटी कम लगाने की बात हो रही है। जैसी कि श्री जितेन्द्र जी ने बात उठायी थी, जो हमारे सी० एम० ओ०, डिप्टी सी० एम० ओ० हैं, जिनको १०-२०-२५ साल का डाक्टरी का अनुभव है, वह

[श्री प्रभु नारायण]]

एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लग गये। मैं यह एलान करना चाहता हूं कि जो हमारे सी० एम० ओ० और डिप्टी सी० एम० ओ० हैं, उनको कम से कम २ घंटे डाक्टरी के काम के लिये भी देने पड़ेंगे। मैं तो चाहता हूं कि समय बढ़े, लेकिन हमारे दोस्त समय को कम करना चाहते हैं। इस विपरीत धारा में जो बहना चाहते हैं, इससे इस गरीब प्रदेश का भला नहीं होने वाला है।

प्राइवेट प्रैक्टिस की बात कही गयी। उसके बारे में बहुत सी चर्चायें हुईं। कहीं उसको खोल दिया गया है, कहीं नहीं खोला गया है। जहां नहीं खोला है वहां नान, प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिया जाता है। प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स पर डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस एलाउ नहीं है। उनको ३,४ सौ रुपये नान प्रैक्टिसिंग एलाऊन्स दिया जाता है। आज उनकी तनख्वाह १२०० रुपये के करीब पड़ जाती है। फिर भी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कोई नान प्रैक्टिसिंग एलाऊन्स लेकर प्रैक्टिस करता हुआ पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

कैन्सर के अस्पताल में भ्रष्टाचार की बात कही गयी कि वहां भर्ती के मामले में भ्रष्टाचार है। इस संबंध में यदि कोई मामला मेरी नोटिस में लाया जायेगा तो मैं सख्त कार्यवाही करूंगा। अभी लखनऊ के एक श्री आर० के० अग्रवाल को हमने सस्पेंड किया, उनका मामला विजिलेन्स को भेजा गया। चाहे कोई हमारे परिवार का ही व्यक्ति क्यों न हो, कार्यवाही अवश्य की जायेगी। कैन्सर अस्पताल के बारे में जो शिकायत मिली उसके लये उनको तम्बीह कर दी गयी है। वैसे जब मैं दौरे पर गया था तो मैं ने उनसे कहा भी था कि इस तरह की शिकायतें हैं, भविष्य में नहीं होनी चाहिये।

बी० एल० डी० के एक मेम्बर ने पूर्व, पश्चिम की बात कही। जैसा कि रामायणराय जी ने कहा, हमें उसके धनत्व को भी ध्यान में रखना चाहिये। उसे देख कर ही चिकित्सा सुविधायें देनेपर विचार किया जाता है। अभी पश्चिम के क्षेत्र में इटावा और एटा में जो सुविधायें हमने दीं उसकेलिये उनको क्या एतराज हो सकता है। एतराज तो पूर्व वालों को होना चाहिये। मगर यह पूर्व पश्चिम की बात गलत है। प्रदेश के बटवारे की बात उनके ही दिमाग में है, उनके नेता के दिमाग में है, वह नहीं होना चाहिये। यहां कोई पूर्व पश्चिम का खयाल दिमाग में नहीं है।

क्वैक्स वाला मामला बाबा रामनाथ जी ने उठाया। उनकेरजिस्ट्रेशन का कोई प्राविधान नहीं है। उनका रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। उनको कोई लाइसेन्स वगैरह भी नहीं दिया जाता। बहुत दिनों से प्रयास इस बात का किया जाता रहा है कि उनको रेगुलेराइज किया जाय। इस संबंध में अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। सरकार कोई अनुचित निर्णय इस संबंध मेंनहीं लेगी, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

इटावा के माननीय सदस्य भारतसिंह जी चौहान ने बलरामपुर अस्पताल के बारे में और ब्लड बैंक के बारे में भी कुछ शिकायत की। ब्लड बैंक की शिकायत वहां अवश्य रही है। उसकी जांच हुई और जांच के बाद उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से कर दी गयी। बलरामपुर अस्पताल में काम की कोई बात नहीं थी बल्कि ब्लड बैंक में कमी की बात थी, जिस पर कार्यवाही कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में मैंइतना कहना चाहता हूं कि शिकायत तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन अभी हमारे भारत सिंह जी बीमार थे। थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को हुई तो हमने सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को उनके पास भेजा और बलरामपुर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को भी उनके पास भेजा और दोनों सुपरिटेंडेंट ने उनका अच्छा इन्तजाम किया जिससे वे जल्दी स्वस्थ हो जाय। ठीक व्यवस्था का ही नतीजा है कि आज यहां आकर उन्होंने अच्छा खासा भाषण भी दिया लेकिन बलरामपुर अस्पताल के मामले में जो भी शिकायतें रही हैं उनको देखा जायेगा और उनको दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री जितेन्द्र जी ने बनस्पति में निकल होने की बात कही। यह सही है, उस शिकायत की जानकारी की गयी, उससे मालूम हुआ कि वह परमिटेड है फिर भी मैं उसको दिखवा लूंगा। एक बात और श्री जितेन्द्र जी ने कही कि जो लोग प्रेसराइज करते हैं अपने ट्रांसफर के मामले में, उसके लिये आपने कोई नियम बनाये हैं? मेरे विचार को आप जानते हैं, लेकिन इतना मैं अवश्य कहता हूं कि स्थानान्तरण के बारे में जो निर्णय हो जायेगा वह कायम रहेगा। उसमें तब्दीली की बात नहीं होगी जब तक कि कोई मौजूदा कारण न हो। शायद हजार केसेज में एकाध केस की बात हो जाय तो मैं नहीं कहता लेकिन वैसे उस पर सख्ती रहेगी। साथ ही उसके लिये मैं यह अवश्य कहूंगा कि अपने राजनीतिक मित्रों को यह तो नहीं कह सकता हूं कि वे इस स्थानान्तरण के मामले की बात न कहें लेकिन इतना अवश्य है कि जो कर्मचारी अपने स्थानान्तरण के बारे में दबाव डलवाने की कोशिश करेगा और विशेष तौर पर डाक्टर या अधिकारीगण, गजटेड आफिसर वर्ग, तो उसके चरित्र—पंजिका में बात अवश्य अंकित कर दी जायेगी कि उन्होंने पोलिटिकल दबाव डलवाने की कोशिश की।

जहां तक श्री जितेन्द्र जी ने ट्रांस्फर के नियम की बात पूछी, मैं ट्रांसफर करने का बहुत पक्षपाती नहीं हूं। जहां शिकायत हो वहां ट्रांस्फर की बात होनी चाहिये। ट्रांसफर के मामले में यह है कि ट्रांसफर शुरू हुआ और ६ महीने तक ट्रांस्फर का सिलसिला चला तो फिर कोई काम चलता नहीं है। इसलिये मैं ट्रांसफर का पक्षपाती नहीं हूं। मैं इस मामले में बहुत निश्चित हूं कि डाक्टर का ट्रांस्फर शिकायत की बिना पर ही हो और जहां पर शिकायत न हो, वहां के डाक्टर के ट्रांसफर की बात न की जाय। मई तक तो वह बन्द है, ही। मेरे विचार से डाक्टरों का ट्रांसफर नियम के अनुसार होना चाहिये और उसकेलिये कोई नियम बनाना होगा। लेकिन साथ ही मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं ट्रांसफर का पक्षपाती नहीं हूं। जहां शिकायत हो और नये इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी, वहीं पर ट्रांसफर की बात सोची जायेगी, नियमों के सम्बन्ध में विचार करना होगा।

ओझा जी ने कुछ बात भ्रष्टाचार वगैरह की कही। और फोर्थ क्लास इम्पलाइज के स्थानान्तरण व मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ बात कही।

एक सदस्य—

जल्दी खतम कीजिए।

श्री प्रभु नारायण—

अभी मेरी महिला सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मैं स्वतः उनकी परेशानी को समझता हूं।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी—गढ़वाल)—

आपने अच्छी दवा निकाली अध्यक्ष महोदय, कि जितना ही माननीय सदस्य हल्ला करेंगे उतना ही आप उनको रात में बैठावेंगे।

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, २—३ बातें मैं और कहना चाहता हूं। पहले तो यह कि अभी कहा गया था कि क्लास फोर्थ के जो इम्पलाइज हैं, उनका ट्रांसफर डाइरेक्ट्रेट से नहीं होना चाहिये। मैं इस पर कहना चाहता हूं कि डाइरेक्ट्रेट की बात तो अलग है, मिनिस्टर लेविल पर भी क्लास फोर्थ के ट्रांसफर के लिये प्रेशर पड़ता है। मैं तो कहता हूं कि.....

एक सदस्य---

अगर इसी तरह से यहां चलता रहा तो हम जैसों को अस्पताल भेजना पड़ेगा।

श्री प्रभु नारायण---

यदि आप कह रहे हैं कि क्लास फोर्थ का ट्रांसफर डाइरेक्ट्रेट लेविल पर और मिनिस्टर लेविल पर न हो तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि वह नहीं होंगे। लेकिन अगर. . .

श्री हरि केवल---

जो हुये होंगे उनके बारे में क्या होगा ?

श्री प्रभु नारायण---

जहां तक होने की बात है तो जो हुये होंगे उनके संबंध में मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन जहां तक क्लास फोर्थ के इम्पलाइज पर अगर कोई अन्याय नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्लास फोर्थ इम्पलाइज का ट्रांसफर मिनिस्टर लेविल पर और डाइरेक्ट्रेट लेविल पर नहीं होगा। इतना मैं आश्वासन देना चाहता हूं। यह अन्याय नहीं होगा, इतना मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि ४ करोड़ रुपये लगभग दवाओं के लिये रखे गये हैं। इसमें से २ करोड़ ५३ लाख रुपये का बजट गांवों, देहात के लिये, दवाओं के लिये रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पहले केवल ४५ लाख रुपये रखे गये थे लेकिन अब लगभग ढाई करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि सरकार की नीति मौजूदा सरकार की नीति और केन्द्रीय सरकारी नीति गांवों की तरफ जाने की नीति है। ८० फीसदी जो जनता गांवों में बसती है, गरीब जनता है, उसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं उन सुझाओं पर पूरा ध्यान रखा जायगा। माननीय सदस्यों ने जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं अपने नये और पुराने मित्रों से कि कम से कम दवाओं के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलजुल कर काम करें। इसमें सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष का सवाल नहीं है। माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, मैं उन पर पूरा ध्यान करूंगा। इसको देखते हुये मेरा निवेदन है कि कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३१—चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३०, ६४, ३६, ४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या ३२—परिवार नियोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,५१,१८,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५,२५,९८,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६९—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६९—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,०४,७७,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत ७ सूचनायें हैं ।

श्री मोहन लाल कपूर—नहीं हैं । श्री सत्य प्रकाश—नहीं हैं । श्री बाबू लाल वर्मा की भी सूचना को अस्वीकार किया गया। श्री श्याम मिश्रा की सूचना को आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को हम भेज रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

मान्यवर, नियम ५६ में कल कहा था कि हमारी सूचना को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन नहीं किया. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

सब खारिज हैं ।

बहराइच जिले के भिनगा अस्पताल की लेडी डाक्टर, सुधा खरे की रहस्यमय मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार सरकारी अस्पताल, भिनगा, जिला बहराइच की लेडी डाक्टर कु० राजेश्वरी उर्फ सुधा खरे ने दिनांक २–४–७५ को मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के कार्यालय में अन्य चिकित्सकों के साथ आई० एम० ए० की मीटिंग में भाग लिया और उसके बाद डा० चेत राज सिंह जो हरिहरपुर चिकित्सालय में सरकारी डाक्टर हैं, के साथ बस द्वारा २–४–७५ की ही शाम को भिनगा वापस पहुंचीं और उन्हीं के साथ रात का भोजन किया। २–४–७५ की रात में साढ़े नौ बजे के लगभग डा० सिंह उन्हें उनके कमरे पर छोड़ आए थे।

दिनांक ३–४–७५ को डा० सुधा खरे काफी देर हो जाने पर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलीं। उनके मकान मालिक की पत्नी की सूचना पर उस दिन शाम ४.३० बजे मेडिकल आफिसर, भिनगा ने उनके कमरे का दरवाजा खुलवाया और उन्हें उनके बिस्तर पर बेहोश पाया। डा० खरे को संदिग्ध जहर-खुरानी के उपचार हेतु उसी दिन शाम ६.४५ बजे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी उपचार के बाद भी उन्हें होश नहीं आया और दिनांक ६–४–७५ को रात्रि बारह बजकर १५ मिनट पर उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल से सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस ने डा० खरे की मृत्यु के बारे में दरयाफ्त-हाल जांच शुरू की, जो जारी है। पोस्टमार्टम परीक्षण से मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका। मृतक का बिस्तरा सुरक्षित रखा गया जिसे रासायनिक परीक्षक के पास परीक्षण हेतु भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

यह सही नहीं है कि बहराइच में इस बात की चर्चा है कि डा० सुधा खरे के साथ बलात्कार करने के बाद उक्त घटना हुई। यह भी सही नहीं है कि जनता में उक्त घटना से कोई रोष अथवा असंतोष व्याप्त है या शान्ति व्यवस्था का कोई खतरा उत्पन्न हो गया है।

४—शासन ने डा० सुधा खरे की मृत्यु की घटना की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपा गया इसलिये कोई बात नहीं है।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

मान्यवर, यह अपराध अनुसंधान विभाग को कब दिया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हाल ही में दिया गया है।

श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच)—

पुलिस में कब सूचना दी गई कि उन्होंने जहर खाया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

३–४–७५ को श्री बलराम राय द्वारा।

श्री सुखद राज सिंह—

बिसरा क्यों नहीं हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

१५ अप्रैल को रासायनिक परीक्षण के लिये भेजा गया था।

लखनऊ नगर की गुलिस्तां कालोनी में किसी बड़े अधिकारी के बंगले पर सी० आई० डी० द्वारा छापा मारे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ नगर में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग अथवा स्थानीय पुलिस द्वारा व्यभिचार के अड्डों की तलाश मे गुलिस्तां कालोनी में किसी बड़े अधिकारी के बंगले पर छापा नहीं मारा गया है। अस्तु मकान को सील करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अगर बड़े अधिकारी के बंगले पर छापा नहीं मारा गया तो छोटे अधिकारी या उससे बड़े अधिकारी के बंगले पर छापा मारा गया या किसी और जगह छापा मारा गया कि नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मैं इसलिये यह प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि जब से अखबार में निकला है तब से सरकार ने इसका खण्डन नहीं किया आज तक। तो क्या आसपास की बिल्डिंग में उस गुलिस्तां कालोनी के, छापा मारा गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बगल वाली किसी कालोनी या बंगले पर छापा नहीं मारा गया।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

जिन कारणों का उल्लेख वक्तव्य में है तो किसी दूसरे कारणों से तो गुलिस्तां कालोनी में छापा मारा गया है या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

श्री मदन मोहन खन्ना, भूतपूर्व हेड क्लर्क, सेल्स टैक्स कार्यालय, सहारनपुर के रिट-पिटीशन में सरकार के विरुद्ध फैसला हो जाने के बाद भी उसका पालन न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य†

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, चूंकि यह वक्तव्य बहुत बड़ा है इसलिये इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्री मदन मोहन खन्ना, भूतपूर्व प्रधान लिपिक, बिक्री-कर कार्यालय, सहारनपुर की मूल नियुक्ति, बिक्री-कर कार्यालय, मेरठ में कार्यालय ज्ञाप दिनांक ७ जून, १९४८ के द्वारा नैत्यिक लिपिक के पद पर की गई थी। तदुपरान्त श्री खन्ना की तैनाती बिक्री-कर कार्यालय, सहारनपुर में प्रधान लिपिक के पद पर वेतन मान १००–१६० में की गयी। पंजाबी मार्केट, सहारनपुर के व्यापारी बड़ी मात्रा में दिल्ली से कपड़ा आयात कर रहे थे, जिस पर वे कर नहीं

† पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

दे रहे हैं—इस प्रकार की शिकायतें अप्रैल, १९५२ में प्राप्त हुईं। श्री खन्ना तथा कुछ अन्य लिपिकों को जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में दिल्ली से आयातिक माल के विवरण की नकल करने के लिये तैनात किया गया। ये शिकायतें प्राप्त हुंई कि विवरण की नकल करते समय संबंधित कर्मचारियों ने जानबूझ कर कुछ विवरण या तो कम लिखा या लिखा ही नहीं जिससे की व्यापारियों को कर न देना पड़े। १९—१—५३ को उक्त शिकायत की जांच की गई और यह ज्ञात हुआ कि Deliberate suppresions or omissions of bales का कथित अभियोग सही था। तत्कालीन बिक्री—कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने श्री खन्ना को दिनांक २७—१—५३ से निलम्बित कर दिया और इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की। जनवरी, १९५३ में सहायक आयुक्त (शा०) बिक्री—कर, मेरठ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। दिनांक १३—२—५३ को श्री खन्ना को आरोप-पत्र दिया गया और जांच अधिकारी की रिपोर्ट, दिनांक ८—८—५३ पर एक कारण बताओ नोटिस दिनांक २६—११—५३ को दिया गया तथा उसके बाद अन्य कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् उन्हें दिनांक ८—७—५४ के आदेश द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया।

सेवा से पृथक हो जाने के उपरान्त वर्ष १९५५ में श्री खन्ना ने मुन्सिफ मेरठ के न्यायालय में सिविल वाद दायर किया। वाद का विरोध विभाग द्वारा समुचित रूप से किया गया। परन्तु दिनांक २९—४—५९ को वाद श्री खन्ना के पक्ष में निर्णीत हुआ। मुन्सिफ, मेरठ के फैसले के विरुद्ध विभाग ने जिला जज, मेरठ के न्यायालय में दिनांक ६—७—५९ को अपील दायर किया। अपील को सिविल जज ने दिनांक ८—११—६० को निरस्त कर दिया। पुन: विभाग ने सिविल जज, मेरठ के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दूसरी अपील वर्ष १९६१ में दायर की। विभाग की अपील को उच्च न्यायालय ने दिनांक १३-३-७० को निरस्त करते हुये निर्णय दिया कि श्री खन्ना को सेवा से निकाला जाना अवैधानिक है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश में यह लिखा गया कि अपील इस कारण खारिज की जाती है क्योंकि "रूल ५५ तथा ५५ए आफ दी सिविल सर्विस क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स" का सही प्रकार से पालन नहीं किया गया। पर यदि विभाग चाहे तो श्री खन्ना के विरुद्ध फिर से नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करें। विभाग ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र भी स्पेशल लीव टु अपील इन सुप्रीम कोर्ट, दिनांक ७—८—७० को प्रस्तुत किया परन्तु वह प्रार्थना—पत्र माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक ९—१२—७० को अस्वीकृत कर दिया गया।

जिस समय श्री खन्ना के विरुद्ध वाद चल रहा था उसी अवधि में श्री खन्ना ने दिनांक १—९—६७ को सेवा निवृत्ति की आयु पार कर ली। शासनादेश संख्या एस० टी०—२४४४/दस—१०३५(६२)/५४, दिनांक ८—६—७१ द्वारा शासन ने यह निर्देश दिये कि श्री खन्ना को सेवा से निलम्बन की तिथि से उनके रिटायरमेन्ट की तिथि तक का पूर्ण वेतन का भुगतान करना उचित होगा। शासनादेश के अनुसार श्री खन्ना को भुगतान करने हेतु बिक्री—कर अधिकारी, सहारनपुर को आयुक्त बिक्री—कर कार्यालय द्वारा दिनांक २३—७—७१ को निर्देश दिये गये। २३—९—७१ के पत्र द्वारा श्री खन्ना को बिक्री—कर अधिकारी, सहारनपुर से सम्पर्क स्थापित करने हेतु लिखा गया। तत्पश्चात् बिक्री—कर अधिकारी, सहारनपुर ने कई विन्दुओं पर कई बार निर्देश मांगे, और अन्त में २१-३-७२ को बिक्री-कर आयुक्त ने बिक्री-कर अधिकारी को तीन सप्ताह के अन्दर श्री खन्ना को भुगतान करने के कड़े आदेश दिये। बिक्री-कर अधिकारी ने निर्देशानुसार श्री खन्ना के पूर्व वेतन के भुगतान हेतु एरियर वेतन के बिल तैयार करके कोषाधिकारी को पास करने के लिये दिनांक १४—४—७२ को भेज दिया। कोषाधिकारी सहारनपुर ने एरियर वेतन बिल पर दिनांक १७-४-७२ को आपत्ति प्रगट करते हुये कहा कि बिल को महालेखाकार द्वारा पहले प्रिआडिट कराया जाय।

दिनांक २५ अप्रैल, १९७२ को शासन ने आयुक्त बिक्री-कर को टेलीफोन पर यह आदेश दिए कि श्री खन्ना को बकाया वेतन का भुगतान कालबाधित होने के कारण न किया जाय। तदनुसार बिक्री-कर अधिकारी, सहारनपुर को दिनांक २५ अप्रैल, १९७२ को श्री खन्ना को किसी प्रकार का भुगतान न किए जाने के लिए आयुक्त बिक्री-कर द्वारा तार भेजा गया। तदनुसार दिनांक १२ मई, १९७२ को बिक्री-कर अधिकारी, सहारनपुर ने श्री खन्ना को यह सूचित किया कि उनका क्लेम कालबाधित हो चुका है। इस बात को देखते हुए कि श्री खन्ना के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे व केवल जांच की अनियमितताओं के आधार पर उन्हें सेवा से पृथक करने का आदेश अवैध घोषित किया गया था व न्यायालय के निर्णय के बाद भी साधारणतया उन पर फिर से जांच नियमानुसार कराई जा सकती थी किन्तु वह पुनः जांच इस कारण नहीं कराई जा सकी क्योंकि तब तक श्री खन्ना ने सेवानिवृत्ति की आयु भी प्राप्त कर ली। ऐसी परिस्थिति में भुगतान के कालबाधित होने के कारण श्री खन्ना को भुगतान न किए जाने के औपचारिक आदेश शासनादेश संख्या एस० टी०-१-२४३३/दस-१०३५(६२)-५४, दिनांक २६ जून, १९७२ द्वारा जारी किए गये।

श्री खन्ना ने बिक्री-कर अधिकारी, सहारनपुर के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या ४९६० आफ १९७३ दायर की। श्री खन्ना द्वारा दायर रिट याचिका का विरोध शासन द्वारा किया गया परन्तु उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ द्वारा प्रदत्त असामान्य अधिकार के अन्तर्गत (उच्च न्यायालय लिमिटेशन की प्राविधिक तिथि से प्रतिबन्धित नहीं है) याची (श्री खन्ना) की प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और यह निर्देश दिए कि याची को रु० ३५८५४.२५ एरियर वेतन के रूप में प्रतिवादी द्वारा देय है। उच्च न्यायालय ने केस का व्यय भी शासन को वहन करने के आदेश दिए।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका संख्या ४९६०/७३ में दिनांक २२ मार्च, १९७५ को दिए गए निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु विभाग की ओर से स्थाई अधिवक्ता, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। किन्तु निर्णय की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। निर्णय की प्रति प्राप्त होते ही प्रस्तुत बाद में कानूनी राय लेकर अपेक्षित विधिक कार्यवाही की जाएगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मैं एक प्रश्न यह करना चहता हूं कि क्या सरकार को २२ मार्च की हाई कोर्ट के निर्णय की प्रतिलिपि मिल गई है? अगर हां, तो कब?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आज ही मिली है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इसका अन्तिम पैरा पढ़ना चाहता हूं :

Before I close I would like to observe that the facts of the instant case demonstrate harassment of a citizen ofa welfare state founded on the lofty principles of democracy and rule of law. Is it not the duty of a welfare state to discharge its obligations towards its citizens in a forthright manner? Is it proper for the State Government and its high officers to defeat the decree of civil court by giving assurances which are never honoured? I regret to say that the Sales Tax Commissioner and the

[श्री मुहम्मद असरार अहमद--]

State Government have not acted in a forthright manner, instead, they adopted the attitude of a private litigant who is interested in securing his own individual interest. State must look after the public interest and that objective can not be achieved if it defeats the just and valid claim of its own servents on technical objections. I hope and trust that the State Government will consider this matter with a broad outlook to prevent recurrence of this kind of situation. The State Government must take effective steps to ensure its servants and citizens that a decree passed by a court of law shall be honoured and its fruits will not be defeated on technical grounds. If this is not done, the citizens and public servants are likely to lose their faith in the efficiency of welfare State and rule of law. Citizens of of a welfare state expect a forthright conduct from the State and its high officers.

In the results, I allow the petition and direct the respondents to pay a sum of Rs. 35,854.25 paisa to the petitioner as arrears of his salary as well as his pension. The petitioner is entitled to his costs.

मुझे यह कहना है कि स्ट्रिक्चर पास किये हैं जो, उनके अलावा और भी बातें लिखी हैं। लेकिन मैं दो एक बातें और जिक्र करना चाहता हूं। मुंसिफ के यहां से खारिज, जज के यहां से खारिज, हाई कोर्ट से खारिज। इस दरमियान में कह दिया कि तनख्वाह रोक दो। यह सब होते हुए मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जिन्होंने सरकार का पैसा खर्च किया उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय उपनेता, विरोधी दल पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। यह मामला अब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में जायगा तो इसमें जो वाक्य है कि--

instead they adopted the attitude of a private litigant who is interested in securing his own individual interest,

मैं भी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का चेयरमैन रहा हूं। आप भी जानते हैं कि वहां हम लोग प्रश्न पूछते हैं। भले ही स्ट्रिक्चर्स हो गये हों लेकिन पैरवी तो करनी ही थी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

यह भी चेयरमैन रहे और मैं भी हूं। लेकिन मैं उन सारी चीजों में नहीं जाना चाहता। जिन केसेज में दम नहीं होता उनमें अपील इसलिये की जाती है कि वापस ले लेंगे या उनसे पैसा मिल जायगा। अगर नहीं मिलेगा तो आगे टालते रहेंगे। मेरा कहना यह है कि यह सारा केस आ गया तो इसकी बिना पर कार्यवाही करने में आपको क्या आपत्ति है ? आपने कहा कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आयेगा तो पता नहीं मेरे जमाने में आये या न आये। आपको क्या आपत्ति है कि आप इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज ही फैसला मिला है। कार्यवाही की जायगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

कार्यवाही करना है या नहीं, यह बतलावें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने कहा कि आज ही फैसला मिला है।

शेष कार्यक्रम का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

सर्वश्री ओम प्रकाश सिंह, मोहनलाल कपूर, भीखा लाल तथा राम सजीवन. . . . हैं नहीं।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

यह वक्तव्य हाउस की प्रापर्टी है।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक दिन में ही चार-चार वक्तव्य आ जायं।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह आप सोच लीजिये। यह अभी कुछ देर में खत्म हो जायगा। क्या आप चाहते हैं कि कल फिर लें ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

व्यवस्था का प्रश्न है। एक दिन में ४-५ वक्तव्य आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

हम क्या करें। जब इतने मंजूर हुए और २३/२५/२८ तीन दिन बाकी है तो आयेंगे ही।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

आज सुबह से मैं यहां बैठा हूं। थक गया हूं। यह मेरा ही है नियम ४९ का। इसको २५ के लिए रख दें।

श्री अध्यक्ष--

आगे समय नहीं है। आप खुद चान्स लें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

आप २५ को लगा दें। मैं दो तीन प्रश्न ही करूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखित २/३ सवाल दे दें। हम मंत्री जी के पास भेज देंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

धन्यवाद। अब हम उठते हैं, कल ११ बजे दिन फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ८ बजकर ३६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ अप्रैल, १९७५।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०६ पर]

सूची

क्रम-सं०	नाम	आदेश जिसके द्वारा स्थाई किया गया
१	श्री वीरेन्द्र देव कटियार	सं०एच०ए०-१०७७६-८१०/स्था० (लिपिक), दिनांक २४ जनवरी, १९७५
२	श्री हर नारायण पाण्डे	सं० एच०ए० १२२४७-५०/स्था० (लिपिक), दिनांक २८ फरवरी, १९७५।
३	श्री मूल चन्द्र गुप्ता	सं० एच०ए० १०७७६-६१०/स्था० (लिपिक), दिनांक २४ जनवरी, १९७५।
४	श्री जे० पी० निगम	सं० आर०ई०-१-४/पी०, दिनांक १ जनवरी, १९७५।
५	श्री देवी प्रसाद शर्मा	सं० एच० ए० १०७७६/८१०-स्था० (लिपिक), दिनांक २४ जनवरी, १९७५।
६	श्री त्रिभुवन नारायण	तदेव
७	श्री हरी राम पाण्डे	तदेव
८	श्री रामेश्वर दयाल बाथम	तदेव
९	श्री बी० डी० कटियार	तदेव
१०	श्री घसीटे लाल	तदेव
११	श्री केशव प्रसाद गुप्ता	तदेव
१२	श्री सदा शिव त्रिपाठी	तदेव
१३	श्री अमरनाथ तिवारी	तदेव
१४	श्री कृष्ण बिहारी लाल श्रीवास्तव	तदेव
१५	श्री प्रेम नारायण	तदेव
१६	श्री रनबीर सहाय	तदेव
१७	श्री कैलाश नाथ श्रीवास्तव	तदेव
१८	श्री राम प्रकाश	तदेव
१९	श्री आनन्द सरन	तदेव

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०८ पर)

तालिका

चिकित्सालय/औषधालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नाम	जिला स्तर से औषधियों का क्रय		जिला स्तर से अन्य चिकित्सा सम्बन्धी सामान का क्रय		प्रदेश के केन्द्रीय औषधि भंडार के माध्यम से औषधियों की पूर्ति	विशेष
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय		
१	२	३	४	५	६	७
(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (उप केन्द्रों सहित)—						
१ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगत	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८
२ ,, ,, म्यान	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८
३ ,, ,, उसावां	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८
४ ,, ,, दातागंज	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	१३,५५८.२८
५ ,, ,, सगरैर	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८
६ ,, ,, घिनावर	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	१५,५७९.२८
७ ,, ,, बिसौली	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१					२	३	४	५	६	७
८	,,	,,	इसलाम नगर	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	१३,५५८.२८	
९	,,	,,	बिल्सी	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८	
१०	,,	,,	सहसवान	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८	
११	,,	,,	दहगवां	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८	
१२	,,	,,	जुनावई	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८	
१३	,,	,,	सैदपुर	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८	
१४	,,	,,	रजपुरा	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८	
१५	,,	,,	गुन्नौर	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	१३,५५८.२८	
१६	,,	,,	उझानी	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	१३,५५८.२८	
१७	,,	,,	कादरचौक	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	११,५५८.२८	
१८	,,	,,	आसफपुर	..	७,०००	६,५२५	६००	६००	१३,५५८.२८	
					१,२६,०००	१,१७,४५०	१०,८००	१०,८००	२,२१,८७०.०४	
(ख) ग्रामीण औषधालय—										
१	नूरपुर पिनौनी			..	१,३५०	११,८७.५०	८५०	८५०	४,२११.००	
२	कछला			..	१,३५०	११,८७.५०	८५०	८५०	४,२११.००	
३	रुदामन			..	१,३५०	११,८७.५०	८५०	८५०	४,२११.००	
४	मझारा			..	१,३५०	११,८७.५०	८५०	८५०	४,२११.००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५	सादुल्लागंज		..	१,३५०	११,८७.५०	८५०	८५०	२००.००
६	महिला औषधालय	दातागंज	..	१,३५०	११,८७.५०	८५०	८५०	४,२११.००
७	,, ,,	इसलामनगर	..	१,३५०	११,८७.५०	८५०	८५०	४,२११.००
८	,, ,,	बिसौली	..	१,३५०	११,८७.५०	८५०	८५०	४,२११.००
९	,, ,,	वजीरगंज	..	१,३५०	११,८७.५०	८५०	८५०	४,२११.००
१०	,, ,,	बिल्सी	..	१,३५०	११,८७.५०	८५०	८५०	४,२११.००
		योग (ख)		१३,५००	११,८७५.००	८,५००	८,५००	३८,०९९.००
	(ग) जिला चिकित्सालय—							
१	जिला चिकित्सालय, बदायूं		..	८८,७००	८८,५४०.९१	२५,५००	२५,५००	६४,८१५.००
२	जिला महिला चिकित्सालय, बदायूं		..	२,५००	२,५००.००	९,०००	९,०००	२१,६०५.००
३	क्षयरोग रजालय, बदायूं		..	१,३००	१,३००.००	..	..	३,३४०.५७
		योग (ग)	..	९२,५००	९२,३४०.९१	३४,५००	३४,५००	८९,७६०.५७
		महायोग	..	२,३२,०००	२,२१,६६५.९१	५३,८००	५३,८००	३,९९,७२९.६१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२९ पर)

१--वैयक्तिक सहायक, कारागार महानिरीक्षक--इस पद को स्थायी रूप से भरने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

२--अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार---८ पद--२ अधीक्षकों के पद अभी लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। अत:, उनको स्थायी करना सम्भव नहीं है। ३ अधीक्षकों को स्थायी करने के सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है।

३--अधीक्षक, जिला कारागार---११ पद--६ अधीक्षक अभी लोक सेवा आयोग से अनुमोदित नहीं हैं। अत: उनको स्थायी नहीं किया जा सकता। अन्य ५ अधीक्षकों को स्थायी करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

४--उप अधीक्षक--पद १--उनको स्थायी करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

५---जेलर---३९ पद--२३ जेलरों के मामले में लोक सेवा आयोग तथा शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। १० जेलरों के पदों पर उनसे ऊपर के अधिकारियों का लियन है। अत: जब तक वे अधिकारी वहां स्थायी नहीं हो जाते, तब तक ये पद स्थायी करने के लिए प्राप्त नहीं हो सकते। ६ पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

संसद भवन

नत्थी 'ध'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३६ पर)

मलिन बस्ती सुधार योजना का प्रोजेक्ट बार्ड मकबूलगंज, शहर लखनऊ

आबादी सफदल बगिया, गीता भवन के पीछे की आबादी, रिसालदार पार्क के पीछे सत्यपाल की गली से मिली हुई, कटरा मकबूलगंज, केशव बहादुरी रोड से मिली आबादी।

गंदी बस्तियों के सुधार का विवरण

क्रम-संख्या	विकास विवरण	रेट	अनुमानित लागत	प्रति व्यक्ति आय
१—वाटर सप्लाई	५०० आर०एफ०टी०	११.३५	५,६७५.००	
२—सीवर—				
१२ इंच व्यास	१००० ,,	२५.००	२५,०००.००	
९ इंच व्यास	१५०० ,,	१६.८०	२५,२००.००	
३—स्टार्म वाटर ड्रेन	..	..	..	
४—कम्युनिटी बाथ	..	..	..	९९.२
५—कम्युनिटी लेट्रीन	१ नं०	९,८००.००	९,८००.००	
६—वर्तमान गलियों में फर्श लगाना तथा चौड़ा करना—				
१२ फीट	८०० आर०एफ०टी०	१६.००	१२,८००.००	
८ फीट	२००० ,,	८.६०	१७,२००.००	
७—के० सी० ड्रेन	३०००	३.४८	१०,४५०.००	
८—स्ट्रीट लाइट	१०००	३,००	३,०००.००	
		रु०	१,०९,१२५.००	

पी०एस०यू०पी०—एल० १३० वि० सभा (५४५)—१९७६—८४०।

उदय देहरा प्रकाशन संस्था